

जिले के संबंध में सामान्य जानकारी

1. जिला जैसलमेर – परिचयात्मक विवरण

1.1. ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि :-

जैसलमेर नगर की स्थापना महारावल जैसल द्वारा नगर स्थित प्राचीन दुर्ग के स्थापना दिवस श्रावण शुक्ल द्वादसी संवत् 1212 तदनुसार दिनांक 12 जुलाई 1155 ईस्वी को ही माना जाता है। इस नगर की स्थापना से पूर्व जैसलमेर राज्य की राजधानी यहां से लगभग 16 कि.मी. दूर लुद्रवा नामक स्थान पर थी, जो आज भी भग्नावशेष में मौजूद है। सम्भवतः लुद्रवा को सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त मानने के कारण ही महारावल जैसल ने अपनी राजधानी वहां से बदलकर जैसलमेर स्थानान्तरित की। जैसलमेर शब्द की व्युत्पत्ति जैसल तथा मेरु दो स्थानीय शब्दों के योग से हुई है। जैसलमेर के संस्थापक चन्द्रवंशी भाटी राजपूत हैं जो संभवतः मथुरा से पलायन कर इस क्षेत्र में आ गये थे। ये चन्द्रवंशी भाटी राजपूत भगवान कृष्ण के संबंधी बताये जाते हैं। राजघराने के वर्तमान ध्वज पर अंकित चिन्ह से इस मान्यता को बल मिलता है।

जैसलमेर रियासत के बारे में कहा जाता है कि यह राज्य ब्रिटिश शासकों के अधीन जाने वाले अंतिम राज्यों में से एक था। महारावल मूलराव द्वितीय ने 12 दिसम्बर 1818 को ब्रिटिश साम्राज्य से संधि की थी जिसके अनुसार जैसलमेर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रखना था और बदले में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा रियासत की सुरक्षा का वचन दे दिया गया था।

सन् 1838-39 में अफगान युद्ध के समय ब्रिटिश राज्य की सेनाओं को इण्डस नदी पार कराने के लिए तत्कालीन महाराजा गजसिंह द्वारा किये गये प्रबन्ध और व्यवस्था से प्रसन्न होकर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शाहगढ और घोटारू के किले रियासत को सौंप दिये गये।

रियासतकाल में जैसलमेर राज्य छोटी-छोटी हुकूमतों में बंटा हुआ था और इस प्रकार की 18 हुकूमतें हाकिमों के अधीन कार्य करती थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जैसलमेर रियासत को दिनांक 7.4.1949 को राजस्थान राज्य में विलीन कर दिया गया। राज्य में विलीन होने के पश्चात वर्तमान जैसलमेर जिले में निम्नानुसार प्रशासनिक परिवर्तन हुए:-

- (1) दिनांक 6.10.1949 को सम्पूर्ण जैसलमेर रियासत के क्षेत्र को जिले का दर्जा दिया गया और जोधपुर क्षेत्र के अधीन रखा गया। उस समय जिले के प्रभारी उप आयुक्त के पद नाम से थे जिनका बाद में पदनाम कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट कर दिया गया।
- (2) जिले की स्थापना के समय दो उपखण्ड जैसलमेर व बाप थे जिनमें जैसलमेर, रामगढ, सम, फतेहगढ और बाप कुल 5 तहसील थी।
- (3) कुछ समय पश्चात् उपखण्ड बाप को समाप्त कर दिया गया और उसे तहसील का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार रामगढ, सम, फतेहगढ तहसीलों को समाप्त करके जैसलमेर तहसील में मिला दिया गया। अर्थात् जिले में एक उपखण्ड जैसलमेर तथा दो तहसीले जैसलमेर व बाप रह गईं।
- (4) फरवरी 1953 में प्रशासनिक सुविधा और व्यवस्था की दृष्टि से जैसलमेर जिले को समाप्त करके जोधपुर जिले के अधीन इसे उपखण्ड का दर्जा दिया गया।
- (5) एक जून 1954 से पुनः जैसलमेर को जिले का दर्जा दिया गया और जैसलमेर तथा पोकरण दो उपखण्ड बनाये गये एवं जैसलमेर, पोकरण, रामगढ, सम, नाचना व फतेहगढ कुल 6 तहसीलें कायम की गईं। इस सारी प्रक्रिया में जैसलमेर के 76 गांव बीकानेर जिले को दिये गये जबकि जोधपुर जिले के 64 गांव ओर पोकरण कस्बा जैसलमेर को दिया गया।
- (6) सन् 1963 में रामगढ, सम ओर नाचना का तहसीलो का दर्जा घटाकर उप-तहसील कर दिया गया।
- (7) अब वर्तमान में जैसलमेर जिले के अन्तर्गत तीन तहसीलें और तीन उपखण्ड अर्थात् जैसलमेर, पोकरण, एवं फतेहगढ हैं।
- (8) 1971-81 के दौरान जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के गांव छायाण को जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील में स्थानान्तरित कर दिया गया।

1.2 भौगोलिक स्थिति :-

भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता हुआ जिला जैसलमेर राजस्थान राज्य के पश्चिमी छोर पर विश्व विख्यात थार मरूस्थल के आंचल में बसा हुआ है। यह जिला 26° 05 से 28° 0 उत्तरी आक्षांश एवं 69° 30 से 70° 0 पूर्वी देशान्तर तक फैला हुआ है। इस सीमान्त जिले के पश्चिम और उत्तर में पाकिस्तान से लगती हुई भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है। जिले के उत्तर पूर्व में बीकानेर, पूर्व में जोधपुर एवं दक्षिण में बाडमेर जिला स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जिला राज्य में सबसे बड़ा जिला है। 38401 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल के साथ राज्य के कुल क्षेत्रफल का 11.2 प्रतिशत क्षेत्र इस में समाहित है। 471 कि.मी. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, जिला मुख्यालय से निकटतम अन्तर्राष्ट्रीय सीमा (लगभग 85 कि.मी) लुणार की तरफ से एवं अधिकतम (180 कि.मी.) रायचदवाला की तरफ से है।

1.3 स्थानीय प्राकृतिक भूगोल (टोपोग्राफी) :-

जैसलमेर जिला भारत के विशाल थार का मुख्य भाग होने के कारण रेतीला, सूखा तथा पानी की कमी वाला प्रदेश है। जैसलमेर उपखण्ड में जैसलमेर नगर से लगभग 64 कि.मी परिधि क्षेत्र में अनेक चट्टानी टीले एवं पथरीली जमीन पाई जाती है और इस परिधि क्षेत्र के बाद अधिकांश क्षेत्र बालू के विशाल टीलों व रेत का लहरदार समुद्र नजर आता है, जब कि इसके विपरीत पोकरण उपखण्ड क्षेत्र अपेक्षाकृत बंजर भूमि एवं पत्थर वाला है, जिले स्थानीय भाषा में मगरा कहते हैं। क्षेत्र के कुछ भाग में कम ऊंचाई वाली पहाडी भी कहीं-कहीं दिखाई पड़ती है।

जिले में एक भी बारहमासी नदी नहीं है। कहीं कहीं बरसाती नाले अवश्य हैं जिनमें वर्षा ऋतु में पानी बहता हुआ नजर आता है। जिले में कोई भी प्राकृतिक झील नहीं है। हालांकि प्राकृतिक ढलान वाले अनेक स्थानों पर बरसात का पानी जमा हो जाता है जो जिले के पशुधन के लिये पीने के काम में आता है साथ ही जिले की जनसंख्या के बड़े भाग के लिये पेयजल के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। जिले में जल स्तर भूमि की सतह से काफी नीचे है। विभिन्न स्थानों पर भूजल की उपलब्धता 25 मीटर से 50 मीटर के बीच पाई जाती है।

1.4 जलवायु एवं वर्षा :-

जलवायु :-

जिले की जलवायु शुष्क एवं स्वास्थ्यवर्धक है। यहां गर्मी में अत्यधिक गर्मी और लू पराकाष्ठा की सीमा तक पहुंच जाती है। प्रदेश के अन्य हिस्सों के मुकाबले गर्मी का मौसम इस जिले में अपेक्षाकृत जल्दी प्रारंभ हो जाता है जो प्रायः मार्च से लेकर जून तक रहता है। गर्मी में तापमान 42 डिग्री से 50 डिग्री तक आंका गया है। मरूस्थलीय जिला होने के कारण गर्मी के मौसम में धूल भरी आंधियां चलती रहती है जिसमें कभी-कभार आवागमन के रास्ते भी बन्द हो जाते हैं। यहां की औसत वार्षिक वर्षा 16.4से.मी. है जो कि राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 57.51से.मी. की से काफी कम है। इसी प्रकार सर्दियों के मौसम में सर्दी का प्रकोप भी काफी तीव्र रहता है तथा कभी-कभार न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दु तक पहुंच जाता है।

बढ़ते हुए मरू प्रकोप की रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जिले में पिछले काफी वर्षों से विकास योजनाओं के माध्यम से वानिकी कार्य करवाये जा रहे हैं। इसी प्रकार जिले के विस्तृत भू-भाग जो कि वर्षा एवं सिंचाई के अभाव में अनुपयोगी पड़ा है, पर कृषि के विकास हेतु एक महत्वाकांक्षी वृहद सिंचाई परियोजना के तहत इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कराया गया है जो कि पंजाब के हरिके बांध से निकल कर राज्य के गंगानगर एवं बीकानेर जिले से होते हुये अब जैसलमेर जिले के मोहनगढ से नाचना तक की बेल्ट तक नहर पहुंच चुकी है। वहां विश्व खाद्य कार्यक्रम, ओ.ई.सी.एफ, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग एवं सैना तथा बी.एस.एफ. के जवानों द्वारा सघन वृक्षारोपण किया गया है। इन प्रयासों के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों से जिले की जलवायु में काफी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा है। इससे लू एवं आंधियों में कमी के साथ ही जिले की औसत वर्षा में भी सुधार हुआ है।

जिले के पिछले सात वर्षों के तापमान के आकड़े निम्नानुसार :-

क्र.सं.	वर्ष	अधि. तापमान	न्यून. तापमान	औसत तापमान	औसत आर्द्रता
1	2	3	4	5	6
1	2002	46.8	4.7	28.0	45.00
2	2003	45.1	5.5	27.5	49.00
3	2004	45.5	4.0	28.5	47.00
4	2005	45.0	3.3	26.7	48.00
5	2006	47.1	4.1	28.2	50.00
6	2007	47.1	4.1	27.0	48.00
7	2008	44.5	2.3	26.0	47.00

वर्षा :-

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले की सामान्य औसत वर्षा 164.44 मि.मी. है। वर्षा का कम एवं मात्रा सुनिश्चित नहीं होने के कारण यह जिला प्रायः अकाल की चपेट में रहता है। जिले में वर्ष 2002 से 2008 तक वर्षा के समंक निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	सामान्य वर्षा	वास्तविक वर्षा	सामान्य से अंतर (वृद्धि कमी-)
1	2	3	4	5
1	2002	164.44	44.10	(-) 120.34
2	2003	164.44	217.7	53.26
3	2004	164.44	79.6	(-) 84.84
4	2005	164.44	193.0	28.56
5	2006	164.44	283.6	119.16
6	2007	164.44	254.90	90.46
7	2008	164.44	225.08	60.64

जिले में इन्दिरा गांधी नहर के आगमन से तथा वानिकी कार्यक्रमों द्वारा वनों के विकास से जिले में वर्षा की स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ था किन्तु जैसा कि संमकों से स्पष्ट है, जिले में वर्ष 2002 एवं 2004 में वर्षा औसत वर्षा से कम रही, जिसका कारण संपूर्ण राज्य स्तर पर मानसून का कमजोर रहना है। वर्ष 2006 में जिले की सम पंचायत समिति के 31 गांवों में 21 अगस्त 06 की वर्षा के कारण अतिवृष्टि रही।

1.5 प्रशासनिक इकाईयां :-

प्रशासनिक दृष्टि से यह जिला तीन उपखण्डों एवं तीन तहसीलों में विभाजित है। जिला कलक्टर एवं दण्डनायक प्रशासनिक दृष्टि से जिले के सर्वोच्च अधिकारी है, जिनके अधीन उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील स्तर पर तहसीलदार कार्यरत है। जिले में राजस्व प्रशासनिक इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है :-

जिले में प्रशासनिक इकाईयों का विवरण

क्र. सं.	उपखण्ड	तहसील	उप तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डल	पटवार संख्या (संख्या)
1	जैसलमेर	जैसलमेर	2	7	52
2	पोकरण	पोकरण	2	5	37
3	फतेहगढ़	फतेहगढ़	—	4	28
योग			4	16	117

जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर के अधीन अति. कलक्टर (प्रशासन) कार्यरत है जो जिला कलक्टर को कार्य में सहायता करते हैं।

स्थानीय प्रशासन के तहत जिले के दो नगरीय क्षेत्रों जैसलमेर एवं पोकरण में नगरपालिकायें कार्यरत हैं, जिनमें निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के रूप में अध्यक्ष एवं सदस्य तथा प्रशासक के रूप में जैसलमेर में आयुक्त तथा पोकरण में अधिशाषी अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की सहायता से कार्य सम्पादित किया जाता है।

ग्रामीण प्रशासन के तहत जिला स्तर पर जिला परिषद एवं उसके अधीन जिले की तीन पंचायत समितियां कार्यशील हैं। जिला परिषद का प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी है तथा जिला प्रमुख इस संस्था का निर्वाचित मुखिया होता है। पदेन जिला विकास अधिकारी होने के नाते जिला कलक्टर पंचायत समितियों के कार्य के निर्देशन एवं परीक्षण के भी सर्वोच्च अधिकारी है। पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्यरत होते हैं, जबकि प्रधान इस संस्था का निर्वाचित मुखिया होता है। जिले की तीनों पंचायत समितियों में वर्तमान में कुल 128 ग्राम पंचायत हैं जिसका पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है :-

पंचायत समितिवार आबाद एवं गैर आबाद गांव क विवरण

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायतें	गांवों की संख्या		योग
			आबाद	गैर आबाद	
1	जैसलमेर	40	143	12	155
2	सम	49	281	22	303
3	सांकडा	39	176	3	179
	योग	128	600	37	637

2. जिले में उपलब्ध संसाधन

जैसलमेर जिला राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला है, किन्तु यहां प्राकृतिक संसाधनों का सर्वथा अभाव है। विषम प्राकृतिक परिस्थितियों, पानी की कमी एवं सिंचाई के साधनों का अभाव होने से जिला मुख्यतः एक फसली है, जो वर्षा पर निर्भर है। वर्षा की अनिश्चितता एवं कमी के कारण यहां प्रायः अकाल की स्थिति बनी रहती है। विश्व प्रसिद्ध "थार" रेगिस्तान के अंचल में बसा होने से जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 40 प्रतिशत भाग विशाल रेतीले टिब्बों से आच्छादित है।

किन्तु हाल ही के कुछ वर्षों में जिले की प्राकृतिक स्थिति में परिवर्तन के कुछ संकेत मिले हैं, जिसका प्रमुख कारण जिले में पंजाब के हरीके बांध से लायी गयी इन्दिरा गांधी नहर है। जिले में नहर के प्रवेश से कृषि हेतु सिंचाई उपलब्ध होने के साथ-साथ नहर किनारे वृक्षारोपण के कारण हरियाली का भी विकास हुआ है, जिससे गर्मी, लू एवं धूल भरी आंधियों में कमी दृष्टिगोचर हुई है। इसके अलावा सोनू एवं रामगढ़ क्षेत्र में स्टील ग्रेड चूना पत्थर की खुदाई का कार्य भी काफी विकसित हुआ है तथा प्रतिदिन हजारों टन लाइम स्टोन जिले से बाहर अन्य प्रदेशों में इस्पात कारखानों को भेजा जाता है।

जिले में प्राकृतिक गैस के भण्डारों की भी खोज की गयी है, जिसके उपयोग हेतु रामगढ़ में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु गैस आधारित विद्युत टरबाईन प्लान्ट की स्थापना की गयी है। जिले में पवन विद्युत की उत्पादन संभावना को देखते हुए विभिन्न फर्मों द्वारा जिले में अब तक 760 पवन चक्कियां स्थापित की गयी हैं जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 577.06 मेगावाट है।

2.1 भूमि उपयोग एवं कृषि :-

जिले में भूमि उपयोग संबंधी सूचना निम्नानुसार है :-

वर्ष 2008-09

क्र.सं.	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टर)	प्रतिशत
1	कुल क्षेत्रफल	3839154	100.00
2	वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	44577	1.161
3	गैर कृषि उपयोग भूमि	247733	6.453
4	स्थाई चारागाह एवं अन्य चारा भूमि	104071	2.711
5	पेड़ों के झुण्ड एवं बाग	90	0.002
6	बंजर, अकृष्य एवं पहाड़ियां	255161	6.646
7	अन्य पड़ती	97010	2.527
8	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	618750	16.117
9	चालू पड़ती	47059	1.226
10	जोतने बाने योग्य बेकार बंजर	2424703	63.157

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन :-

जिले में दो फसले रबी और खरीफ होती है, जिसमें खरीफ फसल ही मुख्य है।

खरीफ फसल में खाद्यान्न में बाजरा मुख्य फसल है थोड़ी सी मात्रा में ज्वार भी होती है जबकि दालों में मुंग एवं मोठ तथा तिलहन में मुंगफली एवं तिल की फसल होती है अन्य फसलों में ग्वार की फसल मुख्य है।

वर्ष 2008-09 में फसलवार उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :-

खरीफ

क्र. सं.	फसल	बोया गया क्षेत्रफल			फसल पकी			उत्पादन मै. टन
		सिंचत	असिंचत	योग	सिंचत	असिंचत	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खाद्यान्न	4657	148803	659460	4131	12734	16865	5850.1
2	दाले	2569	785	3554	2109	38	2147	640.3
3	तिलहन	10852	199	11051	9599	03	9602	6072.3
4	अन्य फसलें	18208	356213	374421	17040	15690	32730	13229.7
	योग -	36286	506000	542286	32879	28465	61344	25792.4

जिले में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में तथा कुछ स्थानों पर ट्यूबवेल के कारण रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल में खाद्यान्नों में मुख्य रूप से गेहूँ तथा थोड़ी सी मात्रा में जौ की फसल होती है जबकि दलहन में चना एवं अरहर की फसल तथा तिलहन में रायड़ा एवं तारामीरा की फसल होती है। रबी की अन्य फसलों में इसबगोल, जीरा, धनिया आदि होती है।

रबी

क्र. सं.	फसल	बोया गया क्षेत्रफल			फसल पकी			उत्पादन मै. टन
		सिंचत	असिंचत	योग	सिंचत	असिंचत	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खाद्यान्न	9588	77	9665	9527	41	9568	9532.2
2	दाले	66861	102	67963	66771	20	66791	53420.8
3	तिलहन	77052	12124	89176	74591	1692	76283	37746.5
4	अन्य फसलें	19139	14	19153	15348	04	15352	8152.35
	योग -	172640	12317	184957	166237	1757	167994	108851.85

2.3 मानव संसाधन :-

कुल जनसंख्या में कार्यशील एवं अकार्यशील जनसंख्या का विवरण

विवरण		कुल जनसंख्या	कार्यशील	प्रतिशत	अकार्यशील	प्रतिशत
ग्रामीण	पुरुष	236309	122858	51.99	113451	48.01
	स्त्री	195544	64967	33.22	130577	66.78
	योग	431853	187825	43.49	244028	56.51
शहरी	पुरुष	42792	21531	50.32	21261	49.68
	स्त्री	33602	2331	6.94	31271	93.06
	योग	76394	23862	31.24	52532	68.76
योग	पुरुष	279101	144389	51.73	134712	48.27
	स्त्री	229146	67298	29.37	161848	70.63
	महायोग	508247	211687	41.65	296560	58.35

कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति

विवरण		कुल जनसंख्या	अ0जा0	प्रतिशत	अ0ज0जा0	प्रतिशत
ग्रामीण	पुरुष	236309	35134	14.87	13031	5.51
	स्त्री	195544	30876	15.79	11438	5.85
	योग	431853	66010	15.29	24469	5.67
शहरी	पुरुष	42792	4569	10.68	1859	4.34
	स्त्री	33602	3515	10.46	1506	4.48
	योग	76394	8084	10.58	3365	4.40
योग	पुरुष	279101	39703	14.23	14890	5.33
	स्त्री	229146	34391	15.01	12944	5.65
	महायोग	508247	74094	14.58	27834	5.48

कुल जनसंख्या में साक्षर एवं निरक्षर

विवरण		कुल जनसंख्या	साक्षर	प्रतिशत	निरक्षर	प्रतिशत
ग्रामीण	पुरुष	236309	115007	48.67	121302	51.33
	स्त्री	195544	40756	20.84	154788	79.16
	योग	431853	155763	36.07	276090	63.93
शहरी	पुरुष	42792	30196	70.56	12596	29.44
	स्त्री	33602	16001	47.62	17601	52.38
	योग	76394	46197	60.47	30197	39.53
योग	पुरुष	279101	145203	52.03	133898	47.97
	स्त्री	229146	56757	24.77	172389	75.23
	महायोग	508247	201960	39.74	306287	60.26

कुल कार्यशील जनसंख्या में मुख्य कार्यशील एवं सीमान्त कार्यशील

विवरण		कुल कार्यशील जनसंख्या	मुख्य कार्यशील	प्रतिशत	सीमान्त कार्यशील	प्रतिशत
ग्रामीण	पुरुष	122858	102615	83.52	20243	16.48
	स्त्री	64967	27996	43.09	36971	56.91
	योग	187825	130611	69.54	57214	30.46
शहरी	पुरुष	21531	20613	95.74	918	4.26
	स्त्री	2331	1915	82.15	416	17.85
	योग	23862	22528	94.41	1334	5.59
योग	पुरुष	144389	123228	85.34	21161	14.66
	स्त्री	67298	29911	44.45	37387	55.55
	योग	211687	153139	72.34	58548	27.66

2.3 जलसम्पदा :-

जिले में एक भी बारहमासी नदी नहीं है, कुंओं में उपलब्ध जल अत्यधिक गहरा होने से खेती के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है। अतः सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण जिले की अधिकांश खेती मौसमी वर्षा पर ही निर्भर है। हाल ही में जिले में इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण हो जाने से सिंचाई सुविधा का विकास होने लगा है, किन्तु अभी नहर का निर्माण, वितरिकाओं एवं खालों का निर्माण, भूमि आवंटन एवं समतलीकरण आदि का कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्यों के पूरा होने पर जिले में सिंचाई सुविधा का पर्याप्त विकास हो सकेगा। जिले में कुछ स्थानों पर सिंचाई के परम्परागत साधनों का उपयोग भी किया जा रहा है। डाबला, चांधन, लाठी बेल्ट के गांवों तथा ओला, राजगढ़ एवं झाबरा बेल्ट के गांव जहां कम गहराई पर सिंचाई योग्य पानी उपलब्ध है, वहां कुंए एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जिले में ढलान वाले स्थानों पर खड़ीन निर्माण करके उसके अन्तर्गत आने वाली भूमि पर पेटा काश्त की प्रणाली भी प्रचलित है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना :-

पश्चिमी राजस्थान की प्यासी मरू भूमि को हरा-भरा एवं समृद्धिशाली बनाने के उद्देश्य से सन् 1952 में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर " हरि के बैराज " का निर्माण कराया गया। सन् 1955 में एक अन्तर्राज्यीय समझौते के तहत 15.85 करोड़ एकड़ फुट पानी राजस्थान को आवंटित किया जाना तय हुआ। इसी अतिरिक्त पानी का राजस्थान के थार मरूस्थल तक पहुंचाने की वृहद योजना "राजस्थान नहर" के रूप में सामने आयी जो कि विश्व की वृहदतम सिंचाई परियोजनाओं में से एक है।

राजस्थान नहर परियोजना की विधिवत् रूप से नींव 31 मार्च, 1958 को तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री स्व. श्री गोविन्द वल्लभ पंत द्वारा रखी गयी। श्रीमती इन्दिरा गांधी की मृत्यु के उपरांत उनकी स्मृति में राज्य सरकार ने 2 नवम्बर, 1984 को एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान नहर परियोजना का नाम " इन्दिरा गांधी नहर परियोजना " रख दिया।

जिले में वर्ष 2008-09 तक नहर निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है :-

1. नहर की कुल लम्बाई	2483.28 कि.मी.
2. मुख्य नहर की कुल लम्बाई	62.19 कि.मी.
3. नहर परियोजनाओं की शाखाओं की लम्बाई	279.58 कि.मी.
4. नहर परियोजनाओं का कुल क्षेत्र	569248 हैक्टर
5. कुल सिंचित क्षेत्रफल	4.56 लाख हैक्टर
6. वर्ष 2008-09 कुल व्यय	3922.94 लाख रुपये

2.4 पशुधन एवं डेयरी :-

पशुपालन इस जिले का मुख्य व्यवसाय रहा है, किन्तु बार-बार अकाल पड़ने के कारण पशुपालकों के लिए पशुओं का भरण-पोषण करना काफी कठिन है। लगातार अकाल के कारण जिले में पशु गणना के आंकड़ों के अनुसार 1997 के मुकाबले 2002 में पशुओं की संख्या कम हुई थी। वर्ष 2007 में पशुओं की संख्या में वापिस वृद्धि हुई है।

जिले में मुख्यतः गाय, बैल, भेड़, बकरी एवं ऊंट पाये जाते हैं। पशुगणना 1997, 2003, एव 2007 के अनुसार जिले में पशु संख्या अग्रानुसार है :-

क्र. सं.	पशु का नाम	संख्या		
		वर्ष 1997	वर्ष 2003	वर्ष 2007
1	गाय/बैल	310890	243094	359360
2	भैंस/भैंसा	1430	2181	2653
3	भेड़	1210746	890191	1291243
4	बकरी	882849	588000	1132856
5	घोड़े/टट्टू	453	633	728
6	गधे/खच्चर	21105	10665	10600
7	ऊंट	43042	36952	38969
8	सुअर	353	1427	713
9	कुत्ते एवं कुत्तीयां	0	0	11093
10	अन्य	0	0	0
	योग -	2470868	1773143	2848215
	कुक्कुट	13118	13061	20834

पशु चिकित्सा सुविधा :-

जिले में पशुपालन विभाग से संबंधित निम्नानुसार पशु चिकित्सा संस्थाएँ वर्ष 2008-09 में कार्यरत है :-

1	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	2
2	पशु औषधालय	32
3	पशु उपकेन्द्र	16
4	जिला रोग निदान केन्द्र	1
	योग -	51

डेयरी विकास :-

पश्चिमी राजस्थान राज्य दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जोधपुर के अधीन जिले में एकमात्र दुग्ध अभिशीतन केन्द्र पोकरण में कार्य कर रहा है। उक्त केन्द्र के अन्तर्गत जिले में 3547 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत है। वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्र के कार्यों की प्रगति अग्रानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	प्रगति 2008-09
1	वर्ष में कुल दुग्ध संग्रहण	लीटर	1280937
2	प्रतिदिन औसत दुग्ध संग्रहण	लीटर	3509

2.5 खनिज :-

खनिज उत्पादन की दृष्टि से जैसलमेर जिला पीले पत्थर के लिये विख्यात है। जिले की कई खानों का पीला पत्थर अपनी चिकनाई के कारण पीले संगमरमर के नाम से जाना जाता है। जिला मुख्यालय से 50 कि.मी. दूर ग्राम सोनू के पास स्टील ग्रेड का चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो कि देश के राउरकेला, बोकारो एवं भिलाई आदि स्टील प्लांटों को सप्लाई किया जाता है। जिले में कार्यरत राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 2008-09 में विभिन्न प्रकार के प्रधान एवं अप्रधान खनिजों से उत्पादन, बिक्री मूल्य, राजस्व एवं श्रमिकों का विवरण अग्रानुसार रहा है :-

क्र. सं.	खनिज	उत्पादन टन	बिक्री मूल्य (लाख रु.)	विशेष विवरण
1	जिप्सम	950996	4484.81	
2	लाइमस्टोन	2109199	9060.66	
3	डोलोमाईट	301	0.74	
4	लाइमस्टोन फ्लोरिंग	215728	862.91	
5	मरबल ब्लॉक/खण्डा	70014	388.98	
6	ग्रेनाइट ब्लॉक/खण्डा	152771	2160.03	
7	मेसोनरी स्टोन	31592	25.27	
8	मुरडम	719270	0.00	
9	बजरी-कंकर	55732	0.00	
10	मेसोनरी स्टोन	840032	0.00	
11	ईट मिट्टी	22050	0.00	सरकारी कार्यों के उपयोग हेतु संबंधित ठेकेदार द्वारा खनिज निकाला जाता है।

2.6 वन :-

जिले का कुल क्षेत्रफल 38391 वर्ग कि.मी. में से 224 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है जो जिले के कुल क्षेत्रफल का 0.58 प्रतिशत है। इसमें से 188.38 वर्ग कि.मी. वर्गीकृत एवं 25.62 वर्ग कि.मी. अवर्गीकृत वन है। इस जिले में मुख्यतः खेजड़ी, बैर, बबूल आदि किस्म के पेड़-पौधे पाये जाते हैं जो ऊंट, बकरी एवं भेड़ों के चारे के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा वनों से होने वाली उपज जैसे कुम्भट, गूगल आदि बाजार में भी बेची जाती है। जिले में फलोद्यान भी है। जैसलमेर-पोकरण शहर में हरी सब्जियां पालक, मेथी, मूली, प्याज आदि का उत्पादन होता है, किन्तु जिले में अधिकांश फल एवं सब्जियों की आपूर्ति बाहर से होती है।

3. आधारभूत सुविधाये

3.1. शिक्षा :-

2001 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष एवं अधिक की जनसंख्या के अनुसार जिले में साक्षरता का प्रतिशत 50.97 है। इसमें पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 66.26 व 32.05 है। जिले में साक्षरता कार्यक्रम के तहत चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप साक्षरता की दर में सुधार हुआ है। वर्ष 1991 की जन गणनानुसार जिले की कुल साक्षरता दर 30.05 प्रतिशत थी जिसमें से पुरुष एवं महिला साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 44.99 व 11.28 था। इस प्रकार पुरुष एवं महिला दोनों की साक्षरता दर में सुधार हुआ है। साक्षरता की दर में और अधिक सुधार हेतु निम्न प्रयास किये जाने चाहिए:-

1. साक्षरता संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन।
 2. जिले की छितरी हुई जनसंख्याओं के कारण निर्धारित मापदण्डों का शैथिल्यकरण करके अधिक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना।
 3. क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप शालाओं की कमोन्नति।
 4. शालाओं में पुस्तकालयों, वाचनालयों, उपकरण एवं आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था।
- वर्ष 2008-09 में जिले में राजकीय शिक्षण संस्थाओं की संख्या एवं इनमें अध्यनरत छात्रों की संख्या निम्नानुसार है -

विद्यालय का स्तर	विद्यालयों की संख्या		छात्रों की संख्या	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
प्राथमिक	1029	29	31103	25152
उच्च प्राथमिक	305	43	38764	22540
माध्यमिक	42	3	5698	1283
उच्च माध्यमिक	25	2	6422	1929
महा विद्यालय	2	1	603	261
बी.एड.	2	0	207	

इसके अलावा जिले में दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसलमेर एवं पोकरण में स्थापित है तथा एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) जिला मुख्यालय पर स्थापित है। निजी प्राथमिक विद्यालय 41 और उच्च प्राथमिक विद्यालय 54, सेकेण्डरी विद्यालय 14 और सीनियर सेकेण्डरी विद्यालय 03 संचालित है।

3.2 विद्युत :-

रेगिस्तानी जिला होने के कारण यहां गांव दूर-दूर एवं आबादी बिखरी हुई है। इसके कारण जिले में विद्युतिकरण अन्य जिलों की तुलना में काफी खर्चीला होने से विद्युतिकरण की गति धीमी रही है। वर्ष 2008-09 तक जिले के कुल 688 ग्रामों में से 493 ग्रामों एवं 2 शहरों का विद्युतिकरण किया गया। जिले में वर्ष 2008-09 में विद्युत उपभोग की स्थिति निम्नानुसार है :-

कुल विद्युत उपभोग	205.09 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
घरेलू विद्युत उपभोग	34.04 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
व्यावसायिक एवं अस्थाई उपभोग	14.75 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
औद्योगिक उपभोग	19.75 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
पब्लिक प्रकाश व्यवस्था	1.18 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
सिंचाई	80.48 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
पेय जल आपूर्ति	25.56 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
अन्य कार्यों हेतु उपयोग	29.99 किलो वाट (दस लाख यूनिट)
शक्ति गृहो की संख्या	1
विद्युतिकृत कुए	2869

जिले में वर्ष 2008-09 के अन्त तक कुल 45475 विद्युत उपभोक्ता थे। जिले में विद्युत उत्पादन हेतु पवन चकियों की स्थापना भी की गयी है। वर्ष 2008-09 के अन्त तक जिले में कुल 760 पवन चकिया स्थापित थी जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 577.06 मेगावाट थी। इस के अलावा जिले के रामगढ़ गांव में गैस आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की 3 इकाइया स्थापित की गई है जिन की विद्युत उत्पादन क्षमता 110.5 मेगावाट है।

3.3 पेयजल :-

रेगीस्तानी जिला होने तथा छोटे-2 गावों एवं ढाणियों में आबादी बिखरी हुई हाने के कारण जिले में पेयजल एक गंभीर समस्या है। गर्मी के मौसम में तथा विशेषकर अकाल की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की विशेष किल्लत के कारण पशुपालकों के पलायन की स्थिति आ जाती है। अतः जिले की पेयजल समस्या के निराकरण को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है। जिले में इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने पर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा जिले के कई क्षेत्रों में भू-जल उपलब्धता की भी काफी संभावना है। अतः भू-जल विभाग के माध्यम से सर्वेक्षण करवाकर नये भू-जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों का पता लगाना चाहिये ताकि नये नलकूप तैयार कर गावों को पेयजल से जोड़ा जा सके।

जिले में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार कुल 637 गावों में से 600 राजस्व गांव आबाद थे जिन्हें पेयजल से जोड़ा जा चुका है। राजीव गाँधी पेयजल मिशन के तहत वर्ष 1992 में 1190 ढाणियों को चिन्हित किया गया था जिन्हें पेयजल से जोड़ा जाना था। पुनः 2003 के सर्वे 3173 ढाणियों को चिन्हित किया गया जिनमें 1190 ढाणिया पूर्व की शामिल है। अब तक पूर्व की चिन्हित 1190 ढाणियों को पेयजल से जोड़ा जा चुका है। शेष नई चिन्हित 1983 ढाणियों को पेयजल से जोड़ने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर संसाधनों की उपलब्धता अनुसार इन ढाणियों का चरण बद्ध रूप से पेयजल से जोड़ा जायेगा। जिले में उपलब्ध पेयजल सुविधाये निम्नानुसार है:-

क्र. स.	प्रणाली का प्रकार	प्रणाली संख्या	संचालित हो रहे ग्रामों की संख्या
1	क्षेत्रीय जल आपूर्ति प्रणाली	81	395
2	पम्प एवं होद प्रणाली	84	84
3	टांका प्रणाली	0	0
4	हैण्डपम्प प्रणाली	106	106
5	डिग्गी प्रणाली	11	11
6	पाईप जल आपूर्ति प्रणाली	4	4
	कुल	286	600

3.4 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :-

जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या एवं अन्य सुविधाओं की स्थिति वर्ष 2008-09 में निम्नानुसार है :-

एलोपैथिक जिला चिकित्सालय	1
एलोपैथिक चिकित्सालय में शयाएँ	450
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय	36
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय में शयाएँ	5
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	14
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	6
डिस्पेन्सरी	3
उप स्वास्थ्य केन्द्र	137
मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	1
निजी चिकित्सालय	1
होम्योपैथिक चिकित्सालय (निजी)	1
108 एम्बुलेंस सेवा केन्द्र	3

जिले में दूर-दूर तक फैले हुए गांव एवं ढाणियों के कारण चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने में काफी कठिनाईयें आ रही हैं। यहां के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल को देखते हुए जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में निर्धारित मानदण्ड में शिथिलता दी जानी चाहिये तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपैथिक संस्थायें, स्वास्थ्य उपकेन्द्र के साथ-2 आयुर्वेदिक, हौम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की लोकप्रियता को देखते हुये सुविधाएं प्रारम्भ की जानी चाहिये व नये चिकित्सालयों का निर्माण किया जाना चाहिए। रिक्त पदों पर चिकित्सकों व अन्य सेवा वर्ग की पूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिये। परिवार कल्याण कार्यक्रम को भी प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।

रेल एवं सड़क, परिवहन :-

रेल - इस जिले में मुख्य रूप से एक रेलवे लाइन है, जो जैसलमेर जिला मुख्यालय को जोधपुर जिला मुख्यालय से जोड़ती है तथा इस ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की जैसलमेर से जोधपुर तक की कुल लम्बाई 300 कि.मी. है। इसमें से इस जिले में पड़ने वाली रेलवे लाइन की लम्बाई 125 कि.मी. है जो जिले के 8 रेलवे स्टेशनों को जोड़ती है। इसी लाइन के फलोदी रेलवे स्टेशन से एक लाइन बीकानेर जाती है। इस प्रकार जैसलमेर की यह लाइन बीकानेर मुख्यालय से भी जुड़ी हुई है जिसकी लम्बाई 330 कि.मी. है। जैसलमेर से जोधपुर हेतु दो रेलें हैं जो एक सुबह एवं एक शाम को चलती है। इसके अलावा दोपहर में एक रेल (इन्टरसिटी) जैसलमेर से जोधपुर होते हुए दिल्ली तक जाती है। सोनू से निकलने वाले लाइमस्टोन के परिवहन की दृष्टि से भी यह रेलवे लाइन काफी उपयोगी है तथा प्रतिदिन प्रायः एक मालगाड़ी लाइमस्टोन भरकर बाहर जाती है। **यदि इस लाइन को रामगढ तक आगे बढ़ाया जाता है तो लाइमस्टोन परिवहन की दृष्टि से और अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगी।** सीमावर्ती जिला मुख्यालय से जुड़ी होने के कारण सैन्य साजो-सामान परिवहन की दृष्टि से भी इस रेलवे लाइन का बहुत महत्व है। **जैसलमेर से बीकानेर के लिये भी दो रेलें जो एक सुबह एवं एक शाम को चलती हैं।**

सड़कें - जिले में सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। जिले में अधीक्षण अभियंता वृत्त कार्यालय के अधीन जिला मुख्यालय एवं पोकरण उपखण्ड मुख्यालय पर एक-एक अधिशाषी अभियंता का खण्ड कार्यालय कार्यरत है। जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय राजमार्ग का उपखण्ड कार्यालय भी कार्यरत है। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन तथा ग्रीफ द्वारा सीमा क्षेत्र की सड़कों का कार्य कराया जाता है।

जिले में इन्दिरा गांधी नहर के उपनिवेशन क्षेत्र में सड़कों का निर्माण सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपनिवेशन नाचना, मुख्यालय बीकानेर द्वारा कराया जाता है। वर्ष 2008-09 तक जिले में सड़को की प्रगति निम्नानुसार है-

(अ) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित

(लम्बाई कि.मी.)

		बीटी रोड	डब्ल्यूबीएम	ग्रेवल रोड	फेयरवेदर रोड
1	राष्ट्रीय राज मार्ग	219.00	-	-	-
2	राज्य राज मार्ग	191.00	-	-	-
3	मुख्य जिला सड़के	372.00	-	-	-
4	अन्य जिला सड़के	691.00	-	129.30	-
5	ग्रामीण सड़के	2597.46	-	313.65	7.5
	योग	4070.46	-	442.95	7.5

(ब) अन्य विभागों द्वारा संधारित

(लम्बाई कि.मी.)

		बीटी रोड	डब्ल्यूबीएम	ग्रेवल रोड	फेयरवेदर रोड
1	शहरी न.पा. सड़कें	183.00	15.85	-	-
2	ग्रीफ सड़क	983.18	-	99.00	-
3	सीपीडब्ल्यू द्वारा निर्मित	149.00	-	-	-
4	इगानप द्वारा संधारित	195.00	-	-	-
5	अकाल राहत सड़के	-	-	264.70	66.70
6	कृषि उपज मण्डी सड़कें	45.00	-	-	-
7	नरेगा	0.00	-	4.50	-
	योग	1555.18	15.85	368.20	66.70

मानव विकास – अवधारणा परिभाषा एवं विभिन्न आयाम

1990 के दशक में यु.एन.डी.पी. के तत्वावधान में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री श्री मेहबूब उल हक एवं भारतीय मूल के अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सैन ने विश्लेषण करते हुए यह माना कि आर्थिक वृद्धि से यह आवश्यक नहीं कि इससे सभी लोगों का कल्याण भी हो। उन्होंने आर्थिक वृद्धि की परिकल्पना से आगे बढ़कर मानव विकास अवधारणा की परिकल्पना की। इसके अन्तर्गत उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की।

विकास सामाजिक हो या आर्थिक उसका उद्देश्य मानव विकास है। सामाजिक विकास में समाज के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। समाज एक पूर्ण इकाई है और व्यक्ति उसका एक अंग है। सामाजिक विकास में व्यक्ति को जो भी लाभ प्राप्त होता है। वह एक प्राणी समूह के रूप में मिलता है। यह संभव है कि विकास सभी लोगों तक पहुंचने की अपेक्षा कुछ लोगों तक ही केन्द्रित हो। जब हम एक सामान्य व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए विकास का विश्लेषण करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि विकास से उसको कितना लाभ हुआ, उसे कितने अवसर मिल पाये तथा कहाँ तक यह विकास महिलाओं व पुरुषों में समान रूप से वितरित हुआ, यही से मानव विकास की अवधारणा प्रारम्भ होती है।

मानव विकास सामाजिक विकास का एक मूल तत्व है। विकास की दिशा में यह मानव केन्द्रित अवधारणा है। यह लोगों पर केन्द्रित है। मानव विकास का उद्देश्य जीवन में एक समान परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है जो लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार सार्थक एवं सृजनात्मक जीवन जी सकने में सहायक हो। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से 1980 के दशक तक विश्व के राष्ट्रों द्वारा आर्थिक वृद्धि के अनेक उपाय किये गये। इन सभी उपायों से आर्थिक वृद्धि तो हुई लेकिन लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। इसी के फलस्वरूप 1990 के दशक में मानव विकास अवधारण की परिकल्पना की गयी।

परिभाषा :- विकास का मूल उद्देश्य व्यक्तियों के विकल्पों को बढ़ाना है। यह विकल्प अनन्त एवं समय के साथ परिवर्तनशील हो सकते हैं। शिक्षा एवं ज्ञान की प्राप्ति, बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुविधायें, अधिक सुरक्षित आजीविका, अपराधों एवं शारीरिक हिंसा से सुरक्षा, संतोषजनक एवं आरामदायक जीवन, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता एवं सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता का शामिल होना ही विकास का मुख्य उद्देश्य है ताकि ऐसे वातावरण का निर्माण हो सके जिसमें मानव दीर्घ, स्वस्थ एवं सृजनात्मक जीवन जी सकें।

मानव विकास के मुख्य स्तम्भ :- मानव विकास के चार मुख्य स्तम्भ हैं।

1. स्वस्थ व लम्बी आयु का जीवन
2. शिक्षा व ज्ञान
3. मूलभूत भौतिक संसाधन जो उत्तम जीवन स्तर के लिये आवश्यक हो।
4. सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता एवं एकजुट होकर कार्य करने की सम्भावना।

आर्थिक विकास और मानव विकास में अन्तर :- सकल घरेलू उत्पाद और जनसंख्या के अनुपात से प्राप्त आय के आधार पर राष्ट्रों की जो परस्पर तुलना की जाती है वह विश्व के गरीबों की स्थिति को मापने के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। इसमें प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े मिलते हैं जिसके आधार पर राष्ट्रों को क्रम जरूर दिया जा सकता है किन्तु यह आंकड़े उन राष्ट्रों की वास्तविक स्थिति की व्याख्या नहीं करते हैं। इस तरह की तुलनाओं से समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति की झलक नहीं मिलती। इस तरीके में आय को विकास के परिणाम के रूप में नहीं बल्कि विकास के साधन के रूप में देखा जाता है। मानव विकास की जांच हेतु ऐसे अन्य मापदण्डों की जरूरत है जिनमें आय के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है।

मानव विकास अपने आप में सम्पूर्णता लिये हुये है। यह लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य व सम्मानपूर्ण जीवनयापन हेतु आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति का सम्मिश्रण है। आर्थिक विकास में केवल आमदनी की वृद्धि पर बल दिया जाता है जबकि मानव विकास में आर्थिक विकास के साथ-साथ अन्य विकल्पों जैसे – सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक विकास पर भी बल दिया जाता है।

मानव विकास का मापन : मानव विकास सूचकांक :- नीतिकारों, योजनाकारों और शैक्षिक वर्ग के लिये मानव विकास को विज्ञान की तर्ज पर मापना महत्वपूर्ण हो जाता है। मानव विकास को मापने के लिये मानव विकास के सूचकांक का उपयोग किया जाता है। यह विकास के विभिन्न आयाम जैसे – स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय के सूचकांक का सम्मिश्रण है। यह तीन सूचकांकों का सरल औसत है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आय शामिल है।

मानव विकास सूचकांक = 1/3 (स्वास्थ्य सूचकांक) + 1/3 (शिक्षा सूचकांक) + 1/3 (आय सूचकांक)

स्वास्थ्य सूचकांक की माप जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर से, शिक्षा सूचकांक की माप साक्षरता दर व नामांकन दर से एवं आय को प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है।

मानव विकास प्रतिवेदन का विभिन्न स्तरों पर प्रकाशन :- मानव विकास प्रतिवेदन विश्व स्तर, राष्ट्र स्तर एवं उप राष्ट्र स्तर पर तैयार किया जाता है। विश्व का प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन 1990 में प्रकाशित किया गया था तथा यह एक नियमित वार्षिक प्रतिवेदन है जो कि प्रत्येक वर्ष एक नये समकालिन विषय का गहराई से विश्लेषण करते हुए जारी किया जाता है। यु.एन.डी.पी. के द्वारा 2005 का नवीनतम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है। जिसमें कुल 177 राष्ट्रों में भारत का 127 वां स्थान है।

भारत में योजना आयोग द्वारा प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2001 में तैयार किया गया। जिसमें राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में मानव विकास की तसवीर पेश की गयी। इसमें 15 राज्यों के किये गये विश्लेषणानुसार राजस्थान का नौवां स्थान है। देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य है जिसने वर्ष 1995 में पहला राज्य मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किया था।

राजस्थान का प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2002 में तैयार किया गया तथा यह मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने वाला देश का चौथा राज्य था।

जिला मानव विकास प्रतिवेदन-विचार एवं क्रियान्वयन

देश में योजना बद्ध एवं संतुलित आर्थिक विकास हेतु वर्ष 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ तीन उद्देश्यों-उत्पादन में वृद्धि, बेरोजगारी में कमी तथा गरीबी उन्मूलन की प्राप्ति हेतु किया गया था। इन उद्देश्यों के साथ ही विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में देश में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके अधिकतम रोजगार का सृजन करना, क्षेत्रीय एवं अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं में कमी करके सामाजिक एवं आर्थिक न्याय तथा संतुलित एवं स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गयी।

पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति वांछित स्तर पर न होने के कारण भारत सरकार द्वारा आयोजना के विकेन्द्रीकरण के विचार से संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन में जिला आयोजना की परिकल्पना की गयी। जिला आयोजना निर्माण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989 में इस जिले में जिला योजना प्रकोष्ठ का गठन किया गया।

जिला योजना निर्माण में जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 Z D के अनुसार राज.पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 के तहत जिला स्तर पर जिला आयोजना समिति का गठन किया गया। जिला स्तर पर जिला आयोजना समिति के सुदृढीकरण तथा जिला योजना निर्माण में ग्राम स्तर तक की जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ग्राम पंचायत स्तर पर योजना निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके तहत सूचनाएँ एवं तथ्य प्राथमिक स्तर (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम व शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर) से एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया जा कर प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती है तथा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर बजट निर्धारित किया जाता है जिससे उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रभावी उपयोग किया जा सके।

विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण के तहत 11 वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय योजना आयोग भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये। इसमें क्षेत्रीय असंतुलन के विश्लेषण के लिये जिला मानव विकास रिपोर्ट (DHDR) को एक उपयोगी उपकरण के रूप में सुझाया गया। अब तक मानव विकास को आर्थिक विकास के साथ ही जोड़ कर देखा गया है, परन्तु यह सही नहीं है। मानव विकास अपने आप में संपूर्णता लिये हुए है। यह लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य व सम्मान पूर्ण जीवन-यापन हेतु आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति का मिश्रण है, जिसमें लोग अपनी पसंद का जीवन जी सके और अपनी पसंद के जीवन का चुनाव करने का उनके पास समान अवसर एवं क्षमता उपलब्ध हो। आर्थिक विकास केवल एक विकल्प अर्थात् आय की वृद्धि पर केन्द्रित है, जबकि मानव विकास अन्य विकल्पों जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक विकास पर बल देता है।

11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश के सभी जिलों की जिला मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिये सिफारिश की गयी है। इसी क्रम में राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस जिले की जिला मानव विकास रिपोर्ट

तैयार की जानी। इसमें यह प्रयास किया जाएगा कि उपलब्ध आंकड़ों के अधार पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों की वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया जाए ताकि नीति निर्माण एवं नियोजन में भावी रणनीतियां तैयार करने हेतु स्पष्ट आधार रेखा उपलब्ध हो सके। यह रिपोर्ट जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की निगरानी और निर्देशन में तैयार की गयी।

DHDR के उद्देश्य—

1. पर्याप्त सार्वजनिक संसाधनों के उचित उपयोग और प्रत्येक जिले के पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने में जिला योजना समितियों और संबंधित सरकारी विभागों की सहायता।
2. राज्य योजना विभाग की भौतिक और वित्तीय संसाधनों की मात्रा के वास्तविक आकलन और राज्य के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के निवारण (REDRESSING) के लिए प्रतिबद्ध होने में सहायता।
3. विभागीय दूरदर्शिता के लिए, राज्य योजना और जिला योजनाओं में विकल्प के रूप में समकालीन विकास आधारित पद्धति और एकीकृत क्षेत्रीय योजना के प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करना।

DHDR के हितधारक— उपरोक्त उद्देश्यों को प्रभावी और कुशल ढंग से पूरा करने के लिये जिला आयोजना प्रक्रिया में निम्न लिखित सभी हितधारकों की भागीदारी आवश्यक है:—

1. जिला आयोजना समिति के सदस्य और विभागीय अधिकारी
2. आयोजना विभाग
3. जिला परिषद/ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं के अधिकारी
4. गैर सरकारी संगठन/बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान

जिला मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया –

राज्य सरकार, आयोजना विभाग के निर्देशानुसार जिला स्तर पर जिला मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एक प्रस्तावित कार्य योजना तैयार कर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर को प्रेषित की गयी तथा इसी अनुसार मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने हेतु कार्यवाही की गयी।

(i) **कोर ग्रुप का गठन** :- जिला मानव प्रतिवेदन को तैयार के लिए जिला कलेक्टर महोदय के सहयोग हेतु एक कोर ग्रुप का गठन किया गया जिसमें मुख्य आयोजना अधिकारी को मुख्य समन्वयक तथा यू.एन.डी.पी. के कन्वर्जेंस फेसिलिटेटर एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी संयुक्त रूप से इसके सह समन्वयक बनाये गये। यह कोर ग्रुप ही DHDRs तैयार करने के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेवार था।

(ii) **सलाहकार समिति का गठन** – जिला मानव विकास प्रतिवेदन के कार्य को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नानुसार सदस्य है –

1	जिला कलेक्टर जैसलमेर	अध्यक्ष
2	जिला प्रमुख जैसलमेर	सदस्य
3	अध्यक्ष न0पा0 जैसलमेर	सदस्य
4	अध्यक्ष न0पा0 पोकरण	सदस्य
5	श्री अब्दुला फकीर	सदस्य
6	श्री नरपतराम लीडिया	सदस्य
7	प्रधान पंचायत समिति जैसलमेर	सदस्य
8	प्रधान पंचायत समिति सांकड़ा	सदस्य
9	प्रधान पंचायत समिति सम	सदस्य
10	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जैसलमेर	सदस्य

11	उपनिदेशक महिला एवं बालविकास	सदस्य
12	उपनिदेशक पशुपालन विभाग	सदस्य
13	मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
14	उप वन संरक्षक वन विभाग जैसलमेर	सदस्य
15	अधीक्षक आईटीआई जैसलमेर	सदस्य
16	श्री जगदीश टावरी व्याख्याता अर्थशास्त्र एस.बी.के कॉलेज	सदस्य
17	श्री उम्मेदसिंह इन्दा व्याख्याता राज0वि0 एस.बी.के कॉलेज	सदस्य
18	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
19	जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)	सदस्य
20	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
21	सचिव प्राथमिक भूमि विकास बैंक	सदस्य
22	अग्रणीय बैंक प्रबन्धक एस.बी.बी.जे.	सदस्य
23	परियोजना अधिकारी (एसजीएसवाई)	सदस्य
24	सहायक निदेशक कृषि विस्तार	सदस्य
25	अधीक्षण अभियन्ता सा.वि.नि.	सदस्य
26	अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी.	सदस्य
27	अधिकाारी अभियन्ता जो.वि.वि.नि.लि.	सदस्य
28	सुश्री विनिता जैन ग्रामीण समुदाय एवं मानव रूची संस्थान	सदस्य
30	श्री गोपीकिशन जोशी अध्यक्ष सृजाम्यहम् हस्तकला संस्थान जैसलेर	सदस्य

सलाहकार समिति द्वारा समय-समय पर सुझाये गये अन्य विषय विशेषज्ञों को भी आमन्त्रित किया गया।

(iii) **कार्य समूह का गठन** – जिला स्तर पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका (Livelihood), महिला विकास के पृथक-पृथक कार्य समूह गठित किये गये। इन समूहों में संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया। इन समूहों द्वारा अपने-अपने विषय से संबंधित सूचनायें तैयार कर प्रस्तुत की गयी। गठित किये गये कार्यसमूहों का विवरण निम्नानुसार है :-

(I) शिक्षा –

- (अ) श्री जगदीश चन्द्र पुरोहित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.जै. – अध्यक्ष
- (ब) श्री महावीरसिंह यादव, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
- (स) श्री दलपतसिंह राठौड़, अति० जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.शि.)
- (द) श्री बृजमोहन रामदेव, सचिव जिला साक्षरता समिति।
- (य) श्री सवाईसिंह भाटी, अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान।
- (र) श्री मनोहरसिंह देवपाल, उप जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.

(II) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य –

- (अ) श्री जे.एस. मोगा, उपायुक्त उपनिवेशन जैसलमेर – अध्यक्ष
- (ब) डॉ.बी.पी.सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
- (स) डॉ. आनन्द गोपाल पुरोहित, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
- (द) डॉ. आशीष खण्डेलवाल जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (डीपीएम) एनआरएचम
- (य) डॉ. बी.एल.बुनकर, समन्वयक, राज हेल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (आरएचएसडीपी)
- (र) डॉ. जी.के.परमार, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
- (ल) डॉ. बी.के.बारूपाल, जिला क्षय रोग अधिकारी

(III) आजीविका –

- (अ) श्री रामावतार गोठवाल, अति.मुख्य.कार्य.अधि.जिलापरिषद –अध्यक्ष
- (ब) श्री मगनलाल सुराणा, सहा. परियोजना अधिकारी (एसजीएसवाई) जिला परिषद
- (स) श्री बी.के. द्विवेदी, सहायक निदेशक कृषि
- (द) डॉ. बी.के. लोढा, उपनिदेशक पशुपालन
- (य) श्री हिम्मतसिंह कविया, परियोजना प्रबन्धक एससीडीसी
- (र) श्री भानूप्रतापसिंह, उप निदेशक पर्यटन
- (ल) श्री भंवरलाल बलाणी, सहायक निदेशक पर्यटन
- (व) श्री पूंजाराम, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र
- (क) श्री दिनेश छंगाणी, सहायक अभियन्ता रेडा
- (ख) श्री राकेश कटियार, कनिष्ठ अभियन्ता
- (ग) श्री माधोराम, मार्गदर्शी बैंक प्रबन्धक
- (घ) श्री आर.पी.पुरी, अधिशाषी अभियन्ता नरेगा
- (ङ) श्री जगदीश टावरी, व्याख्याता अर्थशास्त्र
- (च) श्री उम्मेदसिंह ईदा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान

(IV) महिला विकास एवं सशक्तिकरण –

- (अ) श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर – अध्यक्ष
- (ब) श्रीमती सावित्री शर्मा, उप निदेशक आईसीडीएस
- (स) श्री भीखसिंह भाटी, सीडीपीओ जैसलमेर
- (द) श्री उम्मेदसिंह भाटी, सीडीपीओ सम
- (य) श्री राणीदानसिंह भाटी, सीडीपीओ सांकड़ा।
- (र) श्री हिम्मतसिंह कविया, सहायक निदेशक न्याय एवं अधि. विभाग

शिक्षा

जिले के शैक्षिक विकास का इतिहास

रियासत काल में जैसलमेर में शिक्षा के नाम पर शहर में एक श्री दरबार कॉल्विन हाई स्कूल एवं एक प्राथमिक विद्यालय था जिसमें मात्र 100 से 150 तक विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। प्रारंभिक शिक्षा विद्यार्थी अलग-अलग मोहलों में आयोजित पौशालों (पाठशाला) में विद्याध्ययन करते थे। इन पौशालों में प्रातः विद्यार्थी पानी व अपना भोजन साथ ले जाते थे व सांय घर आते थे। यह विद्यालय एक शिक्षक विद्यालय था, शिक्षक को गुरांसा कहकर संबोधित किया जाता था। यह स्थिति जैसलमेर में 1950 तक थी। पोकरण में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय था। नोख, नाचना, रामगढ, सांगड़ आदि स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय थे, धीरे-धीरे मन्थर गति से जिले में शिक्षा का विस्तार हुआ, उस समय जैसलमेर में शिक्षा विभाग के नाम पर एक एस.डी.आई. का पद था। बाद में उपजिला शिक्षा अधिकारी, वरि.उप जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी का पद बना।

जिले की चुनौतियां—

- **विस्तृत भू-भाग—** जिले का अधिकांश भू-भाग थार मरुस्थल से आच्छादित है, विशेषकर सीमान्त क्षेत्र के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। परिवहन एवं संचार की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। रेत के धोरों के बीच एक हजार से अधिक ढाणियां हैं, जो न केवल दुरुह है बल्कि दुर्गम भी है। ऊंट अथवा 4X4 वाहन से ही यहां यात्रा किया जाना संभव है।
- **दूरस्थ एवं छितरी बसावट—** 38401 वर्ग किमी के विस्तृत क्षेत्रफल में मात्र 5,08,247 की जनसंख्या निवास करती है। यहां का जनसंख्या घनत्व 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, अतः विस्तृत भू-भाग में ग्रामों के बीच परस्पर दूरिया अधिक हैं।
- **शिपिंग जनसंख्या—** यहां का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, विशेषकर सीमान्त क्षेत्र के लोग अपनी मवेशी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवार सहित पलायन करते हैं। अतः यहां के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- **मौसमी बाधाएं—** यहां पर वर्षा का औसत मात्र 165 मिमी है, इस वर्ष जिले में मात्र 93 मिमी वर्षा हुई है, अकाल का लगभग यहां स्थायी बसेरा रहता है। गर्मी ऋतु में यहां का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मई, जून के माह में गर्म लू के साथ धूलभरी आंधियां चलती हैं।
- **सामाजिक दृष्टिकोण—** यहां पर महिलाओं में (विशेषकर राजपूत महिलाओं में) पर्दा प्रथा पाई जाती है। माताएं लड़कियों को विद्यालय भेजने में रुचि नहीं लेती हैं, उन्हें प्रायः परिवार का कार्य सिखाना ही अपना कर्तव्य समझती हैं। परिणामस्वरूप बालिकाओं का नामांकन कम तथा ड्रॉप आऊट अधिक होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में माता-पिता अपने बच्चों को भी मवेशी के साथ भेज देते हैं, जिससे उनका विद्यालय में ठहराव कम रहता है।
- **बालिका विद्यालय—** जिले में मात्र 71 बालिका विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर के हैं, 4 बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिले के कुल 779 गांवों में से मात्र 71 गांवों में बालिकाओं के लिए पृथक से विद्यालय उपलब्ध हैं, अर्थात् शेष 608 गांवों में बालिकाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय भी नहीं हैं। जहां प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के कॉमन विद्यालय हैं वहां पर माता-पिता अपनी लड़की को या तो पांचवी तक पढाते हैं, अथवा 8 वीं तक, अर्थात् आंशिक रूप से पांचवी कक्षा के बाद तथा पूर्ण रूप से आठवीं कक्षा के बाद बालिकाओं का अनिवार्य (उच्च शिक्षण संस्थान न होने पर) ड्रॉप आऊट हो जाता है।

बालिकाओं के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय न होने से जिले में क्रमोन्नति के आधार पर भविष्य में भी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ने की संभावना नहीं है। जिले की प्रत्येक बालिका को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने, उन्हें उच्च शिक्षा सुलभ करवाने तथा महिला साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक गांव में बालिका शिक्षा का न्यूनतम प्राथमिक विद्यालय खोला जावे चाहे वहां पहले से छात्र विद्यालय चल रहा हो। जैसी कि जिले की भौगोलिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि है, आर्थिक विद्यालयों का मोह छोड़कर अनार्थिक विद्यालय भी चलाने पड़े तो चलाने चाहिए।

- **विद्यालयों में रिक्त पदों की अधिकता**— वर्तमान में जिले के राजकीय विद्यालयों में कुल 7886 स्वीकृत शिक्षक पदों में से मात्र 2967 शिक्षक ही कार्यरत हैं। शेष 1819 पद रिक्त हैं, जो कुल स्वीकृत पदों में 38 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इसके अलावा 628 ऐसे विद्यालय हैं, जहां केवल 1 अध्यापक ही कार्यरत हैं, ऐसे में विद्यालयों में नामांकन तथा ठहराव एक चुनौती भरा कार्य है।
- **सीमान्त रेतीला (थार मरुस्थल का क्षेत्र)**— भारत पाक सीमा से सटी शाहगढ एवं हरनाऊ ग्राम पंचायते शिक्षा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण स्थिति में है यथा यहां पर—
 1. थार मरुस्थल के रेतीले धोरे हैं, जहां पर आवागमन के साधन नहीं के बराबर हैं।
 2. लोग धोरों के बीच छोटी-छोटी ढाणियों में रह रहे हैं।
 3. यहां की आबादी शिपिंग प्रवृत्ति की है जो मवेशी के साथ पलायन करते रहते हैं।
 4. यहां पर विद्यालयों की संख्या बहुत ही कम है जिसमें अधिकांश शिक्षकों की कमी के कारण बंद रहती है।
 5. दूरस्थ, दुर्गम एवं दुरुह होने के कारण यहां कोई शिक्षक लगना नहीं चाहता अतः विद्यालय बंद रहते हैं।
 6. परिणामतः यहां पर अधिकांश गांवों की साक्षरता दर लगभग शून्य के बराबर है।

जिले की शिक्षण संस्थाएँ


क्र.सं.	विद्यालय स्तर	प्रबंध	विद्यालय संख्या (2009-2010)		
			B	G	T
1	प्राथमिक	राजकीय	903	01	904
		निजी	61	00	61
2	उच्च प्राथमिक	राजकीय	307	73	380
		निजी	81	00	81
3	माध्यमिक	राजकीय	50	5	55
		निजी	15	0	15
4	उच्च माध्यमिक	राजकीय	22	2	24
		निजी	4	0	4
5	शिक्षाकर्मी	राजकीय	57	00	57
6	संस्कृत	राजकीय	12	00	12
7	मदरसा	निजी	108	00	108

नामांकन

क्र.सं.	विद्यालय स्तर	प्रबंध	नामांकन (2009-2010)		
			B	G	T
1	प्राथमिक	राजकीय	22567	18187	40754
		निजी	2045	998	3043
2	उच्च प्राथमिक	राजकीय	26190	20587	46777
		निजी	4401	2159	6560
3	माध्यमिक	राजकीय	5225	1241	6466
		निजी	2435	546	2981
4	उच्च माध्यमिक	राजकीय	5804	1249	7053
		निजी	914	641	1555
5	शिक्षाकर्मी	राजकीय	7446	1307	3053
6	संस्कृत	राजकीय	632	393	1025
7	मदरसा	निजी	—	—	6140

1. साक्षरता परिदृश्य (Literacy profile of district)

जनगणना 2001 के अनुसार जैसलमेर जिले की साक्षरता दर 50.97 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 66.26 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 32.05 प्रतिशत है। पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में 34.21 प्रतिशत का अन्तर है। इससे स्पष्ट है कि जिले में महिला एवं पुरुष साक्षरता दर का अन्तर अत्यधिक है।



2. तुलनात्मक स्थिति (Comparative position)

2.1 राज्य एवं राष्ट्रीय औसत के आधार पर -

- (अ) व्यक्ति :- उपरोक्त साक्षरता दर की यदि राज्य एवं राष्ट्रीय औसत से तुलना करें तो हम देखेंगे कि यह जिला राज्य औसत 60.41 प्रतिशत से 9.44 प्रतिशत एवं राष्ट्रीय औसत 64.80 प्रतिशत से 13.83 प्रतिशत पीछे है। (सारणी - 1)
- (ब) पुरुष :- इसी तरह पुरुष साक्षरता दर के आधार पर यह जिला राज्य औसत 75.70 प्रतिशत से 9.44 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय औसत 75.30 प्रतिशत से 9.04 प्रतिशत पीछे है। (सारणी - 1)
- (स) महिला :- जिले की महिला साक्षरता दर 32.05 प्रतिशत है। यह दर राज्य की महिला साक्षरता दर 43.85 प्रतिशत से 11.80 प्रतिशत कम है तथा राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 53.70 प्रतिशत से 21.65 प्रतिशत कम है जैसा कि सारणी संख्या - 1 से स्पष्ट है।

सारणी -1

साक्षरता दर


(प्रतिशत में)

स्तर	व्यक्ति	पुरुष	महिला	अन्तर(पु.-म.)
भारत	64.80	75.30	53.70	21.60
राजस्थान	60.41	75.70	43.85	31.85
जैसलमेर	50.97	66.26	32.05	34.21

स्रोत :- राज्य संदर्भ केन्द्र एवं प्रौढ शिक्षण समिति जयपुर (बोलते आंकड़े)

इससे विदित होता है कि :- जिले की महिला साक्षरता दर राज्य औसत से तो कम है ही किन्तु राष्ट्रीय औसत से तो अत्यधिक कम है।

1. महिला साक्षरता की दृष्टि से जैसलमेर जिला **Dark –zone** के अन्तर्गत आता है।
2. जिले की व्यक्ति एवं पुरुष साक्षरता दर भी राज्य एवं राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।



2.2 नगरीय – ग्रामीण के आधार पर :-

1. व्यक्ति :- जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण के आधार पर जिले में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर अत्यधिक न्यून है। जैसलमेर जिले की शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर जहां 73.00 प्रतिशत है वहीं ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर मात्र 46.78 प्रतिशत है। इस प्रकार शहरी-ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर का अन्तर 26.22 प्रतिशत है, जो कि अत्यधिक है। जबकि राज्य एवं राष्ट्रीय औसत के आधार पर अन्तर क्रमशः 20.86 एवं 21.18 प्रतिशत है, जो कि जिले की कमजोर स्थिति को दर्शाता है।
2. पुरुष :- जिले के शहरी-ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष साक्षरता दर का तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह दर क्रमशः 84.49 प्रतिशत एवं 62.71 प्रतिशत आती है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में यह अन्तर 21.78 प्रतिशत है। इससे विदित होता है कि साक्षरता दर के न्यून होने का मुख्य क्षेत्र यहां के ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें विशेष प्रयास की आवश्यकता है।
3. महिला :- जिले की नगरीय महिला साक्षरता दर 58.10 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण महिला साक्षरता दर मात्र 27.26 प्रतिशत है। शहरी एवं ग्रामीण महिला साक्षरता दर का अन्तर 30.84 प्रतिशत है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला साक्षरता दर की कमजोर स्थिति को दर्शाता है।
राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर यह अन्तर क्रमशः 26.73 प्रतिशत एवं 27.34 प्रतिशत है।

सारणी –2

साक्षरता दर (ग्रामीण-नगरीय)


जिला – जैसलमेर

(प्रतिशत में)

ग्रामीण-नगरीय	व्यक्ति	पुरुष	महिला	अन्तर(पु.-म.)
नगरीय	73.00	84.49	58.10	26.39
ग्रामीण	46.78	62.71	27.26	35.45
अन्तर (नगरीय-ग्रामीण)	26.22	21.78	30.84	—

स्रोत :- राज्य संदर्भ केन्द्र एवं प्रौढ शिक्षण समिति जयपुर (बोलते आंकड़े)

जिले की साक्षरता दर नगरीय-ग्रामीण



2.3 उपखण्ड के आधार पर (2001) :-

सारणी -3
उपखण्ड वार साक्षरता दर

(प्रतिशत में)

उपखण्ड	व्यक्ति	पुरुष	महिला	अन्तर(पु.-म.)
जैसलमेर	54.88	69.31	35.81	33.50
पोकरण	48.42	64.08	30.14	33.94
फतेहगढ़	47.63	63.80	27.76	34.04

स्रोत :- सांख्यिकी विभाग जैसलमेर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि फतेहगढ़ उपखण्ड की साक्षरता दर सबसे कम है। पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अन्तर लगभग तीनों उपखण्डों में अत्यधिक है।

2.4 पंचायत समिति के आधार पर :-

पंचायत समिति वार साक्षरता दर

सारणी - 4

(प्रतिशत)

पंचायत समिति	व्यक्ति	पुरुष	महिला	अन्तर(पु.-म.)
जैसलमेर	57.53	71.73	39.23	32.50
सम	44.34	61.66	24.37	37.29
सांकड़ा	50.34	66.37	31.92	34.45

स्रोत :- सांख्यिकी विभाग जैसलमेर

पंचायत समिति के आधार पर उपर्युक्त तालिका के आंकड़ों का अध्ययन करें तो विदित होगा कि पंचायत समिति सम की साक्षरता दर अन्य दोनो समितियों की तुलना में कम हैं तथा महिला साक्षरता दर मात्र 24.37 प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण पंचायत समिति सम की छितरी आबादी, मरुस्थलीय क्षेत्रफल, एवं शिपिटिंग जनसंख्या आदि है।

2.5 अनुसूचितजाति एवं अनुसूचितजनजाति की साक्षरता दर :-

अनुसूचितजाति एवं अनुसूचितजनजाति की साक्षरता दर

सारणी - 5

(प्रतिशत में)

वर्ग	व्यक्ति	पुरुष	महिला	अन्तर(पु.-म.)
अनुसूचितजाति	49.18	65.74	29.68	36.06
अनुसूचितजन जाति	36.75	52.77	17.70	35.07

स्रोत :- भारत की जनगणना 2001 राजस्थान जयपुर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि यद्यपि अनुसूचितजाति की साक्षरता दर संतोषजनक नहीं है यहां अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर चिन्तनीय है। अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर तो मात्र 17.70 प्रतिशत ही है जो अत्यधिक न्यून है। जिले के मुस्लिम समुदाय की कुल साक्षरता दर 32.35 प्रतिशत है जो कि बहुत ही कम है। अनुसूचितजाति की साक्षरता दर राज्य औसत से 3.06 प्रतिशत कम है और राष्ट्रीय औसत से 5.51 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार अनुसूचितजनजाति की साक्षरता दर राज्य औसत से 7.91 प्रतिशत कम एवं राष्ट्रीय औसत से 10.35 प्रतिशत कम है।

2.6 नगरीय क्षेत्र में साक्षरता दर :-

सारणी - 6

(प्रतिशत में)

नगरपालिका क्षेत्र	व्यक्ति	पुरुष	महिला	अन्तर(पु.-म.)
जैसलमेर	58.82	70.34	43.34	27.00
पोकरण	43.98	58.65	26.05	32.60

स्रोत:- सांख्यिकी विभाग जैसलमेर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जैसलमेर नगर पालिका क्षेत्र की साक्षरता दर पोकरण नगर पालिका क्षेत्र की तुलना में अधिक है। पोकरण नगर पालिका क्षेत्र महिलाओं की तुलना में 32.60 प्रतिशत पुरुष अधिक साक्षर है, जबकि जैसलमेर नगर पालिका में यह अन्तर 27 प्रतिशत है।

2.7 धार्मिक समुदाय अनुसार साक्षरता (Literacy among religious group) :-

जनगणना 2001 के अनुसार जैसलमेर जिले में 1,69,440 हिन्दू, 29,688 मुस्लिम, 435 ईसाई, 1,109 सिक्ख, 1,214 बौद्ध एवं 88 अन्य साक्षर स्त्री-पुरुष हैं। जैसलमेर जिले की मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर 32.35 प्रतिशत है। मुस्लिम आबादी अधिकतर ढाणियों में रहती है यदि ढाणियों में प्राथमिक विद्यालयों का विस्तार किया जाये तो इस समुदाय में साक्षरता दर बढ़ायी जा सकती है।

3. प्रौढ़ साक्षरता (Adult Literacy)


3.1 साक्षरता दर की दशकीय वृद्धि (Literacy Trand) :-

सारणी - 7

(प्रतिशत में)

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिला	वृद्धि
1951	4.29	6.29	.96	—
1961	8.11	13.04	1.96	3.82
1971	13.41	21.07	3.94	5.30
1981	15.80	24.35	5.25	2.39
1991	30.05	44.99	11.28	14.25
2001	50.97	66.26	32.05	20.92

स्रोत:- सांख्यिकी विभाग राजस्थान जयपुर



उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1951 की जनगणना के आधार पर जिले की साक्षरता दर बहुत ही कम (4.29 प्रतिशत) थी। 1951 से 1991 तक साक्षरता की दर में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। किन्तु 1991 से 2001 के दशक में साक्षरता वृद्धि दर ने अच्छी प्रगति (20.92 प्रतिशत) की है। अर्थात् 1991 में जिले की साक्षरता दर 30.05 प्रतिशत थी जो 2001 में 50.97 प्रतिशत हो गयी। यह राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये नवाचार एवं साक्षरता के क्षेत्र में चलाये गये विशेष अभियानों का परिणाम था। (2001 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को साक्षरता के क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर (सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर) का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

राज्य में जैसलमेर जिले का स्थान :- साक्षरता दर की दृष्टि से (2001 की जनगणना के अनुसार) राजस्थान के अन्य जिलों के मुकाबले जैसलमेर जिले का 28वां स्थान है, जबकि पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के आधार पर जिले का स्थान 29वां(दोनों में) है। व्यक्ति साक्षरता दर में यह जिला क्रमशः भीलवाडा, डूंगरपुर, जालोर, और बांसवाडा से अग्रणी है जबकि पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में यह जिला क्रमशः डूंगरपुर, जालोर और बांसवाडा से अग्रणी है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा(74.45), झुझनु (76.61), सीकर (71.19) और जयपुर (70.63) की है।

3.2 पुरुष-महिला साक्षरता दर में अन्तर (Gender gap in literacy) :-

- सारणी संख्या 01 देखने से विदित होता है कि महिला एवं पुरुष साक्षरता दर में अन्तर राष्ट्रीय और राज्य औसत की तुलना में जैसलमेर में सबसे अधिक है। अर्थात् जहां राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर यह अन्तर क्रमशः 21.60 प्रतिशत एवं 31.85 प्रतिशत है वहां जिला स्तर पर जैसलमेर जिले का यह अन्तर 34.21 प्रतिशत है।
- ग्रामीण क्षेत्र में जेंडर - गैप का अध्ययन राज्य एवं राष्ट्रीय पैमाने के आधार पर करें तो विदित होता है कि राष्ट्रीय क्षेत्र में Gender gap जहां 24.57 प्रतिशत है, वहां राज्य स्तर पर यह 34.83 प्रतिशत तथा जिला स्तर पर यह gap 35.45 प्रतिशत है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की तुलना में जैसलमेर जिला पीछे है। जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है -

सारणी - 8

Gender gape

(प्रतिशत में)

स्तर	पुरुष	महिला	अन्तर (पु-म)
भारत	70.70	46.13	24.57
राजस्थान	72.16	37.33	34.83
जैसलमेर	62.71	27.26	35.45

स्रोत:- जिला साक्षरता समिति जैसलमेर

3. राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में क्रमशः कोटा, झुझनु, और सीकर जिलों में यह अन्तर मात्र 24.80 प्रतिशत, 26.58 प्रतिशत एवं 28.23 प्रतिशत है, वहां जैसलमेर जिले का जेंडर गेप 34.21 प्रतिशत है। जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है—

सारणी - 9
Gender gape (प्रतिशत में)

जिला	पुरुष	महिला	अन्तर (पु-म)
कोटा	85.23	60.43	24.80
झुझनु	86.09	59.51	26.58
सीकर	84.34	56.11	28.23
जैसलमेर	66.26	32.05	34.21

- स्रोत:- आखर जोत जुलाई- सितम्बर 2001 साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय राजस्थान जयपुर
4. जैसलमेर जिले के उपखण्ड के आधार पर देखें है तो सबसे अधिक जेंडर-गेप उपखण्ड फतेहगढ में 34.04 प्रतिशत (देखें सारणी -3) एवं पंचायत समिति के आधार पर पंचायत समिति सम में यह अन्तर 37.29 प्रतिशत (देखें सारणी -4) है। दोनों क्षेत्र छितरी आबादी वाले मरुस्थलीय एवं दूरस्थ तथा दुर्गम वास स्थान वाले स्थान है।
5. अनुसूचित जाति में जेंडर गेप 36.06 प्रतिशत तथा अनुसूचितजनजाति में यह अन्तर 35.67 प्रतिशत है। (सारणी -10) राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचितजाति में जेंडर गेप 24.74 प्रतिशत है जबकि राज्य स्तर पर यह अन्तर 35.12 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचितजनजाति में जेंडर गेप 24.41 प्रतिशत है तथा राज्य स्तर पर यह अन्तर (Gape) 35.94 प्रतिशत है।


उपरोक्त आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय स्तर के आधार पर तो अनुसूचितजाति एवं अनुसूचितजन जाति की साक्षरता का जेंडर गेप अत्यधिक है जबकि राज्य स्तर पर यह अन्तर अधिक नहीं है। जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है -

सारणी संख्या - 10 Gender gape
साक्षरता दर अनुसूचितजाति एवं जनजाति (प्रतिशत में)

जाति	स्तर	व्यक्ति	पुरुष	महिला	अन्तर (पु-म)
अनुसूचित जाति	भारत	54.69	66.64	41.90	24.74
	राजस्थान	52.24	68.99	33.87	35.12
	जैसलमेर	49.18	65.74	29.68	36.06
अनुसूचितजनजाति	भारत	47.10	59.17	34.76	24.41
	राजस्थान	44.66	62.10	26.16	35.94
	जैसलमेर	36.75	52.77	17.70	35.07

- स्रोत :- भारत की जनगणना 2001 राजस्थान जयपुर
6. जिले की नगरीय साक्षरता दर का अध्ययन करें तो पुरुष और महिला साक्षरता दर में यह अन्तर जैसलमेर नगर पालिका क्षेत्र में मात्र 27 प्रतिशत है जबकि पोकरण नगर पालिका क्षेत्र में 32.60 प्रतिशत है।(सारणी -6)

Gender gape के उपरोक्त अध्ययन से हमें विदित होता है कि जैसलमेर जिले में साक्षरता दर में वृद्धि संतुलित नहीं है। Gender gape अधिक होने से औसत साक्षरता दर प्रभावित होती है। यह अन्तर कम करने के लिये विशेषकर महिलाओं की साक्षरता दर को बढ़ाना नितांत आवश्यक है।



जिलेवार साक्षरता दर

स्रोत- आखर जोत अप्रेल-जून 2001 (साक्षरता एवं सतत् शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर)

4. अवशेष साक्षरता (Residual Literacy)

1996-97 में जिले के निरक्षरों का Door to door सर्वे किया गया, सर्वे के अनुसार 98,687 निरक्षर चिन्हित किए गए, जिनमें 38164 पुरुष व 60523 महिलाएं थी।


इसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधीकरण नई दिल्ली एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण जयपुर के माध्यम से सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम, सतत शिक्षा कार्यक्रम के साथ, पी.आर.आई. कार्यक्रम (शेष रहे निरक्षरों को साक्षर करने का कार्यक्रम) भी संचालित किया गया, उक्त कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप न केवल लोगों का साक्षरता के प्रति रुझान बढ़ा है बल्कि विद्यालयों में नामांकन एवं उठराव में भी वृद्धि हुई है। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे असाक्षर महिला शिक्षण शिविरों के प्रति महिलाओं में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है एवं अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजने लगी है, प्रारंभिक सर्वे के आधार पर वर्तमान में 18,846 निरक्षर शेष है, जो कि अधिकतर हार्ड कोर एरिया से संबंधित है। शेष रहे निरक्षरों में पुरुष महिलाओं का जेण्डर गैप 1:2 का है।

5. हार्ड कोर एरिया

5.1 **जोगी समुदाय** :- धुमककड प्रवृत्ति के ये परिवार मांग कर अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, इनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता और परिश्रम द्वारा भरण पोषण करना इनकी परम्परा में नहीं होता। धुमन्तु होने के कारण इनके बच्चे विद्यालय में नहीं जाते अतः इनमें साक्षरता दर लगभग शून्य होती है। परिणाम स्वरूप कुरीतियों की इनमें भरमार रहती है। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति ये बेहद लापरवाह होते हैं।

5.2 **दूरस्थ सीमांत मरुस्थलीय क्षेत्र** :- जिले में 471 कि.मी. लम्बी भारत-पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है। इस सीमा से लगी हुई लगभग 12 ग्राम पंचायतें हैं यथा - शाहगढ, हरनाऊ, लूणार, पोछीणा, म्याजलार, बाहला, धनाना, रामगढ, रायमला, तेजपाला, भारेवाला एवं जालूवाला है। इन ग्राम पंचायतों में लगभग 150 राजस्व ग्राम है। लोगों की बसावट दूर-दराज की ढाणियों में है जो रेत के धोरो के बीच स्थित है। यहां पर आवागमन के साधन ऊंट है अथवा लोग पैदल चल कर रास्ता तय करते हैं। रास्ते दुरुह एवं दुर्गम है। यहां की जनसंख्या शिपिटंग प्रकृति की है जो अपनी मवेशी के साथ वास-स्थान बदलती रहती है। यहां पर शिक्षा की सुविधा न्यून अथवा नहीं होने के कारण साक्षरता दर अत्यंत न्यून अथवा शून्य ही है। सतत शिक्षा केन्द्र से अधिनस्त ग्रामों की दूरी यहां पर 15 से 50 कि.मी. तक है। उक्त कठिनाईयों के कारण प्रारम्भ से ही यहां साक्षरता कार्य किया जाना चुनौतीपूर्ण रहा है। शिविर उपागम द्वारा यहां कुछ स्थानों पर महिला शिक्षण शिविर आयोजित किये गये हैं। दूरस्थ एवं दुरुह होने के कारण शिक्षित व्यक्ति यहां पर सेवाएं देने से कतराते हैं। शिक्षकों को सीमान्त भत्ते जैसा कोई विशेष पैकेज दिया जावे तो संभव है इस क्षेत्र में शिक्षा का सम्यक विकास हो।

जैसलमेर जिले की सीमावर्ती मरुस्थलीय ग्रामपंचायतें



5.3 इन्दिरा गांधी नहर का उपनिवेशन क्षेत्र :- इन्दिरा गांधी नहर आ जाने पर यहां खेतीहर मजदूरों की नई जनसंख्या (अन्य जिलों से पलायन द्वारा) का विस्तार हुआ है। परिणाम स्वरूप 150 से अधिक नये राजस्व ग्रामों का निर्माण हुआ है। इन ग्रामों में शिक्षा एवं अन्य आधार-भूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। जिले के अनेक किसान परिवारों का पलायन अपने ग्राम से उपनिवेशन क्षेत्र में हुआ है। अतः यहां पर नये सिरे से सर्वे किया जाकर कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

5.4 जनजाति क्षेत्र :- यहां पर जनजाति के रूप में अधिकतर भील समुदाय रहता है जिसमें शिक्षा के प्रति रुझान बहुत की कम पाया जाता है। **out of school going children** तथा ड्रॉप आऊट ज्यादातर इन्ही के बच्चों की रहती है। 2001 की जनगणना के अनुसार इस समुदाय की साक्षरता दर मात्र 26.98 प्रतिशत रही हैं। जिसमें महिला साक्षरता दर मात्र 17.70 प्रतिशत है। सर्वशिक्षा अभियान के नवाचार उपागमों के माध्यम से इनके बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।

5.5 महिला साक्षरता :- जैसलमेर जिले की महिला साक्षरता दर मात्र 32.05 प्रतिशत है तथा यह जिला इस दृष्टि से Dark zone जिलों की श्रेणी में आता है। ग्रामीण क्षेत्र में तो महिला साक्षरता दर मात्र 27.45 प्रतिशत है। (सारणी संख्या-2)

ब्लॉक के आधार पर पंचायत समिति सम की साक्षरता दर सबसे कम 24.37 प्रतिशत है, (सारणी संख्या-4) तथा उपखण्ड के आधार पर महिलाओं की सर्वाधिक न्यून साक्षरता दर उपखण्ड फतेहगढ़ की 27.76 प्रतिशत है।

महिला साक्षरता दर में न्यूनता का मुख्य कारण ग्रामों में बालिका विद्यालयों का कम होना एवं अभिभावकों द्वारा बालकों के विद्यालयों में बालिकाओं को पढने के लिये न भेजना रहा है। साक्षरता कार्यक्रम की दृष्टि से विशेषकर अनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, मुस्लिम, जोगी, भील आदि समुदायों में विशेष कार्य-योजना द्वारा कार्य करने की आवश्यकता है। राजपूत समुदाय में पर्दा प्रथा साक्षरता कार्यक्रम के लिये मुख्य बाधा रही है।

कार्य योजना :-साक्षरता कार्यक्रम की नयी योजना शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाली है। निम्न गतिविधियों के माध्यम से

चुनौती क्षेत्र के निरक्षरों को साक्षर किया जायेगा -

1. गैर आवासीय शिविर लगाकर (महिला एवं पुरुष दोनों के लिये)

2. मोबाईल युनिट द्वारा - (दूरस्थ रेतीले क्षेत्रों के लिये)



3. व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविर लगाकर -

(साक्षरता के प्रति रुझान पैदा करने एवं स्व-रोजगार के लिये)

4. महिलाओं के लिए विशेष शिविर

5. जोगी समुदाय (घुमक्कड़ जाति) के लिये रात्रि कक्षाएँ एवं मोबाईल यूनिट द्वारा।

6. पहुँच (ACCESS)





स्रोत:- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर

उक्त ग्राफ देखने से विदित होता है कि 2004-05 के बाद में पंचायत समिति जैसलमेर के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, 2005-06 से 2007-08 तीन वर्षों तक क्रमशः 11, 8, 17, 11 प्राथमिक विद्यालयों में कमी आई है। कम होने की वजह इन विद्यालयों का उप्रावि में क्रमोन्नत होना है, तथापि यह भी सत्य है कि जिले में नये प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये हैं।



लड़कियों के विद्यालयों की वृद्धि की गति अत्यन्त ही धीमी रही है, 2004-05 में जहां 20 बालिका विद्यालय थे, 2007-08 में घटकर मात्र 13 ही रह गए। वर्ष 2008-09 में राज्य सरकार ने समस्त बालिका विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत कर दिया, किन्तु नए बालिका प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गए। वर्तमान में जिले में 69 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों की संख्या शून्य है।

पंचायत समिति जैसलमेर क्षेत्र के छात्र प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में बालिका प्राथमिक विद्यालयों का जेण्डर गैप 244 से 266 तक रहा है। महिला शिक्षा की दृष्टि से यह बहुत सोचनीय स्थिति है, जिले की महिला साक्षरता दर न्यून रहने के उपरोक्त दोनों प्रमुख कारण रहे हैं।





स्रोत:- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर

पंचायत समिति सम क्षेत्र में 2004-05 से 2008-09 तक (2006-07 को छोड़कर) कुल विद्यालयों की संख्या में कमी आई है, जैसा की ग्राफ देखने से स्पष्ट होता है। सत्र 2006-07 में मात्र 6 प्राथमिक विद्यालयों की वृद्धि हुई है, जो कि न्यून है। यद्यपि विद्यालयों की संख्या में यह कमी इनके उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत होने के फलस्वरूप आई है तथापि ग्राफ से स्पष्ट है कि पंचायत समिति सम जैसे छितरी आबादी के क्षेत्र में भी नई प्राथमिक विद्यालयों का विस्तार नहीं हुआ है। पंचायत समिति सम में बालिका विद्यालय सत्र 2005-06 में 13 थी, जो क्रमोन्नत होने के फलस्वरूप 2008-09 में शून्य हो गई, किन्तु नए प्राथमिक विद्यालय इस क्षेत्र में खोले जाने नितान्त आवश्यक है। जेण्डर गैप भी पंचायत समिति सम में 307 से 356 तक का है जो कि बहुत ही अधिक है। क्षेत्र में बालिका प्राथमिक विद्यालयों की संख्या को बढ़ाने से ही यह गैप कम हो सकता है।



स्रोत:- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर पंचायत समिति सांकड़ा की प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति ग्राफ से स्पष्ट है कि सत्र 2006-07 को छोड़कर शेष अवधि में भी प्राथमिक विद्यालय कम हुए हैं, कम होने का मुख्य कारण इनका उपावि में क्रमोन्नत होना रहा है, किन्तु क्रमोन्नत होने की एवज में नए प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गए हैं। यदि नए बालिका प्राथमिक विद्यालय खोले जाते तो विद्यालयों की संख्या का Trend बढ़ती हुई संख्या में होता। सत्र 08-09 में समस्त बालिका प्रावि को क्रमोन्नत किया गया है। यह कदम प्रशंसनीय है, किन्तु क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए अन्य बालिका प्राथमिक विद्यालय खोले जाने आवश्यक थे।





स्रोत:- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या वृद्धि का जिला स्तर पर अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि सत्र 2006-07 को छोड़कर जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में निरन्तर कमी हुई है। यह कमी विद्यालयों के क्रमोन्नत होने के फलस्वरूप हुई है, तथापि इसके साथ-साथ नए प्राथमिक विद्यालय यथा बालिका प्राथमिक विद्यालय खोले जाते तो ग्राफ की गिरावट दृष्टिगोचर नहीं होती।

जिले में 05-06 में बालिका विद्यालय मात्र 50 थे, जिसे सत्र 08-09 में राज्य सरकार ने समस्त बालिका विद्यालयों को उपावि में क्रमोन्नत कर दिया गया। इससे वर्तमान में जिले में 69 स्थानों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिकाओं के लिए सुलभ हुए हैं, किन्तु शेष स्थानों पर बालिका प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए थे। जिले में बालिका प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने से-

1. जेण्डर गैप जो कि वर्तमान में 941 से 1016 के बीच है, इसे कम किया जा सकेगा।
2. निचले स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अधिक होने पर क्रमशः ऊपर की ओर उपावि, मावि एवं उमावि का पिरामिड सशक्त हो सकेगा।



3. बालिकाओं का जिले में नामांकन बढ़ेगा तथा ड्रॉप आउट कम होगा।
4. जिले की महिला साक्षरता दर में वृद्धि होगी।
5. जिले की विषम भौगोलिक स्थिति एवं छितरी आबादी को देखते हुए प्रत्येक राजस्व गांव में बालिका विद्यालय खोलना यहां की बालिकाओं के हित में रहेगा (चाहे वे अनार्थिक ही क्यों न हो)



स्रोत:- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर

उपरोक्त ग्राफ से विदित होता है कि पंचायत समिति जैसलमेर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या वर्ष 2004-05 में 60 थी जो वर्ष 08-09 में बढ़कर 112 हो गई अर्थात् 5 वर्षों में मात्र 52 विद्यालय क्रमोन्नत हुए। जैसलमेर पंचायत समिति की बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 5 वर्षों में मात्र 22 ही बढ़ी है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका


उप्रावि संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी अपेक्षित है। माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत होने का आधार यद्यपि यही है अतः उप्रावि का विस्तार किया जाना चाहिए। विशेषकर बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अधिक संख्या में खोलना चाहिए। जेण्डर गैप जो कि पिछले 5 वर्षों में 44 से 61 के बीच रहा है, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने से इसे कम किया जा सकेगा।




स्रोत:- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर

उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि पंचायत समिति सम में गत 5 वर्षों में कुल 83 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है, किन्तु बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में मात्र 15 विद्यालय ही क्रमोन्नत हुए हैं, वर्ष 2008-09 में राज्य सरकार ने समस्त बालिका प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया गया था। इससे अधिक बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालय अधिक संख्या में खोलने होंगे तथा जेण्डर गैप भी इससे कम किया जा सकेगा।

Upper Primary School_P.S. Sakra




Growth of School (+ or -)




स्रोत:- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर

पंचायत समिति सांकड़ा में विगत 5 वर्षों में 50 उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं, जिसमें 20 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है। जैसा कि उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या न्यून होने के कारण जेण्डर गैप गत 5 वर्षों में 57 से 67 तक रहा है, पुनःश्च बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालयों का विस्तार नितान्त आवश्यक है।

Upper Primary School_District Level



Growth of School (+ or -)





स्रोत:- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जैसलमेर

जैसलमेर जिले का उपर्युक्त ग्राफ देखने से स्पष्ट होता है कि बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय और बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बीच जेण्डर गैप प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। सत्र 04-05 में यह अन्तर जहां 148 का था, 5 वर्ष बाद 08-09 में 219 तक पहुंच गया इसका मुख्य कारण बालक विद्यालय की तुलना में बालिका विद्यालयों की संख्या न्यून होना है। उपर्युक्त ग्राफ के ट्रेंड को देखने से मालूम होता है कि बालक विद्यालयों की तुलना में बालिका विद्यालयों की वृद्धि दर भी न्यून रही है।



सुझाव—

1. माध्यमिक विद्यालयों के क्रमोन्नत होने का आधार उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं अतः जिले के प्रत्येक राजस्व गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्राथमिकता देनी चाहिए।
2. जिले के विस्तृत भू-भाग में ग्रामीण आबादी ढाणियों में निवास करती है, अतः ढाणियों के स्तर पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए।
3. जेण्डर गैप को कम करने के लिए प्रत्येक स्तर पर बालिका विद्यालय की संख्या को बढ़ाना चाहिए।





स्रोत:- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि जिले में वर्ष 04-05 से (एक वर्ष 07-08 को छोड़कर) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2007-08 में कमी का कारण इनका उमावि में क्रमोन्नत होना रहा है। वर्ष 04-05 में बालक माध्यमिक विद्यालय 27 थे, जो बढ़कर 08-09 में 50 हो गए। इस प्रकार वर्ष 04-05 में बालिका माध्यमिक विद्यालय 1 थी, जो बढ़कर 08-09 में 5 हो गई। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का जेण्डर गैप 25 से 45 के बीच रहा। इसे कम करने के लिए बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाना चाहिए तथा ग्राम पंचायत स्तर पर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। बालिका माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। (चाहे वे अनार्थिक ही क्यों न हों)



स्रोत-जिला शिचा अधिकारी (माध्य.) जैसलमेर


ग्राफ देखने से स्पष्ट होता है कि जिले में 04-05 से 08-09 तक निरन्तर बालक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बढ़ोतरी हुई है, वर्ष 04-05 में 13 उच्च माध्यमिक विद्यालय थे, जो बढ़कर 08-09 में 22 हो गए हैं, जबकि बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जिले में कुल उमावि 2004-05 में 13 से बढ़कर 2008-09 में 22 हुए हैं किन्तु बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मात्र 2 ही (केवल शहरी क्षेत्र में) ही संचालित है। जेण्डर गैप भी 11 से 20 के बीच रहा है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को बढ़ाने से ही उमावि (बालिका) क्रमोन्नत किये जा सकेंगे।



स्रोत :- राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर

राज्य में मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण उसके विकास एवं उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा जिले में 108 पंजीकृत मदरसे संचालित हैं, जिनमें अल्पसंख्यक वर्ग के बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। जिले में वर्ष 2006-07 में कुल 43 मदरसे स्वीकृत किए गए, उसके पश्चात् निरन्तर मदरसों की स्वीकृति में वृद्धि हो रही है। वर्ष 06-07 की तुलना में 07-08 में

49 एवं वर्ष 08-09 में 16 मदरसों की वृद्धि हुई, जिनमें नामांकन क्रमशः 3037, 6229 एवं 7359 रहा है। नामांकन में बालक-बालिकाओं की पृथक संख्या अप्राप्त है। कुल 108 मदरसों में से 73 मदरसों में शिक्षा सहयोगी कार्यरत है शेष में शिक्षण व्यवस्था समुदाय द्वारा निजी रूप से की जाती है। समस्त मदरसों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की जाती है किन्तु पोषाहार 73 मदरसों में (जहां शिक्षा सहयोगी नियुक्त है) में दिया जाता है।





निजी विद्यालय- जिला स्तर

वर्ष	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			माध्यमिक			उच्च माध्यमिक			योग
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	
2004-05	56	2	58	32	2	34	3	0	3	3	0	3	98
2005-06	48	1	49	49	1	50	4	0	4	3	0	3	106
2006-07	50	1	51	52	1	53	8	0	8	3	0	3	115
2007-08	48	0	48	59	0	59	14	0	14	3	0	3	124
2008-09	48	0	48	71	0	71	16	0	16	3	0	3	138

उपर्युक्त तालिका से विदित होता है कि विगत 5 वर्षों में निजी विद्यालयों के क्रमोन्नति के कारण प्राथमिक विद्यालय घटे हैं एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयों में वृद्धि हुई है, उमावि की संख्या लगातार स्थिर है। सत्र 2008-09 में निजी क्षेत्र में 48 प्राथमिक विद्यालय, 71 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 16 माध्यमिक विद्यालय तथा 3 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, किन्तु बालिका निजी विद्यालयों की संख्या शून्य है, निजी क्षेत्र में बालिका विद्यालय खोले जाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।



निजी विद्यालयों की वर्तमान संख्या (2008-09)



(स्रोत- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारं/माध्य. जैसलमेर)

उपर्युक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि जिले में निजी विद्यालयों की संख्या में 2005-06 से निरन्तर वृद्धि हुई है, किन्तु बालिका निजी विद्यालयों की संख्या जिले में शून्य है।



निजी विद्यालय- जिला स्तर नामांकन



स्रोत:- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्य. जैसलमेर
 उपर्युक्त रेखाचित्र से स्पष्ट है कि निजी विद्यालयों में नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है। इससे विदित होता है कि लोगों का रुझान निजी विद्यालयों की तरफ निरन्तर बढ़ रहा है। निजी विद्यालयों में अनुशासन, शिक्षा की गुणवत्ता आदि के कारण अभिभावक निजी विद्यालयों को प्राथमिकता देने लगे हैं।

शिक्षक विहीन विद्यालय:- जिले में कोई शिक्षक विहीन विद्यालय नहीं है।

एकल शिक्षक विद्यालय:-



स्रोत:- एस एस ए जैसलमेर

जिले में एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या प्रारंभ से ही अधिक रही है, 08-09 में यह संख्या 628 थी। एकल शिक्षक विद्यालय होने का मुख्य कारण शिक्षकों के रिक्त पद का होना है, वर्तमान में कुल 4786 में से 1819 पद रिक्त हैं अर्थात् 38 प्रतिशत पद रिक्त है।

जिले में सत्र 04-05 की तुलना में 05-06 में 155 एकल अध्यापकीय विद्यालयों में वृद्धि हुई है, जिसका कारण शिक्षकों का स्थानांतरण रहा है। तत्पश्चात् वर्ष 06-07 से 08-09 तक एकल अध्यापकीय विद्यालयों में निरन्तर कमी आई है। कमी आने का कारण अध्यापकों की नियुक्ति एवं शिक्षण व्यवस्था के तहत विद्यार्थी मित्र लगवाना आदि है। रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने पर एकल अध्यापक संख्या शून्य की जा सकती है।


सीमांत क्षेत्र की समस्या:-

जिले की भारत पाक सीमा से लगी ग्राम पंचायतें यथा शाहगढ़ एवं हरणाउ आदि के ग्रामों में विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चे सर्वाधिक हैं इसकी वजह इस क्षेत्र के ग्राम एवं ढाणियों का दूरस्त एवं दुर्गम होना है। यह थार मरुस्थल का विस्तृत क्षेत्र है जहां लोग रेत के धोरों के बीच छोटी-छोटी बस्तियों में रहते हैं। यहां पर सड़क का नेटवर्क नहीं के बराबर है। आवागमन एवं संचार के साधन नगण्य हैं। स्वीकृत विद्यालयों में भी शिक्षक वहां जाने से कतराते हैं। शिक्षकों के अभाव में अनेक राजीव गांधी विद्यालयों को बंद करना पड़ा है। वस्तुतः यहां के बच्चे शिक्षा को तरस रहे हैं। इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए-

1. आवासिय विद्यालय खोले जाने चाहिए।
2. स्वीकृत विद्यालयों में पद स्थापित शिक्षकों को सीमांत भत्ता जैसा कोई अतिरिक्त लाभ दिया जाना चाहिए।
3. शिक्षकों के रहने के लिए आवासीय भवन बनाए जाने चाहिए।
4. शिफटेड जनसंख्या के लिए चल विद्यालय (मोबाइल स्कूल) प्रारंभ किये जाने चाहिए।





School Without Infrastructure_District Level (No. of School)








- Building Less
- Drinking Water
- Toilet
- Girls Toilet
- Play Ground
- Kitchen Shed
- Boundary Wall

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सत्र 04-05 से डीआईएस (District Information System for Education) डाटा के आधार पर सुविधा विहीन विद्यालयों को चिन्हित कर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से प्राप्त कर उनमें सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। जिसके परिणाम स्वरूप सत्र 04-05 की तुलना में 2008-09 में भवन विहीन, पेयजल विहीन, शौचालय विहीन, बालिका शौचालय, खेल-मैदान, किचन शेड एवं चार दीवारी विहीन विद्यालयों की संख्या में कमी आई है।


तुलनात्मक विवरण 2004-05 एवं 2008-09



स्रोत-सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर



Infrastrustructure 08-09



स्रोत-सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर

उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रयास किये जाने के उपरान्त भी 199 विद्यालयों में पेयजल सुविधा, 647 विद्यालयों में शौचालय सुविधा, 279 विद्यालयों में बालिका शौचालय सुविधा एवं 821 विद्यालयों में खेल मैदान की सुविधा नहीं है।

7. नामांकन (Enrollment)

2007-08 (GER & NER)

GER & NER (6-14 age group)

S. N o.	Name of Block	Population			Enrolment in class 1-8			Enrolment (6-14 age group) in class 1-8			GER			NER		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	JAISALMER	25514	17943	43457	25029	17463	42492	19616	14902	34518	98.10	97.32	97.78	76.88	83.05	79.43
2	POKRAN	27385	19268	46653	26991	18860	45851	21775	15229	37004	98.56	97.88	98.28	79.51	79.04	79.32
3	SAM	23722	16776	40498	23225	16093	39318	19046	13381	32427	97.90	95.93	97.09	80.29	79.76	80.07
Total		76621	53987	130608	75245	52416	127661	60437	43512	103949	98.20	97.09	97.74	78.88	80.60	79.59



**2008-09 (GER & NER)
GER & NER (6-14 age group)**

S. N o.	Name of Block	Population			Enrolment in class 1-8			Enrolment (6-14 age group) in class 1-8			GER			NER		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	JAISALMER	25107	18047	43154	25951	18464	44415	23146	15967	39113	103.36	102.31	102.92	92.19	88.47	90.64
2	POKRAN	25615	18142	43757	27375	19062	46437	24728	17275	42003	106.87	105.07	106.12	96.54	95.22	95.99
3	SAM	22068	15501	37569	22520	15384	37904	21090	14948	36038	102.05	99.25	100.89	95.57	96.43	95.92
Total		72790	51690	124480	75846	52910	128756	68964	48190	117154	104.20	102.36	103.44	99.74	98.23	99.26

संदर्भ:- एसएसए जैसलमेर



जीईआर- कक्षा 1 से 8 तक कुल नामांकन में 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों की जनसंख्या का भाग देने से जीईआर प्राप्त होता है। एसएसए की डाईस से 07-08 एवं 08-09 से प्राप्त सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 08-09 में जीईआर में तीनों ही ब्लॉकों में वृद्धि हुई है। पंचायत समिति सांकड़ा में जीईआर वृद्धि सर्वाधिक 7.87 प्रतिशत रही है। वहां पंचायत समिति जैसलमेर में 5.14 प्रतिशत एवं पंचायत समिति-सम में 3.80 प्रतिशत की रही है। पंचायत समिति पोकरण की जनसंख्या सघन होने के कारण वहां विद्यालय सुविधाएं पर्याप्त है। अतः नामांकन की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक रही है। पंचायत समिति जैसलमेर एवं सम में जीईआर की वृद्धि दर न्यून रहने का मुख्य कारण इन ग्राम पंचायतों से लगता हुआ भारत पाक सीमा क्षेत्र है, जहां छितरी आबादी, सिफ्टिंग जनसंख्या एवं आधारभूत शिक्षा सुविधाओं का अपेक्षाकृत कम होना रहा है।

एनईआर- कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 आयुवर्ग के कुल नामांकन में 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों की जनसंख्या का भाग देने से एनईआर प्राप्त होता है। एसएसए की डाईस से 07-08 एवं 08-09 से प्राप्त सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 08-09 में एनईआर में तीनों ही ब्लॉकों में वृद्धि हुई है। पंचायत समिति सांकड़ा में एनईआर वृद्धि सर्वाधिक 16.67 प्रतिशत रही है। वहां पंचायत समिति जैसलमेर में 11.21 प्रतिशत एवं पंचायत समिति-सम में 15.85 प्रतिशत की रही है। पंचायत समिति सांकड़ा की जनसंख्या सघन होने के कारण वहां विद्यालय सुविधाएं पर्याप्त है। अतः नामांकन की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक रही है। पंचायत समिति जैसलमेर एवं सम में एनईआर की वृद्धि दर न्यून रहने का मुख्य कारण इन ग्राम पंचायतों से लगता हुआ भारत पाक सीमा क्षेत्र है, जहां छितरी आबादी, सिफ्टिंग जनसंख्या एवं आधारभूत शिक्षा सुविधाओं का अपेक्षाकृत कम होना रहा है।





स्रोत-जिला शिचा अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि वर्ष 2004-05 के बाद वर्ष 05-06 में नामांकन में वृद्धि हुई है, इसके बाद वर्ष 08-09 तक निरन्तर नामांकन में कमी आई है। नामांकन कम होने का कारण नहरी क्षेत्र में पानी की कमी होने से अन्य जिलों से आए काश्तकारों का अपने परिवारों सहित बाहरी जिलों में पलायन होना है। वर्ष 05-06 के बाद निरन्तर निजी विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने से राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में निरन्तर कमी हुई है। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में जेण्डर गैप 684 से 1477 के बीच रहा है, जेण्डर गैप को कम करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालयों को खोला जाना एवं बालिका नामांकन में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।




स्रोत-जिला शिक्ष अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

उपर्युक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि वर्ष 2004-05 के बाद नामांकन में निरन्तर कमी आई है। नामांकन कम होने का कारण नहरी क्षेत्र में पानी की कमी होने से अन्य जिलों से आए काश्तकारों का अपने परिवारों सहित बाहरी जिलों में पलायन होना है। वर्ष 04-05 के बाद निरन्तर निजी विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने से राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में निरन्तर कमी हुई है। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में जेण्डर गैप 942 से 3058 के बीच रहा है, जेण्डर गैप को कम करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालयों को खोला जाना आवश्यक है।



स्रोत—जिला शिक्ष अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

उपर्युक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि वर्ष 2004-05 के बाद वर्ष 05-06 में नामांकन में वृद्धि हुई है, इसके बाद वर्ष 08-09 तक निरन्तर नामांकन में कमी आई है। नामांकन कम होने का कारण वर्ष 05-06 के बाद निरन्तर निजी विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होना रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में जेण्डर गैप 1095 से 2521 के बीच रहा है, जेण्डर गैप को कम करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालयों को खोला जाना आवश्यक है।





स्रोत-जिला शिक्ष अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन वृद्धि का जिला स्तर पर ग्राफ का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2004-05 के बाद नामांकन में निरन्तर कमी हुई है। नामांकन कम होने का कारण

1. नहरी क्षेत्र में पानी की कमी होने से अन्य जिलों से आए किसानों का अपने जिलों में पलायन होना है।
2. निजी विद्यालयों की संख्या एवं नामांकन में निरन्तर वृद्धि होना।
3. मदरसों की संख्या एवं नामांकन में निरन्तर वृद्धि होना। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में जेण्डर गैप 2721 से 7056 के बीच रहा है।

सुझाव-

1. जेण्डर गैप को कम करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालयों को खोला जाना आवश्यक है।
2. विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाया जाना आवश्यक है।





राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में एससी/एसटी के नामांकन का जिला स्तर पर ग्राफ का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2004-05 के बाद केवल एसटी में 05-06 में वृद्धि हुई है उसके बाद नामांकन में निरन्तर कमी हुई है।

नामांकन कम होने के निम्न कारण रहे हैं-

1. नहरी क्षेत्र में पानी की कमी होने से अन्य जिलों से आए किसानों का अपने जिलों में पलायन होना है।
2. निजी विद्यालयों की संख्या एवं नामांकन में निरन्तर वृद्धि होना।
3. प्राथमिक स्तर पर एस.सी/एस.टी छात्रावास न होना।



सुझाव-

1. जेण्डर गैप को कम करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालयों को खोला जाना आवश्यक है।
2. विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाया जाना आवश्यक है।
3. प्राथमिक स्तर के लिए एस.सी. व एस.टी छात्रावास ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जावें।





स्रोत-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति जैसलमेर की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04-05 के बाद नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 04-05 11372 की तुलना में 2008-09 में 16425 का नामांकन रहा। पंचायत समिति जैसलमेर की राउप्रावि में नामांकन का जेण्डर गैप 935 से 3025 के बीच रहा है, जेण्डर को कम करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालय को खोलकर उनको उप्रावि में क्रमोन्नत किया जाना उचित रहेगा। जिससे बालिकाओं का ठहराव सम्भव हो सकेगा।





स्त्रोत-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति सम की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04-05 के बाद नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 04-05 में 8953 की तुलना में 2008-09 में 16913 का नामांकन रहा। पंचायत समिति सम की राउप्रावि में नामांकन का जेण्डर गैप 2575 से 3588 के बीच रहा है, जेण्डर को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उन्हें उप्रावि में क्रमोन्नत किया जावें।





स्रोत-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति सांकड़ा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04-05 के बाद सत्र 06-07 को छोड़कर नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 04-05 में 12758 की तुलना में 2008-09 में 15424 का नामांकन रहा। पंचायत समिति सांकड़ा की राउप्रावि में नामांकन का जेण्डर गैप 2760 से 3609 के बीच रहा है, जेण्डर को कम करने के लिए बालिका प्राथमिक विद्यालय एवं उप्रावि की संख्या जिले में बढ़ाना होगा।





स्रोत-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

जिला स्तर पर ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि जिले की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04-05 के बाद नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 04-05 में नामांकन 33083 की तुलना में 2008-09 में 48762 का नामांकन रहा। जिले के राउप्रावि में नामांकन का जेण्डर गैप 6270 से 10222 के बीच रहा है, जेण्डर को कम करने के लिए बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या में वृद्धि करना होगा।



स्रोत-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर

जिला स्तर पर ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि जिले की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04-05 के बाद एससी एवं एसटी के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 04-05 में एससी नामांकन 6710 की तुलना में 2008-09 में 10062 एवं एसटी में 04-05 में 1674 की तुलना में 08-09 में 2632 का नामांकन रहा है।





स्रोत—जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) जैसलमेर

उपरोक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 04-05 से (07-08 को छोड़कर) 08-09 तक नामांकन में वृद्धि हुई है। वर्ष 04-05 में नामांकन 46663 था, जो बढ़कर 08-09 में 5953 हो गया है। बालिका नामांकन भी वर्ष 04-05 में 629 था, जो बढ़कर वर्ष 08-09 में 1128 हो गया है। जेण्डर गैप 2833 से 3693 के बीच रहा। माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि की दर न्यून रही है। बालिकाओं की इससे भी कम रही है। इसका मुख्य कारण –

1. इस उम्र में बच्चों का किसी व्यवसाय से जुड़कर अर्थोपार्जन करना है।
2. उम्र में बड़ी होने के कारण अभिभावकों द्वारा बालिकाओं का विद्यालय छोड़ाना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विद्यालयों का नहीं होना।
(जिले में मात्र 05 बालिका माध्यमिक विद्यालय हैं)
4. बाल विवाह की कृप्रथा के कारण।

सुझाव—

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर बालिका विद्यालयों का नेटवर्क बढ़ाया जाना चाहिए।
2. प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च स्तर पर बालिकाओं का ड्राप आउट रोका जावे।
3. बालिकाओं के प्रवेश के साथ ठहराव सुनिश्चित करने के लिए संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जावे।
4. बाल विवाह के प्रति नकारात्मक सोच पैदा करने के लिए गांव के ग्राम सेवक, पटवारी, एएनएम, एवं विद्यालय के संस्था प्रधान को जिम्मेदारी दी जावे।



स्रोत—जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) जैसलमेर

उपर्युक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि जिले में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नामांकन में सत्र 04-05 से 07-08 तक निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 08-09 में नामांकन में गत वर्ष की तुलना में कमी आई है। जेण्डर गैप 3150 से

4284 के बीच का है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि की दर न्यून रही है। बालिकाओं की इससे भी कम रही है। इसका मुख्य कारण –


1. इस उम्र में बच्चों का किसी व्यवसाय से जुड़कर अर्थोपार्जन करना है।
2. उम्र में बड़ी होने के कारण अभिभावकों द्वारा बालिकाओं का विद्यालय छोड़ाना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विद्यालयों का नहीं होना। (जिले में मात्र 02 बालिका माध्यमिक विद्यालय हैं, वह भी शहरी क्षेत्र में)
4. बाल विवाह की कुप्रथा के कारण

सुझाव–


1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर बालिका विद्यालयों का नेटवर्क बढ़ाया जाना चाहिए।
2. प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उपावि स्तर पर बालिकाओं का ड्राप आउट रोका जावे।
3. बालिकाओं के प्रवेश के साथ ठहराव सुनिश्चित करने के लिए संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जावे।
4. बाल विवाह के प्रति नकारात्मक सोच पैदा करने के लिए गांव के ग्राम सेवक, पटवारी, एएनएम, एवं विद्यालय के संस्था प्रधान को जिम्मेदारी दी जावे।



Secondary SC Enrollment_District Level




Secondary ST Enrollment_District Level




स्रोत-जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) जैसलमेर

उपर्युक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि जिले की राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2004-2005 के बाद एस.सी. व एस.टी. के नामांकन में (2007-2008 को छोड़कर) निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-2005 में एस.सी. का नामांकन 996 की तुलना में वर्ष 2008-2009 में 1618 हो गया। इसी तरह एस.टी. नामांकन में 2004-2005 में 179 की तुलना में 2008-2009 में 277 का नामांकन रहा।

Sr.Secondary SC Enrollment_District Level



Sr.Secondary ST Enrollment_District Level






स्रोत-जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) जैसलमेर

उपर्युक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि जिले की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2004-2005 के बाद एस.सी. व एस.टी. के नामांकन में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-2005 में एस.सी. का नामांकन 1024 की तुलना में वर्ष 2008-2009 में 1341 हो गया। इसी तरह एस.टी. नामांकन में 2004-2005 में 33 की तुलना में 2008-2009 में 300 का नामांकन रहा।

8. ठहराव (Retentions)

ठहराव- प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले समस्त विद्यार्थियों को 5 वर्षों में कक्षा 5 उत्तीर्ण करवाना ठहराव है, ठहराव सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण व्यवस्था को आनंददायी बनाना, विद्यालय भवन को आकर्षक बनाना एवं प्रभावी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन कर समुदाय को शिक्षा से जोड़ना है।

सत्र	कक्षा 1 का नामांकन			सत्र	कक्षा 5 का नामांकन			ठहराव प्रतिशत		
	B	G	T		B	G	T	B	G	T
000-01	19093	13208	32301	2004-05	6591	3065	9656	34.52	23.21	29.89
001-02	21062	15737	36799	2005-06	7480	3998	11478	35.51	25.41	31.19
002-03	24436	22122	46558	2006-07	7670	5105	12775	31.39	23.08	27.44
003-04	18513	15656	34169	2007-08	7187	4598	11785	38.82	29.37	34.49
004-05	19304	16651	35955	2008-09	7270	4854	12124	37.66	29.15	33.72





स्रोत-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.) जैसलमेर


उपयुक्त ग्राफ के आधार पर 2004-2005 की 2008-2009 से तुलना करें तो प्रतीत होता है कि बीच-बीच के सामान्य विचलन को छोड़कर ठहराव दर बालक, बालिका एवं समान रूप से तीनों ही आयामों में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण विद्यालयों में दिया जाने वाला पोषाहार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियान हैं। इससे वातावरण निर्माण हुआ है, तथा जनता की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है।

1. कक्षा-उन्नति दर— जिले में प्राथमिक स्तर से कक्षा 5 उत्तीर्ण कर कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक का विवरण निम्नानुसार है—

सत्र	नामांकन (पिछले वर्ष कक्षा 5 का)			कक्षा 6 में प्रवेश			प्रतिशत		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T
2004-05	6028	2671	8699	5038	1760	6798	83.58	65.89	78.15
2005-06	6591	3065	9656	6365	2062	8427	96.57	67.28	87.27
2006-07	7480	3998	11478	6435	2321	8756	86.03	58.05	76.29
2007-08	7670	5105	12775	6410	2573	8983	83.57	50.4	70.32
2008-09	7187	4598	11785	6310	2653	8963	87.8	57.7	76.05

स्रोत—जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं./माध्य.) जैसलमेर






संदर्भ – जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक

उपर्युक्त ग्राफ को देखने से विदित होता है कि कक्षा 05 से कक्षा 06 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कक्षोन्नति दर वर्ष 2004-2005 की तुलना में वर्ष 2005-2006 में लगभग 23 प्रतिशत बढ़ी है। जबकि छात्राओं की मात्र 1.39 प्रतिशत ही बढ़ी है। इसके बाद 2006-2007 एवं 2007-2008 में दोनों ही वर्गों में कक्षोन्नति दर घटी है। 2004-2005 की तुलना में 2008-2009 में छात्रों की कक्षान्नोति दर में 4.22 की वृद्धि हुई है। जबकि छात्राओं की कक्षोन्नति दर में 8.19 प्रतिशत की कमी आई है।

2008-2009 के आधार पर 24 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 05 वीं उत्तीर्ण करने के बाद कक्षा 06 में प्रवेश नहीं लेते हैं।


कक्षोन्नति दर में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने का कारण जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अपेक्षा से न्यून है। प्रत्येक राजस्व ग्राम में उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने से उक्त कक्षोन्नति दर को बढ़ाया जा सकता है।





प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट

पंचायत समिति- जैसलमेर



स्रोत-सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर


उपरोक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति जैसलमेर की प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04-05 के बाद वर्ष 05-06 एवं 06-07 में वृद्धि हुई है, ड्रॉप आऊट वृद्धि का कारण अभिभावकों द्वारा बालक/बालिकाओं को घरेलू कार्यों में व्यस्त रखना एवं परिवारों का पलायन रहा है।

वर्ष 07-08 से 08-09 में ड्रॉप आऊट में कमी आई है, ड्रॉप आऊट कम होने का कारण सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आवासीय ब्रिज कोर्स चलाकर ड्रॉप आऊट बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है एवं अभिभावकों का शिक्षा के प्रति भी रुझान बढ़ना है।



मैं भी पढ़ना चाहती हूँ
प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट


पंचायत समिति- सम



स्रोत-सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर


उपरोक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति सम की प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04-05 के बाद वर्ष 05-06 एवं 06-07 में वृद्धि हुई है, ड्रॉप आऊट वृद्धि का कारण अभिभावकों द्वारा बालक/बालिकाओं को घरेलू कार्यों में व्यस्त रखना एवं परिवारों का पलायन रहा है।

वर्ष 07-08 से 08-09 में ड्रॉप आऊट में कमी आई है, ड्रॉप आऊट कम होने का कारण सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आवासीय ब्रिज कोर्स चलाकर ड्रॉप आऊट बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है एवं अभिभावकों का शिक्षा के प्रति भी रुझान बढ़ना है।



मैं भी स्कूल जाऊगी
प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट

पंचायत समिति- सांकड़ा



उपरोक्त ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति सांकड़ा की प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04-05 के बाद वर्ष 05-06 एवं 06-07 में वृद्धि हुई है, ड्रॉप आऊट वृद्धि का कारण अभिभावकों द्वारा बालक/बालिकाओं को घरेलू कार्यों में व्यस्त रखना एवं परिवारों का पलायन रहा है।

स्रोत-सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर

वर्ष 07-08 से 08-09 में ड्रॉप आऊट में कमी आई है, ड्रॉप आऊट कम होने का कारण सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आवासीय ब्रिज कोर्स चलाकर ड्रॉप आऊट बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है एवं अभिभावकों का शिक्षा के प्रति भी रुझान बढ़ना है।

प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट- जिला स्तर


वर्ष	स्तर			वृद्धि			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2004-05	578	971	1549				1.55	3.38	2.25
2005-06	1027	1565	2592	449	594	1043	2.88	5.4	4.02
2006-07	2866	3486	6352	1839	1921	3760	8.54	12.27	10.25
2007-08	660	769	1429	-2206	-2717	-4923	1.97	3.08	2.46
2008-09	133	215	348	-527	-554	-1081	0.48	1.01	0.71

रेखाचित्र देखने से ज्ञात होता है कि जिले में वर्ष 2005-06 एवं 06-07 में ड्रॉप आऊट प्रतिशत में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा 07-08 एवं 08-09 में ड्रॉप आऊट दर घटी है।

वर्ष 07-08 एवं 08-09 में ड्रॉप आऊट न्यून रहने का मुख्य कारण (एस.एस.ए. द्वारा) ड्रॉप आऊट बालक/बालिकाओं का अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन शिविर आयोजित करना रहा है। शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान के निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप 06-07 में ड्रॉप आऊट दर 10.25 प्रतिशत पहुंचने के बाद 08-09 में मात्र 0.71 प्रतिशत रही है। सत्र 2005-2006 एवं 2006-2007 में ड्रॉप आऊट दर में वृद्धि हुई है।

जैसलमेर जिले में ड्रॉप आऊट अधिक रहने के निम्न कारण रहे हैं-

1. अकाल आदि कारणों से परिवारों का पलायन करना।
2. विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों का होना।
3. दूरस्थ ढाणियों में शिक्षण व्यवस्था न होना। (जिससे जुलाई में प्रवेश के बाद धीरे-धीरे छात्र विद्यालय छोड़ देते हैं।)
4. बालिकाओं के पृथक विद्यालय न होने के कारण कक्षा 2 व 3 के बाद उनके अभिभावक विद्यालय परित्याग कर देते हैं।




सुझाव-

1. ढाणियों के स्तर पर प्राथमिक विद्यालय खोलना, विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति करना।
2. बालिका प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाना।
3. जिन ढाणियों में 20 से कम बच्चे स्कूल जाने योग्य हो, वहां पर एकल शिक्षक विद्यालय खोले जावें, जहां बच्चों की सुविधानुसार विद्यालय का समय निर्धारित हो।
4. मोबाईल विद्यालय खोले जावें, जहां ग्राम के पलायन के साथ-साथ विद्यालय भी मोबाईल रहें।

उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट

पंचायत समिति- जैसलमेर

वर्ष	स्तर			वृद्धि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2004-05	206	311	517			
2005-06	107	153	260	-99	-158	-257
2006-07	245	515	760	138	362	500
2007-08	77	82	159	-168	-433	-601
2008-09	20	8	28	-57	-74	-131




स्रोत-सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति-जैसलमेर की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04-05 के बाद वर्ष 05-06 में ड्रॉप आऊट कम हुआ है। उसके पश्चात् वर्ष 06-07 में ड्रॉप आऊट में वृद्धि हुई है। वर्ष 07-08 एवं 08-09 में ड्रॉप आऊट निरन्तर कम हुआ है। ड्रॉप आऊट कम होने का कारण जो बालक/बालिकाएं परिस्थिति वश बीच में विद्यालय छोड़ देते थे, उनको सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाये जाने वाले शिविरों से जोड़ना रहा है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट

पंचायत समिति- सम

वर्ष	स्तर			वृद्धि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2004-05	85	162	247			
2005-06	96	196	292	11	34	45
2006-07	304	309	613	208	113	321
2007-08	55	128	183	-249	-181	-430
2008-09	12	48	60	-43	-80	-123




स्रोत-सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति-सम की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04-05 के बाद वर्ष 05-06 एवं 06-07 में ड्रॉप आऊट में वृद्धि हुई है। वर्ष 07-08 एवं 08-09 में ड्रॉप आऊट निरन्तर कम हुआ है। ड्रॉप आऊट कम होने का कारण जो बालक/बालिकाएं परिस्थिति वश बीच में विद्यालय छोड़ देते थे, उनको सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाये जाने वाले शिविरों से जोड़ना रहा है।

**उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट
पंचायत समिति- सांकड़ा**

वर्ष	स्तर			वृद्धि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2004-05	93	173	266			
2005-06	139	206	345	46	33	79
2006-07	406	338	744	267	132	399
2007-08	94	90	184	-312	-248	-560
2008-09	23	31	54	-71	-59	-130




स्रोत-सर्व शिक्षा अभियान, जैसलमेर

ग्राफ देखने से ज्ञात होता है कि पंचायत समिति-सांकड़ा की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 04-05 के बाद वर्ष 05-06 एवं 06-07 में ड्रॉप आऊट में वृद्धि हुई है। वर्ष 07-08 एवं 08-09 में ड्रॉप आऊट निरन्तर कम हुआ है। ड्रॉप आऊट कम होने का कारण जो बालक/बालिकाएं परिस्थितिवश बीच में विद्यालय छोड़ देते थे, उनको सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाये जाने वाले शिविरों से जोड़ना रहा है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आऊट- जिला स्तर

वर्ष	स्तर			वृद्धि		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2004-05	384	646	1030			
2005-06	342	555	897	-42	-91	-133
2006-07	955	1162	2117	613	607	1220
2007-08	226	300	526	-729	-862	-1591
2008-09	55	87	142	-171	-213	-384



उपर्युक्त तालिका देखने से ज्ञात होता है कि वर्ष 06-07 को छोड़कर शेष अवधि में ड्रॉप आऊट बच्चों की संख्या में कमी आई है, इस कमी का मुख्य कारण प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत होना रहा है। गत 5 वर्षों में 185 विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं। ग्रामीण अंचलो में बाल विवाह, विशेषकर बालिकाओं के ड्रॉप आऊट होने का मुख्य कारण रहा है। विवाह के बाद प्रायः लड़कियों को विद्यालय परित्याग करा दिया जाता है। यद्यपि शिक्षा एवं प्रचार प्रसार के कारण पहले की तुलना में इसमें कमी भी आई है। सर्व शिक्षा द्वारा खोले गए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के कारण बालिकाओं की ड्रॉप आऊट दर में कमी आई है, किन्तु जिले की विशेष परिस्थितियां देखते हुए इसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। वर्तमान में मात्र तीन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय चलाये जा रहे हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद रहने से भी छात्रों का विद्यालय के प्रति आकर्षण कम हो जाता है और वे कालान्तर में विद्यालय छोड़ देते हैं।

उक्त विद्यालयों में ड्रॉप आऊट दर कम करने के लिए इन विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों को पदस्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है। निजी क्षेत्र में उप्रावि में 2004-05 से निरन्तर वृद्धि हुई है। 04-05 में जहां 33 उच्च प्राथमिक विद्यालय निजी क्षेत्र में चल रहे थे, वर्ष 08-09 में बढ़कर 73 हो गए हैं। प्राईवेट विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होना भी ड्रॉप आऊट को कम करने का महत्वपूर्ण कारण रहा है।

9. गुणवत्ता (Quality)

1. **स्टाफ स्थिति**— जिले की संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या अधिक है, शिक्षण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यार्थी मित्रों को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है। जिले की राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण श्रेणीवार निम्नानुसार है—

क्रम सं.	पद विवरण	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्रधानाध्यापक II ग्रेड	320	190	130
2	अध्यापक III ग्रेड	1079	1096	-17
3	शा.शि. III ग्रेड	135	97	38
4	अध्यापक III ग्रेड पंचायतराज	1966	1107	859
5	शिक्षा सहयोगी	728	114	614
6	अति.शिक्षा सहयोगी	17	0	17
7	महिला पैराटीचर्स	128	44	84
8	पैरा शा.शि.	26	3	23
9	प्रबोधक	387	316	71
योग		4786	2967	1819

रिक्त पदों की स्थिति —

जिले में कुल 4786 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं जिसमें मात्र 2967 ही कार्यरत हैं। 1819 पद रिक्त हैं। कुल स्वीकृत पदों की तुलना में लगभग 38 प्रतिशत पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। कुल स्वीकृत पदों का जिले की विद्यालयों में वितरण करें तो प्रत्येक विद्यालय में औसतन 3 शिक्षक ही हिस्से में आते हैं। ऐसे में नामांकन ठहराव गुणवत्ता पूर्ण एवं आनंददायी शिक्षा का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है।

2. छात्र-अध्यापक अनुपात— ब्लॉकवार छात्र-शिक्षक अनुपात विवरण निम्नानुसार है—
ब्लॉक—जैसलमेर

क्र. सं.	वर्ष	प्राथमिक				उच्च प्राथमिक				माध्यमिक				उच्च माध्यमिक			
		विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात
1	2004-05	306	18043	421	1:43	60	11372	362	1:31	7	1514	56	1:27	7	2682	91	1:29
2	2005-06	295	19067	456	1:42	74	13563	488	1:28	9	1633	60	1:27	7	2608	93	1:28
3	2006-07	287	15846	410	1:39	81	14516	491	1:30	11	1855	67	1:28	7	2577	94	1:27
4	2007-08	270	13909	427	1:33	90	15254	492	1:31	11	1850	72	1:26	7	2468	96	1:26
5	2008-09	259	12481	422	1:30	112	16425	579	1:28	20	2298	69	1:33	7	2411	83	1:29

ब्लॉक—सम

क्र. सं.	वर्ष	प्राथमिक				उच्च प्राथमिक				माध्यमिक				उच्च माध्यमिक			
		विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात
1	2004-05	378	19426	432	1:45	51	8953	247	1:36	12	1655	81	1:20	2	599	17	1:35
2	2005-06	336	16943	395	1:43	84	13610	433	1:31	12	1654	57	1:29	4	889	31	1:29
3	2006-07	342	16068	391	1:41	94	14554	437	1:33	13	1710	66	1:26	4	945	31	1:30
4	2007-08	334	14521	420	1:35	105	15770	398	1:40	10	1249	43	1:29	7	1246	56	1:22
5	2008-09	307	12226	384	1:32	134	16913	489	1:35	17	1579	34	1:46	7	1291	51	1:25

ब्लॉक—सांकड़ा

क्र. सं.	वर्ष	प्राथमिक				उच्च प्राथमिक				माध्यमिक				उच्च माध्यमिक			
		विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात	विद्यालय सं.	विद्यार्थी सं.	अध्यापक सं.	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात
1	2004-05	420	24721	576	1:43	65	12758	366	1:35	9	1494	62	1:24	6	2049	64	1:32
2	2005-06	410	24658	576	1:43	76	13973	494	1:28	10	1545	59	1:26	7	2352	68	1:35
3	2006-07	419	24151	583	1:41	76	13051	467	1:28	12	1731	54	1:32	8	2597	82	1:32
4	2007-08	407	21959	621	1:35	94	14389	409	1:35	10	1448	43	1:34	10	3060	97	1:32
5	2008-09	385	18854	555	1:34	115	15424	510	1:30	18	2076	44	1:47	10	2751	84	1:33

स्रोत—जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं./माध्य.) जैसलमेर

छात्र शिक्षक अनुपात :

उपर्युक्त तालिका से विदित है कि पंचायत समिति जैसलमेर में सत्र 2008-2009 में प्राथमिक स्तर पर 1:30, उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:28, माध्यमिक स्तर पर 1:33 एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 1:29 है।

पंचायत समिति सम में यह अनुपात क्रमशः प्राथमिक स्तर पर 1:32 एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35, माध्यमिक स्तर पर 1:46 एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 1:25 रहा है।

इसी प्रकार पंचायत समिति साँकड़ा में प्राथमिक स्तर पर 1:34, उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:30, माध्यमिक स्तर पर 1:47 एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 1:33 रहा है।

10. मिड डे मील (Mid-day meal)


- **परिचय—** जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक के छात्र/छात्राओं में पोषण बढ़ाने, शिक्षा के सार्वजनीकरण को बढ़ावा देने, नामांकन में वृद्धि, उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना तथा सीखने के स्तर को बढ़ावा देना एवं खास तौर से वंचित वर्गों के परिवारों को जोड़ने के उद्देश्य से मिड-डे मिल योजना प्रारंभ की गई।
- **कवरेज—** इस योजना के तहत जिले के 1039 प्राथमिक विद्यालयों में कुल 87709 छात्र छात्राएं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 74 माध्यमिक विद्यालयों के 15816 छात्र-छात्राओं को पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **योजना की क्रियान्विति—** जिले में सुनियोजित योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है। जिसमें सोमवार से शनिवार तक निम्न तालिका अनुसार भोजन का मीनू तैयार किया जाता है—

वार	मीनू
सोमवार	रोटी-सब्जी
मंगलवार	दाल/सब्जी-चावल
बुधवार	खिचड़ी- दाल, चावल, सब्जी
गुरुवार	दाल-रोटी
शुक्रवार	दाल-बाटी
शनिवार	सब्जी-रोटी

कक्षा 1 से 5 तक 100 ग्राम व कक्षा 6 से 8 तक 150 ग्राम पोषाहार दिया जाता है। उक्त कार्य हेतु कुकिंग कॉस्टिंग के रूप में कक्षा 1 से 5 तक प्रति छात्र 2 रुपये 8 पैसे एवं कक्षा 6 से 8 तक प्रति छात्र 2 रुपये 60 पैसे प्रति दिन देने का प्रावधान है। पोषाहार पकाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर उसी ग्राम की जरूरतमंद महिला का चयन किया जाता है ताकि उक्त महिला को रोजगार मिल सके। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन तत्वों से तैयार किया जाता है। कार्यक्रम के सही संचालन हेतु जिला स्तर के अधिकारी यथा-जिला कलक्टर महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारं./माध्य., ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों तथा अभिभावकों द्वारा समय-समय पर भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाती है।

● **प्रभाव—**

01. मध्याह्न भोजन प्रारंभ होने के फलस्वरूप नामांकन में वृद्धि हुई है।
02. विश्राम के समय छात्र-छात्राएँ घर जाने के बाद वापिस नहीं आने की प्रक्रिया बंद हुई है।
03. बच्चों को कैलोरी एवं प्रोटीन युक्त भोजन मिलने से उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ने लगा है।
04. नामांकन में ठहराव में वृद्धि हुई है।
05. छात्रों की उपस्थिति औसत बढ़ा है।
06. ड्रॉप आउट दर कम हुई है।
07. आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों के नामांकन एवं ठहराव तथा औसत उपस्थिति में विशेष प्रगति हुई है।



11. विकलांग बच्चों की शिक्षा (Education of Disable Children)

ऑरिएन्टेशन ऑफ गार्जन्स— सत्र 2004 में 1200 के विरुद्ध 1043, सत्र 2006-07 में 2160 के विरुद्ध 2160, सत्र 2007-08 में 2060 के विरुद्ध 2060, सत्र 2008-09 में 1332 के विरुद्ध 1332 अभिभावकों के साथ बैठक कर बालक के विकास हेतु प्रयास किये गये।

फन्क्शनल एसेसमेंट केम्प - सत्र 2004 में 7 शिविर लगाए गए (32 को प्रमाण पत्र जारी) 154 बालक/बालिकाएं शिविर में उपस्थित हुए। सत्र 2005-06 में 16 (63 को प्रमाण पत्र जारी) 302 बालक/बालिकाएं शिविर में उपस्थित हुवे, सत्र 2004 में 3 शिविर लगाए गए (42 को प्रमाण पत्र जारी) 185 बालक/बालिकाएं शिविर में उपस्थित हुए सत्र 2007-08 में 3 शिविर लगाए गए (23 को प्रमाण पत्र जारी) 90 बालक/बालिकाएं शिविर में उपस्थित हुए, सत्र 2008-09 में 3 शिविर लगाए गए (36 को प्रमाण पत्र जारी) 144 बालक/बालिकाएं शिविर में उपस्थित हुए। केम्प में जिला प्रशासन, राजस्थान रोडवेज, समाज कल्याण, एनजीओ, चिकित्सा विभाग एवं यथा सम्भव राजस्व विभाग के कार्मिकों ने भी उपस्थिति दी।

अंग उपकरण- सत्र 2004-05 में 16, 05-06 में 40, 06-07 में 177, 07-08 में 120, 08-09 में 90 बालक/बालिकाओं को आवंटित बजट के अनुसार ट्राई साईकिल, व्हील चेयर, बैशाखी, ब्लाइंड स्टिक, सुनने की मशीन, ब्रिल स्लेट आदि उपलब्ध कराई गई।

शिक्षकों का दीर्घ अवधि प्रशिक्षण - सत्र 05-06 में 10, 06-07 में 10, 07-08 में 10, 08-09 में 8 शिक्षकों को परिषद के निर्देशानुसार भोज विश्वविद्यालय से फाउन्डेशन कोर्स करवाया गया।

स्पेशल टॉयलेट - निःशक्त बालको की भलाई हेतु सत्र 07-08 में 3 स्पेशल टॉयलेट स्वीकृत किये गये।

रेम्प - सत्र 06-07 में 21, 07-08 में 60, 08-09 में 97 रेम्प बनाए गए।

काउन्सलिंग ऑफ पैरेन्ट्स – निःशक्त बालको के विकास हेतु निर्देशानुसार सत्र 04–05 में 120, 06–07 में 2160, 07–08 में 480, 08–09 में 924 अभिभावकों की जिले में काउन्सलिंग की गई।

तीन माही शिविर – सत्र 05–06 में 4, 06–07 में 3, 07–08 में 2, 08–09 में 1 शिविर लगाए गए एव क्रमशः प्रति शिविर 50 प्रतिशत बालको को शिक्षा की मुख्य धारा से औसतन जोडा गया। प्रत्येक शिविर में अधिकतम संख्या 30 होती है।

कौशल विकास (कम्प्यूटर प्रशिक्षण) – सत्र 07–08 की ग्रीष्मावकाश में 1 शिविर लगाए गया जिसमें 38 बालकों को लाभान्वित किया गया, सत्र 08–09 में 1 जिसमें 24 बालको को लाभान्वित किया गया।

होम बेस्ड एजुकेशन – निःशक्त बालको को घर पर पढाने के लिए केयर गिवर्स 06–07, 07–08 में 5–5 तथा 08–09 में 5 प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किये गये। प्रति केयर गिवर 6 बालक/बालिकाओं को सम्बलन देने हेतु दिया जाता है।

सन्दर्भ कक्ष – निःशक्त बालको को सम्बलन देने हेतु जिले के तीनों ब्लॉको में सन्दर्भ कक्ष बनाए गए जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री व्यवस्थित है। वर्तमान में तीनों ब्लॉकों में विशेष शिक्षक नियुक्त है।



ब्लॉकवार एवं श्रेणीवार विकलांग बच्चें

OH : Orthopedically Handicap, VI : Visually Impaired, MR

: Mentally Retarded, CP: Cerebral Palsy, HI : Hearing Impaired, MD : Multiple Disability, AUT : Autism, LD : Locomotors

Disability Block:- Jaisalmer

Year	OH			VI			MR			CP			HI			MD			AUT			LD			Total
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	
05-06	63	36	99	101	52	153	30	14	44	0	0	0	55	21	76	31	10	41	0	0	0	521	101	622	1035
06-07	99	38	137	98	41	139	102	37	139	42	18	60	82	20	102	69	27	96	49	19	68	102	44	146	887
07-08	91	30	121	98	31	129	52	21	73	41	19	60	66	26	92	69	27	96	68	28	96	272	57	329	996
08-09	145	98	243	200	99	299	13	8	21	0	0	0	35	16	51	19	11	30	0	0	0	210	92	302	946

Block:- Sam

Year	OH			VI			MR			CP			HI			MD			AUT			LD			Total
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	
05-06	83	21	104	98	43	141	29	12	41	0	0	0	51	18	69	71	21	92	0	0	0	375	72	447	894
06-07	91	27	118	102	44	146	96	43	139	36	17	53	87	16	103	93	32	125	48	16	64	109	37	146	894
07-08	82	28	110	101	26	127	91	27	118	32	13	45	61	26	87	93	32	125	38	11	49	251	74	325	986
08-09	71	35	106	219	52	271	38	20	58	0	0	0	77	31	108	39	17	56	0	0	0	216	136	352	951

Block:- Sakra

Year	OH			VI			MR			CP			HI			MD			AUT			LD		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
05-06	91	33	124	168	39	207	52	28	80	0	0	0	69	25	94	72	22	94	0	0	0	498	94	592
06-07	93	37	130	96	36	132	98	39	137	33	11	44	86	16	102	64	25	89	31	12	43	94	33	127
07-08	79	30	109	78	31	109	83	23	106	39	11	50	71	17	88	41	20	61	18	7	25	235	81	316
08-09	166	66	232	245	106	351	63	38	101	0	0	0	197	53	250	78	43	121	0	0	0	664	276	940

District Level



Year	OH			VI			MR			CP			HI			MD			AUT			LD		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
05-06	237	90	327	367	134	501	111	54	165	0	0	0	175	64	239	174	53	227	0	0	0	1394	267	1661
06-07	283	102	385	296	121	417	296	119	415	111	46	157	255	52	307	226	84	310	128	47	175	305	114	419
07-08	252	88	340	277	88	365	226	71	297	112	43	155	198	69	267	203	79	282	124	46	170	758	212	970
08-09	382	199	581	664	257	921	114	66	180	0	0	0	309	100	409	136	71	207	0	0	0	1090	504	1594

सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा इन बालक/बालिकाओं को एल्मिकों कानपुर के सहयोग से यथासंभव ट्राई साईकिल, व्हील चेयर, छड़ी, बैशाखी, सुनने की मशीन, चश्मे, ब्रेसलेट आदि देकर निःशक्तता दूर करने का प्रयास किया जाता है। अतः कतिपय वर्षों में कई विकलांगता श्रेणियों में संख्या कम हो जाती है।

विकलांगता के बालक/बालिकाओं के लिए परियोजना द्वारा होम बेस्ड एज्यूकेशन परियोजना के माध्यम से चलाया जाता है, उद्देश्य रहता है कि बालक किसी न किसी प्रकार से शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े।

पंचायत समितित्वार विद्यालय नही जाने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर बालक/बालिका

प्राथमिक स्तर



स्रोत:— एसएसए जैसलमेर

उपर्युक्त वृत्त चित्र देखने से विदित होता है कि जैसलमेर जिले में प्राथमिक स्तर पर सत्र 07-08 में कुल 2260 छात्र छात्राएं विद्यालय से बाहर थे, जबकि 08-09 में यह संख्या घटकर मात्र 644 रह गई, एक वर्ष में लगभग 71 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गई।

कारण —

01. राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील योजना लागू होना।
02. राजकीय विद्यालयों में निशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण।
03. एस.एस.ए. द्वारा आनंददायी शिक्षण के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण।
04. विद्यालयों में शिक्षण सुविधाओं का विस्तार होना।

उच्च प्राथमिक स्तर

इसी तरह उच्च प्राथमिक स्तर भी 2007-08 की तुलना में विद्यालय से बाहर बालक/बालिकाओं की संख्या कम हुई है। इसी तरह एक वर्ष में लगभग 60 प्रतिशत बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया, यह निम्न कारणों से संभव हुआ—

1. मुख्यमंत्री शिक्षा संबल महाअभियान के अन्तर्गत—


- शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित रहे बालक/बालिकाओं का सर्वे द्वारा चिन्हिकरण किया गया।
- चाईल्ड ट्रेकिंग के आधार पर चिन्हित बालक/बालिकाओं को इस अभियान के अन्तर्गत प्रवेश दिया गया।

2. राज्य सरकार द्वारा स्कूली बच्चों में मिड-डे मिल (पोषाहार) कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
3. सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालय भवनों को सुंदर व आकर्षक बनाया गया।
4. विद्यालयों में आनंददायी शिक्षण के प्रयास किये गये।

स्रोत-एसएसए जैसलमेर

Number of Habitations still not covered standard distance norms

Level	Norms (Distance)	Status
Primary	Within One Km	327 habitations
Upper Primary	Within Three Km	191 habitations
Secondary	Within Five Km	424 habitations




स्रोत-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं./माध्य.) जैसलमेर

उपर्युक्त चित्र से ज्ञात होता है कि जिले में कुल 327 वासस्थान ऐसे हैं जो प्राथमिक विद्यालय की एक किलोमीटर की दूरी के मानक को पूरा नहीं करते हैं। 191 वासस्थान ऐसे हैं जो उप्रावि की 3 किमी की दूरी के मानक को पूरा नहीं करते तथा 424 वासस्थान ऐसे हैं जो माध्यमिक विद्यालय की 5 किमी की दूरी के मानक को पूरा नहीं करते हैं, यद्यपि विभाग द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्रमशः 217, 76 एवं 67 विद्यालयों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं।

जिले में कुल 751 आबाद ग्राम हैं जिसमें मात्र 376 राजस्व गांवों में ही उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा है शेष 375 राजस्व गांवों में उप्रावि की सुविधा नहीं है। समस्त राजस्व गांवों में उच्च प्राथमिक का क्षेत्र विकसित करने से प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की ट्रांजिक्शन रेट भी अधिक आएगी एवं जेण्डर गैप भी कम हो सकेगा तथा भविष्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के क्रमोन्नयन के लिए भी गुणात्मक एवं परिमाणात्मक आधार बन सकेंगे।

Transition Rate (2008-09)									
स्तर	नामांकन			Transfer			प्रतिशत		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T
प्रा से उप्रा	7187	4598	11785	6310	2653	8963	87.80	57.70	76.05
उप्रा से सैकण्डरी	4346	1275	5621	3159	707	3866	72.68	55.45	68.77
सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी	2112	552	2664	1085	255	1340	51.37	46.19	50.3



स्रोत—जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं./माध्य.) जैसलमेर

उपर्युक्त चित्र से ज्ञात होता है कि 2008-09 में प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने वाले 76.08 प्रतिशत बालक/बालिकाएं हैं अर्थात् 24 प्रतिशत बालक बालिकाएं प्राथमिक कक्षाओं से उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, कारण निम्नलिखित है—

1. इसका मुख्य कारण समस्त गांवों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का न होना है।
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी ग्राम से अधिक होना।
3. जिले में बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या न्यून होना है।
4. विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होना है।

इसी तरह उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों में 68.77 प्रतिशत बालक-बालिकाओं ने प्रवेश लिया है, लगभग 31 प्रतिशत बालक-बालिकाएं किन्हीं कारणों से आगे नहीं पढ पाते हैं,

कारण :

1. जिले में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या न्यून होना, वर्तमान में जिले में मात्र 55 माध्यमिक विद्यालय हैं।
2. बालिका माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अत्यन्त न्यून होना, वर्तमान में जिले में मात्र 5 बालिका माध्यमिक विद्यालय हैं (जिले के 5 को छोड़कर शेष 123 समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भी माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं।)

3. उच्च प्राथमिक स्तर के बाद रोजगार आदि के कारणों से भी छात्र विद्यालय छोड़ देते हैं।
 4. बाल-विवाह कुप्रथा आदि कारणों से भी बालक-बालिकाएँ विद्यालय परित्याग करते हैं।
- माध्यमिक से उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की संख्या तो मात्र 50.30 प्रतिशत ही है, अर्थात् लगभग आधे छात्र-छात्राये कक्षा 10 वीं के पश्चात् विद्यालय छोड़ देते हैं।
1. जिले में उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नेटवर्क बहुत कम है, वर्तमान में जैसलमेर जिले में 24 उच्च माध्यमिक विद्यालय है।
 2. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जिले में मात्र 2 ही है और वह भी शहरी क्षेत्र में। गांव में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या शून्य के बराबर है।
 3. इस आयु में बालक/बालिकाओं के विवाह होने अथवा रोजगार आदि के कारण वे विद्यालय परित्याग कर देते हैं।

जेण्डर गैप—

प्रा से उप्रा	30.09 %
उप्रा से सैकण्डरी	17.23 %
सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी	5.18 %

स्रोत—जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं./माध्य.) जैसलमेर

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जैसे-जैसे छात्र छात्राएं आगे पढते हैं, जेण्डर गैप कम हो जाता है। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पहुंचने पर जेण्डर गैप 30.09 प्रतिशत है, वहां उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों में 17.23 प्रतिशत है एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में पहुंचने पर मात्र 5.18 प्रतिशत रह जाता है। इसका मुख्य कारण

01. बालिका विद्यालयों की संख्या न्यून होना है।
02. बालिकाओं का ठहराव कम होना।
03. बालिकाओं का ड्रॉप आऊट अधिक रहना।

उच्च शिक्षा

tSlyesj ftys esa mPp f'k{kk ds rhu dkWyst gSA ftyk eq[;ky; ij ,l-ch-ds-jktdh; LukrdksYkj egkfo|ky;] tks ftys dk ,dek= LukrdksYkj egkfo|ky; gSA ftyk eq[;ky; ij gh ,d Lukrd Lrj dk efgyk egkfo|ky; gS rFkk ftyk eq[;ky; ls 110 fdyksehVj nwj fLFkr ikdsj.k dLcs esa ,d lgf'k{kk dk Lukrd Lrj dk egkfo|ky; gSA

ijh{kk ifj.kke dh egkfo|ky; okj lwpuk

एस0बी0के0 राज0 स्नातकोत्तर महा0				श्री मिश्रीमल सांवल राज0 महिला महा0			राज0 महावि	
Ok"KZ	izfo"B	mYkh.kZ	ijh{kk ifj.kke ¼izfr'kr esa½	izfo"B	mYkh.kZ	ijh{kk ifj.kke ¼izfr'kr esa½	izfo"B	mYk
2004-05	553	443	80.11	142	137	96.48	0	0
2005-06	548	428	78.10	115	110	95.65	0	0
2006-07	552	407	73.73	102	98	96.08	64	50
2007-08	503	397	78.93	84	81	96.43	139	11
2008-09	472	415	87.92	87	84	96.55	192	18

अध्याय – 3

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

जिले की भौगोलिक स्थिति अत्यन्त ही विषम एवं क्षेत्रफल विशाल है। एक गांव से दूसरे गांव की दूरियां अधिक है। जनसंख्या का घनत्व मात्र 13 प्रतिवर्ग किमी है।

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	एक संस्थान हेतु जनसंख्या		कुल संख्या	औसत दूरी	स्वास्थ्य संस्थान के अधीन औसत गांवों की संख्या	कवरेज क्षेत्रफल (प्रति वर्ग कि.मी.)
		निर्धारित मापदण्ड	वास्तविक				
1.	उपस्वास्थ्य केन्द्र	3000	3152	137	20-25 किमी	5.7	280.23
2.	प्राथ.स्वा.केन्द्र	20000	31853	14	30-10 किमी	56.2	2742.28
3.	सामु.स्वा.केन्द्र	80000	75118	6	50-60 किमी	131.16	6398.66

जिले की उपरोक्त स्थिति के मध्य नजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थान खोलने का नोर्म इस जिले के लिये जनसंख्या आधारित न होकर दूरी के हिसाब से होने पर ही सम्पूर्ण जिले में स्वास्थ्य सेवायें बेहतर की जा सकती है।

अतः जिले की जनता को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :-

1. जिले का सीमावर्ती क्षेत्र रेगिस्तानी एवं दुर्गम होने के कारण उक्त क्षेत्र के लिये अलग से टारगेट को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाई जा कर कवरेज किया जावे।

2. जिले में खुले हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थान का समानीकरण कर संस्थान दूरी व जनसंख्या के आधार पर नियत करने की आवश्यकता है।

1. दुर्गम व विशाल क्षेत्र के कारण जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थान निम्नानुसार और स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है। विशेष कर जिले का उतर-पश्चिमी भाग नहरी क्षेत्र करीब 10,000 वर्ग किमी है। जहां अन्य जिलों के लोग भी रहने लगे है एवं काश्त करते है। नहरी क्षेत्र में पानी के लीकेज, वनस्पति के बहने से मलेरिया एवं अन्य बीमारियों का प्रकोप अधिक रहता है। विशाल नहरी क्षेत्र में विभागीय संस्थान खुले हुए नहीं होने से उस क्षेत्र की जनसंख्या का कवरेज नहीं हो पाता

- | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|---------|-----------|
| 1. उपकेन्द्र | - | 50 :- नहरी क्षेत्र में | - | 15 |
| | | सीमावर्ती क्षेत्र में | - | 15 |
| | | अन्य क्षेत्र में | - | 20 |
| 2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | - | 06 :- सुल्ताना, | चांधन, | राजमथाई |
| | | | भैसडा, | भारेवाला। |
| 3. सामु.स्वा.केन्द्र, | | 03 :- फलसूंड, | फतेहगढ, | नोख |

जिले में वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं :-

क्र.सं.	विवरण	नम्बर
1	अस्पताल 50 बैड	1
2	अस्पताल 30 बैड	5
3	अस्पताल 150 बैड	1
4	अस्पताल 6 बैड	14
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	14
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	6

7	उप केन्द्र	137
8	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र	1
9	पोस्टमार्टम सैन्टर	2
10	आंगनबाडी केन्द्र	485
11	अप्रशिक्षित बर्थ अटेण्डेन्ट्स	215
12	ई.एस.आई.अस्पताल	0
13	पशु चिकित्सालय श्रेणी - 1	2
14	पशु चिकित्सालय	32
15	पशु उप केन्द्र	16
16	जिला रोग निदान प्रयोगशाला यूनानी / होम्योपैथिक	1
17	आयुर्वेदिक / होस्पिटल	37

जिले में एक राजकीय जिला अस्पताल 150 बेडेड, एक सीएचसी 50 बेडेड, उप खण्ड मुख्यालय पोकरण एवं 05 सीएचसी 30 बेडेड एवं 14 पीएचसी 6 बेडेड स्वीकृत है। जिले की जनसंख्या 5,08,247 (सेन्सस 2001) के नोर्म 100000 जनसंख्या पर सीएचसी व 3000 जनसंख्या पर पीएचसी संस्थान नोर्म अनुसार खुले हुए है। परन्तु इस जिले की विषम भोगोलिक स्थिति एवं जनसंख्या के कम घनत्व एवं विशाल क्षेत्रफल के आधार पर आवश्यक है कि इस जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सम्पूर्ण कवरेज के लिए जनसंख्या के नोर्म के बजाय दूरी एवं दुर्गम क्षेत्र आधारित संसागिन स्वीकृत किये जाने चाहिये। इस आधार पर निम्नानुसार और अधिक स्वास्थ्य संस्थानों के स्वीकृति की आवश्यकता प्रतीत होती है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र - 50

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - 03

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 06

जैसलमेर जिले में निजी अस्पताल / क्लीनिक एवं उनमें सुविधाएं।

क्र.स.	अस्पताल / क्लीनिक का नाम	बैड	सुविधाएं
1-	माहेश्वरी अस्पताल	100 बैड	एक्स-रे, सोनाग्राफी, लैब
2-	बचपन क्लीनिक	-	एक्स-रे, सोनाग्राफी,
3-	प्राची क्लीनिक	-	एक्स-रे, सोनाग्राफी, लैब

बैड संख्या :- जैसलमेर जिले में विभिन्न संस्थानों में बैडों की संख्या निम्न प्रकार है :-

क्र.स.	संस्थान / अस्पताल का नाम	बैडों की संख्या
1	जिला अस्पताल	150
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - 5	200
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 14	82



उपकरण एवं सुविधाएँ :- जैसलमेर जिले में उपकरण एवं विभिन्न सुविधाएँ अस्पतालों एवं सरस्थानों में उपलब्ध कराये गये हैं जिससे स्वास्थ्य कार्य सुगमता से कार्यरत रहे। इनकी जानकारी निम्नानुसार है।

S.N.	Name of Item	Unit	Available (Number)	Function (Number)
1	Ambulance	5	8	6
2	B.P.Apparatus	310	335	310
3	Weight Machine	302	309	300
4	Microscope & lab.Equipment etc.	21	31	24
5	Auto Clove	7	5	4
6	Oxygen Cylinder	21	40	30
7	MTP Suction Apparatus	2	4	4
8	ILR	21	43	41
9	Deep Freezer	21	44	39
10	Cold Box	1	10	10
11	Refrigerator	8	13	11
12	X-Ray Machine	5	5	3
13	Laparoscope	2	4	3


स्टॉफ :- जैसलमेर जिले में विभिन्न संस्थानों/अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ देने हेतु कार्यरत स्टाफ की जानकारी निम्नानुसार है :-



क्र.स.	स्टॉफ का वर्गीकरण	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	चिकित्सा अधिकारी			
	स्पेशलिस्ट			
	1. एनेस्थेसिस्ट	1	1	—
	2. गायनोलोजिस्ट	3	3	—
2	3. पेडियाट्रिशियन	2	2	—
	4. पैथोलोजिस्ट	1	1	—
	5. डेन्टल सर्जन	3	2	1
	6. सर्जन	7	2	5
3	स्टॉफ नर्स/नर्स मिडवाइफ	69	60	9
4	फार्मासिस्ट/कम्पाउण्डर	3	—	3
5	लैब टेक्नीशियन/लैब सहायक	24	12	12
6	रेडियोग्राफर	6	2	4
7	कम्प्यूटर	1	—	1
8	वाहन चालक	11	11	—

9	पैरामेडिकल सुपरवाइजर			
	मलेरिया इन्सपेक्टर	3	2	1
	बी.एस.एस.मेल / फिमेल	4	2	2
	पीएचएच / एलएचवी / एसएसएसए	17	14	3
10	मल्टीपरपज वर्कर			
	एमपीडब्ल्यू (मेल)	19	19	—
	एमपीडब्ल्यू (फिमेल)	308	247	61

जिले में विशेषकर स्वीकृत विशेषज्ञों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पदों के विरुद्ध उपरोक्तानुसार एक डेन्टल सर्जन, 05 सर्जन, 09 स्टाफ नर्स, 12 लैब टैक्निशियन के पद रिक्त चल रहे हैं। इसमें से जिले में स्वीकृत 04 एफआरयू केन्द्रों पर 03 में स्त्री रोग, बाल रोग एवं एनेस्थेशिया के पद ही स्वीकृत नहीं हैं।



स्वास्थ्य संस्थान/अस्पताल : — स्वास्थ्य हेतु जैसलमेर जिले में निर्मित संस्थान एवं अस्पतालो की सूची निम्नानुसार है। :-



1. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं :-

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसवोत्तर सेवायें, नवजात की देख रेख एवं परिवार नियोजन सम्मिलित है। माताओं और बच्चों को जरूरी सेवाएं पहुंचाना, जटिलताओं को पहचान कर उन्हें रेफरल सुविधायें उपलब्ध कराई गई है। जैसलमेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सृष्टीकरण हेतु मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस का आयोजन प्रत्येक गुरुवार को आंगनवाडी केन्द्रों पर किया जाता है। इसके अन्तर्गत उपकेन्द्रवार माइक्रोप्लान की संरचना की गई है, जिसमें प्रत्येक गुरुवार को निश्चित ग्राम में स्वास्थ्य कर्ता द्वारा मातृ एवं शिशु स्वा. दिवस मनाया जाता है। इस माइक्रोप्लान में सभी छोटे-बड़े गाँवों को सम्मिलित किया गया है। दूर दराज व कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में यह आयोजन द्विमासिक आधार पर किया जाता है।



मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस में की जानी वाली गतिविधियों निम्नानुसार है:-

- ◆ गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण।
- ◆ पूर्व में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच टीकाकरण एवं आयरन की गोली वितरण।


- ◆ गर्भ के दौरान होने वाली जटिलताओं की पहचान एवं संस्थागत प्रसव हेतु सलाह एवं परामर्श।
- ◆ नवजात शिशुओं का पंजीयन एवं टीकाकरण।
- ◆ गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों की जांच एवं उपचार एवं पौष्टिक आहार की जानकारी।
- ◆ 0-5 वर्ष की आयु के बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण।
- ◆ योग्य दम्पतियों की अन्तराल साधनों की उपलब्धता।
- ◆ ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक।
- ◆ मातृ एवं शिशु स्वा. दिवस की प्रगति रजिस्टर में अंकन

इसके लिए जिला स्तर पर रूटीन इम्यूनाईजेशन मैनेजमेन्ट सिस्टम (RIM) द्वारा आंकड़ों को ऑनलाईन संधारित किया जाता है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस के दिन टीकाकरण हेतु वैक्सीन आपूर्ति के लिए संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाई जाती है। इस हेतु अलग से मोबिलिटी मद में अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है।


जिले में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण की स्थिति

क्र. सं.	प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण	2007			2008			2009		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
i	कुल संख्या	18030	17933	99.46	21454	15172	70.71	22337	18715	83.78
ii	12 सप्ताह के भीतर	18030	6108	33.87	21545	5623	26.09	22337	6941	31.07
iii	प्रसवपूर्व तीन चैक अप	18030	6108	33.87	21454	10746	50.08	22337	12728	56.98



(आंकड़ों का स्रोत :- विभागीय रिपोर्ट)

क्र. सं.	प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण	डीएलएचएस - 3		डीएलएचएस - 2	
		कुल	ग्रामीण	कुल	ग्रामीण
ii	12 सप्ताह के भीतर	24.2	22.7	—	—
iii	प्रसवपूर्व तीन चैक अप	18.5	16.6	19.6	16.2



जिले में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण एवं 3 बार चैक अप करवाने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जहां वर्ष 2007 में 33.87 प्रतिशत थी वहीं वर्ष 2009 में बढ़कर 56.98 प्रतिशत दर्ज रही है। जबकि डीएलएचएस- 3 सर्वे के अनुसार जैसलमेर जिले में 12 सप्ताह के भीतर पंजीकरण 24.20 प्रतिशत है एवं प्रसवपूर्व तीन जांच करवाने की प्रवृत्ति 18.05 प्रतिशत आंकी गई है। जबकि राजस्थान का डीएलएचएस 3 के अनुसार 28.8 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का 3 चैक अप करने का प्रतिशत है। जिले में महिलाओं में प्रसवपूर्व जांच एवं पंजीकरण करवाने की प्रवृत्ति में कमी होना जिले की विषम एवं भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण स्वास्थ्य कर्मियों की पहुंच मुश्किल से हो पाती है। इस हेतु



प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण एवं प्रसव पूर्व सेवायें प्रदान की जानी अपेक्षित है।

जिले में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की सूचना

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2006-07			वर्ष 2007-08			वर्ष 2008-09		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	टी.टी.1 गर्भवती महिलाएं	18030	11182	62.02	21454	17138	79.88	22337	16492	73.83

क्र.सं.	विवरण	2007	2008	2009
1	गर्भवती महिला को आईरन की 100 गोलियाँ	11686	11116	15003
2	गर्भवती को आईरन की 200 गोलियाँ	6833	6828	6812


जिले में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण वर्ष 2007 में 62.02 प्रतिशत रहा जबकि वर्ष 2008 एवं 2009 में निरन्तर बढ़ोतरी दर्ज करते हुए क्रमशः 79.88 व 73.83 प्रतिशत रहा है। जिले में गर्भवती महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा आईरन गोलियों का सेवन निरन्तर बढ़ा है जिसके कारण एनिमिया के कैंसेज में कमी हुई है।

जिले में संस्थाओं/अस्पतालों में हुई प्रसव की सूचना (वर्ष 2007-08 व 2008-09 में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2007-08			वर्ष 2008-09		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	संस्थागत प्रसव	20303	5453	26.85	20303	6230	30.68

विभिन्न संस्थानों पर हुए प्रसवों की सूचना वर्ष 2007-08 व 2008-09


क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09
1	सब सेन्टर	669	727
2	प्रा.स्वा.केन्द्र	1174	1537
3	सा.स्वा.केन्द्र	1333	1600
4	श्रीजवाहिर हास्पिटल	2135	2279
5	अन्य सरकारी संस्थान	142	87
	योग	5453	6230



संस्थागत प्रसव डीएलएचएस- 2 के राजस्थान के 30.3 प्रतिशत के मुकाबले में 2008-09 में आंशिक वृद्धि दर्ज हुई है। जिले में 2008-09 वर्ष में कुल 30.68 प्रतिशत संस्थागत प्रसव हुए हैं। जिले में गर्भवती महिलाओं की अस्पतालों/संस्थाओं में प्रसव हेतु प्रेरित करने के लिए "जननी सुरक्षा योजना" क्रियान्वित है। इसके अन्तर्गत -

- गर्भवती महिला को प्रसव होने के बाद 24 घंटे अस्पताल में रुकने पर एवं ए.एन.सी. कार्ड उपलब्ध होने पर 1400 रु व शहरी क्षेत्र में 1000 रु की प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिया जाता है।
- जिले में स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आशा सहयोगिनी की अनुपलब्धता के चलते प्रसव हेतु महिलाओं को प्रेरित कर अस्पताल तक लाने हेतु प्रशिक्षित दाई को जिम्मेदारी दी गई है।
- आशा सहयोगिनी/प्रशिक्षित दाई को गर्भवती महिला के साथ आने पर 200 रु. का क्षतिपूर्ति राशि व ग्रामीण क्षेत्र में 300 रु रैफरल सपोर्ट की राशि दी जाती है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा जीवित जन्म प्रसवों में बढ़ोतरी हुई है एवं मृत जन्म एवं गर्भपात में कमी आई है।
(आंकड़ों का स्रोत :- विभागीय रिपोर्ट)



जिले में गर्भवती महिलाओं की आउटकम व बर्थ आर्डर की रिपोर्ट

क्र.स.	विवरण	2007	2008	2009
अ	गर्भ का आउट कम			
	1- जीवित जन्म	10308	15356	14436
	बालक	5718	8031	7435
	बालिका	4590	7325	7001
	2- मृतजन्म बालक	286	256	284
	3- गर्भपात	122	113	98
ब	जीवित जन्म का बर्थ आर्डर			
	1. पहला बच्चा	2856	4497	3416
	2. दूसरा बच्चा	3020	4262	3880
	3. तीसरा बच्चा या उससे ज्यादा	4432	6597	7140

मातृ मृत्यु – जिले में मातृ मृत्यु की संख्या

क्र.स.	मातृ मृत्यु	2007	2008	2009
1	गर्भ के दौरान	7	5	4
2	प्रसव के दौरान	3	3	3
3	प्रसव के छः सप्ताह के भीतर	5	6	5
	कुल योग	15	14	12

राजस्थान राज्य की मातृ मृत्यु दर 445 है। अभी एसआरएस के नवीनतम आकड़ों के अनुसार 2007-08 में 388 आंकी गई है। यद्यपि जिले में मातृ मृत्यु दर के विश्वसनीय आकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु मातृ मृत्यु की संख्या निरन्तर घटकर वर्ष 2009 में 12 हो गई है। जिनमें वर्ष 2009 प्रसव के छः सप्ताह के भीतर मातृ मृत्यु में कमी पाई गई है। मातृ मृत्यु ज्यादातर प्रसव के 6 सप्ताह के भीतर पाई गई है।

मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए रणनीति

जैसलमेर जिले में मातृ मृत्यु को कम करने के लिए निम्न उपाय किये जाने चाहिये :-

1. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा :-

जिले में संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी के लिये अधिकाधिक संस्थाओं को सुविधा सम्पन्न करना है। इसके लिए प्रत्येक संस्थान पर लेबर रूम का होना आवश्यक है। वर्तमान में इस जिले के समस्त सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लेबर रूम निर्मित है। खण्ड जैसलमेर व खण्ड सम के 80 अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर लेबर रूम का निर्माण कर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मद से आवश्यक उपकरण आदि उपलब्ध करवा दिये गये हैं।

शेष उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी लेबर रूम निर्मित करवाकर उन्हें प्रसव के लिए चिन्हित करना है। उप स्वास्थ्य केन्द्र की एनएम को स्किल बर्ड अटैण्डेन्ट का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वर्तमान में एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना में संस्थागत प्रसव पर नगद राशि दी जा रही है। संस्थागत प्रसव के लिए आशा के अतिरिक्त प्रशिक्षित दाई को भी प्रेरक राशि दी जा रही है।

जिले में समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर लेबर रूम का निर्माण करवाकर, व्यापक प्रचार-प्रसार से महिलाओं को अधिकाधिक प्रेरित कर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जायेगा।

2. ए.एन.एम व पी.एन.सी. चेकअप :-

जिले में योग्य दम्पति सर्वे के दौरान फील्ड स्टाफ द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये सर्वे में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कर उप केन्द्र स्वास्थ्य पंजिका में इन्द्राज किया गया है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से सभी गर्भवती महिलाओं की जाँच एवं आयरन की गोलियों, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण एवं नवजात शिशु का आवश्यक टीकाकरण किया जा रहा है।

3. फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण :-

जिले में कार्यरत समस्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समय-समय पर आईएमएनसीआई, नियमित टीकाकरण एवं आईसीडी का प्रशिक्षण आयोजित कर उनकी कार्यक्षमता का वर्धन किया जा रहा है।

4. सभी सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लेडी डाक्टर की पदस्थापना :-

जिले में साक्षरता दर कम होने से महिलाएँ पुराने विचारों की होने से पुरुष चिकित्सकों से चेक अप के लिए संकोच करती हैं एवं अपनी कोई भी बीमारी खुल कर नहीं बतला पाती हैं। अतः ऐसी स्थिति में इस जिले के प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक लेडी डाक्टर की पदस्थापना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही एफआरयू को क्रियाशील बनाकर नवजात शिशु केयर यूनिट की स्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक आवश्यक है।

5. जमीन स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता :- आशा सहयोगिनी, प्रशिक्षित दाई, एएनएम, आंगनबाडी कार्यकर्ता में आपसी समन्वय, बैठके एवं समन्वित प्रयास आवश्यक है।

6. किशोरी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना :-

जिले में बालिका शिक्षा की दर कम है, अतः समस्त बालिकाओं को शिक्षित करने से वे अपने भावी जीवन में स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक होगी। अतः किशोरी बालिका परामर्श दात्री द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है।

7. कम उम्र में शादी :-

अभी तक जिले में अज्ञानता एवं रूढ़िवादिता के कारण कम उम्र में लडके/लडकियों की शादी करने से उनके स्वास्थ्य में अपरिपक्वता के कारण कई जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं।

8. सभी संस्थानों पर एम्बूलेस की सुविधा :-

जिले के प्रत्येक संस्थान पर महिलाओं के जटिल प्रसव होने पर एफ.आर.यू. में तुरन्त ही रेफर पर एक एम्बूलेस की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि प्रसव में महिला की कोई जनहानि नहीं हो और सभी प्रकार की सुविधाएँ भी प्रदान की जा रही हैं।


9. पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका :-

एनआरएचएम के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य समिति का गठन कर ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढीकरण किया जा रहा है। इस हेतु अनटाईडफण्ड की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन ग्राम स्तरीय सदस्यों का आमुखीकरण एवं क्षमतावर्द्धन अतिआवश्यक है। तभी आवश्यकता आधारित स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित की जा सकेगी। ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियों का सकारात्मक सहयोग एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता होने पर ही संस्थागत प्रसव को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही जिले के विस्तृत भू भाग को देखते हुये रैफरल सुविधाओं के लिये माइक्रोप्लानिंग की अतिआवश्यकता है।

जनसंख्या स्थायित्व – परिवार कल्याण

जैसलमेर जिले की भौगोलिक स्थिति विषम व क्षेत्रफल विशाल है। जनसंख्या का घनत्व मात्र 13 प्रति वर्ग कि. मी. है। गत चार दशक वर्षों में जिले की जनसंख्या में बहुत ही वृद्धि हुई है।

जिले की दशकीय जनसंख्या



जैसलमेर जिले की जनसंख्या वर्ष 1971 में 218773 थी। जो 10 वर्षों के बाद 1981 में बढ़कर 243082 हो गई है। यह वृद्धि 11.11 प्रतिशत है। वर्ष 1991 में जनसंख्या 344517 हुई है। जो 14.72 प्रतिशत बढ़ोतरी है। इस प्रकार वर्ष 2001 में जिले की जनसंख्या 508245 हो गई। जो 1991 की जनसंख्या का 47.52 प्रतिशत वृद्धि है।

जिले का कुल फर्टिलिटी रेट (TFR) District Level House Hold Survey – 03 में 4.52 बताया गया है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष (2011–12) में 2.1 तक लाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष (07–08) में टीएफआर 3.48 एवं वर्ष (08–09) में 3.14 तक लाने का लक्ष्य है। राजस्थान राज्य का वर्तमान में टीएफआर 3.2 है। अतः उपरोक्त तुलनात्मक आंकड़े अवगत कराते हैं कि जनसंख्या स्थायित्व में ठोस योजना बनाकर क्रियान्विति करने से ही लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।

जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर का शुभारम्भ वर्ष 1989 में होने के बाद मुख्य नहर के आस पास काफी डिस्ट्रीब्यूटरी आदि का निर्माण हुआ है। इस जिले में आस पास के जिलों के लोगों का खेती करने के कारण अस्थायी/स्थायी रूप से निवास हुआ है। नहरी क्षेत्र के करीब 10000 वर्ग किमी में खेती हो रही है। इसके अलावा जिले में अर्द्धसैन्य बल व सैन्य बलों में वृद्धि हुई है। अतः जनगणना में उनका भी समावेश होने से जनसंख्या में अधिक वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि वास्तविक जिले की मूल जनसंख्या में इतनी वृद्धि नहीं है। फिर भी जनसंख्या स्थायित्व के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय लक्ष्यों तक पहुँचने के लिये उचित कार्य योजना बनाकर जिले में कार्यवाही की जानी है।

परिवार कल्याण (वर्तमान में शादी शुदा महिलाये 15–49 वर्ष आयु)


वर्तमान में उपयोग किये जा रहे साधन

Particulars	DLHS - 3		DLHS - 2	
	Total	Rural	Total	Rural
कोई भी साधन (प्रतिशत)	51.1	48.8	28.2	22.9
कोई भी आधुनिक साधन (प्रतिशत)	47.5	45.1	26.9	21.6
महिला नसबन्दी (प्रतिशत)	38.5	37.3	20.3	18.0
पुरुष नसबन्दी (प्रतिशत)	0.3	0.3	0.6	0.1
कॉपर टी (प्रतिशत)	1.9	2.0	1.6	1.1
गर्भ निरोधक गोलियाँ (प्रतिशत)	2.0	1.5	1.5	1.0
निरोध (प्रतिशत)	4.7	4.0	2.8	1.3
परिवार कल्याण हेतु अनापूरित मांग				
कुल अनापूरित मांग (प्रतिशत)	20.9	21.8	26.1	28.7
अन्तराल साधन (प्रतिशत)	10.0	10.5	6.6	7.7
स्थायी साधन (प्रतिशत)	10.9	11.3	19.5	21.0



डी.एल.एच.एस. 2-3 का तुलनात्मक विवरण

परिवार कल्याण अन्तराल साधन

1	कोई भी साधन	22.9 वृद्धि
2	कोई भी आधुनिक साधन	20.5 वृद्धि
3	महिला नसबंदी	18.2 वृद्धि
4	पुरुष नसबंदी	0.3 कमी
5	आई.यू.डी.	0.3 वृद्धि
6	ऑरल पिल्स	0.5 वृद्धि
7	निरोध	1.9 वृद्धि



सर्वे के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत आम लोगों में अन्तराल साधन अपनाने के रुझान में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि किसी भी साधन के अपनाने में 22.9, किसी भी आधुनिक साधन के अपनाने में 20.5, महिला नसबंदी में 18.2, आई.यू.डी. निवेशन में 0.5 एवं निरोध प्रयोगकर्ता में 1.9 की दर्ज है। मात्र पुरुष नसबंदी में रुझान 0.3 की कमी दर्ज है।



मलेरिया

जैसलमेर जिले में गत तीन वर्षों में ब्लॉक वार पाये गये मलेरिया कैसेज का विवरण निम्न प्रकार से है :-

ब्लॉक	वर्ष 2006	2007	2008
जैसलमेर	2878	1915	661
सम	241	353	122
सांकडा	5037	1612	1352
योग	9156	3880	2135

गत तीन वर्षों में माहवार जिले में पाये गये मलेरिया कैसेज निम्नानुसार है :-

माह	वर्ष 2006	2007	2008
जनवरी	58	161	43
फरवरी	56	105	16
मार्च	28	130	18
अप्रैल	55	356	78
मई	100	589	114
जून	35	524	76
जुलाई	51	479	125
अगस्त	156	490	186
सितम्बर	1740	420	1093
अक्टूबर	4179	355	254
नवम्बर	2287	170	93
दिसम्बर	411	101	39

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि जिले के खण्ड सांकडा में गत वर्ष में मलेरिया कैसेज में वृद्धि अन्य खण्डों से अधिक है।

गत तीन वर्षों में माहवार मलेरिया कैसेज की रिपोर्ट दर्शाती है कि मलेरिया कैसेज सितम्बर, अक्टूबर, व नवम्बर माह में अधिक पाये गये हैं। जिले की विषम भौगोलिक परिस्थिति विशाल क्षेत्रफल के कारण वर्षा बाद मलेरिया संवहन मौसम में मलेरिया कैसेज में वृद्धि हुई है।

जैसलमेर जिला मलेरिया एण्डेमिक क्षेत्र है। जिले में प्रतिवर्ष खण्ड से मलेरिया कैसेज निकलते रहते हैं। जिले की मलेरिया एपीडेमिक लोजिकल रिपोर्ट वर्ष 1977 से आज तक का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है वर्ष 1977 में कुल मलेरिया 922 कैस निकले थे। वर्ष 1983 में कुल मलेरिया कैसेज 857 निकलने के पश्चात् वर्ष 1989 तक निरन्तर गिरावट रही है। वर्ष 1989 के बाद जिले में मलेरिया कैसेज अपेक्षाकृत अधिक पाये गये हैं। वर्ष 1994 में इस जिले में मलेरिया एपीडेमिक होने से कुल 19023 (12998 पी.एफ. व 6025 पी.वी.) मलेरिया कैसेज पाये गये थे।

जिले में वर्ष 1995 में 15540, वर्ष 2001 में 14948, वर्ष 2003 में 18006 एवं वर्ष 2004 में 16078 मलेरिया कैसेज पाये गये थे। वर्ष 2004 के पश्चात् जिले में मलेरिया कैसेज के ट्रेण्ड में कमी आई है।

जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर जिले के उत्तर पूर्व से उत्तर दक्षिण में बहती है। मुख्य नहर की लम्बाई 128 किमी है। परन्तु मुख्य नहर के आस-पास 1437.75 किमी वितरिकाएं बनी हुई हैं। नहरी क्षेत्र करीब 10,000 व.कि.मी. क्षेत्र में इस जिले के साथ अन्य जिलों के लोग भी स्थाई/अस्थायी रूप से खेती करने के लिये निवास करते हैं। विशाल नहरी क्षेत्र में विभागीय संस्थान स्वीकृत नहीं है। नहरी क्षेत्र में पानी के हिसाब व वनस्पति के बढ़ने के कारण मलेरिया व अन्य बीमारियों के बढ़ने की सम्भावना बढ़ गयी है। अतः जिले के लोगों का नहरी क्षेत्र से अपने गांव में लगातार आवाजाही भी रोग को फैलाने में पूर्ण सहायक है। ऐसी स्थिति में नहरी क्षेत्र में रोग के बचाव एवं नियंत्रण

के विभिन्न उपायो की सुचारु क्रियान्विति करने की आवश्यकता है। नहरी क्षेत्र में आवश्यकतानुसार फील्ड लगातार सर्वेक्षण गतिविधियों सतत चालू करने से रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

जिले के अधिकांश भागों में लोग अपने खेतों पर घर बनाकर स्थाई निवास करते हैं। जिले में पानी के अभाव के कारण प्रत्येक घर में पानी संग्रह हेतु टांको का निर्माण करवाते हैं। इन घरेलू टांकों में लार्वा के पनपने से मलेरिया कैसेज को पनपने का मौका मिलता है। अतः लोगों को अपने घरेलू टांकों में ढक्कन को बंद रखने एवं एण्टी लार्वा कार्यवाही के अन्तर्गत टेमोफोस डालने के संबंध में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। फील्ड स्टॉफ द्वारा अपने विशाल क्षेत्रफल के कारण प्रत्येक घर में जाकर घरेलू टांकों में एण्टी लार्वा मीजर्स के तहत टामोफोस आदि नोर्म अनुसार डालने की कार्यवाही संभव नहीं लगती है। अतः जब तक ग्रामीण खुद पहल कर इस कार्यावाही को सम्पादित नहीं करेंगे। तक तक मलेरिया पर पूर्ण काबू पाना सफल नहीं होगा।

मलेरिया रोकथाम हेतु जिले में मलेरिया रोधी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसकी गतिविधियां निम्नानुसार है :-

1. सर्वेक्षण कार्य/उपचार :- एकटिव केस डिटेक्शन के तहत कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर बुखार रोगियों का सर्वेक्षण कर रक्त पट्टिकाओं का संचयन किया जा रहा है।
2. पेसिव केस डिटेक्शन :- पेसिव केस डिटेक्शन के तहत सभी चिकित्सा संस्थाओं पर बुखार के सभी रोगियों की रक्त पट्टिकाएं संचित कर उनका त्वरित मलेरिया प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। रक्त पट्टिकाओं में मलेरिया पोजीटिव पाये गये रोगियों को आमूल उपचार दिया जा रहा है। जिले में वर्तमान में 21 मलेरिया क्लीनिक कार्यरत है।
- 3- एण्टी लार्वा मीजर्स :- जिले में एण्टी लार्वा मीजर्स के अंतर्गत फील्ड स्टॉफ को नियमित यथेष्ट मात्रा में टेमोफोस की सप्लाई दी जाती है। फील्ड स्टाफ अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान घरेलू टांकों में टेमोफोस डालने का कार्य कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में इकट्ठे हुए पानी में मलेरिया ऑयल भी फील्ड स्टॉफ द्वारा डाला जा रहा है।

जिले में वर्तमान में गम्बूसिया मछलियों के संग्रह एवं प्रजनन हेतु कुल 6 हेचरीज स्थापित की गई है। यह हेचरीज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोकरण, नाचना एवं मोहनगढ तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोख एवं देवा तथा देवीकोट में कार्यरत है। इन हेचरीज से लार्वा मछली गम्बूसिया मछलियां तालाबों, घरेलू टांकों आदि में डाली जाती है। इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण जिले में अधिकांश तालाब, खडीन आदि सूखे पड़े हुए हैं।

4. स्ट्रीब्यूटर केन्द्र :- वर्तमान में जिले में 510 दवाई वितरण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों पर ग्रामीणों को बुखार आने पर क्लोराक्वीन की गोलियां निःशुल्क उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इन केन्द्रों के संचालन कर्ता को दवाई का भरण संबंधित फील्ड स्टॉफ द्वारा नियमित करने की व्यवस्था है।
5. फीवर ट्रीटमेंट डिपों :- वर्तमान में जिले में 37 फीवर ट्रीटमेंट डिपों कार्यरत है जहां पर बुखार रोगियों को क्लोरोक्वीन गोलियां देकर उनकी रक्त पट्टिकाओं का संचयन किया जाता है। उक्त रक्त पट्टिकाओं संबंधित मलेरिया क्लीनिक में भेजकर जांच करवाई जा रही है।
6. कीटनाशक छिडकाव :- जिले में प्रतिवर्ष एपीआई (एन्यूल पेरसाईट इन्सीडेन्स) के आधार पर गांवों में कीटनाशक छिडकाव की योजना तैयार की जाती है।

वर्ष 2009 में जिले में कीटनाशकों के छिडकाव हेतु एपीआई के आधार पर खण्ड वार निम्नानुसार लक्ष्य रखा गया था :-

उपखण्ड	जनसंख्या	गांव
जैसलमेर	60967	45
सम	56451	79
पोकरण	146544	110
	कुल	234

प्रथम चक कीटनाशकों के छिडकाव में खण्डवार उपलब्धि निम्नानुसार रही है :-

उपखण्ड	जनसंख्या	गांव
जैसलमेर	60967	38

सम	54746	74
पोकरण	122585	93

कुल 205
आर.एच.एस.डी.पी, जैसलमेर एक नजर —:

जिला परियोजना प्रबन्धन प्रकोष्ठ (डी.पी.एम.सी.)

जिले में परियोजना के संचालन हेतु जिला स्तर पर इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है यह प्रकोष्ठ परियोजना की विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत प्रारूप तैयार कर डी.पी.सी.एम.सी. द्वारा अनुमोदन के पश्चात् जिले में क्रियान्विती सुनिश्चित करती है। श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर इस समिति के सदस्य सचिव है, व जिला परियोजना समन्वयक कार्यक्रम अधिकारी है।

गतिविधियां

जिले के 2 सामु.स्वा.केन्द्रों (पोकरण तथा रामगढ) तथा जिला अस्पताल जैसलमेर का चयन ।

परियोजना में वर्ष 2004-2005 से मार्च 09 तक निर्देशानुसार जैसलमेर जिले में निम्न गतिविधियों का संचालन किया गया है -

01 फर्निचर मरम्मत — इस गतिविधि के लिये चयनित 2 सामु. स्वा. केन्द्रों के फर्निचर मरम्मत हेतु प्रथम वर्ष में 800 रु. प्रति बेड से बजट आवंटित किया गया था। जिले में आवश्यकतानुसार यह कार्य सभी चयनित संस्थानों के प्रभारियों द्वारा करा लिया गया है। द्वितीय चरण में चयनित तीनों संस्थानों के प्रभारियों आवश्यकतानुसार मांग पर फर्निचर रिपेयर करवाया गया है।

बजट व्यय —03.30 लाख

02 उपकरण मरम्मत — तीनों संस्थानों के प्रभारियों आवश्यकतानुसार मांग पर उपकरण मरम्मत का कार्य करवाया गया है। ।

बजट व्यय —09.16 लाख

03 हॉस्पिटल सप्लाई — चयनित 03 चि. संस्थानों पर अस्पताल में काम में आने वाली सामग्री जैसे, गाउन, एप्रिन, टॉवेल, आई.ओ.एल, चप्पल, च्च केप बेड़ेज., ग्लव्स पाउडर एवं डेन्टल मटेरियल सप्लाई किये गये है।

बजट व्यय — रु. 07.44 लाख

4 कार्यालय व्यय — उपरोक्त चयनित 3 चिकित्सा संस्थानों के कार्यालयों के सुचारु संचालन के लिये प्रथम वर्ष में 30 बेड के अस्पताल हेतु 4000 रु. प्रतिमाह एवं 50 बेड के अस्पताल हेतु 6000 रु. प्रतिमाह बजट प्रावधान रखा गया था। इस मद में कार्यालय संचालन हेतु आवश्यक खर्च का भुगतान यथा टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, फैंक्स इत्यादि का भुगतान स्थानीय एम.आर.एस से करना था एवं इसका पुर्नभरण जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय जैसलमेर से किया जाना था। सभी संस्थानों से अब तक प्राप्त कार्यालय व्यय के बिलों का पुर्नभरण कर दिया गया है।

बजट व्यय— रु. 10.48 लाख

5 सिविल कार्य — चयनित 3 संस्थानों पर अस्पताल भवनो के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के अर्न्तगत में जिले में श्री जवाहिर चिकित्सालय एवं सा.स्वा केन्द्र पोकरण तथा रामगढ पर क्रमशः 150.00 लाख 73.00 लाख तथा 50.00 लाख रु. खर्च किया गया है।

बजट व्यय— 273.00 लाख

06 साईन बोर्ड — जिले के 2 सा. स्वा. केन्द्रों एवं एक जिला अस्पताल पर प्रथम वर्ष में ये बोर्ड लगाए गए है। 15x10 आकार के इन बोर्ड्स पर सम्बन्धित चिकित्सालय के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदर्शित की गई है।

07 सिटीजनस चार्टर — जिले के उपरोक्त 03 चिकित्सा संस्थानों पर नागरिक अधिकार पत्र उपलब्ध है। इन पुस्तिकाओं में सम्बन्धित चिकित्सालय के बारे में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। इस के साथ ही राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध योजनाएं एवं सुविधाओं के बारे में भी इसमें प्रकाश डाला गया है। नागरिक अधिकार पत्र पढ़ लेने के बाद अस्पताल में आने वाले रोगी को काफी सहायता व जानकारी मिल सकेगी व क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति में सुधार हो सकेगा।

08 जिला मुख्यालय पर होर्डिंग्स — जिला स्तर पर आर.एच.एस.डी.पी की गतिविधियों को प्रदर्शित करते 4 विशाल पलेक्सी शीट के होर्डिंग्स लगवाए गए हैं ये स्थान है — 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर 2 श्री जवाहिर चिकित्सालय 3 जिला कलक्ट्रेट के सामने 4 रोडवेज बस स्टैण्ड ।

09 लोकल मिडिया प्लान – आर.एच.एस.डी.पी की गतिविधियों के बारे में एवं स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता लाने हेतु निर्देशानुसार जिला स्तर पर स्थानीय माध्यमों से प्रचार – प्रसार का कार्यक्रम किया गया है लोकल मिडिया प्लान तैयार कर जिला कलक्टर महोदय द्वारा स्वीकृती के पश्चात् यह प्लान छळ्ळ के माध्यम से संपादित कराया गया है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के अनुमोदन के पश्चात् एवं प्राप्त निर्देशानुसार लोकल मिडिया प्लान की निम्न गतिविधियां आयोजित की गई – सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्राम सभाएं, प्रिन्टिंग/पेन्टिंग व स्वास्थ्य केन्द्रों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया गया है।

बजट व्यय – 02.55 लाख

10 कार्यशालाओं का आयोजन– गेर सरकारी संस्थाओं / भंड,सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों / रेफरल प्रोटोकॉल हेतु जिला अधिकारियों व सेवा प्राप्तकर्ताओंका आमुखीकरण इन कार्यशालाओं के माध्यम से किया गया है। द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिये मेजर स्टेक होल्डर एवं पी.आर.आई./एन.जी.ओ., क्वालिटी इम्प्रुवमेंट-वी.सी.डी.आदि सभी कार्यशालाएं आयोजित कर ली गई है।

बजट व्यय –02.79 लाख

11 एचएसआईटी टूलकिट ट्रेनिंग – 2008 में जिला स्तरीय एचएसआईटी टूलकिट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में जिले के 35 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

12 रेफरल प्रोटोकॉल – इस जिले में निदेशालय से प्राप्त रजिस्टर्स एवं पीले,लाल रेफरल एवं हरे फीड बैंक कार्ड सभी संस्थानों को पहुंचा दिये गये हैं। एवं नियमानुसार उपयोग में लिये जा रहे हैं।

13 प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य शिविर :श्रीमान परियोजना निदेशक महोदय के प्राप्त निर्देशानुसार प्रतिमाह 6 स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन कर बीपीएल एवं गरीब असहाय लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने तथा परियोजना के उद्देश्यों एवं स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करने बाबत आयोजन किये जा रहे हैं। अब तक जिले में कुल 147 स्वास्थ्य शिविरो के माध्यम 47426 मरीजों का मुफ्त जांच एवं उपचार किया गया। जिनमें 18328 पुरुष 17366 महिलाये तथा 11722 बच्चे शामिल हैं। उक्त शिविरो में अलापैथिक के साथ साथ आयुर्वेदिक पद्धति से भी उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

बजट व्यय –30.90 लाख

14 रोडवेज बस डिस्पले (आई.ई.सी.)– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों व चयनित चिकित्सा संस्थानों के क्षेत्रों में चलने वाली राज्य परिवहन की बसों पर स्वास्थ्य गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित फर्म को कार्यादेश दिये गये थे। जिले में तीन माह के लिए बसों पर बेक पेनल पर कन्या भ्रूण हत्या, टीकाकरण, विवाह की उम्र एवं जन्म व मृत्यु पंजीकरण बाबत संदेश प्रदर्शित किया गया है।

15 होर्डिंग्स – जिले की तीनों चिकित्सा संस्थानों पर रेफरल कार्ड व प्रोटोकॉल बाबत प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशानुसार ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं।

16 वाटर कूलर – निर्देशानुसार जिले के तीनों संस्थानों पर मरीजों हेतु वाटर कूलर उपलब्ध करवाये गये हैं।

17 जैविक अवशिष्ट पदार्थ का निस्तारण – श्री जवाहिर चिकित्सालय जैसलमेर में बायोमैडिकल अवशिष्ट पदार्थ का निस्तारण इन्शोरेशन मशीन द्वारा किया जा रहा है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरण तथा रामगढ में डीप बैरीयलपीट के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है। जिले के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी डीप बैरीयलपीट एनआरएचएम योजना के तहत निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

18 संस्थानों को ओथोराइजेशन – जिले की चयनित तीनों संस्थानों द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाकर राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से आथोराइजेशन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही ओथोराइजेशन भी शिघ्र ही मिलने की संभावना है।

19 जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति – जिले में तीना चयनित चिकित्सा संस्थानों पर परियोजना के कार्यों की समीक्षा एवं समस्याओं के निराकरण हेतु होस्पिटल सिस्टम इम्प्रूमेंट टीम का गठन किया जा चुका है। जिसकी प्रतिमाह चार पाँच व छः तारीख को बैठक आयोजित की जा रही है। साथ ही जिला स्तर पर एचएचआईसी का गठन किया हुआ है। जो प्रतिमाह 11 तारीख को बैठक आयोजित कर जिले की संस्थानों पर एचएचआईटी बैठकों में प्राप्त समस्याओं तथा सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है।

20. प्रशिक्षण :- जिले के चिकित्सकों एवं पैरामैडिकल स्टाफ की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं।

21 विश्व बैंक विजिट :- जैसलमेर जिले में परियोजना की गतिविधियों के आकलन हेतु विश्व बैंक दल द्वारा माह मार्च 2009 में दो दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम रखा गया जिसमें जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया तथा प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र झिनझिनयाली में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन कर मौजूद मरीजों से उनको दी जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली तथा दल द्वारा जैसलमेर में परियोजना द्वारा करवाये गये निर्माण कार्य तथा अन्य गतिविधियों के संचालन पर संतोष जताया।

22 उपकरण सप्लाई : – जिले की तीनों चिकित्सा संस्थानों श्री जवाहिर चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरण तथा रामगढ हेतु क्रमशः 14.60 लाख, 4.84 तथा 1.29 के उपकरण उपलब्ध करवाये गये। जिनका उपयोग में लिया जाकर लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा रहा है।

शिशु स्वास्थ्य

इस जिले की विषम भौगोलिक परिस्थिति विशाल क्षेत्रफल, कई गांव रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित होना, एक गांव से दूसरे गांव की अधिक दूरी होने एवं आवागमन के अपर्याप्त साधनों के समस्त ग्रामीणों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उत्पन्न करवाना चुनौती भरा कार्य है।

इस जिले में वर्षा पर खेती व मवेशीपालन पर गुजारा करने के कारण अक्सर अकाल के कारण उनकी आय कम है। अतः निर्धनता व पोषक भोजन की अनिश्चितता एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होना व लडकियों के प्रति भेदभाव आदि बच्चों की मृत्यु कारण तीव्र संक्रमण, श्वास का न आना तथा समय पूर्व जन्म के साथ वजन कम होने से हुई जटिलताएं भी मृत्यु का कारण है। दुर्गम क्षेत्र के ग्रामीणों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं होने से निमोनिया, दस्त, मलेरिया, खसरा आदि बच्चों की मृत्यु के कारण है।

जिले में वर्ष (2007-08) में 796 बच्चों में डायरीया / डिसेन्ट्री रोग पाया गया था एवं वर्ष (2008-09) में कुल 1297 बच्चों डायरीया / डिसेन्ट्री से ग्रस्त पाये गये। जिले के खण्ड जैसलमेर में यह रोग बच्चों में अधिक पाया गया है। उक्त खण्ड के नहरी क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थानों की सीमित उपलब्धता व अन्तराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों दूरस्थ व रेगिस्तानी क्षेत्र है।

फिर भी जिले में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये आवश्यक कार्य किये जा रहे हैं।

1. जिले की सभी संस्थानों एवं फील्ड स्टाफ के पास यथेष्ट मात्रा में ओआरएस पैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
2. जिले में बच्चों का एमसीएचएन दिवस सृजित कर शत प्रतिशत टीकारण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
3. फील्ड स्टाफ द्वारा पेयजल शुद्धिकरण का कार्य सततरूप से किया जा रहा है।
4. माताओं का खराब स्वास्थ्य तथा पोषण तत्वों की कमी बच्चों की मृत्यु का कारण बनता है। अतः गर्भवती माताओं को आयरन फोसिक एसिड की गोलियां प्रत्येक संस्थान व फील्ड स्टाफ द्वारा दी जाती हैं।
5. ए.एन.सी.चैकअप व पी.एन.सी.चैकअप का कार्य सुचारु रूप से करने की कार्यवाही की जा रही है।
6. आई.एम.एन.आई.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत कुपोषित नवजात शिशुओं की देखभाल/उपचार का कार्य जिला अस्पताल में किया जा रहा है।


विभागीय Community Need Assessment सर्वे के अनुसार इस जिले की आई.एम.आर. 72 दर्शाई गई है। जिसको वर्ष 2012 तक मिलेनियम डवलपमेंट गोल्फ 32 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

जिले में यूनिवर्सल इम्यूनाईजेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस पर बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। जिले में 243 सी श्रेणी के दूरस्थ व अनएप्रोचेबल गांव हैं। जिनमें भी विशेष कार्य योजना के अन्तर्गत कवरेज कर बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। जिला अस्पताल, जैसलमेर में एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय अ श्रेणी जैसलमेर टीकाकरण के लिये स्टेटीक केन्द्र है। जहां प्रतिदिन टीकाकरण किया जाता है। जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरण में प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से वैक्सीन जिले के समस्त संस्थानों पर नियमित कोल्ड चेन मेन्टेन करते हुये पहुंचाई जा रही है।

जिले में गत तीन वर्षों में (2006-07) से (2008-09) तक टीकाकरण की प्रगति निम्नानुसार रही है :-

आवंटित लक्ष्य					प्राप्ति				
वर्ष	बीसीजी	मिजल्स	डीपीटी व पोलियो	पूर्ण प्रतिरक्षित	बीसीजी	मिजल्स	डीपीटी व पोलियो	पूर्ण प्रतिरक्षित	प्रतिशत
2006-07	15292	15292	15292	15292	14178	14188	11334	12369	80.89
2007-08	18197	18197	18197	18197	16703	15485	15486	13873	76.24
2008-09	18207	18207	18207	18207	15847	5392	10420	12757	73.83

(आंकड़ों का स्रोत :- विभागीय रिपोर्ट)



उपरोक्तानुसार जिले में वर्ष (2006-07) में पूर्ण प्रतिरक्षित टीकाकरण की उपलब्धि 80.89 प्रतिशत ,वर्ष (2007-08) में 76.24 प्रतिशत एवं वर्ष (2008-09) में 73.83 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2006-07 में रही प्राप्ति आगे के वर्षों में कम रही है। अतः जिले में शत प्रतिशत लक्ष्यो की प्राप्ति के लिये आवश्यक कार्य योजना बनाकर कार्य करना है।

बच्चों का टीकाकरण व विटामिन 'A' खुराक

Indicators	DLHS-3		DLHS-2	
	Total	Rural	Total	Rural
(12-23) माह के बच्चों को पूर्ण टीकाकरण (बीसीजी की 3 खुराक डीपीटी,पोलियो,मिजल्स) प्रतिशत	41.3	44.4	12.3	8.6
(12-23) माह के बच्चों का प्रतिशत जिन्हे बीसीजी का टीका लगा	80.3	80.3	41.4	40.7
(12-23) माह के बच्चों का प्रतिशत जिन्हे पोलियो की तीन खुराक मिली	59.0	58.5	24.5	21.4
(12-23) माह के बच्चों का प्रतिशत जिन्हे डीपीटी की तीन खुराक मिली	44.6	48.0	25.7	22.9
(12-23) माह के बच्चों का प्रतिशत जिन्हे मिजल्स की तीन खुराक मिली	63.0	63.6	23.2	21.4
(9-35) माह के बच्चों का प्रतिशत जिन्हे विटामिन ए की एक खुराक मिली	38.9	39.0	-	-
(21 माह से उपर) के बच्चों का प्रतिशत जिन्हे विटामिन ए की तीन खुराक मिली	16.9	17.2	-	-

जिले के डीएलएचएस -3 व डीएलएचएस - 2 का तुलनात्मक विवरण

1. तुलनात्मक अध्ययन अवगत कराता है कि पूर्णप्रतिरक्षित बच्चों का ग्रामीण क्षेत्र में 35.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
2. (12-23) माह के बच्चे जिन्हे बीसीजी का टीका लगा है में 39.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
3. (12-23) माह के बच्चे जिन्हे पोलियो के तीन डोज मिले है उनमें 37.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
4. 12-23 माह के बच्चे जिन्हे डीपीटी की तीना वैक्सीन प्राप्त हुई है में 25.1 की वृद्धि हुई है।
5. इसी प्रकार (12-23) माह के बच्चे जिन्हे मिजल्स के तीना टीके लगे है उनमें 42.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बच्चों की बिमारी का ईलाज (गत दो जीवित बच्चों के आधार पर तीन वर्ष तक के बच्चों का)

Indicators	DLHS-3		DLHS-2	
	Total	Rural	Total	Rural
बच्चे जिन्हे गत दो माह में दस्त होने पर ओआरएस दिया प्रतिशत	27.3	22.6	29.2	25.6
बच्चे जिन्हे अन्तिम दो सप्ताह में ईलाज दिया प्रतिशत	56.9	59.7	56.4	52.2
बच्चे जिन्हे अन्तिम दो सप्ताह में तीव्र श्वसन सक्रमण/बुखार का ईलाज दिया प्रतिशत	92.5	92.2	—	—
प्रसव के 24 घण्टे पश्चात जाँच किये गये बच्चों का प्रतिशत (आखरी जीवित प्रजनन के आधार पर)	23.5	21.0	—	—
प्रसव के 10 दिन पश्चात जाँच किये गये बच्चों का प्रतिशत (आखरी जीवित प्रजनन के आधार पर)	24.4	22.3	—	—

स्तन पान आदत (तीन वर्ष के बच्चों का)

Indicators	DLHS-3		DLHS-2	
	Total	Rural	Total	Rural
बच्चों के जन्म के एक घण्टे में स्तन पान कराया प्रतिशत	25.3	24.6	—	—
(छः माह उपर) के बच्चों का स्तनपान प्रतिशत	35.6	34.2	—	—
(छः से 24 माह) के बच्चों जो स्तनपान के साथ ठोस व कम ठोस खाद्य पदार्थ प्राप्त करने वालों का प्रतिशत	95.2	95.1	—	—

उपरोक्त डीएलएचएस के तुलनात्मक आंकड़े बताते है कि डायरिया से ग्रसित बच्चों पिछले दो सप्ताह में दिये गये उपचार में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जैसलमेर जिले में डायरिया /डिसेन्टरी

जिले में गत दो वर्षों में डायरिया /डिसेन्टरी के ब्लॉक वार कैसेज

ब्लॉक	वर्ष	कैसेज
जैसलमेर	2007-2008	312
सम		280
सांकड़ा		204
योग :-		796
जैसलमेर	2008-2009	503
सम		412
सांकड़ा		380
योग :-		1295

जिले के ब्लॉक जैसलमेर में गत दो वर्षों में डायरीया के कैसेज ज्यादा निकले है। ब्लॉक जैसलमेर में नहरी क्षेत्र में समुचित चिकित्सा व्यवस्था न होने से उक्त क्षेत्र में जनसंख्या का कवरेज करना अतयन्त ही दुष्कर है। डायरीया रोकथाम के लिये जिले के प्रत्येक उपकेन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओ. आर.एस. की यथेष्ट उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

फील्ड स्टॉफ द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पेयजल का नियमित जल शुद्धिकरण करने का कार्य किया जाता है। पेयजल के नमूने लेकर उसके जांच हेतु नमूने पीएचईडी की प्रयोगशाला में भिजवाये जा रहे है।



जिले में डायरीया/डिसेन्टरी की स्थिति नियंत्रण में है।

जैसलमेर जिले मे कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

वर्ष 2006-07

आलोच्य वर्ष में जिले में 02 कुष्ठ रोगी पाये गये थे। गत वर्ष (2005-06) मे 04 कैसेज पाये गये। इस प्रकार कुल 06 कुष्ठ रोगीयों (05 मेल तथा 01 फिमेल) का ईलाज किया गया।

वर्ष 2007-08 एवं 2008-09

आलेच्य वर्षों मे कोई कुष्ठ रोगी जिले मे नही पाया गया।

जिले मे प्रत्येक सा. स्वा. केन्द्र/ प्रा. स्वा. केन्द्रों पर कुष्ठ रोगी के पहचान व उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

जैसलमेर जिले मे एचआईवी /एडस रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

<u>वर्ष 2006-07</u>	एचआईवी टेस्ट	पोजिटिव रोगी
	4320	11
<u>वर्ष 2007-08</u>	5120	15
<u>वर्ष 2008-09</u>	5300	27

जिले में केवल 01 ही आईसीटीसी केन्द्र जिला अस्पताल पर उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरण में भी यह सुविधा होना आवश्यक है।

पोषाहार

जिले में उप निदेशक महिला एवं बाल विकास के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में 03 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 485 आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं 61 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण दूर करने हेतु पुरक पोषाहार एवं अन्य सेवाएं दी जाती है। साथ ही स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु गर्भवती माताओं को पूरक पोषाहार एवं आईसीडीएस कर सेवाएं दी जाती है।

विभाग द्वारा एनिमिया (रक्त अल्पता) का सर्वे कार्य नहीं किया जाता है।

2. जिले में कुपोषण की स्थिति –

राजस्थान राज्य में कुपोषण 50.8 प्रतिशत जबकि जैसलमेर जिले में 52.6 प्रतिशत जो कि अकाल एवं सूखे की स्थिति में बढ़ जाता है। कुपोषण के प्रभाव से आईएमआर बढ़ जाती है। शिशु मृत्यु दर आईएमआर का कम करने के

लिए मात्र स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है परन्तु इसके लिए पर्याप्त पोषाहार स्वस्थ जल की उपलब्धता पर्यावरण गर्भवस्था में मां की देखभाल रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण शिक्षा का प्रचार विशेष कर महिलाओं की जागरूकता की आवश्यकता है।

जिलों में पोषाहार कार्यक्रम से कुपोषणता में व्यापक कमी दृष्टिगोचर नहीं होती जिनके निम्न कारण हैं।

1. पोषाहार कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य बच्चों/गर्भवती/धार्त्री महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध करना था लेकिन गरीबी के कारण लाभार्थियों के द्वारा इससे मुख्य भोजन के रूप में ले लिया गया।
2. गरीब ग्रामीण परिवारों द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति खर्च करने के साथ-साथ खाद्य पदार्थों में प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाना है।
3. जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं बार-बार पड़ने वाले सुखे अकाल एवं सुखे के कारण पौष्टिक भोजन की अनउपलब्धता बनी रहती है।
4. दूरिया ज्यादा होने/विभागीय वाहन की अनउपलब्धता/बजट आवंटन कम होने/फील्ड स्टाफ की कमी के कारण सेवाओं को लाभार्थियों को नियमानुसार नियमित रूप से नहीं पहुंच पाना।

तीनों परियोजनाओं में से सर्वाधिक कुपोषण परियोजना सम (63.8 प्रतिशत) तथा सबसे कम कुपोषण परियोजना पोंकरण (41.2 प्रतिशत) में परिशिष्टित होता है। सम परियोजना का अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा विस्तारित क्षेत्र फल (21111 वर्ग किलो मीटर) का दुर्गम मरुस्थलीय भाग होने एवं प्रतिवर्ग किलोमीटर कम आबादी के कारण मूलभूत सेवाओं यथा जल सड़क यातायात के साधन/शिक्षा एवं चिकित्सा सेवाओं के कम होने के कारण कुपोषण की दर अधिक है।

3. पोषाहार सुधार हेतु रणनीति –

(अ) गुणात्मक सेवा प्रधान करने वाले क्रियाशील आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नत मूल्यांकन –

1. पूरक पोषाहार – आंगनवाड़ी परिक्षेत्र में निवास करने वाले सभी लाभार्थियों का नियमानुसार अच्छी गुणवत्ता का पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाकर उसका उपनिदेशक, सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित फार्म एवं प्रपत्र अनुसार किया जायेगा। खाद्य निरीक्षण द्वारा नियमानुसार खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच हेतु भिजवाए जायेंगे। साप्ताहिक पूरक पोषाहार जिनको वितरित किया जाता है। उन्हें प्रतिदिन पूर्ण भोजन के अलावा नियमित मात्रा में खिलाने के लिए अभिभावकों/संबंधित को पाबन्द किया जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहयोगिनी द्वारा समझाईश/मूल्यांकन किया जायेगा।
2. आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन – आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गुणात्मक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए योग्य सक्रिय तथा समाज सेवा का भावना से कार्य करने की इच्छुक महिलाओं का चयन आ.वा. कार्यकर्ता/सहायिका/सहयोगिनी के रूप में किया जायेगा जो विभागीय नियमानुसार लाभार्थियों को नियमित रूप से सेवाएं दे सकेगी।
3. मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन – निर्धारित माईक्रो प्लान के अनुसार सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रतिमाह शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन कर सुनिश्चित कर दोनो विभागो यथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त मोनिटरिंग की जायेगी एवं 100 प्रतिशत टीकाकरण स्वास्थ्य जांचे सुनिश्चित की जावेगी।
4. कुपोषण प्रबंधन –
 1. शत प्रतिशत बच्चों का वजन लेकर वृद्धि निगरानी चार्ट संधारण करना, कुपोषित बच्चों का पंजीकरण कर आईसीडीएस तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं उपलब्ध करवायी जायेगी।
 2. स्वास्थ्य जांच – 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों की स्वास्थ्य जांच करवायी जायेगी।
 3. संदर्भ सेवाएं – ग्रेड 3 एवं 4 के अतिकुपोषित एवं अन्य गम्भीर बिमारियों से ग्रस्त बच्चों को स्थिति अनुसार पीएचसी, सीएससी, पीएच एवं एमटीसी हेतु रैफर किये जायेंगे, जहां से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त बच्चों को ग्रेड 2 व 1 में आने तक डबल पूरक पोषाहार दिया जायेगा।
 4. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा – 0 से 6 वर्ष के बच्चों की माताओं/अभिभावकों को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी जावेगी।
 5. विभागीय सेवाओं का प्रचार प्रसार – पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों के सक्रीय रूप से आंगनवाड़ी केन्द्रों से जोड़ कर विभागीय सेवाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी। आईईसी के माध्यम से ग्राम में विभागीय सेवाओं के बारे में प्रचार प्रसार किया जायेगा।

(ब) नवजात शिशु को जन्म के बाद जल्द से जल्द मां का दूध पिलाने के लिए आशा सहयोगिनी प्रसव के समय साथ रहकर इस कार्य को सम्पादित करेगी। समाज में उक्त बदलाव हेतु ग्रह सम्पर्क के दौरान आशा सहयोगिनी तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा प्रचार प्रसार किया जायेगा। जन्म के छः माह बाद मां के दूध के साथ पूरक पोषाहार खिलाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह तथा पोषाहार सप्ताह का प्रभावी आयोजन किया जायेगा जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।

(स) अति कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु जिला एवं उपखण्ड स्तर पर कुपोषण उपचार केन्द्र की स्थापना की जानी है जिस पर जिले के विभिन्न स्थानों से रैफर किये गए अतिकुपोषित बच्चे का योग्य डाक्टरों/नर्स/एएनएम एवं अन्य स्टाफ द्वारा उपचार किया जायेगा तथा इसकी पूर्णवृत्ति रोकने के लिए अभिभावकों की काउंसलिंग की जावे।

संकलित पूरक पोषाहार लाभान्वित – जिला – जैसलमेर

वर्ष	नमांकित			लाभान्वित			लाभान्वित %		
	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	.
2004-05	13921	12289	26210	13821	12261	26082	99.28	99.77	-
2005-06	13744	12272	26016	13676	12230	25906	99.51	99.66	-
2006-07	14868	13728	28596	14706	13683	28389	98.91	99.67	-
2007-08	17247	16513	33760	15623	14776	30399	90.58	89.48	-
2008-09	19183	17447	36630	18123	16523	34646	94.47	94.7	-
TOTAL	78963	72249	151212	75949	69473	145422	96.18	96.16	

पूरक पोषाहार लाभान्वित – परियोजना – सम

वर्ष	नमांकित			लाभान्वित			लाभान्वित %		
	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	.
2004-05	4310	3820	8130	4310	3820	8130	100%	100%	-
2005-06	4238	3904	8142	4228	3904	8132	100%	100%	-
2006-07	4095	3785	7880	4095	3785	7880	100%	100%	-
2007-08	5912	5735	11647	5616	5273	10889	95%	92%	-
2008-09	7564	7336	14900	7434	6567	14001	98%	90%	-

पूरक पोषाहार लाभान्वित – परियोजना – पोकरण

वर्ष	नमांकित			लाभान्वित			लाभान्वित	
	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की
2004-05	5510	4650	10160	5506	4643	10149	100%	100%
2005-06	5506	4654	10160	5448	4612	10060	99%	100%
2006-07	6303	5857	12160	6141	5812	11953	97%	99%
2007-08	7184	6897	14081	6300	6080	12380	88%	88%
2008-09	7249	5949	13198	6389	5816	12205	88%	98%

पूरक पोषाहार लाभान्वित – परियोजना – जैसलमेर

वर्ष	नमांकित			लाभान्वित			लाभान्वित	
	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की
2004-05	4101	3819	7920	4005	3798	7803	98%	99%
2005-06	4000	3714	7714	4000	3714	7714	100%	100%
2006-07	4470	4086	8556	4470	4086	8556	100%	100%
2007-08	4151	3881	8032	3707	3423	7130	89%	89%
2008-09	4370	4162	8532	4300	4140	8440	98%	99%

ग्रेड अनुसार बच्चों की स्थिति संकलित – जिला – जैसलमेर

क्र.सं.	वर्ष	बच्चों की संख्या जिनका वजन किया गया	श्रेणी अनुसार बच्चों की संख्या							
			सामान्य		ग्रेड I		ग्रेड II		ग्रेड III - IV	
			लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की
1	2004-05	24076	4328	3544	5033	4244	3543	3379	0	5
2	2005-06	23479	4470	4010	3748	3961	3973	3263	25	29
3	2006-07	22409	4138	3960	4022	3836	3380	3069	0	4
4	2007-08	24943	4807	4740	4551	4310	3718	2817	0	0
5	2008-09	33011	5656	5014	5822	5367	5895	5257	0	0
योग		127918	23399	21268	23176	21718	20509	17785	25	38

ग्रेड अनुसार बच्चों की स्थिति – परियोजना – सम

क्र.सं.	वर्ष	बच्चों की संख्या जिनका वजन लिया गया	श्रेणी अनुसार बच्चों की संख्या							
			सामान्य		ग्रेड I		ग्रेड II		ग्रेड III-IV	
			लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की
1	2004-05	8130	1382	1064	1979	1765	1070	867	0	3
2	2005-06	8132	1548	1534	1198	1215	1465	1149	17	6
3	2006-07	7880	1535	1435	1317	1335	1243	1015	0	0
4	2007-08	8535	1584	1733	1510	1483	1312	913	0	0
5	2008-09	14001	2437	2024	2517	2302	2480	2241	0	0
योग		46678	8486	7790	8521	8100	7570	6185	17	9

ग्रेड अनुसार बच्चों की स्थिति – परियोजना – जैसलमेर

क्र.सं.	वर्ष	बच्चों की संख्या जिनका वजन किया गया	श्रेणी अनुसार बच्चों की संख्या							
			सामान्य		ग्रेड I		ग्रेड II		ग्रेड III - IV	
			लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की
1	2004-05	7891	1410	1400	1405	1206	1270	1200	0	0
2	2005-06	7714	1500	1320	1280	1445	1200	969	8	19
3	2006-07	3691	800	750	650	600	460	431	0	0
4	2007-08	5240	1500	1300	1050	1050	301	39	0	0
5	2008-09	6805	1300	1400	1100	1025	1150	830	0	0
योग		31341	6510	6170	5485	5326	4381	3469	8	19

ग्रेड अनुसार बच्चों की स्थिति – परियोजना – पोकरण

क्र.सं.	वर्ष	बच्चों की संख्या जिनका वजन किया गया	श्रेणी अनुसार बच्चों की संख्या							
			सामान्य		ग्रेड I		ग्रेड II		ग्रेड III - IV	
			लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की
1	2004-05	8055	1536	1080	1649	1273	1203	1312	0	2
2	2005-06	7606	1422	1156	1270	1301	1308	1145	0	4
3	2006-07	10838	1803	1775	2055	1901	1677	1623	0	4
4	2007-08	11168	1723	1707	1991	1777	2105	1865	0	0
5	2008-09	12205	1919	1590	2205	2040	2265	2186	0	0
योग		49872	8403	7308	9170	8292	8558	8131	0	10

राष्ट्रीय संशोधित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम

जैसलमेर जिले में सितम्बर 2000 से राष्ट्रीय संशोधित क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया है जिसमें क्षय रोगी का उपचार कार्यकर्ता द्वारा अपनी ही देखरेख में किया जा रहा है। मुख्यालय पर क्षय निवारण केन्द्र 1973 से ही स्थापित है वर्तमान में क्षय निवारण केन्द्र एक क्षय रोग विशेषज्ञ कार्यरत है जिले में दो टीबी यूनिट क्रमशः जैसलमेर एवं पोकरण है। जिले में कुल 12 डीएमसी (डेजीनेटेड माईक्रोस्कोपिक सेन्टर) क्रमशः रामगढ, मोनहगढ, म्याजलार, सम, जेसलमेर, देवीकोट, पोकरण, भणियाणा, फलसूण्ड, सांकड़ा, नाचना व नोख है। इन केन्द्रों पर संभावित क्षय रोगियों के बलगम नमूनों की जांच की व्यवस्था की गई है।

जैसलमेर जिले की भौगोलिक स्थिति विषय एवं क्षेत्रफल विशाल है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोगों का आर्थिक स्तर कमजोर है एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्याप्त कर रहे है। गांवों में साक्षरता दर कम है

रूढ़ितावादिता के कारण अपने सामाजिक जीवन में अपने बदलाव के लिए सुगमता से तैयार नहीं होते हैं। इन कारणों से ग्रामीणों में क्षय रोग की आशंका बनी रहती है।

जिले में 2004 से 2008 तक आयु वर्गवार एवं लिंगवार पाये गये क्षय रोगियों का विवरण निम्नानुसार है –

2004

आयु वर्गवार	पुरुष	स्त्री	कुल योग
0-14	1	0	1
15-24	22	21	43
25-44	89	54	143
45-54	41	19	60
55-64	28	4	32
65 से ऊपर	21	5	26

2005

आयु वर्गवार	पुरुष	स्त्री	कुल योग
0-14	0	1	1
15-24	29	17	46
25-44	66	47	113
45-54	28	15	43
55-64	37	4	41
65 से ऊपर	12	1	13

2006

आयु वर्गवार	पुरुष	स्त्री	कुल योग
0-14	1	2	3
15-24	29	26	55
25-44	79	45	124
45-54	37	9	46
55-64	23	7	30
65 से ऊपर	16	4	20

2007

आयु वर्गवार	पुरुष	स्त्री	कुल योग
0-14	0	2	2
15-24	32	19	51
25-44	70	38	108
45-54	43	14	57
55-64	34	10	44
65 से ऊपर	33	9	42

2008

आयु वर्गवार	पुरुष	स्त्री	कुल योग
0-14	1	0	1
15-24	31	14	45
25-44	73	43	116
45-54	42	17	59
55-64	29	8	37
65 से ऊपर	25	10	35

जिले में राष्ट्रीय संशोधित क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्य एवं प्राप्ति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्यक्रम	2004			2005			2006		
		लक्ष्य	प्राप्ति		लक्ष्य	प्राप्ति		लक्ष्य	प्राप्ति	
1	संभावित परीक्षण / 1000 जनसंख्या	547	2738	125/lak	561	3068	137/lak	561	3773	168/lak
2	बलगम घनात्मक 10 से 12 प्रति	329	365	13%	368	408	13%	453	413	11%
3	कुल कैस फाईडिंग 135/लाख/प्रतिवर्ष	738	745	136/ lak 101 %	780	656	117/ lak 84 %	847	652	116/ lak 77 %
4	नये बलगम कैसे पोजीटिव 56/लाखस	306	305	56/ lak 100 %	314	257	46/ lak 82%	314	278	50/ lak 88%
5	बलगम परिवर्तित दर (एनएसपी) 90 प्रतिशत	90%	285/303	94%	90%	228/252	90%	92%	248/271	92%
6	क्योर रेट 85 प्रति	85%	241/274	88%	85%	268/305	88%	87%	220/257	86%
7	डेथ रेट <4%	<4%	11/274	4%	<4%	8/305	3%	<4%	14/257	5%
8	डिफाल्ट रेट <5%	<5%	17/274	6%	<5%	11/305	4%	<5%	15/257	6%

क्र.सं.	कार्यक्रम	2007			क्र.सं.	कार्यक्रम	2008		
		लक्ष्य	प्राप्ति				लक्ष्य	प्राप्ति	
	संभावित परीक्षण 1/1000/जनसंख्या	572	4187	183/lakh	1	संभावित परीक्षण 1/1000/जनसंख्या	581	4476	193/lakh
	बलगम घनात्मक 10 से 12 प्रतिशत	502	432	10%	2	बलगम घनात्मक 6 से 12 पति.	537	414	9%
	कुल कैस फाईडिंग 151/लाख/प्रतिवर्ष	864	696 (ND-11)	122/lak 81%	3	कुल कैस फाईडिंग 151/लाख/प्रतिवर्ष	877	696 (ND-11)	155/lakh 90 %
	नये बलगम कैसे पोजीटिव 56/लाख	320	304	53/lak.95%	4	नये बलगम कैसे पोजीटिव 56/लाख	325	293	50/lakh 90%
	बलगम परिवर्तित दर एनएसपी 92 प्रति.	92%	292/320	92%	5	बलगम परिवर्तित दर एनएसपी 90 प्रति.	92%	271/299	91%
	क्योर रेट 87 प्रतिशत	87%	247/28	89%	6	क्योर रेट 87 प्रतिशत	87%	263/304	87%
	डेथ रेट <4%	<4%	9/278	3%	7	डेथ रेट <5%	<5%	15/304	5%
	डिफाल्ट रेट <5%	<5%	11/278	4%	8	डिफाल्ट रेट <5%	<5%	13/304	4%

क्र.सं.	प्राथमिक क्षेत्र	प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कार्य योजना
1	बलगम जाँच की बढ़ोतरी हेतु सुझाव	<ol style="list-style-type: none"> ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करवाना। डोटस प्रोवाइटर एवं कम्प्यूनिटि हेल्थ मिटिंग सब सेन्टर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा संख्या में संभावित क्षय रोगियों का बलगम जांच करवाना। एनजीओ/पीपी एवं अन्य संस्थाओं को आरएनटीसीपी कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करना। सरकारी चिकित्सालय की भागीदारी रोगी के सम्पर्क वालों की बलगम जांच स्टाफ की डोट्स प्रशिक्षण देना।
2	बलगम जाँच की बढ़ोतरी हेतु सुझाव	<ol style="list-style-type: none"> मिटिंग द्वारा एनजीओ/पीपी को कैस फाईडिंग हेतु प्रेरित करना। चिकित्सा संस्थानों/समाजसेवी संस्थाओं द्वारा संभावित क्षय रोगियों का बलगम जांच हेतु रैफर करवाना।

3	डिफाल्टर कैस कम करने हेतु	<ol style="list-style-type: none"> 1. ग्रामीण चौपाल का आयोजन करना। 2. डोटस प्रोवाइडर/कम्युनिटी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भागीदारी 3. आशा सहयोगिनी की भागीदारी 4. क्षय रोगियों के उपचार के लिए सुविधाजनक स्थान पर डोटस सेन्टर स्थापित रखना।
4	क्योर रेट की बढ़ोतरी	<ol style="list-style-type: none"> 1. फिल्ड स्टाफ की ट्रेनिंग एवं रि-ट्रेनिंग करवाना 2. पेशेन्स डोटस प्रोवाइडर की सामुहिक बैठक करना। 3. पीएचसी/एएनएम को दिये गये लक्ष्यों की समीक्षा करना।
5	प्रशिक्षण	<ol style="list-style-type: none"> 1. चिकित्सा अधिकारी/एमपीडब्ल्यू/एएनएम/नर्स ग्रेड-2/एलएचवी को डोटस प्रशिक्षण देना जो अभी तक अप्रशिक्षित है। एवं समय-समय पर अपडेट प्रशिक्षण देना। 2. राज्य क्षय रोग अधिकारी के निर्देशानुसार टीबी एचआईवी व ईक्यूए ट्रेनिंग देना।

अध्याय – 4

महिला सशक्तिकरण


1. जेण्डर विभेद का सूचकांक –

लिंग अनुपात – महिलाओं के प्रति समाज के रवैये को जानने का जनगणना में लिंग अनुपात एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। भारत में पूरी 21वीं शताब्दी में लिंग अनुपात में लगातार गिरावट जारी है जो कि वर्ष 1991 में 927 थी जबकि वर्ष 1901 में 972 हो गई। वर्ष 2001 की जनगणना में लिंग अनुपात में आंशिक सुधार दर्शाते हुए 933 (0.6%) रहा। राजस्थान में 1991 में लिंग अनुपात 910 तथा 2001 में 921 रहा। जैसलमेर जिले में 1991 एवं 2001 में लिंग अनुपात क्रमशः 807 एवं 821 (1.36% की वृद्धि) रहा। जिले के तीनो ब्लॉकों में 1991 की जनगणना में लिंग अनुपात का अन्तर 780(जैसलमेर), 858(सांकड़ा) रहा जबकि 2001 की जनगणना में ऊपरी व निचली लिंग अनुपात की सीमा क्रमशः 876(सांकड़ा) एवं 787(सम) दर्ज की गई। जनगणना 1991 तथा 2001 के रूझानों से पता चलता है कि ब्लॉक सांकड़ा तथा ब्लॉक पोकरण में लिंग अनुपात में वृद्धि दर्ज हुई जबकि ब्लॉक सम में इसमें कमी आई है। उक्त से संबंधित सम्पूर्ण आंकड़े टेबल संख्या 1 में दिए गये हैं।


टेबल – 1 – जैसलमेर जिले के तीनो ब्लॉकों में लिंग अनुपात (तीसरे व चौथे कॉलम में कोष्ठक में दिखाये गये अंक रैंक को दर्शाते हैं।)

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	1991 की जनगणना में	2001 की जनगणना में	% परिवर्तन
1	जैसलमेर	780 (3)	811 (2)	3.97
2	सांकड़ा	858 (1)	876 (1)	2.10
3	सम	794 (2)	787 (3)	(-) 0.88
	जिला	807	821	1.36

1991 के अनुसार लिंग अनुपात



2001 के अनुसार लिंग अनुपात




ब्लॉक सम में 1991 से 2001 की जनगणना में लिंग अनुपात में कमी के कारणों को ढुंढा जावे तो पता चलता है कि ब्लॉक सम की सीमा पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई होने के कारण सीमा सुरक्षा बलों के जवानों एवं सेना के जवानों की तैनाती होती रहती है। इन जवानों के परिवार साथ में नहीं रहते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में नवजात कन्या हत्या की परिपाठी इसमें सहायक हो सकती है।

टेबल संख्या – 2 में जैसलमेर जिले के तीनो ब्लॉक में अलग-अलग सामाजिक समूहों में लिंग अनुपात को दर्शाया गया है जिसको देखने से पता चलता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मुकाबले सामान्य जातियों का लिंगानुपात तीनो ब्लॉक में कम है यही स्थिति पूरे जिले की है।

टेबल संख्या – 2 सामाजिक समूह के अनुसार लिंग अनुपात

जनगणना – 2001

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	लिंग अनुपात			
		SC	ST	Gen	Over All
1	जैसलमेर	864	858	795	811
2	सांकड़ा	905	907	870	876
3	सम	869	872	766	787
योग		866	869	810	821



2001 की जनगणना के अनुसार सामाजिक समूहों का लिंग अनुपात

अतः टेबल संख्या-2 से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सामान्य वर्ग की जातियों का कम लिंगानुपात अंकित करता है कि वहां पर कुपोषण, कन्या बच्चों के प्रति नकारात्मक व्यवहार, बालिकाओं की सही देखभाल का अभाव, उच्च शिशु मृत्यु दर, शिशु के जन्म से पूर्व अनैतिक लिंग निर्धारण, दहेज जैसी कुरीतियों के कारण महिलाओं के अप्राकृतिक मृत्यु की संभावना बनी रहती है। यदि सामान्य वर्ग की अलग-अलग आय वर्ग से तुलना करें तो पाते हैं कि निम्न एवं मध्यम आय वर्ग में जेण्डर विभाजन प्रभावी रूप से देखा जा सकता है। उच्च आय वर्ग में बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है।

2. शिक्षा का सूचकांक –

शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। यह व्यक्ति की योग्यता को बढ़ाकर उसकी आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक कार्यों को सम्पूर्ण करती है जिससे उसके सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार आता है। मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणा में शिक्षा को प्रत्येक मानव के लिए एक आधारभूत अधिकार के समान महत्व दिया गया है। विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार महिलाओं में बढ़ती हुई शिक्षा न केवल उनको न्याय दिलाती है बल्कि विश्व खाद्य सुरक्षा में निर्व्यवहार रूप से उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। महिलाओं के स्तर में सुधार के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एवं घरेलू स्वास्थ्य तथा पोषण, न्यूनतम शिशु मृत्यु एवं धीमी आबादी वृद्धि में सार्थक रूप से सुधार करती है। भारत में औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त विस्तार के बावजूद भी अधिकांश महिलाएं शिक्षा से दूर रही हैं तथा असाक्षर हैं। राजस्थान में साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता 65.43 प्रतिशत थी (महिला 52.1% तथा पुरुष 75.8%)। राजस्थान में 2001 में कुल साक्षरता दर 60.40 प्रतिशत है। इसमें से महिला साक्षरता दर 43.9 प्रतिशत है। जैसलमेर जिले की महिला एवं पुरुष साक्षरता दर राजस्थान एवं भारत की साक्षरता दर से कम है।

साक्षरता प्रारूप


क्र.स.	वर्ष	ब्लॉक का नाम	प्रतिशत साक्षरता		जेण्डर गैप	ऑवरऑल साक्षरता दर
			पुरुष	महिला		
1	2001	जैसलमेर	63.62	27.90	35.72	47.84
	1991		42.53	6.38	36.15	26.86
2	2001	सांकड़ा	64.04	29.71	34.33	48.04
	1991		36.88	4.58	32.30	22.02
3	2001	सम	60.39	23.56	36.83	44.33
	1991		35.15	3.48	31.67	21.21

जिले की तीनों पंचायत समितियों में 1991 व 2001 के अनुसार साक्षरता दर

Jaisalmer

sankra


sam



जिले के तीनों ब्लॉको में साक्षरता की दर में 1991 व 2001 की जनगणना में सार्थक वृद्धि दर हुई है। तीनों ब्लॉको की आपस में तुलना करने पर हम पाते हैं कि 2001 की जनगणना में सांकड़ा ब्लॉक में साक्षरता की दर उच्चतम (48.04%) है तथा न्यूनतम दर ब्लॉक सम (44.33%) में दर्ज की गई है। महिला साक्षरता की दर में 1991 से 2001 के बीच ब्लॉक जैसलमेर, सांकड़ा व सम में क्रमशः 22.86, 15.42 व 14.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

टेबल नं. 4 – जैसलमेर जिले में औपचारिक शिक्षा (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर) के लिंगानुपात को दर्शाती है –


क्र.स.	ब्लॉक	एक हजार लड़को पर लड़कियों का नामांकन वर्ष 2008-09 (कोष्ठक में रैंक को दिखाया गया है)
1	जैसलमेर	712 (1)
2	सांकड़ा	660 (3)
3	सम	690 (2)
जिला		690



एक हजार लड़को पर लड़कियो का नामांकन वर्ष 2008-09

टेबल नं. 4 – जैसलमेर जिले में औपचारिक शिक्षा (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर) का वर्षवार लिंगानुपात –

क्र.स.	ब्लॉक	एक हजार लड़को पर लड़कियो का नामांकन				
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	जैसलमेर	679	688	693	700	712
2	सांकड़ा	623	658	676	666	660
3	सम	671	682	693	707	693




टेबल नं. 4 – जैसलमेर जिले में औपचारिक शिक्षा (कक्षा 9 से 12 तक) का वर्षवार लिंगानुपात –


क्र.स.	ब्लॉक	एक हजार लड़को पर लड़कियो का नामांकन				
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	जैसलमेर	317	369	371	342	349
2	सांकड़ा	182	206	193	204	204
3	सम	73	76	86	106	111

प्रति एक हजार बालकों के नामांकन के विरुद्ध 712 बालिकाओं का सर्वाधिक नामांकन ब्लॉक जैसलमेर में पाया गया जबकि सबसे कम नामांकन (660) ब्लॉक सांकड़ा में पाया गया। जगनगना 2001 के महिला साक्षरता प्रारूप के बीच उपर्युक्त का कोई तालमेल नहीं बैठता है। जैसलमेर ब्लॉक 2001 की जनगणना में महिला साक्षरता दर में रैंक 2 पर था जबकि बालिकाओं के विद्यालयों में नामांकन में प्रथम रैंक (712) पर है। दूसरा विश्लेषण बताता है कि ज्यों-ज्यों कक्षा स्तर (I से VIII) बढ़ता है, कुल नामांकन की तुलना में बालिकाओं का नामांकन कुल प्रतिशत में घटता चला जाता है।

बालक-बालिकाओं का कक्षा वार नामांकन 2008-09




बालक-बालिकाओं का कक्षा I से VIII नामांकन 2008-09 (प्रतिशत)



जैसलमेर जिले में कक्षा 1 से 8 तक के ड्रॉप आउट छात्र-छात्राओं की वर्षवार सूचना -

क्र.स.	वर्ष	बालक	बालिका
1	2004-05	962	1617
2	2005-06	1369	2111
3	2006-07	3821	4648
4	2007-08	886	1069
5	2008-09	188	302



उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट जाहिर होता है कि उच्च कक्षाओं में बालिकाओं का नामांकन क्रमशः घटता चला जाता है एवं उनका ड्रॉप आउट बढ़ता चला जाता है।

3. महिलाओं की कार्य में भागीदारी -

भारत में महिलाएं परम्परागत रूप से घरेलु कार्यों से जुड़ी रहती हैं जबकि पुरुषों का कार्य आर्थिक गतिविधियों द्वारा धन उपार्जन करना होता है। जीवन स्तर में और सुधार लाने के उद्देश्य से अधिक आय अर्जन करने के लिए महिलाएं घर से बाहर कार्य पर जाती हैं। महिलाओं के रोजगार में रहते हुए भी घर व परिवार की पूरी जिम्मेवारी निभानी होती है जबकि पुरुष ऐसा नहीं करते हैं जो जेण्डर असमानता में आता है। इस परम्परागत पृष्ठभूमि

के विपरित जेण्डर व विकास कार्यशैली इंगित करते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको लाभकारी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना आवश्यक है। महिलाओं को आर्थिक लाभकारी गतिविधियों से जोड़ने के कई फायदे हैं


जैसे आबादी वृद्धि पर लगाम लगाना, शिक्षा की संभावना में वृद्धि, श्रमिक बाजार की संरचना एवं कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कार्य में भागीदारी की दर 25.7 प्रतिशत थी जबकि पुरुषों की यह दर 51.9 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की कार्य में भागीदारी दर 31.01 प्रतिशत एवं शहरों में यह 11 प्रतिशत थी। पुरुषों की उक्त दर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में क्रमशः 51.4 व 50.9 प्रतिशत थी। जैसलमेर जिले में 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं के कार्य में भागीदारी 29.37 प्रतिशत थी। जैसलमेर जिले में मुख्य कार्यशील महिलाओं में से सर्वाधिक 57.65 प्रतिशत महिला कृषकों का है तथा सबसे कम 2.69 प्रतिशत घरेलु उद्योग का है।

जैसलमेर जिले में महिला श्रमिकों की व्यवसायिक संरचना (2001) –

क्र.स.	श्रेणी	मुख्य कार्यशील महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1	कृषक	17244	57.65
2	कृषि श्रमिक	2523	8.44
3	घरेलु उद्योग	804	2.69
4	अन्य श्रमिक	9340	31.22
कुल		29911	100.00

महिलाओं की कार्य में भागीदारी –

क्र.स.	विवरण	जनगणना 2001 के अनुसार कुल महिलाओं की संख्या	कार्यशील महिलाओं की संख्या	कुल महिलाओं में कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत
1	समग्र जिला	229146	67298	29.37
2	प0स0 जैसलमेर	57224	15321	26.77
3	प0स0 सांकड़ा	77244	31346	40.58
4	प0स0 सम	61076	18300	29.96



नरेगा कार्यों में महिलाओं की भागीदारी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में निजोजित श्रमिकों की सूचना वर्ष 2008-09

क्र.स.	पंचायत समिति का नाम	कुल श्रमिक	महिला श्रमिक	महिला प्रतिशत
1	जैसलमेर	43723	28168	64.42
2	सम	48629	36534	75.13
3	सांकड़ा	29330	11740	40.03
योग		121682	76442	62.82

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले श्रमिकों की सूचना वर्ष 2008-09

	पंचायत समिति का नाम	कुल श्रमिक	महिला श्रमिक	महिला प्रतिशत
1	जैसलमेर	4553	3824	83.99
2	सम	3502	1475	42.12
3	सांकड़ा	8904	1269	14.25
योग		16959	6568	38.73



नरेगा कार्यो में कार्यरत महिला श्रमिक

पंचायती राज में महिलाएं – निर्वाचित जनप्रतिनिधि –


क्र.स.	विवरण	कुल प्रतिनिधि	महिला प्रतिनिधि	महिला प्रतिशत
1	जिला परिषद सदस्य	17	7	41.18
2	ब्लॉक सदस्य	49	16	32.65
3	सरपंच	128	47	36.72
4	वार्ड पंच	1225	417	34.04

4. स्वास्थ्य –

अच्छा स्वास्थ्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य की उपादेयता और बढ़ जाती है क्योंकि यह महिलाओं को कई तरह से प्रभावित करता है। एक सार्थक माता की देखभाल के लिए विशेष प्रकार की प्रजनन सेवाओं की आवश्यकता होती है। मां के रूप में एक महिला को अपने बच्चों एवं परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सदैव जबाबदेय रहना पड़ता है। एक श्रमिक के रूप में महिला को घर के अन्दर व बाहर दोनों का सिरदर्द उठाना पड़ता है। इन सभी की वजह से महिला पर अत्यधिक दबाव पड़ता है जिसकी वजह से उसकी कार्यक्षमता में कमी आना व मानसिक तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। भारतवर्ष में महिलाएं जन्म से ही विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित रहती हैं। भोजन संबंधी अभाव के कारण अधिकांश बालिकाएं अपने वजन एवं ऊंचाई में पूरी वृद्धि नहीं कर पाती हैं। विभिन्न प्रकार के अध्ययनों से पता चलता है कि बालकों की तुलना में बालिकाओं का

भोजन गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों में निम्न कोटि का होता है। लड़को की तुलना में लड़कियों को कम अवधि के लिए मां का दूध पिलाया जाता है तथा पूरक पोषाहार भी कम खिलाया जाता है। बालिकाओं का कम पोषण एवं कमजोर स्वास्थ्य उन्हें रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बना देता है। भारत में 60 प्रतिशत महिलाएं एनमिया से ग्रसित हैं। ब्लॉक अनुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

क्र.सं.	टीबी यूनिट	वर्ष	सामान्य		SC		ST		अल्पसंख्यक	
			पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
1	जैसलमेर	2007	132	48	56	16	19	17	45	21
		2008	130	71	56	17	22	7	38	25
योग			262	119	112	33	41	24	83	46
2	पोकरण	2007	111	35	47	14	23	14	56	27
		2008	94	40	39	10	21	8	46	36
योग			205	75	86	24	44	22	102	63



ANM तथा आंगनवाडी कार्यकर्तायें मासिक सेक्टर बैठक में स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करतें हुए।

क्षय रोगियों की संख्या के सामाजिक समूहों/समुदाय के अनुसार टुकड़े –

उक्त टेबल दर्शाते हैं कि सभी सामाजिक समूहों एवं सामुदायिक स्तरों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में क्षय रोग के रोगियों की संख्या अधिक है जिसका मतलब यह है कि क्षय रोग के उपयुक्त उपचार हेतु आने वाले व्यक्तियों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। वर्ष 2008 तथा 2009 में सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की महिला क्षय रोगियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि अनुसूचित जाति-जनजाति में गिरावट दर्ज की गई है जिसके संबंध में स्पष्ट कारण प्रकट नहीं किये जा सकते हैं। अधिकांश महिलाएं अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में बातचीत करना चाहती हैं लेकिन इस संबंध में वह स्वयं एवं समाज ज्यादा महत्व नहीं देता। महिला को खुद ही समस्या के साथ जीवित रहना पड़ता है एवं आर्थिक तंगी के कारण स्वास्थ्य उपचार में पहली प्राथमिकता पुरुषों एवं बच्चों को दी जानी है। सरकार द्वारा स्थापित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर बच्चों का टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच एवं परिवार अन्तराल के साधनों का सबसे ज्यादा लाभ मिलता है।

जैसलमेर जिले के निवासियों से वार्ता करने पर पता चलता है कि यहां पर तापाघात, सर्पदंश, मलेरिया, टी.बी., दस्त रोग, बुखार, श्वेत प्रदर, फ्लोरोसिस, टंड एवं खांसी रोग प्रमुख रूप से होते रहते हैं जिनका पूर्ण व आंशिक इलाज कराया जाता है। मृत्युदर में कमी लाने के लिए संस्था के प्रसव को महत्व दिया जाना आवश्यक है। जिले में ग्रामीण महिलाएं गरीबी/अस्पताल/उपस्वास्थ्य केन्द्र की ज्यादा दूरी/परिवहन के साधनों की उपलब्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं जिसमें महिला की प्राईवेसी भी शामिल है, नहीं मिलने के कारण अधिकांश महिलाएं अपने घर पर ही प्रसव कराने को

प्रथम वरीयता देती है। प्रसव के दौरान जटिलता आने पर वे स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करती हैं। सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत करने के बाद से संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी हुई है, DLHS-3 सर्वे अनुसार जिले में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 12 था जो कि वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में बढ़कर क्रमशः 59.71 तथा 62.29 प्रतिशत हो गया। इस योजना में आर्थिक लाभ के साथ-साथ गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवायी जाती हैं। इस कार्य में चिकित्सा विभाग के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास विभाग की आशा-सहयोगिनियां प्रमुख भूमिका अदा कर रही हैं जिसके कारण मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मातृ मृत्यु दर भारत एवं राजस्थान में क्रमशः 301 एवं 445 है। जैसलमेर एवं उसकी अलग-अलग ब्लॉक में इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

5. महिलाओं पर कार्य का भार –

कृषि, पशुपालन एवं घरेलु कार्यों के साथ-साथ अधिकांश महिलाएं अन्य श्रमसाध्य कार्यों यथा-मिट्टी की खुदाई (नाडी,तालाब,सड़क), सड़क निर्माण, पत्थर तोड़ना, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना आदि कार्यों में लगी हुई हैं। जीविकोपार्जन हेतु उक्त कार्यों को पूर्ण करने में दूरी ज्यादा होने के कारण पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। उच्च तापक्रम एवं चिलचिलाती धूप में गर्भवती महिलाओं को भी श्रमयुक्त कार्य करना पड़ता है जो कि उसके गर्भ में विकृत हो रहे शिशु तथा स्वयं मा दोनों के लिए उपयुक्त नहीं है। नरेगा कार्यों पर लगे श्रमिकों की संख्या पर नजर डालें तो पता चलता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है।

टेबल – ग्रामीण महिलाओं के दैनिक कार्य का लेखाजोखा –

समय	घरेलु कार्यों का विवरण
5.00 एम से 9.00 एम	उठना, निपटने जाना (शौचालयों का अभाव), पशुओं को चारा डालना, पानी भरना, पशुओं को पशुआहार खिलाना, दूध निकालना, झाड़ू निकालना, बर्तन साफ करना, बच्चों को विद्यालय भेजना, खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोना।
9.00 एम से 3.00 पीएम	नरेगा कार्यों पर जाना, जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, कड़े लाना, कुएं से पानी भरकर लाना, दोपहर आराम करना।
3.00 पीएम से 10.00 पीएम	बर्तनों की सफाई, पशुओं को चारा डालना, पानी पिलाना, खाना बनाना, खाना व दूसरों को खिलाना, बर्तन साफ करके शयन हेतु जाना।

कई बार पूर नौ माह के गर्भकाल में लगातार घरेलु कार्यों के साथ-साथ आय जनक कार्यों को करने जाना पड़ता है एवं पूरी मेहनत करके दैनिक मजदूरी प्राप्त करती हैं जबकि पुरुष महानुभावों की आय की अनिश्चितता रहती है क्यों कि वे पूरे समय कार्य नहीं करके बेकार बैठकर एवं गप्पे हांककर समय बीताते रहते हैं। अधिकांश ग्रामीण महिलाओं को 2-3 कि.मी. की दूरी से मटकी में पानी भरकर सिर पर उठाकर लाना पड़ता है। सीमावर्ती गांवा में अधिकांश महिलाएं पशुपालन का कार्य करती हैं। पशुओं के चारे एवं पानी की उपलब्धता के अनुसार वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहने की प्रवृत्ति के कारण उनके स्थाई आवास नहीं बने हुए हैं। जिले के नहरी तथा नलकूप क्षेत्रों की महिलाएं कृषि कार्यों से जुड़ी रहती हैं।

6. स्वयं सहायता समूह एवं महिला सशक्तिकरण –

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपयोजना द्वाकरा के वर्ष 1987 में विस्तार के साथ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त करने के महत्व को बल दिया गया है। इस उपयोजना का मुख्य उद्देश्य 15-20 महिलाओं को एक साथ करके समूह बनाकर स्वयं रोजगार से जोड़ने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना था। भारत में यह योजना बीपीएल महिलाओं के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से गरीबी उन्मूलन में सफल रही। इससे महिला स्वयं सहायता समूह गठन को बल मिला तथा जैसलमेर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण व अन्य विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कुल 1618 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 704 समूहों को 59.26 लाख का बैंको से ऋण दिलावाया गया। जिले में यह कार्यक्रम पूरी गति से संचालित नहीं हो पा रहा है। इसके कई कारण हैं –


1. बिखरी हुई आबादी।
2. असाक्षर महिलाएं।
3. बैंक शाखाओं का अभाव।
4. यातायात के साधनों का अभाव।
5. बैंक व उपभोक्ता के बीच ज्यादा दूरी।
6. उत्पादन करने योग्य सामग्री एवं उसके बाजार का अभाव।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूह की सूचना :-

वर्ष	महिला स्वयं सहायता समूह गठन	समूह की संख्या जिनको बैंक से ऋण दिलाया गया	सदस्य
2004-05	236	46	3018
2005-06	241	53	2897
2006-07	202	80	2349
2007-08	171	48	1881
2008-09	84	19	1050
कुल	934	246	11195

जिला साक्षरता समिति जैसलमेर द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह

वर्ष	गठित SHG की संख्या	महिला समूहों की संख्या जिन्हें बैंक से ऋण दिया गया	समूहों से जुड़ी कुल महिलाओं की संख्या	ऋण राशि
2004-05	2	—	24	—
2005-06	18	—	216	—
2006-07	21	—	315	—
2007-08	18	—	252	—
2008-09	18	—	270	—
	77	—	1077	—



इन सभी के बावजूद भी कई महिलाएं स्वयं सहायता समूह, कृषि, पशुपालन, डेयरी, कशीदा कार्य, मिट्टी के कलात्मक खिलौने, बर्तन बनाने तथा दुकानदारी के कार्यों के लिए बैंक से ऋण लेकर आय अर्जन कर रहे हैं एवं नियमित रूप से बैंक की किश्ते भी जमा करवा रहे हैं। कई सक्रिय समूह समाज की समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। समूहों द्वारा पारिवारिक मनमुटावों को सुलझाने में, गांवा में बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि संबंधी समस्याओं को दूर करने में प्रभावी भूमिका अदा की जा रही है।

7. महिला अत्याचार –


भारत में पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति हमेशा ही चिन्ताजनक रही है। रामायण काल में सीता को अग्नि परीक्षा तथा महाभारत काल में द्रौपदी को चीरहरण से गुजरना पड़ा है। यह तो तब हुआ जब महापुरुषों का शासनकाल था फिर भी विभिन्न काल में कई महिलाओं ने अपनी सोच, मेहनत, बहादुरी एवं बल के आधार पर समाज में सम्मानजनक स्थिति हासिल की। फिर भी बहुसंख्यक महिलाओं की स्थिति सोचनीय थी। जैसलमेर जिले में अशिक्षा, गरीबी, जागरूकता की कमी तथा पिछड़ेपन के कारण महिलाओं पर अत्याचार की संभावना प्रबल हो जाती है। जैसलमेर जिले के विभिन्न थानों में महिला अत्याचार वर्ष 2004, 05, 06, 07 तथा 08 में क्रमशः 53, 47, 41, 51 तथा

67 मामलें दर्ज किये गये। जैसलमेर पुलिसस्थाने में उक्त अवधि में सबसे अधिक महिला अत्याचार के मामलें दर्ज किये गए जबकि शाहगढ़ थाने में एक भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि जैसलमेर शहर की महिलाएं ज्यादा जागरूक है जबकि शाहगढ़ थाना परिक्षेत्र की महिलाएं कम जागरूक है।

जिलें के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज महिला अत्याचार के मामलें –

क्र.स.	नाम थाना	2004	2005	2006	2007	2008
1	जैसलमेर	19	18	12	13	20
2	मोहनगढ़	05	04	03	06	08
3	रामगढ़	04	02	03	02	03
4	सम	01	00	00	01	02
5	सांगड	01	01	04	02	04
6	खुहडी	00	01	00	01	02
7	झिझनियाली	01	00	00	01	03
8	शाहगढ़	00	00	00	00	00
9	पोकरण	15	09	07	10	14
10	नचना	00	02	02	03	05
11	नोख	02	03	02	04	05
12	सांकडा	03	03	05	04	01
13	फलसूण्ड	02	04	03	04	00
योग		53	47	41	51	67

पुलिस थानों में दर्ज महिला अत्याचार के मामलें



(अ) जैसलमेर जिलें में महिलाओं की स्थिति : एक संक्षिप्त विचार :-

(i) जनगणना 2001 के अनुसार जैसलमेर जिलें का स्त्री-पुरुष अनुपात 821 है जो कि राजस्थान तथा भारत के लिंगानुपात (कमशः 921 तथा 933) से कम है। विभिन्न वर्गों का पृथक-पृथक लिंग अनुपात दर्शाता है कि सामान्य वर्ग (814) की तुलना में एससी तथा एसटी (कमशः 879 तथा 878) का लिंग अनुपात अधिक है। यह सामान्य जातियों में अधिक जेण्डर विभेदन तथा अनुसूचित जाति व जनजाति में तुलनात्मक रूप से महिलाओं के प्रति अच्छी सोच का ध्योतक है।

(ii) जनगणना 2001 के अनुसार जैसलमेर जिलें की साक्षरता दर राज्य तथा राष्ट्र स्तर से कम है। जैसलमेर जिलें (2001) में पुरुषों की साक्षरता दर (66.25%) के मुकाबले महिला साक्षरता दर 32.05% है। जैसलमेर जिलें में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक वर्ग में 1000 बच्चों पर बालिकाओं का नामांकन 690 है। पहली कक्षा से कमशः उच्च कक्षा स्तरों में जाते समय बालिकाओं का ड्रॉप आउट तेजी से बढ़ता जाता है।

(iii) जनगणना 2001 के अनुसार जैसलमेर जिले में महिलाओं की कार्य में भागीदारी 14.32% थी। राजस्थान तथा भारत के स्तर से कम है। बार-बार पड़ने वाले अकाल-सूखा, विषम भौगोलिक परिस्थितियां, पानी की कमी तथा आधारभूत सामग्री के अभाव में जैसलमेर जिले में एक निश्चित आर्थिक गतिविधि के ढांचे का विकास नहीं होने के कारण रोजगार के अवसरों का सृजन कम हुआ है।

(iv) पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में पुरुषों (932) के मुकाबले महिलाओं की संख्या (487) कम है। समुदाय आधारित कार्यक्रमों में भी महिलाओं की उपस्थिति कम रहती है। वित्तीय स्वायत्तता के अभाव में महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण सही ढंग से नहीं हुआ है। पंचायती राज की बैठकों में महिलाओं के स्थान पर प्रतिनिधि के रूप में उनके पति उपस्थित रहते हैं।

(v) अधिकांश ग्रामीण महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। आमतौर पर महिलाओं का भोजन, पुरुषों की तुलना में निम्न स्तर का होता है। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर महिलाएं प्रसव पूर्व देखभाल से वंचित रहती हैं। इन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान भी घरेलु गतिविधियों के दुष्कर कार्य को भी करना पड़ता है। वे प्रायः परिवहन दूरी व संसाधनों के अभाव में संस्था के प्रसव कराने के स्थान पर घर में ही प्रसव कराने को महत्व देती हैं।

(vi) अधिकांश ग्रामों की महिलाओं को जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए प्रतिदिन दो-तीन कि.मी. का सफर करना पड़ता है। कार्यशील महिलाएं घरेलु कार्यों के साथ-साथ बाहरी व्यावसायिक कार्य भी करती हैं जबकि पुरुष साथ ही सामान्यतः घरेलु कार्यों में हाथ नहीं बंटाते।

(vii) जैसलमेर जिले में विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में वैश्यावृत्ति नहीं पायी जाती है लेकिन जैसलमेर सह पर्यटन उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर होने के कारण यहां पर छुटपुट वैश्यावृत्ति की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। महिलाओं पर घरेलु अत्याचार भी होते हैं लेकिन उपयुक्त जानकारी के अभाव में इसकी शिकायत दर्ज नहीं हो पाती है। जैसलमेर शहर में महिला जागरूकता अधिक होने के कारण उनके द्वारा पुलिस थाने में अत्याचार के ज्यादा मामलें दर्ज करावाये गए।

(viii) जिले में विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं में अभी भी जातिवाद तथा अस्पर्शता के आधार पर सामाजिक ऊंच-नीच का भेदभाव विद्यमान है।

(ब) जैसलमेर जिले में महिला सशक्तिकरण करने के प्रस्ताव — एक परिवार के संचालन एवं विकास में महिला तथा पुरुष दोनों समान रूप से जिम्मेवार हैं। ऐसे में महिला को सशक्त करने के लिए विस्तृत रूप से सामाजिक विकास के साथ-साथ समेकित प्रक्रियाओं को अपनाना आवश्यक होगा। महिलाओं के स्तर में सुधार करने के लिए सर्वप्रथम उसके परिवार में महिलाओं के प्रति सकारात्मक बदलाव लाना आवश्यक है क्योंकि परिवार एक सामाजिक ईकाई है। परिवार में रहते हुए एक महिला को अपने बच्चों के लालन-पालन, घर, पति तथा परिवार की देखभाल के साथ-साथ परिवार से संबंधित नैतिक आचरणों का भी पालन करना पड़ता है। दुसरी तरफ यही परिवार महिलाओं को प्रताड़ित भी करता रहता है। घरेलु हिंसा, नवजात कन्या हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं में पोषण का अभाव, असमान स्वास्थ्य की देखाभाल, शिक्षा में असमान अवसर आदि परिवार में गहरी जड़े बिठाए हुए हैं। परिवार तथा समाज में महिलाओं के प्रति व्याप्त परम्परागत दृष्टिकोण में बदलाव लाकर हम महिलाओं को जेण्डर की मुख्यधारा में ला सकते हैं। अकेली महिलाओं के लिए यह संभव नहीं होगा कि वे अपनी संस्कृति व शिक्षा में स्वयं के बलबूते पर बदलाव ला सकें क्योंकि परिवार में शक्तियों तथा निर्णय देने में पुरुष प्रधान है यहां पुरुषों की महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को लागू करने की प्रतिबद्धता आवश्यक हो जाती है। पुरुषों की मानसिकता में ऐसा बदलाव अचानक नहीं आयेगा। इसके लिए जेण्डर सेंसिटाइजेशन से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जाने आवश्यक हैं। इन सभी के कारण पुरुषों में महिलाओं के प्रति परम्परागत रवैये में बदलाव आयेगा। औपचारिक शिक्षा में महिलाओं के सम्मान से संबंधित पाठ्यक्रम लागू करके जेण्डर सेंसिटाइजेशन किया जा सकता है। महिलाओं में जेण्डर आधारित उत्पीड़न तथा जेण्डर असमानता को रोकने में पुरुषों की भागीदारी अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। अतः पुरुषों को ही आगे बढ़कर जेण्डर असमानता तथा महिला अत्याचार को मिटाना होगा।

**समेकित बाल विकास सेवाएं, जैसलमेर –
रिक्त पदों की सूचना**

माह – अगस्त 09

क्र. स.	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त
1	उपनिदेशक, आईसीडीएस	1	1	0	—
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी	3	3	0	—
3	लेखाकार	4	1	3	2008
4	सांख्यिकी सहायक	1	0	1	19
5	वरिष्ठ लिपिक	5	4	1	2006
6	महिला पर्यवेक्षक	22	9	13	1995 (7) 2006 (6)
7	कनिष्ठ लिपिक	5	4	1	2008
8	वाहन चालक	4	3	1	2007
9	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	5	0	—
10	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय सेवा पर	485	484	1	2007
11	आंगनवाड़ी सहायिका मानदेय सेवा पर	485	484	1	2007
12	सहयोगिनी मानदेय सेवा पर	485	246	239	2005
13	ग्राम साथिन मानदेय सेवा पर	128	60	68	2002

जिला महिला विकास अभिकरण –

रिक्त पदों की सूचना

माह – अगस्त 09

क्र.स.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	कब से रिक्त
1	कार्यक्रम अधिकारी	1	0	1	2008
2	प्रचेता	3	0	3	—
3	लेखाकार	1	0	1	—
4	वरिष्ठ लिपिक	1	0	1	—
5	कनिष्ठ लिपिक	1	0	1	—
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	1	0	—
7	वाहन चालक	1	0	1	—

अध्याय – 5

आजीविका

जिले में आजीविका से संबंधित निम्नांकित विभागों की सूचनाओं को शामिल किया गया है :-

1	कृषि
2	पशुपालन विभाग
3	पर्यटन
4	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना
5	राज0 अनु जाति विकास निगम
6	उद्योग
7	आई.टी.आई.
8	बैंकिंग क्षेत्र
9	एसजीएसवाई
10	रेडा

5.1 कृषि

पश्चिमी राजस्थान में 38392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा एवं कृषि, उद्यानिकी विकास की दृष्टि से सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण जिला है । जिले की औसत वर्षा 164 मि.मी. /वर्ष है एवं जोत का औसत आकार 15 हैक्टर है। जिले में सिंचाई हेतु उपयोग में लिये जाने वाले पम्पसेटों की संख्या लगभग 5000 है। भू जल स्तर अत्यन्त गहरा है एवं जिले का एक बड़ा भू भाग रेतीले धोरों एवं चट्टानों से ढका हुआ है । अधिसंख्यक आबादी पशुपालन एवं कृषि पर निर्भर है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के तहत नवीन क्षेत्रफल कृषि के अन्तर्गत आ रहा है एवं कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय को सम्बल मिला है । रबी में लगभग एक लाख एवं खरीफ में लगभग 5 लाख हैक्टर क्षेत्रफल में खेती की जाती है ।

अत्यल्प व अनियमित वर्षा सूखें की स्थिति, दैनिक तापमान में भारी उतार चढ़ाव, हल्की मिट्टी कठिन जलवायुवीय परिस्थितियां इस जिले की विशेषता है । भू जल का निरन्तर दोहन समस्या की गम्भरता को बढ़ा रहा है । संचार माध्यमों की बढ़ती पहुँच व राजकीय विभागों के प्रयास से, दूरूह परिस्थितियों के उपरान्त भी, फसलों/उत्पादन में हाल के वर्षों में बढ़ोत्तरी हुई है व स्थायित्व आया है । कृषि विभाग द्वारा कम पानी चाहने वाली फसलें व किस्मों का प्रचार प्रसार तथा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का विस्तार किया जा रहा है । स्थानीय कृषकों द्वारा इसकी उपयोगिता को समझा जा रहा है । रबी में सरसों, चना तथा खरीफ में ग्वार, बाजरा, मूँग मोठ व तिल प्रमुख फसलें हैं ।

कृषि जलवायु दृष्टि से जिले को निम्न लिखित तीन प्रमुख खण्डों में बांटा जा सकता है :-

Agro Ecosituations (AES) of Jaisalmer District

S.No.	Name of AES	Salent Features	Spread in Ps.
1	AES – I	Khadi Culture under Conserred Mositre	Major Part of Sam P. S.
2	AES – II	Rainfed Farming	Major Part of Sankda P.S.
3	AES -- III	Irrigated Farming	Major Part of Jaisalmer P.S.

P.S. = Panchajat Samities

प्रमुख विभागीय कार्यक्रम

जिले में राज्य योजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं जैसे कार्य योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आत्मा, आइसोपॉम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन व सूक्ष्म सिंचाई योजना संचालित की जा रही है जिसकी मुख्य मुख्य गतिविधियां निम्नानुसार है -

प्रमुख विभागीय कार्यक्रम

योजना गतिविधि	कृषकों को देय लाभ
राज्य योजना	
जैविक खेती प्रोत्साहन	एक कृषक को एक हैक्टर क्षेत्रफल में 8000/- रू0 तक का अनुदान जिसमें 3000/- प्रमाणीकरण शुल्क सम्मिलित है ।
कृषक प्रशिक्षण, भ्रमण	कृषकों हेतु एक व दो दिवसीय प्रशिक्षण, विभिन्न तकनीकी विषयों पर । उन्नत क्षेत्रों का कृषक समूह द्वारा भ्रमण ।
रबी/खरीफ अभियान	समस्त ग्राम पंचायतों पर, फसल मौसम के पूर्व, कृषि विभाग द्वारा शिविरों का आयोजन जिसमें कृषकों को तकनीकी जानकारी, सलाह दी जाती है । विभिन्न कृषि आदान अनुदान पर उपलब्ध कराने जाते हैं एवं पत्रावलियां तैयार करवायी जाती है ।
महिला सशक्तीकरण	तीस महिलाओं के समूह का दो दिवसीय कार्यक्रम । भोजन विश्राम निशुल्क ।
प्रचार प्रसार	विभिन्न विभागीय व तकनीकी जानकारी हेतु साहित्य का प्रकाशन व वितरण । वाल पेन्टिंग, रेडियो वार्ता इत्यादि ।
सोइल हेल्थ कार्ड	विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टीयों की उर्वरा शक्ति का आंकलन एवं उक्त आधार पर कृषकों को उर्वरक प्रयोग की जानकारी । मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की सेवायें ।
कार्य योजना	
फार्मर्स स्कूल आधारित प्रदर्शन	बाजरा व गेहूँ फसलों हेतु कृषक फील्ड स्कूल आधारित प्रदर्शन कार्यक्रम जिसमें प्रति प्रदर्शन 1000/- तक का अनुदान ।
चारा प्रदर्शन	चारे वाली फसलों के उन्नत तरीके से उगाने पर कृषकों को आदानों पर आर्थिक सहायता ।
गुण नियंत्रण कार्यक्रम	कृषि आदान विक्रेताओं का निरीक्षण नमूने लेना व आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास ।
मिट्टी परीक्षण	नाम मात्र की लागत से कृषकों को खेत की मिट्टी का परीक्षण व परीक्षण आधारित सिफारिशें ।
कृषि यंत्र वितरण	कृषकों द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर 25-50 प्रतिशत तक या एक निश्चित अधिकतम सीमा तक आर्थिक अनुदान
बीजोत्पादन प्रशिक्षण	कृषकों हेतु एक दिवसीय बीजोत्पादन तकनीक पर प्रशिक्षण आयोजन
कृषक प्रशिक्षण व भ्रमण	30-50 कृषकों के समूह हेतु सहायक कृषि अधिकारी स्तरीय एवं पंचायत समिति स्तरीय प्रशिक्षण । अन्तःखण्डीय भ्रमण ।
आइसोपॉम (दलहन व तिलहन)	
पौध संरक्षण उपकरण	कृषकों द्वारा पौध संरक्षण उपकरणों जैसे स्प्रेयर व डस्टर की खरीद पर कुल कीमत का 50 प्रतिशत या एक अधिकतम सीमा तक अनुदान
फसल प्रदर्शन	दाल वाली व तिलहनी फसलों की उन्नत किस्मों के प्रदर्शन आयोजन पर आदान लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2000/- तक का अनुदान देय ।
जिप्सम वितरण	पौषक तत्व के रूप में दलहनी व तिलहनी फसलों में जिप्सम प्रयोग पर अनुदान ।
आई.पी.एम. प्रदर्शन व प्रशिक्षण	दलहनी व तिलहनी फसलों में समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन पर आर्थिक अनुदान ।
मिनिक्विट वितरण	विभिन्न फसलों के नवीन उन्नत किस्मों के बीजों का सीमित मात्रा की थैलियों में निशुल्क वितरण ।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	

जैव उर्वरक वितरण	जैव उर्वरक राइजोबियम, अजोटोबैक्टर पर प्रति पैकेट 3.25/-रु0 व पी.एस.बी. पर प्रति पैकेट 4/- या कीमत का 50 प्रतिशत तक छुट ।
सूक्ष्म तत्व प्रदर्शन	सूक्ष्म तत्व अल्पता वाले क्षेत्रों, सूक्ष्म तत्व मिश्रण के प्रयोग पर अधिकतम 200/- की आर्थिक सहायता ।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	
फलदार बगीचा स्थापना	प्रति हैक्टर 22500/-रु0 तथा बेर फल बगीचों पर अनुदान ।
मसाला बगीचा	जीरा फसल प्रदर्शन आयोजन पर आदानों का 75 प्रतिशत या अधिकतम 5500/- का अनुदान ।
औषधीय व सुगन्धित फसलें	इसबगोल प्रदर्शन या प्रति हैक्टर 5500/- का अनुदान
सामुदायिक जलस्रोत विकास	5 या अधिक कृषकों के समूह को 10 लाख रुपये तक की लागत का जलस्रोत निर्माण पर शत प्रतिशत अनुदान
ग्रीन हाउस	नियंत्रित वातावरण में पूरे वर्ष सब्जी व फूलों की खेती हेतु ग्रीन हाउस निर्माण पर 215 से 325/- वर्गमीटर की दर से अनुदान देय ।
वर्मी इकाई	30 गुणा 20 फिट की स्थायी प्रकृति की वर्मी इकाई निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000/- इकाई अनुदान ।
आई. पी. एम. प्रदर्शन	उद्यानिकी फसलों (जीरा) पर संमेकित कीट व्याधि प्रदर्शन आयोजन पर 50 प्रतिशत या 1000/- हैक्टर अनुदान
मॉडल नर्सरी	18 लाख रुपये की लागत वाली बड़ी फलदार नर्सरी स्थापना पर राजकीय या सार्वजनिक उपक्रमों को शत प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र को 50 प्रतिशत (9लाख) का अनुदान । छोटी नर्सरी पर लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 1.5 लाख रु0) निजी कृषकों को अनुदान ।
कृषक भ्रमण	राज्य के अन्दर या अन्य राज्यों में 50 कृषकों के समूह का शैक्षणिक भ्रमण निशुल्क
सूक्ष्म सिंचाई योजना	
फव्वारा / ड्रिप पर अनुदान	एक कृषक को अधिकतम 5 हैक्टर तक लागत का 50 प्रतिशत (फव्वारा) व 70 प्रतिशत (ड्रिप) या एक निश्चित अधिकतम सीमा तक अनुदान

प्रमुख फसलों व क्षेत्रफल उत्पादन उत्पादकता :-

जैसलमेर जिले में वर्षा की न्यूनता के कारण भारी क्षेत्र में वर्षा आधारित खेती की जाती है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना आ जाने एवं चॉदन, लाठी क्षेत्र में भू जल उपलब्ध होने के कारण गत वर्षों में सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है । वर्तमान में नहरी क्षेत्र में लगभग एक लाख हैक्टर एवं गैर नहरी क्षेत्र में खडिनों व ट्यूबवेल से लगभग 60 हजार हैक्टर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गयी है ,वर्षा आधारित एवं सिंचित क्षेत्र की उत्पादकता में भारी अन्तर है । जिले का औसत निम्न प्रकार है ।

जैसलमेर जिले में फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन व उत्पादकता-खरीफ :-

फसल का नाम	गत 5 वर्षों की औसत उपज		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
बाजरा	132200	26440	200
ज्वार	4397	1464	333
मूंग	2453	613	250
मोठ	1224	245	200
मुगफली	5436	5436	1000
तिल	401	40	100
अरण्डी	643	386	600
ग्वार	296042	31380	106
कपास	193	0	0
योग	442989	66004.6	2789

—: रबी :-

फसल का नाम	गत 5 वर्षों की औसत उपज		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
गेहूँ	9150	21594	2360
जौ	560	672	1200
चना	25000	19425	777
सरसो	58000	59160	1020
तारामीरा	15	1.2	80
जीरा	3050	915	300
इसबगोल	2050	615	300
मैथी	500	100	200
योग	98325	102482.2	6237

3 कृषि सम्बन्धी आधारभूत सुविधायें –

जिले में काजरी, कृषि विज्ञान केन्द्र व कृषि विभाग सहित लगभग एक दर्जन संस्थायें कृषि विकास सम्बन्धी कार्यों में सलग्न हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

जैसलमेर जिले में कृषि विकास कार्यों में सलग्न संस्थायें :

क्र. सं.	संस्था का नाम	संख्या	कार्य सम्पादन	कार्य क्षेत्र	वर्तमान स्थिति
1	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)	1	आदान व्यवस्था वितरण, प्रशिक्षण भ्रमण, गुण नियंत्रण, प्रदर्शन आयोजन	सम्पूर्ण जिला	कार्यशील
2	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	1	मृदा/पानी के नमूनों की जाँच, उर्वरक सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण		
3	कृषि विज्ञान केन्द्र	1	कृषक प्रशिक्षण, प्रदर्शन		
4	लाइव स्टॉक अनुसंधान केन्द्र चॉन्धन	1	पशु नस्ल सुधार व अनुसंधान कार्य		
5	काजरी क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान	1	रेगिस्तानी वनस्पतियों पेड़ पौधों व फसलों पर अनुसंधान कार्य		
6	उप निदेशक पशुपालन	1	पशुपालकों को प्रशिक्षण व पशु उपचार		
7	पशु चिकित्सालय	50	पशु चिकित्सा व कृत्रिम गर्भाधान	निर्धारित क्षेत्र	
8	भारतीय खाद्य निगम गोडाउन	1	अनाज, खाद्य भण्डारण	20000 मै.टन क्षमता	
9	राज. रा. वेयर हाउस का. लि.	1	अनाज भण्डारण	10350 मै.टन क्षमता	
10	किसान सेवा केन्द्र	2	कृषकों को तकनीकी सलाह	जैसलमेर, पोकरण	
11	किसान भवन	1	कृषकों के ठहरने हेतु स्थल	सम्पूर्ण जिला	निर्माणधीन
12	कृषि मण्डियाँ	5	कृषि उपज विपणन	जैसलमेर, मोहनगढ, नाचना, रामगढ, पोकरण	कार्यशील

4 कृषकों का विभिन्न कृषि पद्धतियों से जुड़ाव –

जैसलमेर जिले में सूखे की स्थिति उत्पन्न होना आम बात है। गत एक दशक में लगभग प्रत्येक वर्ष सुखा पड़ा है। पशुओं व कृषकों में आजीविका हेतु अन्य क्षेत्रों में निस्कृमण प्रत्येक वर्ष होता है। जल अल्पता के कारण उन्नत कृषि तकनीक का अपनाना सिंचित क्षेत्र के कृषकों तक सीमित है। वर्षा ऋतु में भारी भू भाग पर घास उग आने के कारण पशुपालन जीविकोपार्जन का एक अच्छा साधन बन जाता है। पारम्परिक राइका, घाँची जातियों के अतिरिक्त अन्य अगड़ी जातियों यहाँ तक कि राजपूतों द्वारा भी भारी संख्या में भेड़, बकरी, उँट व गायें पाली जाती हैं।

औसतन 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषि के साथ-साथ पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते हैं । पंचायत समितिवार व्यावसायिक संरचना निम्नानुसार प्रदर्शित की जा सकती है-

विभिन्न कृषि पद्धतियों पर कृषकों की निर्भरता

औसत प्रतिशत हाउसहोल्ड

क्र.सं.	पंचायत समिति	कृषि	पशुपालन	कृषि व पशुपालन	योग
1	सम	10	30	60	100
2	सांकडा	30	20	50	100
3	जैसलमेर	40	22	38	100

5 कृषि विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में लाभान्वित कृषकों की संख्या :-

कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिले के कृषकों को लाभान्वित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

Table - 7 - कृषि विभाग द्वारा लाभान्वित कृषक -

क्रं.सं.	कार्यक्रम	इकाई	लाभान्वितों की संख्या				
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	प्रदर्शन आयोजन	सं०	280	360	320	380	330
2	मिनिक्विट वितरण	सं०	5750	7125	15200	14700	9000
3	पौ.सं.उपकरण वितरण	सं०	225	270	380	105	10
4	कृषि यंत्र वितरण	सं०	10	16	11	3	10
5	कल्चर पैकेट वितरण	सं०	7500	9050	9000	0	10000
6	साहित्य वितरण	सं०	100000	100000	110000	88000	0
7	फव्वारा वितरण	सं०	487	194	482	459	177
8	फलदार बगीचा स्थापना	है०	15	20	17	25	11

6 जिले में कृषिगत समस्याएँ :-

जैसलमेर जिले में अधिसंख्यक कृषकों की आय व आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि व कृषि से सम्बन्धित गतिविधियां हैं । राज्य के अन्य जिलों की तुलना में जिले में उत्पादकता का स्तर अन्यन्त ही निम्न है जिसका सबसे प्रमुख कारण सिंचाई योग्य

जल की कमी है जो कि वर्षा की कमी के कारण है । अर्थात् इस जिले में अति अल्प उत्पादकता मानव निर्मित न होकर प्रकृति निर्मित है । तेज शुष्क हवाओं, हल्की बालुई मिट्टी गहरे भू जल स्तर ने फसलोत्पादन कार्यक्रम की अत्यन्त सीमित कर दिया है । संतोष की बात यह है कि औसत जोत का आकार बड़ा है । अतः थोड़ी बहुत वर्षात हो जाने पर भी भारी क्षेत्रफल से परिवार के खाने के लिये पर्याप्त अनाज पैदा हो जाता है एवं पालतू जानवरों के लिये चारा उत्पन्न हो जाता है, परन्तु गत वर्षों में लगातार सूखे की स्थिति के चलते कृषि एवं पशुपालन भी दुरुह व अपर्याप्त साधन बनता जा रहा है । इस स्थिति ने रोजगार की तलाश में स्थानीय कृषकों के भारी संख्या में पड़ोसी राज्यों या जिलों से पलायन को बल दिया है । पशुओं को भारी संख्या में तिलक लगाकर मरने के लिये लावारिस छोड़ दिया जाता है । भयानक सूखे की स्थिति में सडकों के किनारों पशु कंकाल के ढेर प्रायः देखे जा सकते हैं । मानव व पशुपालन को रोकने के उद्देश्य से केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा विविध रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों का संचालन इस जिले में प्राथमिकता से किया जाता रहा है। नरेगा योजना ने श्रमिक पलायन को काफी हद तक रोका भी है ।

भौगोलिक दूरियों के कारण कृषि उत्पाद विपणन तंत्र एवं कृषि आदान पहुँच तंत्र भी पौढावस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहा है । हालांकि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के फलस्वरूप नव विकसित सिंचित क्षेत्रों ने आशा का संचार किया है एवं विद्यमान सम्भावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है । परन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है ।

7 सम्भावित संस्थागत दखल :-

जिले की अत्यन्त कठिन जलवायुवीय एवं भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधियों में सुधार लाकर उत्पादक बनाना एक अत्यन्त चुनौती पूर्ण कार्य है । कार्य कठिन अवश्य है पर असम्भव नहीं । कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस संदर्भ में निम्नानुसार है :-

(i) उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने हेतु -

फसलोत्पादन में सबसे बड़ी बाधा सिंचाई जल का अभाव है अतः एक दीर्घकालिक फसल प्रजनन कार्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें स्थानीय वातावरण में उगने वाली फसलों को और अधिक सूखारोधी बनाया जा सके। ऐसी नवीन फसलों व प्रचलित फसलों की किस्मों की आवश्यकता है जो कि कम से कम सम्भव पानी में उगायी जा सके। अतः कृषि अनुसंधान के समस्त प्रयास फसल प्रजनन की और निर्देशित होने चाहिए । इसी प्रकार पशुओं की नश्ल सुधार कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है ताकि कम उत्पादक पशुओं की संख्या में कमी की जा सके ।

(ii) समुचित जल प्रबंधन -

जिले में उपलब्ध जल की जल उपयोग नीति बनायी जावे जिसमें स्वाभाविक रूप से पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे। शेष जल में द्वितीय प्राथमिकता औद्योगिक प्रयोग की दी जानी चाहिए। जिले में जिप्सम लाइमस्टोन, तेल जैसे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। अतः सीमेन्ट, पशु आधारित व तेल से सम्बन्धित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, फैक्ट्रियों की स्थापना की सम्भावना विद्यमान है । नहरी पानी रामगढ विद्युत प्लान्ट व विन्ड मिटस् से उत्पादित बिजली उद्योगों के लिये अच्छी सम्भावनायें प्रस्तुत करते हैं । इससे स्थानीय प्राकृति संसाधनों का समुचित प्रयोग सुनिश्चित होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा एवं सामान्य मानसून की स्थिति में स्थानीय कृषि उत्पादों को अच्छा मार्केट मिलेगा। पानी प्रयोग की तृतीय प्राथमिकता चारा वाली फसलें होना चाहिए क्यों कि पशुपालन इस क्षेत्र के कृषकों के लिये आजीविका का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्रोत है । कमाण्ड एरिया में यूकेलिप्टस जैसे पेड़ लगाने की बजाय चारा वाले पेड़, चारा फसलें लगायी जावे ताकि नहरी किनारों पर होने वाली सेम की समस्या के समाधान के साथ साथ, चारा उत्पादन में बढ़ोतरी हो एवं परिणाम स्वरूप पशुपालकों को बेहतर भविष्य हो । अन्य पारम्परिक फसलों को उन अन्य जिलों या राज्यों के लिये छोड़ देना चाहिए जहां पानी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होता है एवं वर्षात में नदियों के रास्ते समुद्र तक चला जाता है ।

(iii) वैकल्पिक फसल पद्धतियों का विकास -

जैसलमेर जिले में फसल पद्धति में बहुवर्षीय एवं बहुउद्देशीय पेड़ों का सम्मिलित होना अति आवश्यक है । जो भी पानी उपलब्ध हो उसका उपयोग बहु वर्षीय पेड़ पौधे लगाने के लिये कृषकों को उत्साहित किया जावे । समाज को दो वर्ष की उम्र का एक पेड़ भेट करने पर एक निश्चित पारितोषिक राशि पौधे पालक को दी जानी चाहिए । इससे स्थानीय निवासियों को लम्बे अर्से में लकड़ी व चारा का एक विश्वसनीय स्रोत विकसित होगा व स्थानीय सूक्ष्म वातावरण में परिवर्तन होकर वर्षा की मात्रा भी बढ़ सकती है । ऐसे प्रत्येक कृषक जिनके पास ट्यूबवेल या मुरब्बे है उनका बिजली का कनेक्शन स्थायी रूप से तभी देना चाहिए ज बवह प्रति हैक्टर कम से कम 100 बहु वर्षीय पेड़ लगाये । इस प्रकार की कोई नीति बनाने की आवश्यकता है ।

(iv) विपणन तंत्र का सुदृढीकरण -

जिले के कुछ कृषकों द्वारा पूर्व में सोनामुखी, ग्वारपाठा, ऑवला जैसी औषधीय महत्व की फसलों की खेती का सफल प्रयास किया किन्तु उत्पाद का मार्केट नहीं मिलने के कारण इसकी खेती बन्द करनी पडी । यहाँ तक कि जीरा व इसबगोल उत्पादक कृषकों को अभी भी अपने उत्पाद को बेचने के लिये गुजरात की उँझा मण्डी का सहारा लेना पडता है। स्थानीय मण्डियों को ओर अधिक सुविधायुक्त व क्रियाशील बनाये जाने की आवश्यकता है । जहाँ कृषकों को जिन्सों के भावों की दैनिक जानकारी मिल सके । कारपोरेट क्षेत्र को भी राजकीय सहयोग से, क्षेत्र में विपणन कार्य से जोडा जाना चाहिए । यह कार्य नहरी फसली क्षेत्रों में अधिक उपयोगी एवं आवश्यक है । दूरस्थ स्थित क्षेत्रों को जहाँ का उत्पाद कृषक भारी बलुई धोरों के कारण परिवहन नहीं कर सकते हैं, उन्हें सडकों से जोडा जाना चाहिए । नरेगा कार्यों में उन क्षेत्रों के सडक निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जावे जहाँ कृषि उत्पादन हेतु तुलनात्मक रूप से अधिक पानी उपलब्ध है ।

(v) कृषि तकनीक प्रसार तंत्र का सुदृढीकरण -

देश के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाले जिले में मात्र 8 फील्ड लेवल कार्मिक / कृषि पर्यवेक्षकों के पद स्वीकृत है, जब तक जिले की समस्त 128 ग्राम पंचायतों में दक्ष कृषि कार्मिक का पद होना चाहिए इस हेतु पैरा टीचर की तर्ज पर स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों का चयन कर उन्हें राजकीय एवं कारपोरेट कृषि प्रशिक्षण संस्थानों में

प्रशिक्षित किया जावेँ तथा एक निश्चित मानदेय पर ग्राम पंचायत मे तैनात किया जावे । स्थानीय प्रशिक्षित एवं जिम्मेदार कार्मिक की उपस्थिति में ही ग्राम सभाओं में कृषि एवं पशुपालन सम्बन्धी अहम मुद्दों पर चर्चा सम्भव हो सकेगी । इस स्थिति में ही स्थानीय लोगों का परियोजना निर्माण व संचालन में भागीदारी सम्भव हो सकेगी ।

(vi) चारा व खाद्यान्न बैंक –

हालाँकि खाद्यान्न सुरक्षा हेतु सरकारों द्वारा FCI , राज्य वेअर हाउस इत्यादि में बफर स्टॉक संग्रहीत किया जाता है । किन्तु ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय व आर्थिक रूप से सक्षम कृषक द्वारा गोडाउन, बडा भण्डारगृह निर्माण व संचालन पर कृषकों को अनुदान देय होना चाहिए । स्थानीय स्तर पर खाद्यान्न व चारा बैंक स्थापित करने का एक मॉडल प्रोजेक्टर बनाया जाना चाहिए । इस क्षेत्र में भी कारपोरेट सेक्टर को जोडा जा सकता है । भारी व दुरुह भौगोलिक क्षेत्रफल बारम्बार सूखें की स्थिति के मद्देनजर क्षेत्रीय खाद्यान्न व चारा बैंक की अपनी उपयोगिता है । कृषकों को इससे सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हो सकेगी ।

5.2 पशुपालन

राजस्थान के पश्चिम में स्थित इस मरुस्थलीय जिले की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। यहां के ग्रामीणों की आजीविका पशुपालन पर ही निर्भर है। मरु क्षेत्र की प्रसिद्ध थारपारकर गाय, जैसलमेरी ऊँट व जैसलमेरी भेड़ राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष की पशुधन सम्पदा में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं।

थार मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र का जलवायु शुष्क है। यहां का तापमान सर्द ऋतु में 1.9 डिग्री सेन्टीग्रेड तथा ग्रीष्म ऋतु में 49.2 डिग्री सेन्टीग्रेड तक हो जाता है। तेज हवाओं एवं गर्म जलवायु के कारण खरीफ की मुख्य फसलों में बाजरा, ग्वार, मूंग व मोठ प्रमुख हैं। यहां की औसत वर्षा 164 मिमी प्रतिवर्ष है। इतनी कम वर्षा होने के बावजूद भी प्राकृतिक चारागाहों में सेवण घास प्रचुर मात्रा में होती है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर जिले के पशुपालकों एवं कृषकों के आर्थिक स्वावलम्बन के उत्थान में मददगार साबित हो रही है। जैसलमेर जिला पशु बाहुल्य होने के साथ साथ जिले की आर्थिक स्थिति में पशुपालन का एक विशिष्ट योगदान रहा है। यहां जन एवं पशु का अनुपात 1:4 है। जिले का पशुधन घनत्व 47 पशु प्रति वर्ग कि.मी. है।

तुलनात्मक पशुगणना वर्ष 1991, 1997 व 2003, 2007 के अनुसार (लाखों में)

क्र. सं.	पशु किस्म	राज्य 1997	जैसलमेर			
			1991	1997	2003	2007
1	गौ वंश	121.59	1.48	3.10	2.42	3.56
2	भैंस वंश	95.56	0.007	0.01	0.02	0.02
3	ऊष्ट वंश	6.68	0.42	0.42	0.37	0.38
4	घोड़ा वंश	0.23	0.004	0.0043	0.0041	0.007
5	भेड़ वंश	143.12	7.08	12.07	8.90	12.91
6	बकरी वंश	169.37	4.96	8.93	5.88	11.32

मरु भूमि की थारपारकर गाय, जैसलमेरी ऊँट व जैसलमेरी भेड़ अद्वितीय विशेषताओं के कारण इस क्षेत्र में आयोजित होने वाले पशु मेलों में अन्य पड़ोसी राज्यों गुजरात व मध्यप्रदेश आदि के पशुपालकों व व्यापारियों को आकर्षित करते रहे हैं।

थारपारकर गौ वंश :-

थारपारकर नस्ल का नाम इसके उद्भव स्थल थार रेगिस्तान से पड़ा है। पाकिस्तान में यह नस्ल "थारी" के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस नस्ल का मूल स्थान दक्षिण-पश्चिम सिंध राज्य में स्थित थारपारकर जिला है। पाकिस्तान में यह नस्ल अमरकोट, नाकोट, धोरोनाडो और छोड़ क्षेत्रों में भी मिलती है। भारत में इस नस्ल का गौ वंश अब भारत-पाक सीमा से लगे पश्चिमी राजस्थान से कच्छ के रण गुजरात तक मिलता है। राजस्थान में इस नस्ल के उत्कृष्ट गुणों वाले पशु बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और गंगानगर जिलों में पाये जाते हैं। यद्यपि थारपारकर नस्ल दोहरे उद्देश्य (ड्यूअल परपज) की नस्ल है, किन्तु अपनी उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के कारण अति लोकप्रिय है। राजस्थान में इस नस्ल के संवर्द्धन व संरक्षण हेतु दो फार्म स्थापित हैं।

1. पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांधन, जैसलमेर।
2. केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र, सुरतगढ़ पर उत्तम जर्म प्लाज्म परिरक्षित करने हेतु पालन किया जा रहा है। इस नस्ल के पशु प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में जूझने तथा उच्चकोटि की रोग प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं।

इस नस्ल का मुख्य लक्षण आकर्षक आंखें तथा शारीरिक सौष्ठव है। इस नस्ल के पशुओं का सिर मध्यम आकार का, ललाट चौड़ा, चपटा और आंखों से ऊपर थोड़ा उभरा हुआ होता है। इनके कान लम्बे, चौड़े व थोड़े लटकते हुए तथा अन्दर की सतह में पीला रंग लिये अच्छे माने जाते हैं। गाय का ऊधस बड़ा व सुगठित तथा थन 3-4 ईंच लम्बे, अलग-अलग तथा एक ही आकार के होते हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ इस नस्ल के पशुओं के रंग में बदलाव भी होता है। सर्द ऋतु में रंग सलेटी सीणा व ग्रीष्म ऋतु में सफेद रंग प्रतिकूल परिवर्तन से पशुओं की रक्षा करता है।

इस नस्ल की गायों का दुग्ध उत्पादन काल औसतन 305 दिन (240 से 377 दिन) तथा एक ब्यात में कुल दुग्ध उत्पादन 2500 से 3000 लीटर हैं।

जैसलमेरी ऊंट :-

विश्व प्रसिद्ध जैसलमेरी ऊंट की विशेषता उसके दौड़ लगाने की प्रवृत्ति से सहज ही लगाई जा सकती हैं। इस नस्ल की उत्पत्ति पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के थारपारकर नस्ल के ऊंट से हुई बताते हैं। इस नस्ल का आकार मध्यम, वजन हल्का, गर्दन पतली, मुख, सिर व कान छोटे तथा आंखें प्रभावशाली होती हैं।

जैसलमेरी ऊंट हल्के भूरे रंग के होते हैं, किन्तु कुछ ऊंट हल्के काले रंग के भी होते हैं। इनकी चमड़ी पतली, शरीर गठीला तथा उस पर बाल बहुत कम होते हैं। इस नस्ल के ऊंट 100 से 125 कि.मी. तथा ठण्डी रातों में 160 कि.मी. तक की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। अधिक बोझा ढोने में यह नस्ल बहुत अधिक उपयोगी नहीं हैं, परंतु यह अपनी पीठ पर एक या दो सवारियों के साथ कुछ सामान आसानी से ले जा सकता है।

जैसलमेरी भेड़ :-

राजस्थान की प्रमुख 8 नस्लों में जैसलमेरी भेड़ ऊन गुणवत्ता में इन्डियन मेरिनो चौकला के बाद दूसरे स्थान पर हैं। अपनी अद्भूत रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा शुष्क-ऊष्ण जलवायु व अकाल जैसी विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने के कारण देश भर में प्रसिद्ध हैं। इनके मुंह का रंग काला, कान बड़े, नाक उभरी हुई तथा शरीर सफेद या भूरे रंग का होता है। इनकी मादा का औसतन भार 35 से 45 कि.ग्रा. होता है। एक भेड़ से वर्ष में औसतन 1.92 कि.ग्रा. ऊन का उत्पादन होता है।

जैसलमेर में पशुधन से आय

जिले में 42000 मैट्रिक टन दुग्ध उत्पादन होता है। जिससे पशुपालकों को 33.60 करोड़ की आय होती है। वर्ष भर में कुल ऊन उत्पादन 22.80 लाख कि.ग्रा. होता है जिससे 11.40 करोड़ रुपये की आय भेड़पालकों को होती है। प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत बकरे मांस हेतु विक्रय किये जाते हैं जिनसे 60 लाख किलो मांस प्रतिवर्ष उत्पादन होता है और इससे 24.00 करोड़ की आय होती है। मांस हेतु 4 लाख नर व मादा भेड़े उपलब्ध होने से औसत मांस उत्पादन 80 लाख किलो प्रतिवर्ष होता है जिससे 32.00 करोड़ की आय होती है। अतः कुल मांस उत्पादन 1.4 करोड़ किलो व वार्षिक आय 56.00 करोड़ की होती है। जिले में पशुपालकों को दूध, ऊन व मांस से लगभग 1 अरब रुपये की वार्षिक आय होती है, प्रतिव्यक्ति पशुपालन से 2500 रुपये प्रतिवर्ष आय होती है।

जिले में उपनिदेशक पशुपालन विभाग, जैसलमेर के अधीनस्थ पशु चिकित्सा कार्य सम्पादन करने हेतु निम्न संस्थाएं कार्यरत है। :-

1. 'अ'श्रेणी पशु चिकित्सालय	:	02
2. आरक्षण क्षेत्र पशुमाता उन्मुलन इकाई	:	01
3. जिला रोग निदान प्रयोगशाला	:	01
4. पशु चिकित्सालय	:	32
5. पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	:	16

-: जिले में विभागीय गतिविधियां :-

1. कृत्रिम गर्भाधान :-

नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य वर्ष 1992-93 में जिला मुख्यालय जैसलमेर और पोकरण में प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में जिले में 15 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र जैसलमेर, बडोडा गांव, चांधन, लाठी, भादरिया, खेतोलाई, पोकरण, भणियाणा, फलसूण्ड, सत्याया, नाचना, मदासर, मोहनगढ, सुल्ताना, रामगढ व उपकेन्द्र कार्यरत हैं।

2. बधियाकरण :-

जिले में थारपारकर नस्ल के संरक्षण एवं नकारा बछड़ों व साण्डों को प्रजनन क्षेत्र से पृथक करने के लिये बधियाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है।

3. बछड़ा-बछड़ी एवं दुग्ध प्रतियोगिता :-

उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों में प्रतिस्पर्द्धा की भावना जागृत कर पशुओं के उत्पादन में वृद्धि व नस्ल सुधार हेतु प्रेरित करना है।

4. पशु चिकित्सा कार्य :-

जिले में पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा मुख्यालय एवं क्षेत्र में पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर पशुओं को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाता है।।

5. टीकाकरण :-

संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा गलघोटू फडसूजन खुरपका-मुंहपका टीकाकरण भेड़ों में फडकिया व माता रोगों के टीके लगाये जाते हैं।

6. पशु प्रदर्शनी एवं पशुपालक गौष्ठियां :-

जिले में पशुधन एवं डेयरी विकास संबन्धी नवीन तकनीकी जानकारी व विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु गौष्ठियां का आयोजन किया जाता है।

7. विस्तार कार्यक्रम :-

जिले में विभाग संबन्धी विस्तार प्रवृत्तियों के प्रचार प्रसार हेतु जिला मुख्यालय पर विकास प्रकोष्ठ स्थापित हैं। विभाग की प्रगति की स्थानीय समाचार पत्रों, संचार माध्यमों, आकाशवाणी, मुद्रित प्रचार साहित्य, पशु शिविरों, पशुपालक गौष्ठियों, फिल्म प्रदर्शन इत्यादि माध्यमों से विभागीय गतिविधियों की पशुपालकों व अन्य जन साधारण को जानकारी दी जाती हैं।

8. अकाल में विभाग की गतिविधियां :-

जिले में लगातार अकाल की स्थिति से पशुओं को हरा चारा नहीं मिलने एवं खनिज लवणों की कमी से पशुओं में रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना, पाईका तथा ग्याबन पशुओं में अधुरे बछड़े गिर जाना (अबोरशन) अकाल के समय एक आम समस्या बनी रहती है।

—: केन्द्रीय पशु पंजीकरण योजना :-

जिले की स्थानीय थारपारकर नस्ल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने एवं एलाईट जर्म प्लाज्म के संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय पशु पंजीकरण योजना (CHRS) जिले में वर्ष 1998-99 में शुरू की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता युक्त थारपारकर नस्ल की गायों का पंजीकरण व दुग्ध अभिलेखन कर उनसे उत्पन्न नर बछड़ों को प्रजनन योग्य साण्ड के रूप में विकसित कर पशुपालकों को नस्ल सुधार हेतु वितरण करना है।

जैसलमेर जिले में इस योजना अंतर्गत 16 CHRS केन्द्रों की स्थापना की गई थी। जिसमें समीक्षाधीन वर्ष में सभी 16 केन्द्रों जैसलमेर, बडोडा गांव, चांधन, लाठी, खेतोलाई, पोकरण, लौहारकी, नोख, डांगरी, झिंझनयाली, सत्तो, म्याजलार, खूहड़ी, देवा, रामगढ़ व मोहनगढ़ थे।

—: भेड़ व ऊन प्रसार :-

जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग रेगिस्तानी होने के कारण यहां की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर ही निर्भर है, जिसमें से भेड़ पालन मुख्य भूमिका रखता है। जिले में उपलब्ध भेड़ों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसके उत्पादनों से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने और भेड़पालकों का आर्थिक स्तर व भेड़ों की नस्ल सुधारने तथा ऊन की गुणवत्ता को श्रेष्ठतर बनाने हेतु योजनाबद्ध कार्य किया जाता है।

—: जैसलमेर जिले की समस्याएँ एवं सुझाव :-

1. जैसलमेर जिला पशुधन बाहुल्य होने के बावजूद दुग्ध उत्पादन बहुत ही कम है। इसका मुख्य कारण उन्त नस्ल के पशु पशुपालक के पास नहीं होना है। जैसलमेर जिले के थारपारकर नस्ल की गाय विषम हवामान में अच्छी रोग प्रतिकारक शक्ति होने से पुरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है। इसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जिले में मोहनगढ़, पोकरण, फतेहगढ़ में काफ रिअरिंग सेंटर स्थापित कर थारपारकर नस्ल के बछड़ों का पालन पोषण कर उनको जिले में स्थित गौशालाओं ग्रामपंचायत, निजी डेयरी और प्रगतिशील पशुपालकों को वितरित कर देशी नस्ल की गायों को प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार किया जाना प्रस्तावित है।

2. जिले में पशुपालकों की मुख्य समस्या दुग्ध उत्पादन को बाजार व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने से मनचाही कीमत नहीं मिलती है एवं पशुपालक को आर्थिक हानि उठानी पडती है।
इस समस्या के निवारण हेतु जिले की 128 ग्राम पंचायतों में डेयरी द्वारा दुग्ध संग्रहण की व्यवस्था एवं ग्राम पंचायतों को डेयरी रुट से जोड़ने की आवश्यकता है। ताकि पशुपालकों को दुग्ध का अच्छे दाम उन्ही के गांव में घर बैठे मिलेंगे। इसलिये इससे जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लाखों पशुपालकों को लाभ होगा एवं उनकी आर्थिक उन्नति होगी।

3. जैसलमेर जिले में पशु चिकित्सा कार्य हेतु 34 पशु चिकित्सालय व 14 उपकेन्द्र वर्तमान में कार्यरत है। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल विशाल होने व बिखरी आबादी होने से पशु चिकित्सा सेवाओं का पूर्ण लाभ पशुपालक नहीं ले पा रहे है।

इस समस्या के समाधान हेतु जैसलमेर जिले में अ श्रेणी प. चि. जैसलमेर व अ श्रेणी प. चि. पोकरण में मोबाईल चिकित्सा की टीम होना अत्यन्त आवश्यक है। इस टीम में एक पशु चिकित्सक, दो पशुधन सहायक, एक च.श्रे.क. व वाहन चालक का होना आवश्यक है। यह टीम जिले के दूरदराज के क्षेत्र में अचानक फैली हुई बिमारी की मौके पर पहुंचकर रोकथाम कर सकती है।

4. जैसलमेर जिले में अकाल एक भयंकर समस्या है। यहां हर दो साल में एक बार अकाल का सामना करना पडता है। इससे मुख्यतः पशुधन व पशुपालक प्रभावित होते है। अकाल में मुख्यतः चारों की समस्या रहती है। चारा पडौसी राज्यों से मंहगे दाम पर मंगवाना पडता है।

इस समस्या के समाधान हेतु जिले के नहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर चारागाह का विकास किया जा सकता है। इससे अकाल में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध रहेगा। इससे पशुओं में दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढेगी। बांझ निवारण की समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है। इससे पशुपालकों को आर्थिक फायदा होगा।

5. जैसलमेर जिले में 2007 की पशुगणना के अनुसार भेड़ें 10,50,192 तथा बकरी 11,32,856 कुल 21,83,048 हैं, जब कि जिले में मीट उद्योग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और न ही सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में मीट उद्योग की कोई इकाई है। जबकि क्षेत्र में मीट उद्योग की विपुल संभावनाये है और इस ओर प्रयास किया जाना आवश्यक है। ऊन उद्योग की भी काफी संभावनायें है, इस ओर भी निजी क्षेत्र के माध्यम से कार्य हो सकता है जिसमें हजारों मानव परिवारों को रोजगार मिलकर उनका विकास हो सकता है।

क्षेत्र में लगभग 3.50 लाख गौवंश संख्या को मध्य नजर रखते हुये डेयरी उद्योग की भरपूर संभावनायें है।लेकिन यह कार्य निजी क्षेत्र में ही किया जाना संभव हो सकेगा। इन दोनों क्षेत्रों से जिले की अधिकांश जनसंख्या संबंधित हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बनाये गये स्वयं सहायता समूह भी यदि चाहे तो इस संबंध में पहल कर सकते है तथा इन्हें उपरोक्त व्यवसायों से सम्बद्ध किया जा सकता है।

उपरोक्त उद्योग वैज्ञानिक तरीके से करने पर जिले के अधिकांश मानव समुदाय को लाभ पहुंचेगा तथा उनके परिवारों के जीवन स्तर में काफी सुधार होने की संभावनायें है।

6. उप निदेशक पशुपालन, सहायक निदेशक पशुधन विकास, अ श्रेणी पशु चिकित्सालय, जिला रोग निदान प्रयोगशाला व पशुमाता उन्नूलन इकाई आरक्षण क्षेत्र जैसलमेर उक्त पांचों संस्थायें पशु चिकित्सालय जैसलमेर के भवन में कार्यरत हैं, जिससे पांचों संस्थाओं का कार्य बाधित हो रहा है।

अतः चारों संस्थाओं के भवन पृथक-पृथक होना तथा अ श्रेणी पशु चिकित्सालय के भवन का विस्तार आवश्यक है।

5.3 पर्यटन

जैसलमेर में पर्यटन एक उद्योग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके बहुआयामी व्यावसायिक गतियों से जुड़े होने से यह आजीविका का साधन होने के साथ ही इससे देश को विदेशी मुद्रा अर्जित होती है।

जैसलमेर में पर्यटन व्यवसाय का प्रारंभ एवं विकास का संक्षिप्त विवरण :-

पर्यटन विश्व के विशालतम उद्योगों में से एक महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में जैसलमेर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है।

उन्नीसवीं शताब्दी तक जैसलमेर उठों से भारत व मध्य एशिया के बीच होने वाले व्यापारिक मार्ग का मुख्य व्यापारिक केन्द्र था, जिसके फलस्वरूप विपुल संपदा के अर्जित होने से यहां किले, हवेलियां, मंदिर, स्मारक भव्य तालाब निर्मित हुए। बंबई बंदरगाह के प्रारम्भ होने से विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होने से व व्यापारिक सड़क मार्ग बंद होने से जैसलमेर के व्यापारी व जन समूह यहां से निष्क्रमण गये।

स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय सरकार का ध्यान भारत-पाक सीमा पर स्थित सीमान्त जिला आकर्षित नहीं कर पाया। सन् 1965 में भारत पर हुए पाक हमले के दौरान सीमान्त जिले में पहुँची भारतीय सेना को सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायुसेवा, बिजली-पानी के अभाव में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडा, जैसलमेर भारत पाक सीमा पर महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील जिला होने व उसकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए भारत सरकार द्वारा 1965 से 1971 के मध्य करोड़ों रुपये खर्च कर सुरक्षा की दृष्टि से सभी सुविधाएँ जैसलमेर जिले में उपलब्ध कराई गयी।

सन् 1971 में पुनः भारत पाक युद्ध के दौरान जैसलमेर सीमा क्षेत्र में हुए भीषण युद्ध के दौरान शान्ति वार्ता हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों ने जैसलमेर का भ्रमण कर युद्ध क्षेत्र के साथ यहां के दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण किया। युद्ध शांति के बाद जैसलमेर जिले के क्षेत्र में तेल की खोज हेतु पड़ोसी विदेशी कम्पनीयों में कार्यरत विदेशियों ने जैसलमेर के दर्शनीय स्थलों का भी अवलोकन किया व अपने देशों में भी इसका प्रचार-प्रसार किया।

17 मई 1974 को भारत द्वारा जैसलमेर जिले में किये परमाणु परीक्षण के दौरान विश्व के वैज्ञानिकों, देश के नेताओं, पत्रकारों ने जैसलमेर का अवलोकन कर जैसलमेर में पर्यटन विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की योजना क्रियान्वित करने हेतु राजस्थान सरकार से निवेदन किया। इसी प्रक्रिया में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा सन् 1974 में पर्यटकों के लिये आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत पर्यटक विश्राम गृह का निर्माण कर आवास सुविधा उपलब्ध करवाई, जो वर्तमान में आर.टी.डी.सी. होटल, मूमल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार वर्ष 1976 में पर्यटकों द्वारा जैसलमेर पर्यटन स्थल के रूप में पहचाना गया एवं जैसलमेर भ्रमण को आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि निरंतर है।

जैसलमेर भ्रमण को आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की वर्षवार सांख्यिकीय सूचना का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	वर्ष	पर्यटक देशी	पर्यटक विदेशी	योग	क्र.सं.	वर्ष	पर्यटक देशी	पर्यटक विदेशी	योग
1	1981	65908	7413	73321	2	1982	66879	9082	75961
3	1983	69416	13521	82937	4	1984	72280	14475	86755
5	1985	73754	15049	88803	6	1986	78605	21560	100165
7	1987	78860	24498	103358	8	1988	82530	28707	111237
9	1989	82862	37391	120253	10	1990	99547	40170	139717
11	1991	104610	38103	142713	12	1992	115797	49624	165418
13	1993	71670	45690	117360	14	1994	76727	42672	119399
15	1995	79958	47623	127581	16	1996	35179	49444	84623
17	1997	54326	53528	107854	18	1998	52068	52330	104398
19	1999	35740	49910	85650	20	2000	58578	50732	109310
21	2001	103319	46914	153233	22	2002	96642	25862	122504
23	2003	132881	50768	183649	24	2004	182292	81208	263500
25	2005	199238	99439	276677	26	2006	204776	117740	322516
27	2007	211928	128675	340603	28	2008	228859	135329	364188

जैसलमेर में वर्ष 2004 से 2008 गत 5 वर्षों में भ्रमण पर आये पर्यटकों की महावारी सांख्यिकीय सूचना :-

माह	वर्ष 2004		वर्ष 2005		वर्ष 2006		वर्ष 2007		वर्ष 2008	
	देशी	विदेशी								
जनवरी	20924	5288	13520	9113	15868	11436	18461	13990	21058	14182
फरवरी	18695	8387	13807	10293	17777	11876	18073	14079	19717	15966
मार्च	11032	7564	13123	11066	14498	12927	15948	14522	17135	15839
अप्रैल	6658	4119	6986	5140	8572	7331	9973	8489	11264	9741
मई	6299	1066	7380	1297	9170	1912	11094	2801	12064	3493
जून	6126	1022	6947	1101	8873	1466	6842	1534	8913	1733
जुलाई	8899	4458	9117	5296	10717	5847	1102	7085	12658	8005
अगस्त	6735	9767	8680	9746	9983	10390	11110	10647	12954	11320
सितम्बर	11392	5187	13076	7180	14193	8152	14819	9178	15118	10750
अक्टूबर	24450	10622	26618	12605	39852	15883	24553	12674	29532	13220
नवम्बर	37468	14210	30469	16600	24636	17424	34693	19707	29570	20039
दिसम्बर	23614	8218	27515	10002	30907	13096	35360	13969	38876	11042
योग	182292	81208	177238	99439	204776	117740	211928	128675	228859	135329

जैसलमेर भ्रमण को आने वाले पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि के फलस्वरूप आधार भूत सुविधाओं के अन्तर्गत आवास सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है , सन 1975 में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित विश्राम गृह जो आज कल आर.टी.डी.सी. होटल मममल के नाम से जाना जाता है उसमें 18 कमरों का निर्माण करवाया गया था उसमें वर्तमान में 60 कमरे संचालित है वर्ष 05 से 08 तक वर्षवार आवास सुविधा में हुई वृद्धि की स्थिति

वर्ष	होटल			धर्मशाला			राजकीय आवास			पी.जी. हाउस		
	होटल संख्या	कुल कमरे	कुल बिस्तर	कुल संख्या	कुल कमरे	कुल बिस्तर	होटल संख्या	कुल कमरे	कुल बिस्तर	होटल संख्या	कुल कमरे	कुल बिस्तर
2005	109	1695	4826	4	123	1310	4	40	88	3	11	20
2006	117	1759	3622	4	152	1221	4	40	88	3	12	23
2007	107	1567	3248	4	112	1244	4	40	88	5	15	29
2008	134	2141	4432	6	204	1830	4	44	88	3	12	23

1 अप्रैल 2009 को जैसलमेर में उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के आवास सुविधाओं की सूचना

क्र.सं.	आवास सुविधा	कमरों की संख्या	कुल बिस्तर
1	उच्च स्तरीय होटल 16	773	1560
2	मध्यम श्रेणी होटल 59	892	1100
3	बजट श्रेणी होटल 78	685	1406
4	धर्मशाला 6	204	1830
5	राजकीय आवास 4	44	88
6	पेइंग गेस्ट हाउस 3	12	23
	योग	2610	6747

वर्तमान में जैसलमेर में निरंतर विकसित होते पर्यटन व्यवसाय के फलस्वरूप आवास सुविधाओं के साथ ही रेलवे संचालन,सड़क मार्ग परिवहन व्यवसाय ,टेक्सी, उठ संचालन ,होटल, रिसॉर्ट्स ,रेस्टोरेन्ट्स,एम्पोरियमस,ट्रेवल एजेन्सीज, एवं गाईड सेवा व्यवसाय में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 15 से 20 हजार व्यक्ति रोजगार में लगे हैं जिन पर करीब 1लाख लोग आश्रित हैं। आजीविका हेतु जिले में पर्यटन व्यवसाय से सभी वर्ग के व्यवसायी लाभान्वित हैं एवं इससे स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में विकास हुआ है । पर्यटन उद्योग से विदेशी पर्यटकों के से देशों भी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है

जैसलमेर में पर्यटन उद्योग से संबंधित प्रतिष्ठान व उसमें नियोजित व उन पर आश्रित व्यक्तियों का अनुमानित चित्रण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	प्रतिष्ठान	परोक्ष रूप में सेवा में नियोजन	नियोजन पर आश्रित
1	होटल-रिसॉर्ट गेस्ट हाउस धर्म	4000	20000
2	रेस्टोरेन्ट ढाबा	1500	5000
3	परिवहन	2000	15000
4	केमल सफारी	2000	10000
5	एम्पोरियम	1000	5000
6	ट्रेवल एजेन्सी	500	2500
7	गाईड	200	1000
8	लोककलाकार	1000	5000
9	बुनकर व हस्तकलाकार	1000	5000
10	अन्य	1800	2000
	योग	15000	70500

उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त जैसलमेर में पर्यटक आगमन में हुई निरंतर वृद्धि के फलस्वरूप अवांछनीय तरीकों से धन कमाने की लालसा लिये असामाजिक तत्वों, भिखारियों, लपकों ने भी पर्यटकों को परेशान करना प्रारम्भ किया। पर्यटकों को सुरक्षा, सहयोग व सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 से विभाग द्वारा पर्यटक सहायता बल के गठन की योजना प्रारम्भ की गई, जिसके तहत जैसलमेर में भूतपूर्व सैनिकों को संविदा को संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर उन्हें भी रोजगार प्रदान किया गया।

जैसलमेर में पर्यटन आजीविका के प्रमुख स्रोतों में से एक है, इसके निरन्तर विकास के लिये पर्यटकों को आधार भूत सुविधाएँ, सुरक्षा, सूचना साहित्य, उपलब्ध कराने पर्यटन का प्रचार प्रसार करने, पर्यटन स्थलों को विकसित करने, पर्यटन विकास के लिए नई योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन, लोक संस्कृति के परिचायक मेले त्योहारों का आयोजन, पर्यटकों को सुरक्षा सहायता प्रदान करने हेतु पर्यटक सुरक्षा बल का गठन एवं संचालन, अतिथि सेवा, गाईड को प्रशिक्षण देकर परिचय प्रदान करना आदि का कार्य सम्पादित करने हेतु पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा वर्ष 1981 में जैसलमेर में पर्यटक सूचना केन्द्र की स्थापना कर वर्ष 1995 में इसे पर्यटक स्वागत केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार पर्यटन विभाग के अधिनस्थ जैसलमेर में कार्यरत स्टाफ, पर्यटक स्वागत केन्द्र की कार्ययोजना एवं गतिविधियां निम्न प्रकार है :-

स्टाफ की सूचना :-

क्र.सं.	स्वीकृत पद का नाम	संख्या	कार्यरत	रिक्त पद
1	सहायक निदेशक	1	-	1
2	पर्यटक अधिकारी	1	-	1
3	सहायक अधिकारी	3	1	2
4	कनिष्ठ लिपिक	2	2	-
5	सहायक कर्मचारी	1	1	-

गतिविधियां व कार्ययोजना :-

1. जिले में पर्यटन से संबंधित सूचनाओं का संकलन, होटल रेस्टोरेन्ट, परिहन टैक्सिया, गाईड ट्रेवल एजेन्सी, एम्पोरियम, दर्शनीय स्थानों की सूचनाओं का विवरण।
2. पर्यटकों की वांछित सूचना, पर्यटन साहित्य उपलब्ध करवाया व सहयोग प्रदान करना है।
3. राजकीय/विभागीय अतिथियों-गणमान्य राजनेताओं के जैसलमेर भ्रमण के दौरान सहायता करना।

4. पर्यटन संबंधित विकास योजनाओं, आधारभूत सुविधाओं का विकास, पर्यटन विकास में कठिनाईयों आदि से उच्च प्राशासनिक अधिकारियों/विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाना व जानकारी सुझाव प्रेषित करना।
5. पर्यटन विकास में सहयोग संस्थान जिला प्रशासन, नगरपालिका, पुरातत्व एवं संग्रहालय, वन विभाग, टाउन लान, लोक कलाकार संस्थान, कला संस्कृति संस्थान, सांस्कृतिक धरोहर संस्थान आदि के सम्पर्क में रहना।
6. पर्यटक स्थलों/स्मारकों का चयन, संरक्षण, वहां पर आधारभूत सुविधाओं के निर्माण एवं विकास हेतु प्रस्ताव-सुझाव तैयार करना।
7. गाईड प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर प्रशिक्षित गाईडस को कार्य हेतु अनुज्ञा पत्र प्रदान करना।
8. पर्यटकों की सहायता हेतु पर्यटक सहायता बल के गठन में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति।
9. सम्पूर्ण होटलों, धर्मशालाओं, आवासगृहों में ठहरने वाले पर्यटकों की सांख्यिकीय सूचना का संकलन कर सूचना मुख्यालय को प्रेषित करना तदनुसार अग्रिम योजना निर्माण एवं विकास क्रियान्वयन हो सके।
10. क्षेत्र की लोक कला संस्कृति के प्रतिक मेले त्यौहारों का संरक्षण, विकास व प्रचार प्रसार एवं मेले त्यौहारों का आयोजन।
11. पर्यटन प्रचार-प्रसार से संबंधित साहित्य मुद्रण करवाना एवं विभाग से प्राप्त कर पर्यटकों को उपलब्ध करवाना, पर्यटन से संबंधित प्रदर्शनियों, सम्मलेन गोष्ठियों का आयोजन व पर्यटन विकास हेतु सहयोग।
12. पर्यटन के विभिन्न आयाम जैसे – साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, चिकित्सकीय पर्यटन, शैक्षणिक व शोध पर्यटन की संभावनाओं के प्रस्वाव तैयार करना, व्यापक प्रचार प्रसार एवं संबंधित एवं सम्बंधित योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन।

जैसलमेर में पर्यटन विकास से सम्बंधित कार्य :-

जैसलमेर में निरन्तर विकसित हो रहे पर्यटन एवं पर्यटक आगमन संख्या में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर में समय-समय पर विभिन्न विकास कार्य भी सम्पादित करवाए जाते हैं। विकास कार्य करवाए जाने से जहां पर्यटक सुविधाओं का विस्तार एवं पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है वहीं विकास कार्यों में लगे क्षेत्र के लोगों के नियमित रोजगार में भी वृद्धि हुई है।

वर्ष 2000-01 से 2006-07 के दौरान निम्न विकास कार्य करवाए गये है :-

क्र. सं.	वर्ष	कार्य का विवरण	व्यय राशि
1	2000-01	दुर्ग के अखे प्रोल में चौक का निर्माण	7.00 लाख रुपये
2	2002-03	राजकीय संग्रहालय में शौचालय निर्माण	5.00 लाख रुपये
3	2004-05	कुलधरा में केम्पस पार्क का निर्माण	9.97 लाख रुपये
4	2004-05	गडसीसर तालाब पर घाट निर्माण	2.25 लाख रुपये
5	2004-05	शहर में थीम वाटिका का विकास	3.89 लाख रुपये

उक्त कार्यों की प्रक्रिया को निरंतर रखते हुए विकास कार्यों के अन्तर्गत केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2006-07 में टूरिस्ट डेव्लपमेंट स्कीम के तहत 315.45 लाख रुपये स्वीकृत कर स्थानीय नगरपालिका को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त कर धनराशि उपलब्ध कराई गई है। जिसमें निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये गये है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	सीटी पार्क में विभिन्न विकास कार्य	104.94
2	मुख्य सड़क मार्गों पर आवर हैड साईनबोर्ड	27.55
3	किले की दीवार के सहारे पार्किंग निर्माण	14.45
4	वाटिकाओं का विकास	20.00
5	गडसीसर तालाब में बिस्सा बगेची की ओर घाट निर्माण कार्य	16.81
6	डेडानसर मैदान का विकास कार्य	93.76
7	शहर की मुख्य सड़कों पर वृक्षारोपण एवं फेंसिंग कार्य	13.94
8	सनसेट पाइंट सुलीडुंगर पर विकास कार्य	24.00
	योग	315.45

मेले त्यौहारों का एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

राजस्थान के मेले त्यौहार यहां की जीवन्त सांस्कृतिक विरासत के उदाहरण हैं। इन मेले त्यौहारों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के माध्यम से जैसलमेर में पर्यटकों को आगमन हेतु आकर्षित कर पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेले त्यौहारों के माध्यम से जैसलमेर का प्रचार-प्रसार भी किया जाता है। इसी प्रक्रिया के संदर्भ में सन् 1979 में जैसलमेर मरु समारोह का आयोजन प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1981 में जहां 7 हजार विदेशी पर्यटक व 60 हजार भारतीय पर्यटकों का आगमन था। आज जैसलमेर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या दो लाखों से अधिक है। इसी प्रकार रामदेवरा मेला, पर्यटन दिवस, थार समारोह व अन्य विविध मेले त्यौहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन करने व प्रचार-प्रसार करने से आज पर्यटकों की संख्या में वृद्धि निरंतर है।

जैसलमेर में विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जनवरी-फरवरी में हिन्दी तिथि माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी चतुर्थदशी व पूनम को मरु समारोह का आयोजन सन 1979 से किया जाना निरंतर है।

आगामी पांच वर्षों में मरु समारोह के आयोजन की तिथियां –

क्र. सं.	वर्ष	आयोजन की तिथि
1	2010	28-30 जनवरी
2	2011	16-18 फरवरी
3	2012	5-7 फरवरी
4	2013	23-25 फरवरी
5	2014	12-14 फरवरी
6	2015	1-3 फरवरी

गाईड सेवा में विस्तार :- सर्वप्रथम सन 1990-91 में विभाग द्वारा जैसलमेर में गाईड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 32 गाईडों को परिचय पत्र प्रदान किये गये थे, वर्ष 2001 में पुनः द्वितीय गाईड प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा 93 गाईडों एवं वर्ष 2003 में 132 गाईडस को प्रशिक्षण प्रदान कर परिचय पत्र प्रदान किये गये।

पर्यटन विकास हेतु सकारात्मक प्रस्ताव

जैसलमेर में 1975 से पर्यटक आगमन प्रारंभ हुआ है। सांख्यिकीय सूचना के अनुसार जैसलमेर भ्रमण को आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि निरंतर है। फिर भी पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाओं के अभाव में राजस्थान के अन्य शहरों में आने वाले पर्यटकों की तुलना में पर्यटक आगमन संख्या कम है। जैसलमेर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने की दिशा में निम्न सुविधाओं के विस्तार व पर्यटन विकास हेतु निम्न कार्य प्रस्तावित हैं।

1. भारत के महानगरों से जैसलमेर तक वायु सेवा प्रारंभ किया जाना :-

भारत-पाक की अन्तर्राष्ट्रीय पश्चिमी सीमा पर स्थित जैसलमेर भारत के महानगरों से बहुत दूर है, जहां से पर्यटकों का रेल-बस मार्ग से लम्बी यात्रा करते हुवे जैसलमेर पहुंचना कष्टप्रद, महंगा एवं अत्यधिक समय लगाने वाला है, जिससे उच्च श्रेणी के धनाढ्य पर्यटक जैसलमेर की यात्रा नहीं कर पाते हैं। अतः जैसलमेर से दिल्ली-मुंबई वाया जयपुर-जोधपुर-उदयपुर की हवाई यात्रा का नियमित संचालन अति आवश्यक है।

जैसलमेर में सिविल एयरपोर्ट निर्माण का कार्य प्रगति पर है, इसे त्वरित गति से पूर्ण किया जावे। वायुसेवा प्रारंभ होने व इसकी नियमितता होने पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित है।

2. रेल सेवाओं का विस्तार :-

जैसलमेर वर्तमान में दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-बीकानेर रेल मार्ग से जुड़ा है। भारत के अन्य प्रान्तों में पर्यटकों को जैसलमेर भ्रमण हेतु रेल सुविधा प्रदान करने के लिए निम्न प्रकार दर्शाए अनुसार रेल सेवा को विस्तार किया जाना प्रस्तावित है :-

1. हावडा से चलकर जोधपुर पहुंचने वाली हावडा एक्सप्रेस को जैसलमेर तक बढ़ाया जाये तो पश्चिमी,-बिहार, उत्तर प्रदेश के पर्यटक सीधे जैसलमेर पहुंच सकेंगे।
2. मुम्बई-जोधपुर के बीच चलने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस को जैसलमेर तक बढ़ाया जाये तो मुम्बई-महाराष्ट्र गुजरात के पर्यटकों के लिए जैसलमेर की यात्रा करना सुगम हो जायेगा।
3. इन्दोर-जोधपुर के बीच चलने वाली रणथम्भौर एक्सप्रेस रेल सेवा को जैसलमेर तक बढ़ाया जाये तो मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश राजस्थान के अन्य जिलों से पर्यटक सीधे जैसलमेर पहुंच सकेंगे। जैसलमेर के पोकरण कस्बे में प्रति छः माह में लगने वाले साम्प्रदायिक सद्भावना के प्रतीक बाबा रामदेव का दर्शन करने पहुंचते हैं, उक्त रेलों के संचालन से धार्मिक यात्रा करने वालों की भी संख्या में वृद्धि होगी।
4. जैसलमेर पर्यटन व्यवसाय में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सेवाओं में कार्यरत होटल कीपर, वाहन चालक, उट चालक गाईड की कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है ताकि जैसलमेर भ्रमण को आने वाले पर्यटकों को स्तरीय सेवा प्राप्त हो सकें।
5. वर्तमान में जैसलमेर में पर्यटक शहरी क्षेत्र में स्थित दुर्ग, मन्दिर, स्मारक, हवेलियां तालाब एवं आस पास में स्थित रेतीले धोरों का अवलोकन करते हैं। जैसलमेर में ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, सहासिक पर्यटन विकसित करने की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन प्रस्तावित है।
6. पर्यटन विकास के प्रति शैक्षणिक चेतना जागृत करने हेतु विभिन्न शिक्षण संथाओं में माध्यमिक कक्षा से लेकर कॉलेज, विश्व विद्यालय स्तर पर पर्यटन विकास विषयक शिक्षण आवश्यक है।
7. पर्यटन में जन सहभागिता हेतु वहां के वरिष्ठ विद्वानों, संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व अनुरागियों, वृद्ध गणी विद्वानों, जनसेवियों, जन समितियों के साथ संगोष्ठियां आयोजित कर विचारों का आदान-प्रदान करना, समाचार पत्रों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना व जन सहभागिता निभाने वालों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
8. पर्यटन से संबंधित कार्य जैसे नगर सफाई, सौन्दर्यकरण, दुर्ग, भवन, सरोवर, मंदिर, स्मारक, कूप, बावड़िया आदि के सर्वेक्षण, संरक्षण विकास हेतु ग्रामीण, शहरी स्तर पर गैर सरकारी संस्थाओं का गठन कर उनसे सहयोग प्राप्त कर एवं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर राजकिय पर्यटन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन सहजता पूर्वक किया जा सकता है।
9. वर्तमान में जैसमेर के राष्ट्रिय राजमार्ग सं.15 के मुख्य मार्ग एवं सड़क मार्ग पर पड़ने वाले गांवों के सीमा क्षेत्र से पश्चिम की तरफ व नहरी क्षेत्र विदेशी पर्यटकों का आवागमन प्रतिबंधित है जिससे ग्रामीण पर्यटन, पार्वणीय पर्यटन, साहसिक पर्यटन का विकास अवरुद्ध है विवरण निम्न प्रकार है।

जैसलमेर के आस-पास का 80 किमी.का सम्पूर्ण क्षेत्र विदेशी पर्यटकों के भ्रमण हेतु प्रतिबंधित से मुक्त करवाना।

भारत पाक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा 150 किमी.दूर होने व जैसलमेर भारत-पाक सीमा के अन्तिम छोर पर स्थित होने से भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 16.2.1988 की अनुपालना में राज्य सरकार के ग्रह (ग्रुप-4)/विभाग के पत्र संख्या 5/81 गृह ग्रुप 4 न्यायिक /71 दिनांक 17.3.1988 के अनुसार जैसलमेर के राष्ट्रिय उच्च मार्ग 15 पर रामदेवरा-पोकरण-लाठी, जैसलमेर से सांगड़ फतेहगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र को विदेशी पर्यटकों के निम्न लिखित स्थल इस प्रतिबंध से मुक्त रखें गए हैं।

1. जिले के राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या 15 की परिधि संबंधी शहर, कस्बा, ग्राम, जहां से माग्र गुजरता है।
2. जैसमेर-पोकरण शहर/कस्बा सीमा क्षेत्र।
3. जैसलमेर जिले के ग्राम अमरसागर, लौद्रवा, बड़ाबाग, आकल, सम ग्राम, खूहड़ी एवं उण्डा जो पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

कोई भी विदेशी नागरिक उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में केन्द्रिय सरकार के ग्रह मंत्रालय अथवा जिला दण्ड नायक की स्वीकृती अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। यह आदेश दिनांक 1.4.1988 से प्रभावित है।

उक्त आदेश में दर्शाये अनुसार स्थानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों विदेशी पर्यटकों का प्रवेश वर्जित होने से जैसलमेर में केमल सफारी / जीप सफारी / डेजर्ट ट्रेकिंग के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जैसलमेर के विस्तृत भू-भागपर फेले ऐतिहासिक, पुरातात्विक धार्मिक, दर्शनीय पर्यटक स्थलों को विकसित करना संभव नहीं हो सकता है।

पर्यटन की दृष्टि से अति आकर्षक ग्राम खुहड़ी एवं वहां स्थित प्राकृतिक रेतीले धोरो को विदेशी पर्यटकों के आवागमन हेतु प्रतिबंध से मुक्त कराने के लिए तात्कालिक निदेशक पर्यटन विभाग राजस्थान जयपुर एवं जिला प्रशासन जैसलमेर एवं ग्राम खूहड़ी के ग्राम वासियों द्वारा किये गए निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 15011/17एफआई/दिनांक 12.8.1993 से खुहड़ी को विदेशी पर्यटकों के प्रतिबंध से मुक्त किया गया। फलस्वरूप वर्तमान में ग्राम खुहड़ी 20 से 25 पर्यटक रात्रि विश्राम करने के साथ केमल सफारी/डेजर्ट ट्रेकिंग करने हेतु पहुंचते हैं। जिससे लगभग 1 हजार ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। साथ ही रात्रि विश्राम संख्या में वृद्धि हुई है।

इसी क्रम में सुझाव है कि यदि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की की अधिसूचना दिनांक 16.02.88 में संसोधन कर जैसलमेर सीमा क्षेत्र की तरफ एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के चारों ओर 80 किमी तक का क्षेत्र व जैसलमेर बीकानेर नहरी क्षेत्र सडक मार्ग को प्रतिबंध से मुक्त किया जाये तो निश्चित ही पर्यटक नहरी क्षेत्र में ट्रेकिंग से भ्रमण कर दर्शनिय स्थलों का अवलोकन कर, सम व खूहड़ी धोरो के अतिरिक्त अन्य गांवों के रेतीले धोरों तक पहुंच सकेंगे, जिससे जैसलमेर में ग्रामीण धार्मिक, पुरातात्विक महत्व के दर्शनीय पर्यटन स्थलों का संरक्षण विकास भी हो सकेगा, एवं ग्रामीण जीवन लाभान्वित होगा व जैसलमेर भ्रमण को आने वाले पर्यटकों के रात्रि विश्राम में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे पर्यटन व्यवसाय को आर्थिक लाभ होगा।

10. जैसलमेर में पर्यटन व्यवसाय को और अधिक विकसित करने, आजीविका के सधानों में वृद्धि करने के लिए नये पर्यटक स्थलों का चयन विकास व प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है जिससे पर्यटकों के रात्रि विश्राम में बढ़ोतरी हो सके।

जैसलमेर में पर्यटन के सकारात्मक प्रभाव

1. जैसलमेर में हुए निरंतर पर्यटन विकास से आजीविका के साधन विकसित होने से आर्थिक स्थिति में सुधार व जीवन स्तर में विकास हुआ है।
2. जैसलमेर में विकसित हो रहे पर्यटन से विभिन्न उपकरणों के माध्यम से राजकीय राजस्व में वृद्धि हुई है।
3. पर्यटन से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण एवं विकास हुआ है।
4. स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं।
5. पर्यटन विकास से ऐतिहासिक, पुरातत्व सम्पदा, धार्मिक दर्शनीय पर्यटक स्थलों को संरक्षण प्राप्त हुआ है।
6. पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 में विदेशी मुद्रा विनिमय कर्ता स्थानीय बैंक ऑफ बड़ोदा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार निम्न दर्शाये अनुसार विदेशी मुद्रा का विनिमय किया गया था:-

क्र.सं.	वर्ष	विनिमय राशि लाखों में
1	1980	1.2
2	1981	1.4
3	1982	2.6
4	1983	6.97
5	1984	6.86
6	1985	17.37
7	1986	49.05
8	1987	50.00

प्रारम्भ में जैसलमेर में विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य मात्र तीन बैंक द्वारा किया जाता था वर्तमान रिजर्व बैंक से अधिकृत निम्न प्रतिष्ठान विदेशी मुद्रा विनिमय के कार्य में कार्यरत है:-

1. एस.पी. सिक्योरिटी,
2. सेन्ट्रम्,
3. एल.के.पी.फोरेक्स

इनके अतिरिक्त पर्यटन व्यावसायियों द्वारा अधिकतम मुद्रा का आदान प्रदान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाता है। जैसलमेर में वर्ष 2008 में औसतन 2 लाख विदेशी पर्यटक व तीन लाख भारतीय पर्यटकों ने जैसलमेर की यात्रा की है। औसतन प्रत्येक विदेशी पर्यटक रू. 2000/- व भारतीय पर्यटक द्वारा 1000/- प्रति दिवस व्यय किये जाये व प्रति पर्यटक औसतन ठहराव दो दिन माने तो प्रति वर्ष 100 करोड रूपये आय की प्राप्ति होती है। जैसलमेर शहर में पर्यटकों हेतु प्रमुख दर्शनीय स्थलों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. गडसीसर तालाब :- महारावल गडसी सिंह द्वारा 14वीं शताब्दी में निर्मित कृत्रिम तालाब जैसलमेर का प्रमुख जल स्रोत है। तालाब के चारो तरफ निर्मित मंदिर, घाट, छत्रियां, स्मारक, बगेचियां, बरंडे तालाब के मुख्य द्वारा के रूप में 19वीं शताब्दी में निर्मित टीलों की प्रोल दर्शनीय स्थल है।

2. जैसलमेर दुर्ग :- महारावल जैसल द्वारा 12वीं शताब्दी में स्थापित पीले पत्थरों से त्रिकुट पहाडी पर निर्मित 99 बुर्ज का विशाल किला अद्वितीय है। किले में राजप्रासाद, 14 वी व 15वी शताब्दी के हिन्दु व जैन मन्दिर, कुप निजी आवास, दर्शनीय है।

3. हवेलियां :- किले के बाहर शहरी परकोटे में निर्मित पटवों की हवेलियां, दीवान शालमसिंह की हवेली, दीवान नथमल की हवेली, मंदिर पैलेस, बादल विलास, पत्थरों पर नक्कासी दार जारी झरोखे की शिल्प कला अति आकृषित है।

4. आस पास के दर्शनीय स्थल :- जैसलमेर से लगभग 45 किमी की परीधी में स्थित बडाबाग, राज परिवार की छत्रिया (6 किमी), प्राचीन राजधानी लौद्रवा के जैन मन्दिर(16 किमी), अमरसागर में स्थित तालाब, बगीचे, राजमहल, जैन मंदिर(6 किमी), धार्मिक स्थल बैसाखी-रामकुण्डा में स्थित प्राचीन जल कुण्ड मंदिर, बावडिया, बरंडे, ग्राम कुलधरा, खाभा में पालीवाल ब्राह्मणों की धनी सम्भता के अवशेष पर्यटकों, इतिहासविदों के लिए दर्शनीय स्थल है। सम व खुहडी ग्राम में स्थित रेतीले धोरे, जैसलमेर बाडमेर क्षेत्र में 3162 वर्ग किमी में चिन्हित राष्ट्रीय मरू उघान क्षेत्र, मरू भूमि की जैविक एवं वन सम्पदा व भौगोलिक संरचना पर्यावरणीय, सहासिक पर्यटन हेतु प्रमुख स्थल है।

5.4 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2007-08 से लागू की गई। स्कीम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अन्य उद्देश्य यथा रोजगार गारंटी से संपदाओं का निर्माण करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ग्रामीण औरतों के सशक्तिकरण, गांवों से शहरों की ओर पलायन पर अंकुश लगाने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना भी है।

योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिये "एक परिवार" पात्र होगा। 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता को परिवार में निवासरत समस्त वयस्क व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। अतः एक पंजीकृत परिवार के समस्त वयस्क व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करते हैं, 100 दिवस की सीमा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

ऐसी महिलायें जो कि परिवार के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा रोजगार हेतु आवेदन करती हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों में से कम एक-तिहाई महिलायें लाभान्वित हों।

यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अपंग व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे उसकी योग्यता एवं क्षमता अनुसार कार्य दिया जाता है।

योजना जिले की वार्षिक कार्य योजना के रूप में तैयार की जाती है, जिसमें वर्ष के दौरान आवश्यकता के आधार पर कराये जाने वाले कार्यों का, प्राथमिकता के क्रम में उल्लेख रहता है। वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावी भूमिका एवं जन-समुदाय की भागीदारी रहती है।

प्रत्येक वर्ष के माह सितम्बर-अक्टूबर में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड सभा/ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रमिक मजदूरी की मांग का अनुमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष में श्रम की मांग की पूर्ति हेतु लिये जाने वाले कार्य प्रस्तावित किये जाते हैं। वार्ड सभा/ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित कार्यों की वार्षिक कार्य योजना ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित की जाकर पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रेषित वार्षिक कार्य योजना में वर्तमान में रोजगार हेतु मांग गत वर्ष की मांग, गत वर्ष में किये गये कार्य, प्रगतिरत कार्य, आगामी वर्ष हेतु प्रस्तावित कार्य, संभावित लागत व कार्यकारी एजेन्सी का उल्लेख किया जाता है।

अनुमत कार्य :

- (1) स्कीम के अन्तर्गत निम्न कार्यों को उनकी वरियता के आधार पर कार्यान्वित कराया जा सकता है -
 1. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण।
 2. सूखे को रोकने के कार्य, जिसमें वन विकास एवं वृक्षारोपण कार्य सम्मिलित है।
 3. सिंचाई नहरें (जिसमें माईनी एवं माईक्रो सिंचाई कू कार्य सम्मिलित है)
 4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के परिवारों के भू-ससाधनों की भूमि अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों की भूमि के लिए अथवा इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों की भूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं के कार्य।
 5. परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण, जिसमें तालाबों से गाद (मिट्टी) निकालने का कार्य सम्मिलित है।
 6. भूमि विकास के कार्य।
 7. बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ बचाव कार्य मय जल अवरुद्ध क्षेत्र में जल निकासी कार्य सम्मिलित है।
 8. बारह मासी सड़कों का निर्माण। सड़क निर्माण के कार्य में कलवर्ट का निर्माण भी सम्मिलित होगा। ग्राम के मध्य सड़क कार्य (नाली निर्माण सहित) भी इसमें सम्मिलित होगा।
 9. अन्य कोई कार्य जिन्हे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित करें।
- (2) स्कीम के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में श्रम एवं सामग्री का क्रमशः 60:40 का अनुपात रहता है। यह अनुपात जहां तक संभव हो सभी स्तर यथा-ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जाता है।

नरेगा योजना की प्रगति :

योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कुल 110816 परिवारों के 261932 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया। पंजीकृत किये गये सभी 110816 परिवारों को जॉब कार्ड जारी किया गया। योजना के तहत वर्ष 2007-08 में 3032 कार्य, वर्ष 2008-09 में 4828 कार्य तथा वर्ष 2009-10 में सितम्बर 2009 तक 5225 कार्य प्रगति पर थे।

हरित राजस्थान-जिला जैसलमेर

jKT; ljdkj ds funsZ'kkuqlkj gfjr jktLFkku@ou egksRlo dk 'kqHkkjaHk fnukad 19-07-2009 dks ftyk dyDVj dk;kZy; ls ftys ds leLr vf/kdkjh ,oa deZpkfj;ksa dh ,d in;k=k dfo rst okfVdk ,oa bdcky okfVdk rd fudkyh tkdj mDr dk;Zdze dks izkjaHk fd;k x;k Fkk ftlds rgr bdcky okfVdk ,oa dfo rst okfVdk esa 51&51 ikS/ks yxk;s x;s FksA mDr nksuks okfVdkvksa dk p;u gfjr jktLFkku ds rgr fd;k tkdj bls xksn fy;k x;k gSA ;g in;k=k djhc 3 fdeh dh FkhA blh izdkj iapk;r lfefr tSlyesj dk dk;Zdze xzke iaapk;r vejlkxj esa] iapk;r lfefr le dk xzke iapk;r nsohdksV es a,oa iapk;r lfefr lakdMk dk rglhy eq[;ky; ds usg: ckyks|ku iksdj.k esa dk;Zdze vk;ksftr fd;k x;kA mDr dk;Zdze esa ekuuh; fo/kk;d egksn;] ftyk izeq[k egksn; ,oa vU; fuokZfpr tuizfrfuf/k;ksa ds lkFk&lkFk ftys ds ftyk Lrjh; vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa }kjk Hkkx fy;k x;kA mDr frfFk dks iapk;r lfefr tSlyesj esa 1991 ikS/ks] iapk;r lfefr le {ks= esa 1020 ikS/ks ,oa iapk;r lfefr lkadMk {ks= esa 830 ikS/ks yxk;s x;sA ftys dh gfjr jktLFkku vUrxZr 5 o"kHzZ; ;kstuk dk fu/kkZj.k fd;k x;k gS ftlds rgr 17560 gSDV;j esa o`{kkjksi.k fd;s tkus dk y{; j[kk x;k gSA

gfjr jktLFkku ds vUrxZr 429 dk;Z ftlea ouhdj.k] o`{kkjksi.k] fVCck fLFkjhdj.k ,oa efYpax vkfn ds dk;Z ou foHkkx ds ek;/e ls Lohd`r dj orZeku esa izxfr ij gSA mDr dk;Zdze ds rgr fnukad 31-08-2009 rd 378288 ikS/ks yxk;s x;s gSA mDr dk;Zdze ds rgr ou foHkkx ls izklr lwpuk ds vuqlkj 24000 ikS/ks dz; fd;s tkus izLrkfor Fks ftlds le{k vko';drkuqlkj 1800 ikS/ks dz; fd;s x;s gS ftl ij jkf`k :i;s 72]000@& dh jkf`k O;; dh xbZ gSA gfjr jktLFkku ds rgr o"kHz 2009&10 esa tks dk;Z ;kstuk cukbZ xbZ gS mlds rgr ou foHkkx ds ek;/e ls 1590 gSDVj] xzke iapk;rksa ds ek;/e ls 112 gSDVj] ch,l,Q ds ek;/e ls 2 gSDVj] iqfyl foHkkx ds ek;/e ls 2 gSDVj] flapkbZ foHkkx ds ek;/e ls 14 gsSDVj] lkoZtfud fuekZ.k foHkkx vkfn ds ek;/e ls 70 gSDV;j] dqy 1800 gSDV;j esa o`{kkjksi.k fd;s tkus dk y{; j[kk x;k gSA bl izdkj mDr y{; ds le{k 1728- 00 yk[k dh jkf`k O;; gksxh o 8-33 yk[k ekuo fnolksa dk l`tu gksxk A bl o"kHz ou foHkkx ds ikL 7-00 yk[k ikS/ks miyC/k Fks ftues ls 3-78 yk[k ikS/ks jksfir dj fn;s x;s gSA

ou foHkkx }kjk o"kHz 2010&11 gsrq ujsxk esa Lohd`r ikS/k'kkkyk dk;Z esa 16-00 yk[k ikS/ks rS;kj fd;s tk jgs gS tks vxys foRrh; o"kHz esa dk;Z esa fy;s tkosaxsA

NREGS

Employment Generated during the Year 2007-2008 up to the Month of March 2008

State : RAJASTHAN District : JAISALMER													
Blocks	No. of Registered		Job Card Issued	Employment demanded		Employment offered		Employment Provided			No. of filled Muster Roll	No. of Families Completed 100 days	On going works
	House Hold	Persons		House Hold	Persons	House Hold	Persons	House Hold	Persons	Person days			
जैसलमेर	32094	71054	32094	21342	34372	21323	34153	21081	33443	1083671	9896	701	1451
सम	36214	83385	36214	27308	42042	27300	41828	27064	41317	1548425	15842	2182	1057
सांकड़ा	35510	86713	35510	16149	22263	16077	22011	15750	21324	625863	7082	117	524
Grand Total	103818	241152	103818	64799	98677	64700	97992	63895	96084	3257959	32820	3000	3032

Employment Generated during the Year 2008-2009 up to the Month of March 2009

State : RAJASTHAN District : JAISALMER													
Blocks	No. of Registered		Job Card Issued	Employment demanded		Employment offered		Employment Provided			No. of filled Muster Roll	No. of Families Completed 100 days	On going works
	House Hold	Persons		House Hold	Persons	House Hold	Persons	House Hold	Persons	Person days			
जैसलमेर	33630	78406	33630	24289	41928	24288	41921	24285	41904	1562294	16797	4403	1961
सम	39240	89957	39240	29394	48022	29393	48020	29391	48014	1747730	20843	3419	1795
सांकड़ा	37946	93569	37946	23017	36504	21911	33807	23000	36446	1278507	16346	2268	1072
Grand Total	110816	261932	110816	76700	126454	75592	123748	76676	126364	4588531	53986	10090	4828

Employment Generated during the Year 2009-2010 up to the Month of September 2009

State : RAJASTHAN District : JAISALMER													
Blocks	No. of Registered		Job Card Issued	Employment demanded		Employment offered		Employment Provided			No. of filled Muster Roll	No. of Families Completed 100 days	On going works
	House Hold	Persons		House Hold	Persons	House Hold	Persons	House Hold	Persons	Person days			
जैसलमेर	33630	78406	33630	4981	6600	4981	6600	4981	6600	103963	1169	14	1966
सम	39240	89957	39240	12706	17303	12697	17289	12677	17266	309835	3705	47	1977
सांकड़ा	37946	93569	37946	13759	19163	13759	19163	13767	19175	441341	5704	143	1282
Grand Total	110816	261932	110816	31446	43066	31437	43052	31425	43041	855139	10578	204	5225

5.5 राज0अनुसूचित जाति जन जाति वित्त एव विकास सहकारी निगम लि0

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष केन्द्रिय सहायता योजना अन्तर्गत जिले के अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों/प्राथियों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु बैंक स्तर से ऋण एवं निगम स्तर से अनुदान सहायता उपलब्ध करवायी जाकर लाभान्वित किया जाता है।

जिले के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों को भी राष्ट्रीय निगम योजनाओं के तहत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाकर उन्हें रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाये जाते हैं। जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक दृष्टि से विकास होता है।

निगम का कार्यक्षेत्र:-

निगम का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जैसलमेर जिला है जिसमें 3 तहसीलें 3 पंचायत समिति एवं 2 नगरपालिका क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र के प्राथियों को अपना आवेदन पत्र संबधित पंचायत समिति के मार्फत तथा शहरी क्षेत्र के प्राथियों को अपना आवेदन पत्र अपनी नगरपालिका के मार्फत इस कार्यालय को भिजवाने होते हैं।

संचालित योजनाएं:- (अनुसूचित जाति वर्ग हेतु)

अ- बैंकिंग योजनाएं:-

बैंकिंग योजनान्तर्गत प्राथियों को भेड. बकरी. गायपालन के अलावा अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से ऋण सहायता एवं निगम स्तर से इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10000/- रुपये जो भी कम हो अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जाते हैं। बैंकिंग योजनाएं निम्नानुसार हैं:-

1-शहरी पोप योजना

2-ग्रामीण पोप योजना

3-स्वावलम्बन योजना

4-जनजाति स्वरोजगार (ST POP) योजना

उपरोक्त योजनाओं के तहत पिछले 5 वर्षों में कुल 1797 व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण एवं अनुदान सहायता से रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाये गये। इन योजनाओं के तहत 1797 व्यक्तियों के परिवारों को भेड. बकरी. गायपालन व्यवसाय के अलावा किराणा दुकान. आटाचक्की. मनिहारी दुकान जैसे लघु व्यवसाय उपलब्ध करवाये जाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाया गया एवं उनका आर्थिक रूप से विकास किया गया। वर्ष वार लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

ग- गैर बैंकिंग योजनाएं:-

गैर बैंकिंग योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को केवल अनुदान सहायता उपलब्ध करवायी जाकर निम्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जाता है:-

1- कार्यशाला निर्माण योजना:-

उक्त योजना के तहत केवल ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को अपने घर पर ही बुनाई .कताई.सिलाई तथा हस्तकला उद्योग आदि कार्य करने के लिए स्वयं के आवासीय भू खण्ड पर एक निर्धारित माप लम्बाई.चौड़ाई. उचाई क्रमशं 11 9 10 फीट का कमरा निर्माण करने हेतु निर्माण लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10000/- रुपये जो भी कम हो अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जाते हैं। शेष लागत प्रार्थी को स्वयं को वहन करनी होती है।

2-कृषि कुंप पर विद्युतिकरण योजना:-

जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के करीब कृषक द्वारा अपने कृषि कुंप पर विद्युतिकरण करवाये जाने पर विद्युत विभाग को जमा करायी गयी डिमांड राशि का 50 प्रतिशत अथवा 10000/- रुपये जो भी कम हो अनुदान के रूप में सीधे ही प्रार्थी को उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रार्थी को अपना प्रार्थना पत्र मय नीचे अंकित दस्तावेजों के संबधित पंचायत समिति के मार्फत इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है।

उपरोक्त गैर बैंकिंग योजनाओं के तहत पिछले 5 वर्षों में 324 अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को कार्यशाला कक्ष का निर्माण करने हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें स्वयं के आवासीय मकान पर स्वयं

का रोजगार करने हेतु सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा जिले के 113 गरीब किसानों को कृषि कूप पर विद्युत कनेक्शन हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध करवायी जाकर कुल 437 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्षवार लाभान्वित स्त्री एवं पुरुषों का योजनावार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

राष्ट्रीय निगम की योजनाएं

जिले के निम्नलिखित जाति वर्गों के गरीब एवं पिछड़े हुए परिवारों के व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए आसान किशतों पर कम ब्याज दर पर ऋण सहायता उपलब्ध करवाने के लिए निम्नानुसार राष्ट्रीय निगमों की ऋण योजनाएं संचालित हैं।

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम :-

उपरोक्त योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब व्यक्तियों को जीप टेक्सी, ऑटो रिक्शा, ट्रेक्टर, गाय डेयरी तथा किराणा, कपडा, मनिहारी दुकान जैसी परियोजनाएं उपलब्ध करवायी जाकर पिछले 5 वर्षों में 34 पुरुषों एवं 10 महिलाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इस योजना से कुल 44 परिवारों को आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान किया गया।

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम :-

उपरोक्त योजना के तहत जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब व्यक्तियों को जीप टेक्सी, ऑटो रिक्शा, ट्रेक्टर, गाय डेयरी तथा किराणा, कपडा, मनिहारी दुकान जैसी परियोजनाएं उपलब्ध करवायी जाकर पिछले 5 वर्षों में 25 पुरुषों एवं 02 महिलाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इस योजना से कुल 27 परिवारों को आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान किया गया।

3. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास सहकारी निगम :-

उपरोक्त योजना के तहत जिले के सफाई कर्मचारी वर्ग के गरीब व्यक्तियों को झाड़ू बनाना, मनिहारी, किराणा एवं कपडा फेरी जैसी परियोजनाएं उपलब्ध करवायी जाकर पिछले 5 वर्षों में 10 पुरुषों एवं 03 महिलाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इस योजना से कुल 13 परिवारों को आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान किया गया।

4. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास सहकारी निगम :-

उपरोक्त योजना के तहत जिले के विकलांग व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार लगाने के लिये पिछले 5 वर्षों में 66 पुरुषों एवं 14 विकलांग महिलाओं को मात्र 6 एवं 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण 10000/- से 15000/- रुपये तक का अनुदान प्रदान किया गया। इस योजना से कुल 80 विकलांगों की आर्थिक स्थिति में विकास हुआ तथा उन्हें स्वयं का रोजगार प्राप्त हुआ।

5. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम :-

उपरोक्त योजना के तहत जिले के अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों को जीप टेक्सी, ऑटो रिक्शा, ट्रेक्टर, गाय डेयरी, वैल्लिंग, पत्थर आखली, ऊँट गाडा तथा लघु व्यवसाय स्थापित करने के लिये मात्र 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाया गया। गत 5 वर्षों में 275 पुरुषों एवं 03 महिलाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इस योजना से कुल 178 परिवारों को आर्थिक रूप से विकसित किया गया।

6. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम :-

उपरोक्त योजना के तहत जिले के अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब व्यक्तियों को ऑटो रिक्शा, गाय डेयरी, वैल्लिंग, किराणा, कपडा तथा आटा चक्की व्यवसाय स्थापित करने के लिये मात्र 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। गत 5 वर्षों में 103 पुरुषों एवं 61 महिलाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इस योजना से कुल 164 परिवारों को आर्थिक रूप से विकसित किया गया।

उपरोक्त समस्त राष्ट्रीय निगम की योजनाओं में गत 5 वर्षों में लाभान्वित किये गये पुरुष एवं महिलाओं की वर्ष वार प्रगति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

सुझाव :-

1. गैर बैंकिंग योजनाओं के तहत इस जिले को बहुत कम लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं जिसके कारण कई गरीब व्यक्ति लाभान्वित होने से वंचित रह जाते हैं। अतः कार्यशाला निर्माण एवं कृषि कूप विद्युतिकरण योजना के लक्ष्यों के आवंटन में वृद्धि की जावे।
2. कार्यशाला कक्ष के निर्माण की लागत तथा कृषि कूप पर विद्युत कनेक्शन की लागत में हुई वृद्धि को मध्य नजर रखते हुए इन योजनाओं में वर्तमान में दी जा रही अनुदान राशि रुपये 10000/-को बढ़ाकर 20000/- रुपये की जावे ताकि गरीब परिवारों को अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेगा तथा इन परियोजनाओं का संचालन बेहतर हो सकेगा।

राज0अनुसूचित जाति जन जाति वित्त एव विकास सहकारी निगम लि0 जैसलमेर

विशेष केन्द्रीय सहायता योजना में लाभार्थियों का विवरण

क. स.	योजना का नाम	लाभान्वितों की संख्या										योग
		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	
1-	ग्रामीण पोप	70	38	110	36	98	23	69	18	60	27	549
2-	शहरी पोप	180	48	235	50	200	75	220	60	203	77	1348
3-	स्वावलम्बन योजना	63	00	54	00	52	00	50	00	40	00	259
4-	कार्यशाला निर्माण	80	20	70	37	38	12	29	16	15	07	324
5-	कृषि कूप विद्युतीकरण	11	02	12	05	09	06	29	05	20	14	113

राष्ट्रीय निगम योजनाओं में लाभार्थियों का विवरण

क. स.	योजना का नाम	लाभान्वितों की संख्या										योग
		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	
1-	राष्ट्रीय अनुसूचितजाति वित्त एवं विकास सह. निगम	08	03	05	02	04	00	05	02	12	03	44
2-	राष्ट्रीय अनु.जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम	02	02	01	00	06	00	10	00	06	00	27
3-	राष्ट्रीय सफाई कर्म.वित्त एवं विकास सहकारी निगम	00	00	00	00	01	01	03	01	06	01	13
4-	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास सहकारी निगम	03	00	09	00	04	00	22	06	28	08	80
5-	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम	09	01	135	00	101	02	30	00	00	00	278
6-	राष्ट्रीय अ.पि.व. वित्त एवं विकास सहकारी निगम	14	04	03	01	09	03	47	42	30	11	164

5.6 उद्योग

जैसलमेर जिला प्रदेश सुदुर के पश्चिम दिशा में स्थित है तथा पाकिस्तान की अन्तराष्ट्रीय सीमा का बहुत बड़ा भाग है। जिले का राष्ट्र के अन्य क्षेत्रों से दूरी कच्चे माल का अभाव एवं तैयार माल के विपणन की समस्याओं के कारण औद्योगिक विकास का अभाव रहा है। जिले में कोई भी वृहद एवं मध्यम उद्योग स्थापित नहीं फिर भी विपुल खनिज उत्पादों के कारण खनिज उद्योगों के विकास की प्रबल संभावनाएँ हैं।

जैसलमेर जिले में जब जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना हुई उस समय औद्योगिक दृष्टि से जिला शुन्य था जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना के बाद में औद्योगिक विकास प्रसार प्रसार एवं विभागीय लाभकारी योजनाओं के माध्यम से होने लगा। जिले में लाईम स्टोन, जिप्सम व ग्रेनाइट के विपुल भण्डार हैं तथा जिले में स्टील ग्रेड लाईम स्टोन के विपुल भण्डार ग्राम सोनू के नजदीक स्टील ग्रेड के लाईम स्टोन का दोहन राज.स्टेट मार्ईन्स एण्ड मिनरलस लि० द्वारा किया जा रहा है तथा देश के अन्य भागों में स्थिति स्टील प्लांटों में भिजवाया जा रहा है जबकि सीमेन्ट ग्रेड लाईम स्टोन का अभी तक दोहन नहीं हुआ है तथा अन्ट्पेड उपलब्ध है। उक्त लाईम स्टोन के आधार पर सीमेन्ट उद्योग की स्थापना से परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से लगभग 10000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है। सीमेन्ट उद्योग की स्थापना में जो प्रमुख बाधाएँ हैं, कच्चा माल(लाईम स्टोन) तक रेल्वे लाईन का अभाव, अन्तराष्ट्रीय सीमा नजदीक व उपभोगता स्थल से दूरी, सीमेन्ट ग्रेड लाईम स्टोन के 4520 मि.टन के रिजर्व भण्डार हैं। जिसमें लगभग 18 सीमेन्ट प्लांट 2 मि.टन क्षमता के स्थापित हो सकते हैं। उक्त लाईम स्टोन के भण्डार रामगढ, जोगा, पारेवर किलो की ढाणी के आसपास लगभग 1000 वर्ग कि.मी क्षेत्र में उपलब्ध है। सीमेन्ट प्लांट में उपयोग होने वाली जिप्सम मोहनगढ, नाचना के समीप उपलब्ध है तथा वालक्ले ग्राम पारेवर के समीप उपलब्ध है। सीमेन्ट पकाने हेतू लिग्नाइट जिला बाडमेर के ग्रिल क्षेत्र में उपलब्ध है तथा पानी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से तथा विद्युत जी.टी.पी.पी 110 मेगा वाट क्षमता से तथा स्वयं का ग्रिड पावर स्थापित कर प्राप्त की जा सकती है।

जिले में जिप्सम के प्रचूर भण्डार उपलब्ध हैं जिसकी खाने प्रमुख रूप से मोहनगढ के पास स्थित है तथा कुछ मात्रा में जिले के अन्य भागों में भी उपलब्ध है। मोहनगढ में जिप्सम का दोहन फर्टिलाईजर कारपोरेशन आफ इण्डिया (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा किया जा रहा है। यहाँ से जिप्सम राष्ट्र के अन्य भागों में रेल द्वारा भेजा जाता है। जिप्सम आधारित प्लास्टर आफ पेरिस के उद्योग यद्यपि स्थापित हुए थे लेकिन एफ.सी.आई द्वारा रायल्टी की दर अधिक होने से उत्पादन लागत अधिक होती है तथा स्थानीय स्तर पर उत्पाद की खपत भी नहीं है इस प्रकार उक्त उद्योग को भाड़े के राहत पैकेज की घोषणा होनी चाहिए।

जिला जैसलमेर में काणोद, गुडडी एवं पोकरण क्षेत्र में लगभग 42 लवण उद्यमियों को भूखण्ड आवंटित है जिसमें से लगभग 12 इकाईयों में वर्तमान में उत्पादन हो रहा है। लवण उद्योगों को नमक लदान व विपणन की समस्या के कारण इकाईयों ने उत्पादन बंद कर दिया। उक्त लवण उद्योग इकाईयों में लगभग 5000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। यदि रेल्वे से चर्चा कर नमक लदान हेतू पीसमील लदान खुलवाया जावे। रेलवे की नीति पूरी रैक लदान की है जो पोकरण जैसे उत्पादन स्थल पर संभव नहीं है।

जिले में रीको द्वारा स्थापित तीन औद्योगिक क्षेत्र हैं तथा दो औद्योगिक क्षेत्र राजस्व विभाग द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट हैं। रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में रिक्त भूखण्ड उपलब्ध नहीं है तथा राजस्व विभाग के औद्योगिक क्षेत्रों में आधार भूत सुविधाएँ नहीं हैं। जिसके कारण उनमें उद्योग स्थापित नहीं हो रहा है। रीको द्वारा ग्राम किशनघाट में 286.00 बीघा भूमि अधिग्रहित की है। इस क्षेत्र को शीघ्र विकसित किया जाना चाहिए।

क्षेत्र के दस्तकार उद्योग की व कशीदाकारी व बुनाई की संभावनाएँ हैं लेकिन बुनाई कार्य में प्रतिदिन की दर कम मिलने के कारण बुनकर इस कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। (मेहनत ज्यादा आय कम)

जिला जैसलमेर में औद्योगिक विकास एवं संभावनाएँ

इस जिले में वर्ष 2008-09 तक विभिन्न प्रकार के उद्योगों एवं दस्तकार इकाईयों का 3480 का स्थाई पंजीयन किया गया जिसमें 10054 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा इन इकाईयों में 23,674.07 लाख का विनियोजन किया हुआ है। जिसका इकाई के उत्पाद अनुसार विवरण निम्नानुसार है।

विभागीय विभिन्न योजनाओं के तहत गत पांच वर्षों का प्रगति विवरण

क्र.स.	नाम गतिविधि/योजना	प्रगति विवरण वर्षवार				
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	आर्टिजन्स पंजीयन	130	145	—	—	—
2.	लघु उद्योग पंजीयन(E.M.II)	45	50	206	233	225
3	करघाघर	10	10	—	—	—
4	जनश्री बीमा/बुनकर बीमा	181	160	200	100	25
5	गृह उद्योग योजना	50	75	100	100	81
6	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण	34	33	39	38	26
7	औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर	4	4	4	4	4
8	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	225	245	267	274	—
9	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	—	—	—	—	20
10	आर्टिजन्स परिचय पत्र जारी	—	—	1860	641	571
11	आर्टिजन्स क्रेडिट कार्ड	—	—	—	312	269
12	दस्तकारों/शिल्पियों का स्वास्थ्य बीमा	—	—	—	—	644

पंजीकृत इकाईयों का श्रेणी अनुसार विवरण

क्र.स.	श्रेणी	इकाई सं०	रोजगार	विनियोजन(लाख में)
1	कृषि आधारित	134	438	6394.60
2	टैक्सटाईल्स आधारित	431	1306	525.14
3	ऊन आधारित	447	1236	2186.88
4	वन / लकड़ी आधारित	129	387	215.18
5	पेपर/पेपर आधारित	03	14	5.58
6	लेदर आधारित	480	1040	125.49
7	कैमिकल आधारित	05	48	18.71
8	लवण आधारित	40	248	14.51
9	स्टोन आधारित	290	1078	8727.03
10	जिप्सम आधारित	8	56	1421.52
11	अन्य/आयरन/मांग आधारित	1513	4203	4039.53
	योग	3480	10054	23,674.07

अकृषि सैक्टर क्रियाकलापों का श्रेणी अनुसार विवरण

क्र.स.	श्रेणी	क्रियाकलापों का विवरण
1	कृषि आधारित	कृषि उत्पाद की प्रोसेसिंग— आयल मिल, आटा मिल, बैकरी, इत्यादि
2	टैक्सटाईल्स आधारित	हाथकरघा वस्त्र उत्पादन,
3	ऊन आधारित	ऊनी वस्त्र उत्पादन,
4	वन / लकड़ी आधारित	लकड़ी का कलात्मक फर्नीचर,
5	पेपर/पेपर आधारित	प्रिन्टिंग प्रेस, कम्प्यूटर डाटा प्रोसेसिंग एवं प्रिन्टिंग
6	लेदर आधारित	कलात्मक चर्म उत्पाद, चर्म जूती एवं अन्य हस्तशिल्प आइटम
7	कैमिकल आधारित	डाई कैमिकल,
8	लवण आधारित	साधरण एवं आयोडाईज्ड नमक उत्पादन
9	स्टोन/मिनरल्स आधारित	स्टोन कार्विंग, स्टोन टाइल्स, स्लैब, स्टोन ग्रीट उत्पादन
10	जिप्सम आधारित	जिप्सम, प्लास्टर आफ पेरिस,
11	अन्य/आयरन/मांग आधारित	आयरन फर्नीचर, ग्रील गेट, एवं अन्य आयरन उत्पाद, बैल्डिंग वर्क्स

विभागीय विभिन्न लाभकारी योजनाओ का विवरण

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना :- यह योजना पूर्व संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं खादी बोर्ड द्वारा संचालित मार्जिन मनी योजना को नया रूप प्रदान करते हुए संयुक्त रूप से नयी योजना "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना" के नाम से वर्ष 2008-09 में प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने एवं अधिक आयु वाले युवा लघु उद्योग एवं सेवा सैक्टर इकाईयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम 25 लाख का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। जिसमें सामान्य श्रेणी के युवाओं को 15 से 25 प्रतिशत तक एवं अनु.जाति/जन जाति/महिला/ओ.बी.सी/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग को 25 से 35 प्रतिशत तक क्रमशः शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना में वर्ष 2008-09 में 40 के लक्ष्य के विरुद्ध 39 को ऋण स्वीकृत करवाते हुए 20 को राशि का वितरण किया जा चुका है।


वर्ष 2009-10 में इस जिले का लक्ष्य 41 का जिला उद्योग केन्द्र, खादी बोर्ड एवं खादी कमीशन के लिए निर्धारित है। यह लक्ष्य बहुत ही कम है क्योंकि इस योजना में शिक्षा एवं आयु में छूट की वजह से आवेदकों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। विगत वर्षों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लक्ष्य भी 275 के निर्धारित थे। अतः इस योजना में भी कम से कम 275-300 का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

2. आर्टिजन्स परिचय पत्र योजना: यह योजना गत तीन वर्षों से प्रारम्भ की गयी है जिससे इस योजना के तहत गत तीन वर्षों 3072 दस्तकारों/शिल्पियों को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार जोधपुर के माध्यम से पहचान पत्र जारी करवा कर लाभान्वित किया जा चुका है।

3. आर्टिजन्स क्रेडिट कार्ड योजना: इस योजना के तहत गत तीन वर्षों में 581 दस्तकारों/हस्तशिल्पियों को बैंकों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड जारी करवाये जाकर लाभान्वित किया जा चुका है।

4. दस्तकार/हस्तशिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना: इस योजना के तहत कुल 644 हस्तशिल्पियों का स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हेल्थ कार्ड जारी करवा लाभान्वित किया गया है।

5. बुनकरो की कलस्टर योजना :- इस योजना के तहत गत दो वर्षों से उरमूल मरुस्थली बुनकर विकास समिति फलोदी के माध्यम से एकीकृत हाथकरघा विकास योजना पंकरण में शुरु की गयी है इस योजना के तहत विलुप्त होते हुए बुनकरो को पुनःजागृत कर इस कलात्मक कार्य से जोड़ने का कार्य प्रारम्भ करवाया गया जिसमें बुनकरो को नवीन तकनीकी, डिजायनिंग प्रशिक्षण, रंगाई प्रशिक्षण, दिया गया ओर 500 नये बुनकरो को बुनाई कार्य से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया तथा बुनकरो के कल्याण हेतु आर्टिजन्स पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड योजना, बुनकर बीमा योजनाओं से लाभान्वित किया गया है तथा इस योजना को निरन्तर 5 वर्षों तक जारी रखकर बुनकरो को रोजगार प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है। उक्त संस्था (उरमूल) के उत्पादों की क्वालिटी, डिजायनिंग व कशीदाकारी बहुत ही सुन्दर कलात्मक एवं मजबूती के कारण अपनी अलग ही पहचान रखती है। चित्र स0 1



चित्र स0 1 उरमूल कलस्टर उत्पाद


6. उद्यमिता विकास कार्यक्रम : इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना हेतु प्रारम्भिक जानकारी एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। इस योजना के तहत गत पांच वर्षों में कुल 170 युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करवा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मार्जिन मनी योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है।

7. औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर एवं रोजगार मेला :- जिला उद्योग केन्द्र प्रति वर्ष पंचायत समिति स्तर एवं जिला स्तर पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन कर उद्यमियों एवं शिक्षित बेरोजगारों को उद्यम स्थापना हेतु विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए, उद्यमियों का पंजीयन मौके पर ही करता है। गत पाँच वर्षों में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा 1034 पंजीयन जारी किये गये। तथा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिला रोजगार कार्यालय के सहयोग से जिला स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन कर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास किये जाते हैं जिसके तहत गत दो वर्षों में 1200 शिक्षित एवं तकनीकी युवाओं को विभिन्न उद्यमों में रोजगार प्रदान करवाया जा चुका है।

8. गृह उद्योग योजना: इस योजना के तहत ग्रामीण/शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से कोंच कशीदा, सिलाई, पेच वर्क, बुनाई, ब्यूटी पार्लर आदि टेडो में कुल 406 को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाकर स्वरोजगार प्रदान करने हेतु पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड एवं स्वास्थ्य बीमा योजना से भी लाभान्वित किये गये हैं।

घरेलु उद्योग

1. कुम्हारी उद्योग/पोटरी दस्तकार पोकरण : पोकरण में कुम्हारी कार्य में लगे लगभग 100 परिवार कलात्मक मिट्टी के वर्तन एवं हस्तशिल्पी वस्तुएँ का उत्पादन कर रहे हैं जिनका विपणन मेला प्रदर्शनियों एवं राष्ट्रीय स्तर के मेलों में भाग लेने से पूरे देश में इनके उत्पाद अपनी पहचान बना चुके हैं। विभाग द्वारा इस दस्तकारों को आर्टिजन्स पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड योजना, शिल्पी बीमा योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। ओर इनका निरन्तर सहयोग किया जा रहा तथा अन्य विभागीय योजनाओं से जोड़ा जा रहा है ताकि इनका भविष्य उज्ज्वल बन सके। चित्रस. 2 व 3




चित्र स0 2 कलात्मक मिट्टी के उत्पाद पोकरण



चित्र स. 3 पोकरण के मिट्टी के कलात्मक उत्पाद पर पेंटिंग कार्य

2. लुहारी उद्योग : परम्परागत लुहारी कार्य करने वाले दस्तकार फलसूण्ड, भीखोडाव्र, देवीकोट एवं जैसलमेर, रामगढ आदि क्षेत्रों में कार्यरत हैं। विभाग द्वारा अधिकांश को आर्टिजन्स पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड योजना, शिल्पी बीमा योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। फिर भी बैंको के माध्यम से आर्टिजन्स क्रेडिट कार्ड के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास भी जारी हैं। चित्र स0 4



चित्र स0 4 परम्परागत लुहारी कार्य,

3. चर्म उद्योग : चर्म जूती उद्योग प्रायः समाप्त होने की स्थिति में है फिर भी ग्राम फलसूण्ड में 60-70 परिवार, पोकरण में भी 60-70 परिवार, चर्म रंगाई के पोकरण करीब 30-40 परिवार तथा चर्म कशीदा जूती एवं कशीदाकारी के हस्तशिल्पि आईटम जैसलमेर में बनाये जाते हैं जिन्हे देशी विदेशी पर्यटक पसन्द कर क़य करते हैं। विभाग द्वारा इन्हे लाभान्वित करने के उद्देश्य से आर्टिजन्स पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड योजना, शिल्पी बीमा योजनाओ से लाभान्वित किया गया है। फिर भी बैंको के माध्यम से आर्टिजन्स क्रेडिट कार्ड के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास भी जारी है। चित्र स0 5 व 6



चित्र स0 5 चर्म जूती उद्योग




चित्र स0 6 चर्म कशीदा कार्य

4. लकडी का कलात्मक फर्नीचर उद्योग : जिले के कनोई ग्राम एवं जैसलमेर में कलात्मक फर्नीचर बूडन कार्विंग का कार्य करने वाले बहुत ही अछे कारीगर हैं जिन्होंने पीतल की नक्कासी, प्लान व अन्य हस्तशिल्पि आईटम ग्राम कनोई के शिल्पकारों द्वारा उच्च कोटी का बनाया जाता हैं परन्तु यहां पूर्ण रूप से रोजगार नही मिलने के कारण अधिकतर कारीगर मुम्बई व पूना में कार्य करने हेतु प्लायन कर गये हैं फिर भी जैसलमेर में रीको में लगे उद्योग एवं जैसलमेर शहर में दस्तकारों द्वारा कलात्मक फर्नीचर का निर्माण किया जा रहा है। चित्र स0 7



चित्र स0 7 काष्ठ नक्कासी कला

5. स्टोन कार्विंग उद्योग :- जैसलमेर शहर कलात्मक पत्थर की खुदाई , हवेलिया, किला, दर्शनीय स्थल के लिए प्रसिद्ध है एवं पर्यटक जैसलमेर भ्रमण में इन्ही से मोहित होते हैं। जैसलमेर शहर एवं रीको औद्योगिक क्षेत्र में छीपा जाति के मुसलमानों द्वारा आज भी स्टोन कार्विंग (इमारती स्टोन कार्विंग) का कार्य कम से कम 600-700 शिल्पी इस कार्य करते हैं विभाग द्वारा इन्हे भी आर्टिजन्स पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड योजना, शिल्पी बीमा योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। फिर भी बैंको के माध्यम से आर्टिजन्स क्रेडिट कार्ड के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास भी जारी है। तथा समय-समय पर क्राफ्ट प्रतियोगिता करवा कर श्रेष्ठ दस्तकार को पुरस्कृत भी करवाया जाता रहा है। चित्र स0 8



चित्र स0 8 स्टोन कार्विंग कार्य

6. काँच कशीदाकारी : इस जिले में काँच कशीदाकारी कार्य ग्राम मूलाना , कीता, लक्षमणा, देवीकोट, फतेहगढ, तथा मुसलमान ग्रामो की महिलाएं कशीदाकारी, राली निर्माण, पेंच वर्क का कार्य बहुत ही उत्तम/श्रेष्ठ प्रकार का करती है। विभाग ने इन क्षेत्र के महिलाओ का दस्तकारी पहचान पत्र बनवाकर क्रेडिट कार्ड , एंव बीमा योजना के तहत लाभान्वित किया है परन्तु अभी इन्हे आर्थिक सहायता की अत्यन्त आवश्यकता है। चित्र स0 9



चित्र स09 कांच कशीदा कारी मूलाना

7.लवण उद्योग :- जिले में पोकरण,गुडीरिण, काणोद, नमक उद्योग हेतू लवण क्षेत्र उपलब्ध है पोकरण एंव गुडडी रिण में 42 इकाईयो को 30-30 एकड के भूखण्ड आवंटित है। परन्तु इस क्षेत्र में वर्षा नही होने के कारण निकले हुए नमक पर आंधिओ के कारण नमक की शुद्धता पर प्रभाव पड रहा है तथा विपणन एंव ट्रांसपोर्ट की परेशानी के कारण यह उद्योग समाप्ति के कगार पर आा चुका हैं वर्तमान में मात्र पोकरण में 12 इकाईयों नाममात्र के लिए कार्यरत है तथा नमक का उत्पादन कर रही है। ओर इस उद्योगो के कारण परोक्ष एंव अपरोक्ष रूप से 5000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता था अब यह अकाल की बजह से पानी की कमी के कारण समाप्ति की ओर जा रहा है। चित्र स0 10




चित्र स0 10 लवण उद्योग पोकरण

लवण उद्योगो का विवरण

क्र.स.	नाम क्षेत्र	टोटल क्षेत्र एकड में	आंवटित क्षेत्र एकड में	रिक्त क्षेत्र एकड में
1	पोकरण	2640.00	1140(114 प्लाट)	1500(157 प्लाट)
2	गुडडी	5834.37	299(30 प्लाट)	2923(399 प्लाट)
3	काणोद	5240.00	20(2 प्लाट)	5220(522प्लाट)

8. कठपुतली :- जैसलमेर में सूलीडूंगर के पास कठपुतली का आकर्षक तमाशा दिखाने वाले श्री खैराती राम एवं उनके 10-12 परिवार रहते हैं जो कठपुतली का तमाशा दिखाने के अतिरिक्त कठपुतली का निर्माण भी करते हैं, ये कलाकार दिन में पटवो की हवेली, जैसलमेर फोर्ट एवं गडीसर तालाव पर इनका प्रदर्शन देखा जा सकता है। तथा इन कठपुतली तमाशा से देशी व विदेशी पर्यटक आकृषित होते हैं ये कलाकार देश व विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन कर ख्याती प्राप्त कर चुके हैं विभाग द्वारा इनके सहयोग में दस्तकारी परिचय पत्र एवं एक को शिल्प ग्राम में प्लाट आंवटित किया गया है। इनके दस्तकारी परिचय पत्र एवं क्रेडिट कार्ड व बीमा योजना से लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। चित्र स0 11



चित्र स0 11 कठपुतली कला जैसलमेर

रीको औद्योगिक क्षेत्र :-

1. रीको औद्योगिक क्षेत्र जैसलमेर :- रीको औद्योगिक क्षेत्र जैसलमेर में 62.44 एकड भूमि आंवटित करवाकर 144 भूखण्ड तैयार किये गये जो कि समस्त आंवटित है। इसमें गैंग सा, स्टोन कटर इकाईयां लगी हुई हैं साथ ही 500-600 दस्तकार इमारती स्टोन कार्विंग का कार्य करते हैं तथा साथ में लकडी फर्नीचर एवं आयरन फ़ैब्रीकेशन, इन्जिनियरिंग इकाई एवं बेकरी एवं चार होटल की स्थापना हो चुकी है जिसमें परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से 8900 को रोजगार प्राप्त हो रहा हैं।

2. शिल्प ग्राम औद्योगिक क्षेत्र जैसलमेर :- 49.20 एकड भूमि आंवटित करवा कर 432 भूखण्ड काटे गये जिनमें निम्न श्रेणी अनुसार आंवटन कर लक्ष्य रखा गया । आर्टिजन्स भूखण्ड-130, औद्योगिक भूखण्ड- 223 एवं वाणिज्यक होटले -5 जिसमें अभी तक आठ-दस इकाईयो की स्थापना हो चुकी है तथा दो होटले एवं एक पटोल पम्प की स्थापना हो चुकी है। औद्योगिक विकास प्रगति पर है। अतः परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से इस क्षेत्र से भी 1000-2000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

3. औद्योगिक क्षेत्र पोकरण :- 60 एकड़ भूमि में 108 भूखण्ड काटे गये । जिसमें चार-पाँच स्टोन आधारित, एक आर.सी.सी.पोल्स निर्माण इकाईयां कार्यरत है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो रहा है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

सैटा अपार्ट औद्योगिक क्षेत्र :-

1. औ.क्षेत्र ब्रहमसर फाँटा : कृषि आधारित औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु औद्योगिक क्षेत्र सैटाअपार्ट किया गया वर्तमान में ग्वार गम एवं ऑयल मिल/आटा मिल की स्थापना हुई है परन्तु कृषि उत्पाद की कमी के कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है फिर भी उद्यमियों का इस क्षेत्र की ओर रुझान बढ़ रहा है इस क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना होगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।



2. औ.क्षेत्र काहला : स्टोन केशर उद्योगी की स्थापना हेतु इस औद्योगिक क्षेत्र सैटाअपार्ट किया गया जिसमें 10-12 स्टोन केशर एवं डामर पैबर प्लांट की स्थापना हो चुकी है । भविष्य में भी इस औद्योगिक क्षेत्र से व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

3. औ.क्षेत्र हमीरा :- जिप्सम आधारित प्लाटर आफ पेरिस उद्योगों की स्थापना हेतु इस क्षेत्र का विकास किया गया वर्तमान में दो इकाईयां प्लाटर आफ पेरिस की कार्यरत है । ट्रांसपोर्टेशन की समस्या अधिक दूरी की वजह से इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है । भविष्य में इस औद्योगिक क्षेत्र में भी इकाईयां की स्थापना होकर व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

जैसलमेर जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग

जैसलमेर जिले में वर्ष 1960 से ऊनी खादी का उत्पादन प्रारम्भ हुआ जिसमें अनवरत कार्य प्रगति पर है। जिले में कुल 12 खादी संस्थाएँ इस उत्पादन कार्य को बढ़ा रही हैं। जिले में स्थानीय जैसलमेरी ऊन व मेरिनो ऊन का उत्पादन होता है इसका प्रसिद्ध उत्पादन पट्टू हिरावल, चूदडी बंधेज, टाई-डाई शॉल , कम्बल व रेडीमेड वस्त्र हैं। जिले का अधिकतम 3.00 करोड़ ऊनी खादी उत्पादन है। जिले में ऊनी सूती, रेशमी ,पॉलिवस्त्र की कुल अधिकतम बिक्री 4.00 करोड़ के लगभग है। जिले में बुनकर परिवारों की बहुतायत है। वर्तमान में 500 बुनकर तथा 5000 कतवारी इस कार्य में लगे हुए हैं। जिले में ऊनी खादी का उत्पादन पमुख रूप से कबीर बस्ती, काठोडी, मधां नेहडाई, डिग्गा, सोभ,छत्रैल, रामगढ, सेऊवा, खुइयाला, मण्डाई, झिन्झियाली, गुहडा, सम, कनोई, हटार, दव आदि ग्राम में होता है। जिले में निम्न संस्थाएँ कार्यरत हैं :-

1. कबीर बस्ती खादी उत्पादक सह.समिति लि. कबीर बस्ती
2. जैसलमेर जिला खादी ग्रामोदय परिषद जैसलमेर
3. सीमा ग्राम स्वराज्य संघ, जैसलमेर
4. खादी ग्रामोद्योग समिति मधां
5. बंसिया समग्र विकास परिषद बैकुण्ठ ग्राम झिन्झिनियाली
6. नमडुंगर क्षेत्रीय सधन विकास समिति कनोई
7. मालण खादी ग्रामोद्योग समिति खुहडी
8. तेमडेराय क्षेत्रीय सधन विकास समिति कोटडी
9. देगराय क्षेत्रीय सधन विकास समिति देवीकोट
10. सेउवा बुनकरा खादी उत्पादक सहकारी समिति लि0 सेउवा
11. तनोट राय क्षेत्रीय सधन विकास समिति ,सोनू
12. पोकरण खादी ग्रामोद्योग संस्थान, पोकरण



चित्र स0 12 खादी ऊनी कतवारी एवं अम्बर चरखा पर कतवारी

जैसलमेर जिले में खादी की समस्याएं एवं निराकरण हेतु सुझाव

1. **कार्यशील पूँजी का अभाव** : खादी संस्थाओं को प्रतिवर्ष खादी उत्पादन हेतु सामर्थ्य अनुसार कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है परन्तु संस्थाओं के पास अभाव है ऐसी स्थिति में खादी का उत्पादन नहीं होता है। **निराकरण**: इस लिए खादी संस्थाओं को राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम 4 प्रतिशत ब्याज दर से हर वर्ष पात्रता अनुसार कार्यशील पूँजी का भुगतान होता था। उसे पुनः शुरू किया जाए।
2. **बिक्री का अभाव** : खादी संस्थाओं द्वारा उत्पादित माल गुणवत्ता एवं मजबूती के साथ शुद्ध होता है जिसका उत्पादित मूल्य अधिक है, जबकि बाजार में मिलावटी एवं कृत्रिम ऊन के उत्पाद सस्ते दरों पर उपलब्ध है जिससे खादी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है।

निराकरण :

1. खादी संस्थाओं को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा बिक्री हेतु रिबेट उपलब्ध कराई जाती है जिसे समय पर मिलना निश्चित किया जाए।
 2. रिबेट को सीजनल नहीं रखकर वर्ष पर्यन्त सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे चोरी एवं आपा-धापी से बचा जा सके तथा ग्राहक में विश्वसनीयता रहे।
 3. सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, डिजायन, एवं अन्य को ऊनी खादी उत्पादों को आधार मानकर तैयार कराये जाए, जिससे कार्यक्रमों का उचित लाभ मिल सकें।
 4. सरकार द्वारा पश्चिमी राजस्थान के ऊनी उत्पादों को खरीदा जावे।
- 3. कन्सोर्टियम बैंक साख योजना में ब्याज दर को कम करना** :- खादी संस्थाओं को सरकार से 4 प्रतिशत दर से कार्यशील पूँजी प्राप्त होती थी परन्तु कन्सोर्टियम योजना में बहुत अधिक ब्याज दर से कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराई गई जिससे खादी संस्थाएं चुकाने के अभाव में बंद हो गई अथवा समाप्ति की कगार पर है। निराकरण: उपरोक्त राशि 4 प्रतिशत ब्याज दर रखकर अधिकतम ब्याज दर एवं दण्डित ब्याज माफ किया जाए।
- 4. खादी कार्यों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों में नहीं जोड़ा जाना**: खादी संस्थाओं का राष्ट्रीय कार्यक्रमों (जिनमें रोजगार सृजन हो सकता है) में नहीं जोड़े जाने से कातिन व बुनकर को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। निराकरण : खादी संस्थाओं को नरेगा कार्यक्रम तथा पौधारोपण कार्यक्रम में जोड़कर राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी में संस्थाओं का सहयोग लिया जावे।

ग्रामोद्योगों का विवरण

जैसलमेर जिले में निम्न विवरण अनुसार योजनावार उद्योगवार इकाईयों को लाभान्वित किया गया है जिसमें लगभग 20000 लोगों को परोक्ष व अपरोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है।

क्र. स.	उद्योग का प्रकार	आयोग निधि योजना	कन्सोर्टियम योजना	बैंक वित्त मार्जिन मनी योजना	बैंक ब्याज सहायता योजना	कुल योग	विशेष विवरण
1	चर्म	1176	3	20	0	1199	
2	लोहारी, सुथारी	139	5	26	1	171	
3	बांस बेंत	153	24	1	0	178	
4	सेवा इकाई	17	4	38	0	59	
5	सिलाई	41	24	38	31	134	
6	अनाज दाल प्रशोधन	32	7	34	2	75	
7	चूना	65	10	54	1	130	
8	कुम्हारी	141	1	21	18	181	
9	तेल	11	0	0	0	11	
10	फोटो फ्रेमिंग	12	0	2	0	14	
11	रेशा	24	0	0	0	24	
12	अन्य	7	0	1	0	8	
	योग	1818	78	235	53	2184	

5.7 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसलमेर

- जैसलमेर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना सन 1984 में किराये के भवन के साथ हुई थी। तत्पश्चात सन् 1991 में निजी भवन में स्थानान्तरित किया गया उस समय संस्थान में 8 व्यवसायों के 10 यूनिट सभी एन. सी.वी.टी. से संबंध संचालित थे।
- वर्तमान में स्ववित्तपोषित व्यवसायों को मिलाकर 8 व्यवसायों के 16 एकक संचालित है।
- सन् 1996 में पोकरण उपखण्ड में एक राजकीय औ० प्र० सं० 3 व्यवसायों के साथ शुरु हुआ।
- सन् 2008 में जैसलमेर जिला मुख्यालय पर एक निजी जगतम्बा आई. टी. सी. कोपा व्यवसाय के दो एकक के साथ प्रारम्भ हुआ।
- वर्तमान में कुल तीन औ० प्र० सं०/केन्द्र (आई. टी. आई और आई. टी. सी.) जिले में अस्तित्व में है।

संरचना

प्रशासनिक भवन	:-	5 कक्ष
कार्यशालाएं	:-	8
कक्षा कक्ष	:-	6
छात्रावास	:-	2
आवासीय भवन	:-	7

- प्रशासनिक भवन—प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, भंडार कक्ष, स्टाफ कक्ष, शौचालय इत्यादि।
- संस्थान में प्रत्येक व्यवसाय के लिए पृथक—पृथक कार्यशाला उपलब्ध है जिसमें विद्युत कार वायर मैन फीटर मैकेनिक मोटर व्हीकल वेल्डर मैकेनिक डीजल एवं कटाई—सिलाई व्यवसाय है।
- कक्षा कक्ष— पांच कक्षाकक्ष और इंजीनियरिंग ड्राइंग कक्ष पृथक उपलब्ध है।
- छात्रावास सुविधाएं—2 छात्रावास उपलब्ध है जिनमें 22 कमरों की सुविधा उपलब्ध है
- आवासीय भवन— 7 आवासीय क्वार्टर स्टाफ सदस्यों के लिए उपलब्ध है जिसमें एक अधीक्षक प्राचार्य, चार अधीनस्थ कार्मिकों एवं 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए है।

कुल व्यवसाय, स्वीकृत शीटें और ऑनरोल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत शीटें	एनसीवीटी/एससीवीटी	ऑनरोल प्रशिक्षणार्थी
1	विद्युतकार वरिष्ठ	16	एनसीवीटी	20
2	विद्युतकार कनिष्ठ	16	एनसीवीटी	21
3	मैकेनिक रेडियों एवं टीवी वरिष्ठ	16	एनसीवीटी	15
4	मैकेनिक रेडियों एवं टीवी कनिष्ठ	16	एनसीवीटी	21
5	वायरमैन वरिष्ठ	16	एनसीवीटी	20
6	फीटर	16	एनसीवीटी	18
7	मैकेनिक – मोटर व्हीकल कनिष्ठ	16	एनसीवीटी	21
8	मैकेनिक डीजल	16	एनसीवीटी	21
9	वेल्डर	12	एनसीवीटी	16
10	कटाई एवं सिलाई	16	एनसीवीटी	11
11	फीटर (एसएफएस) वरिष्ठ	16	एनसीवीटी	19
12	मैकेनिक डीजल (एसएफएस)	16	एनसीवीटी	21
13	वायरमैन (एसएफएस)	16	एनसीवीटी	20
14	वेल्डर (एसएफएस)	12	एनसीवीटी	00
15	मैकेनिक मोटर व्हीकल (एसएफएस) वरिष्ठ	16	एनसीवीटी	13
16	कटाई एवं सिलाई (एसएफएस)	16	एनसीवीटी	00
	योग	248		257

लोकप्रियता के अनुसार व्यवसायों की सूची

व्यवसाय	महिला	पुरुष
1. विद्युतकार	0	509
2. रेडियो एवं टीवी	01	04
3. फिटर	0	04
4. मैकेनिक डीजल	0	63
5. वैल्डर	0	72
6. मोटर मैकेनिक	0	15
7. कटाई एवं सिलाई	11	0

प्रवेश,परीक्षा,नियोजन

क्र.सं.	वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या				रोजगार के प्रकार या नियोजन एजेन्सियां
		प्रवेशित	परीक्षा में सम्मिलित	उत्तीर्ण	नियोजित	
1.	2005-06	96	82	74	70	राजकीय क्षेत्र भारतीय रेलवे, रा.वि. वि. नि. लि. रा.वि. प्र. नि. लि. रा.वी.उ.नि.लि हिरोहोण्डा लिमिटेड, गोमन इण्डिया लिमिटेड, सुजुलोन, एनरकोन,और स्वरोजगार (निजि दुकान आदि)
2.	2006-07	134	101	81	75	भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभाग, भारतीय रेलवे, उर्जा क्षेत्र(पवन उर्जा संयंत्र), रोजगार मेला द्वारा रोजगार एवं स्वरोजगार
3.	2007-08	139	69	49	44	जी.टी.पी.पी. रामगढ़रा.वि.प्र.नि.लि.,होण्डासीएल कार इण्डिया लिमिटेड द्वारा केम्पस साक्षात्कार व नियोजन जिला उधोग केन्द्र द्वारा पी.एम.आर.वाई.में स्वरोजगार
4.	2008-09	213	134	121	103	सुजुलोन,एनरकोन, रा.वि.वि.नि.लि.टाटा मोटर्स पन्त नगर उतराचल आदि।

समस्याएं

संस्थान में वायरमैन अनुदेशक एवं समूह अनुदेशक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता है। इस रिक्तता के कारण प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है।

दो वाचमैन की आवश्यकता है एवं संविदा आधार पर इन पदों को भरने की स्वीकृति की आवश्यकता है। सुरक्षा एवं चौकीदारी की एक समस्या है।

संस्थान के छात्रावास के सफल संचालन के लिए वॉचमैन, कनिष्ठ लिपिक और स्वीपर की आवश्यकता है।

छात्रावास प्रभारी के लिए ओनेरेरियम (मानदेय) और टेलिफोन सुविधा की आवश्यकता है

पानी की मांग एवं आपूर्ति के स्थायी समाधान के लिए ट्यूब बेल खुदवाने के लिए बजट प्रावधान की आवश्यकता है।

5.8 बैंकिंग क्षेत्र

जिले के आर्थिक विकास में बैंक एवं वित्तीय संस्थानों का विशेष योगदान रहा है। सभी वित्तीय संस्थाएं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित, संतुलित, आर्थिक, सामाजिक विकास हेतु उस क्षेत्र विशेष में उपलब्ध सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना है। जिले के सर्वांगीण विकास हेतु उस क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं, बैंकिंग योजनाएं एवं सरकारी योजनाओं का समावेश करके प्रगति हेतु निरन्तर सघन प्रयासों की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण योजनाएं तैयार करने में नाबार्ड द्वारा तैयार सम्भाव्यतायुक्त ऋण योजनाओं को वार्षिक आधार पर अद्यतन कर तैयार किया जाता है, जिनमें प्राथमिकता क्षेत्रों में आधार पर सम्भाव्यतायुक्त ऋण योजनाएं तैयार की जाती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बी.पी.एल. परिवारों की सूची अनुसार शतप्रतिशत वित्तीय समावेशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का कार्य किया जाता है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा हस्तशिल्प व स्थानीय उद्योगों के आधार पर छोटे छोटे समूह बनाकर कार्य किया जाता है। जिनका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार संवर्धन आर्थिक एवं सामाजिक विकास से है। बैंको का सीधा सम्बन्ध व्यवसाय संचालन, व्यवसाय स्थापित करने एवं सरकारी योजनाओं में सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान के सहयोग से आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ने में अहम भूमिका है। मार्गदर्शी बैंक कार्य योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसान क्लबों का गठन किया जाता है और किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा नई तकनीक हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न किसान मेलों का आयोजन कर वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह कार्य योजना बैंक शाखाओं, जिला प्रशासन एवं शासकीय विभागों अभिकरणों के समन्वय और सहयोग का परिणाम है। वर्तमान में जिले में 11 बैंको/वित्तीय संस्थाओं की 49 शाखाएं कार्यरत हैं। 30 मार्च 2009 तक के वित्तीय आंकड़े निम्न प्रकार हैं :-

	राशि (लाखों में)	खाते संख्या
जमाएं	57674.17	242033
अग्रिम	38030.84	53438
कुल व्यवसाय	95705.01	295471

स्त्रोत- मार्गदर्शी बैंक जैसलमेर

जिले में एसबीबीजे द्वारा अग्रणी बैंक की भूमिका निभाई जा रही है। जिले की भौगोलिक परिस्थितियां, कम जनसंख्या घनत्व, छोटी-छोटी ढाणियों में दूर दराज में बसी हुई छितरी जनसंख्या के कारण सम खण्ड क्षेत्र पाकिस्तान सीमान्त में बैंक से बैंक शाखा की दूरी 60-70 किमी. तक की है। ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं की पूर्ति हेतु 60-70 किमी. तक की दूरी भी तय करनी होती है।

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से सम्बन्धित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा) में कुल 110399 जोब कार्ड बने हुए हैं। भुगतान बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा करने के उद्देश्य से अभी तक खाते विभिन्न बैंक शाखाओं में 23194 खातें एवं 59867 खाते पोस्ट ऑफिस में खोले गये हैं। जिले में एक प्रधान कार्यालय सहित 150 पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें 133 शाखाएं एवं 16 उप कार्यालय कार्यरत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को बैंक से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं।

खण्डवार बैंक शाखाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :-

बैंक	शाखा संख्या	खण्डवार		
		जैसलमेर	सम	सांकड़ा (पोकरण)
एसबीबीजे	13	7	2	4
एसबीआई	3	2	-	1
बीओबी	3	1	2	-
पीएनबी	3	1	1	1
यूको	1	1	-	-
बीओआर	2	2	-	-
जेटीजीबी	13	4	3	6

जेसीसीबी	8	4	1	3
पीएलडीबी	1	1	—	—
आरएफसी	1	1	—	—
आईसीआईसीआई	1	1	—	—
कुल योग	49	25	9	15

स्त्रोत- मार्गदर्शी बैंक जैसलमेर

जैसलमेर खण्ड में 14, सम खण्ड में 9, तथा सांकडा खण्ड में 11 ग्रामीण शाखाएं कार्यरत हैं। एसबीबीजे ने फतेहगढ में एक, एवं एसबीआई ने रामगढ में एक तथा जैसलमेर में एक और शाखा खोलने के लिए प्रस्ताव भेजे हुए हैं।

प्रमुख बैंकिंग आंकड़ों का विवरण

विवरण	भारतीय रिजर्व बैंक का मानक स्तर	वास्तविक स्तर 31 मार्च 2009		31 मार्च 2008 को स्तर
		(रु लाखों में)	प्रतिशत	(रु लाखों में)
जमाएं		57674.17	136.01 % वृद्धि	42401.25
अग्रिम		38030.84	126.68 % वृद्धि	29973.42
ऋणजमा अनुपात (व्यावसायिक बैंक)			44.05	46.45
ऋण जमा अनुपात पूरे जिले का	60%		47.4	51.71
प्राथ. क्षेत्र को अग्रिम	40%	30950.49	81.38	24310.94
कृषि अग्रिम	18%	23441.84	61.64	18256.94
अजाजजा को ऋण		4133.53	10.87	4870.55
अल्पसंख्यकों को ऋण	15: (जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य)	4957.19	13.03	4152.46
महिलाओं को ऋण		4846.32	12.74	3000.64

स्त्रोत- मार्गदर्शी बैंक जैसलमेर

ऋण जमा अनुपात :- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मानक स्तर 60 प्रतिशत माना गया है । जिले में कुल ऋण जमा अनुपात 47.40 प्रतिशत है। मार्च 08 से इसमें लगभग 4 प्रतिशत की कमी हुई है । वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 44.05 प्रतिशत है। सभी वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात मानक स्तर से कम है , ग्रामीण बैंक का ऋण जमा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के मानक स्तर से ऊपर है । किन्तु पिछले वर्ष के स्तर से 13 प्रतिशत की कमी हुई है। एस एल बी सी के आंकड़ों के अनुसार राज्य स्तर पर ऋण जमा अनुपात लगभग 87 प्रतिशत है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण :- भारतीय रिजर्व बैंक का मानक स्तर 40 प्रतिशत है जिले में यह 81.38 प्रतिशत है। यह स्तर मार्च 08 के लगभग बराबर है तथा सभी बैंकों का उक्त क्षेत्र में प्रगति मानक स्तर से अधिक है।

कृषि ऋण :- भारतीय रिजर्व बैंक का मानक स्तर 18 प्रतिशत है । जिले में यह प्रतिशत 61.64 है। मार्च 2008 से इसके प्रतिशत में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । बैंक ऑफ राजस्थान के अतिरिक्त सभी बैंकों का स्तर मानक

स्तर से अधिक है। यद्यपि बैंक ऑफ राजस्थान ने इस मद में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि 9.44 से 12.76 प्रतिशत की अर्जित की है।

अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को ऋण :- मार्च 2008 को अल्पसंख्यक समुदाय के खातों में रु 4152.46 लाख बकाया थे जो कि कुल ऋणों का लगभग 13.85 प्रतिशत था। मार्च 2009 में यह बढ़ कर रु 4957.19 लाख हो गया जो कि कुल ऋणों का लगभग 13.03 प्रतिशत हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को रु 1576.78 लाख का ऋण प्रदान किया गया है।

महिलाओं को अग्रिम :- मार्च 2009 तक रु 4846.32 लाख के ऋण महिलाओं को बकाया है जो कुल ऋणों का लगभग 12.74 प्रतिशत है। मार्च 2008 को महिलाओं को रु 3000.64 लाख के ऋण बकाया थे जो कि कुल ऋणों का लगभग 10.01 प्रतिशत था। इस वित्तीय वर्ष में महिलाओं को रु 1330.68 लाख के ऋण प्रदान किये गये हैं।

अजा/जजा को ऋण :- मार्च 2009 तक रु 4133.53 लाख के ऋण अजा जजा के व्यक्तियों को बकाया है जो कुल ऋणों का 10.87 प्रतिशत है। मार्च 2008 को अजा /जजा के व्यक्तियों को रु 4870.55 लाख के ऋण बकाया थे जो कि कुल ऋणों का 16.25 प्रतिशत था। इस वित्तीय वर्ष में अजा जजा के व्यक्तियों को रु 1425.88 लाख के ऋण प्रदान किये गये हैं।

वार्षिक साख योजना वर्ष 2008-2009 की प्रगति

वार्षिक साख योजना 2008.2009 के तहत कुल रु 14400.00 लाख के ऋण वितरण का लक्ष्य था। मार्च 09 तक रु 14400.00 लाख के लक्ष्यों के विरुद्ध रु **19514.72** लाख का ऋण वितरण किया गया है जो कि वार्षिक लक्ष्यों का 135.52 प्रतिशत है। वार्षिक लक्ष्यों के विरुद्ध SBBJ की 172.83 प्रतिशत, बैंक ऑफ बड़ोदा की 172.20 प्रतिशत एंवम श्रद्ध की 173.29 प्रतिशत उपलब्धि बहुत ही सराहनीय है।

कृषि क्षेत्र में रु 10466.00 लाख के लक्ष्यों के विरुद्ध रु 16735.54 लाख का ऋण वितरण किया गया है जो कि वार्षिक लक्ष्यों का 159.90 प्रतिशत है। एसबीबीजे, एसबीआई, जेसीसीबी, जेटीजीबी एवं बीओबी द्वारा कृषि क्षेत्र में लक्ष्यों से शतप्रतिशत से अधिक ऋण वितरण किया गया है।

लघु एवं कुटीर उद्योग में रु 1106.00 लाख के लक्ष्यों के विरुद्ध रु 714.13 लाख का वितरण किया गया जो कि वार्षिक लक्ष्यों का मात्र 64.57 प्रतिशत है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा इस वर्ष कम ऋण वितरण किये जाने से इस क्षेत्र की प्रगति लक्ष्यों से कम रही है। एसबीआई, बीओआर, एंवम जेसीसीबी, ने इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत से अधिक उपलब्धी अर्जित की है।

व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में रु 2828.00 लाख के लक्ष्यों के एवज में रु 2065.05 लाख का ऋण वितरण किया गया जो कि वार्षिक लक्ष्यों का 73.02 प्रतिशत है। एसबीबीजे, बीओआर, एंवम जेसीसीबी, ने इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत से अधिक उपलब्धी अर्जित की है।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में प्रगति

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :- योजना के रु 150 लाख के लक्ष्यों के विरुद्ध रु 226.24 लाख के 711 आवेदन पत्र प्रायोजित किये गये हैं जिनमें 386 आवेदनों में रु 122.23 लाख की स्वीकृतियां जारी कर 367 आवेदकों को रु 111.38 लाख का ऋण वितरण किया गया है। जिसमें एक स्वयं सहायता समूह को रु 2.5 लाख का एवं 18 समूहों को रु 4.50 लाख का ऋण में रु 1.80 लाख का अनुदान जारी किया गया।

ग्रामीण पोप योजना :- योजना के 320 के लक्ष्यों के विरुद्ध 474 आवेदनपत्र प्रायोजित किये गये हैं जिनमें बैंकों द्वारा 263 स्वीकृतियां जारी की गई है तथा 263 में ऋण वितरण किया गया।

शहरी पोप योजना :- योजना के 80 के लक्ष्यों के विरुद्ध 104 आवेदनपत्र प्रायोजित किये गये हैं जिनमें 64 स्वीकृतियां जारी कर 57 में ऋण वितरण किया गया।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना:- योजना में 100 के लक्ष्यों के विरुद्ध 248 आवेदन पत्र प्रायोजित किये गये हैं जिनमें बैंकों द्वारा 100 स्वीकृतियां जारी की गई है तथा 58 आवेदकों को ऋण वितरण किया गया है।

आर्टिजन क्रेडिट कार्ड :- योजना में 500 के लक्ष्यों के विरुद्ध कुल 1266 आवेदनपत्र प्रायोजित किये गये हैं तथा बैंकों द्वारा 269 स्वीकृतियां जारी कर 269 आवेदकों को ऋण प्रदान किया गया है।

पीएमईजीपी योजना :- योजना में 41 आवेदकों को वित्तपोषित करने का लक्ष्य प्रदान किया गया है। 2 मार्च 2009 से पूर्व टास्क फोर्स के द्वारा चयनित कर 61 आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों के पास स्वीकृति हेतु प्रायोजित किये गए थे। जिनमें 31 मार्च 2009 तक 41 स्वीकृतियां जारी कर 4 आवेदनों को रु 3.17 लाख का ऋण प्रदान किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना :- मार्च 2009 तक विभिन्न बैंकों द्वारा 5050 नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये तथा रु 8226७81 लाख के ऋण वितरण किये गये हैं। मार्च 09 तक जिले में कुल 59296 किसान क्रेडिट कार्डों के द्वारा रु 24321.56 लाख का ऋण वितरण का भुगतान किया जा चुका है।

स्वयं सहायता समूह :- योजना के प्रारम्भ से अब तक कुल 830 समूहों को ऋण प्रदान किया गया है। इस वर्ष 126 समूहों को ऋण प्रदान किया गया है।

जिले की वार्षिक साख योजना वर्ष 2009—2010

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण लागू किया था, परन्तु अब इसकी अनिवार्यता सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम तक ही सीमित कर दी गई है तथा अन्य ऋण वितरण हेतु बैंकों को सेवाक्षेत्र से मुक्त कर दिया गया है। इन्हीं दिशा निर्देशों को ध्यान में रख कर जैसलमेर का अग्रणी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा वार्षिक साख योजना बनाई गई है।

वार्षिक साख योजना बनाते समय इसका प्रमुख उद्देश्य जिले में उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतों का भरपूर दोहन, गरीबी उन्मूलन, रोजगार उपलब्धि, औद्योगिक क्रान्ति एवं मानव संसाधन विकास हेतु वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

योजना के निर्माण में निम्न राष्ट्रीय लक्ष्यों का विशेष ध्यान रखने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

- ✂ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अग्रिमों का स्तर 40 प्रतिशत
- ✂ कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों पर प्रत्यक्ष ऋणों का 13.5 प्रतिशत एवं अप्रत्यक्ष कृषि क्षेत्र में 45 प्रतिशत यानि कुल 18 प्रतिशत
- ✂ कमजोर वर्गों को शुद्ध साख का 10 प्रतिशत
- ✂ सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन
- ✂ साख जमा अनुपात को राष्ट्रीय मानक स्तर 60 प्रतिशत तक लाने का पूर्ण प्रयास करना
- ✂ महिलाओं को शुद्ध साख का दस प्रतिशत
- ✂ अल्पसंख्यक समुदाय को कुल ऋणों का लगभग पन्द्रह प्रतिशत


वार्षिक साख योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित है। वार्षिक साख योजना में इस बार किसान क्रेडिट कार्ड तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का अधिकाधिक प्रयास किया जावेगा। इस वर्ष लघु तथा मध्यम इन्टरप्राइजेज को भी अधिकाधिक ऋण प्रदान करने हेतु विशेष प्रयास किये जावेंगे। बैंक अपनी दक्षता, मशीनों तथा कम्प्यूटरों के अधिकतम उपयोग तथा सरकारी विभागों से समन्वय रख कर और बेहतर परिणाम देंगे। जैसलमेर जिला राज्य का एकमात्र अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला है तथा जिले के अल्पसंख्यक समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम करना आवश्यक है अतः सभी बैंकों से इस बारे में अनुरोध किया गया है ताकि समाज के सभी वर्गों को एक समान स्तर पर लाया जा सके। जिले में तीन विकास खण्ड हैं। प्रत्येक खण्ड की साख योजनाएं खण्ड स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा अनुमोदित की गई हैं तथा जिला स्तर जिला स्तरीय समीक्षा समिति के अनुमोदन के उपरान्त समेकित की गई है। इस वर्ष की योजना संभाव्यताओं को मध्यनजर रखते हुए गत वर्ष से लगभग 17 प्रतिशत अधिक है।

वार्षिक साख योजना बैंक वार

PARTICULARS	AMT IN THOUSANDS	%
SBBJ	418100	24.89
SBI	91500	5.45
BOB	103850	6.18
PNB	81100	4.83
BOR	45700	2.72
JCCB	490000	29.17
JTGB	264500	15.13
PLDB	110750	6.59
RFC	70000	4.17
UCO	4500	0.87
TOTAL	1680000	100.00


गतिविधि वार

PARTICULARS	AMT IN THOUSANDS	%
AGRICULTURE	1320000	78.57
SSI	134000	7.98
OPS	226000	13.45
TOTAL	1680000	100.00




वार्षिक साख योजना खण्ड वार

PARTICULARS	AMT in Thousands	%
JAISALMER	659770	39.27
SAM	485230	28.88
SANKARA	535000	31.85

TOTAL**1680000****100.00**

वार्षिक योजना में वृद्धि (गत चार वर्षों में)

YEAR	TARGET	INCREASE	
	AMT IN 000	AMT	PERSENTAGE
2006-2007	922136	322280	53.73
2007-2008	1113290	191154	20.73
2008-2009	1440000	326710	29.35
2009-2010	1680000	240000	16.67



5.9 स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा पंचायत समितियों के माध्यम से कराया जाता है। इस योजना में जिले के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों को स्वयं का रोजगार लगाने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें योजना राशि से अनुदान की राशि भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2002 में की गयी बीपीएल परिवारों की गणना के अनुसार पंचायत समितिवार चयनित परिवारों का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष 2002 में चयनित बीपीएल परिवारों की पंचायत समितिवार गणना

क्र.स.	पंचायत समिति	SC	ST	OBC	Other	Total
1	जैसलमेर	1102	689	2908	1543	6242
2	सम	1762	823	5263	1725	9573
3	सांकड़ा	1018	315	2814	1799	5946
योग		3882	1827	10985	5067	21761

स्रोत - जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)

कार्यालय द्वारा विभिन्न योजना के तहत आजीविका के सम्बन्ध में रोजगार मुखी प्रशिक्षण दिया गया है, जो विगत पाँच वर्षों का निम्न सारणी अनुसार है। रोजगार मुखी प्रशिक्षण दिये जाने के बाद विभिन्न बैंको द्वारा 1727 स्वरोजगारियों को ऋण दिलवया गया था।

गत 5 वर्षों में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण का योजनावार एवं वर्षवार विवरण

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	SGSY	MADA	BADP	योग	बैंक से ऋण उपलब्ध
1	2004-05	445	0	0	445	445
2	2005-06	336	0	0	336	336
3	2006-07	285	0	0	285	285
4	2007-08	312	70	0	382	312
5	2008-09	349	270	150	769	349
योग		1727	340	150	2217	1727

स्रोत - जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)

बी.पी.एल 1727 परिवारों को डेयरी उद्योग, स्वयं की दुकानदारी एवं भेड़ बकरी पालन के प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं, जिनके माध्यम से बी.पी.एल. परिवारों को अपने जीवन यापन करने की क्षमता एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है।

जिले में निम्न उद्योग की आवश्यकता महसूस की जाती हैं :-

जैसलमेर जिला एक पर्यटन स्थल की दृष्टि से जाना जाता है। जिले में मुख्य रूप से पशुपालन किया जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए चर्म उद्योग को बढ़ावा देकर चर्म से निर्मित वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। जिले में अत्यधिक संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटक आते हैं, जिनमें से अधिकांश पर्यटक चर्म से निर्मित वस्तुओं

की ओर आकर्षित होते हैं। ये वस्तुएं अन्य क्षेत्रों से यहां पर लायी जाती हैं। जिले में चर्म उद्योग को बढ़ावा देकर स्थानीय बी.पी. एल. परिवारों को चर्म उद्योग में दक्षता प्रदान कर स्वरोजगार के लिये प्रेरित करने का प्रयास विभाग द्वारा किया जाना है।

5.10 राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण— रेडा

पश्चिमी राजस्थान में 38401 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में विस्तृत जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा एवं विद्युत आपूर्ति एवं विद्युतीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक चुनौती पूर्ण जिला है।

ऊर्जा मानव सभ्यता के विकास का आधार रही है। मनुष्य ने अपनी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए ऊर्जा के महत्वपूर्ण संसाधनों का दोहन किया है। ऊर्जा के समस्त स्रोतों में से "सौर ऊर्जा" का सर्वोत्तम स्थान है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे कि इसका व्यापक संवितरण, प्रदूषण मुक्त प्रकृति तथा वस्तुतः अक्षय आपूर्ति जिसके कारण यह ऊर्जा का एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।

समस्त अपराम्परागत ऊर्जा स्रोत तार्किक रूप से "सौर ऊर्जा" पर ही आधारित है। सौर ऊर्जा स्वयं को पवन ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत करती है। जिले में अधिकतम सौर विकिरण 6.27 किलोवाट प्रति वर्गमीटर प्रतिदिन प्राप्त होता है जो कि ऊर्जा उत्पादन हेतु एक वरदान है।

सूर्य की ऊर्जा के कारण भिन्न-भिन्न स्थानों पर वायु भिन्न-भिन्न तापों पर रहती हैं, जिसके कारण वायु प्रवाह संभव होता है। इस वायु प्रवाह को गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बड़े स्तर में जिले में उपयोग में लाकर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। बड़ी-बड़ी पवन चक्कियाँ स्थापित कर उनके जनरेटरों के माध्यम से पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर विद्युत-ग्रिड से जोड़कर सफलता पूर्वक विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। स्थापित पवन चक्कियों की विद्युत क्षमता 570.06 मेगावाट है।

ऊर्जा संकट के इस दौर में प्रकृति में निहित निःशुल्क व प्रदूषण रहित अपराम्परागत स्रोत ऊर्जा की निरन्तर बढ़ती मांग के पूरक के रूप में दिन - प्रतिदिन अपना प्रमुख स्थान बना रहे हैं। पारम्परिक ऊर्जा स्रोत सीमित हैं तथा यह सभी जगह सफलता से उपलब्धता नहीं होते, ना ही प्रदूषण मुक्त हैं। अतः वर्तमान परिपेक्ष्य में अपराम्परिक ऊर्जा स्रोतों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

- 1. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम :-** निगम द्वारा दूरस्थ अविद्युतीकरण ग्राम व ढाणियों को सौर घरेलू संयंत्र स्थापित कर विद्युतीकृत करने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2002 - 03 से 2008 - 09 तक 2705 कुल सौर संयंत्रों की स्थापना जिले के विभिन्न गांवों/ढाणियों में कर, राज/केन्द्र से प्राप्त अनुदान उपलब्ध करवाकर विद्युतीकरण कार्य किया।

इस योजनान्तर्गत प्रत्येक घर एक 37 वाट क्षमता का सौर पैनल एवं एक 12 वोल्ट 40 एम्पियर क्षमता की बैटरी, चार्ज कंट्रोलर, 2 9 वाट क्षमता के फिक्चर मय ट्यूब रोड, वायरिंग, स्थापना कार्य तथा दो वर्ष मुक्त रख - रखाव कार्य करवाया जाता है। विगत 5 वर्षों में स्थापित किए गए कुल संयंत्रों की संख्या निम्नानुसार है -

वर्ष 2002 - 03	=	582
वर्ष 2003 - 04	=	488
वर्ष 2004 - 05	=	शून्य
वर्ष 2005 - 06	=	707
वर्ष 2006 - 07	=	190
वर्ष 2007 - 08	=	738
कुल	=	<u>2705</u>

- 2. प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम :-** जिले के दूरस्थ अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकरण कार्य 10 किलोवाट क्षमता के सौर प्लांट स्थापित कर वर्ष 2002-03 से 2007-08 तक कुल 4 नं. की स्थापना जिले में की गई। प्रत्येक प्लांट की कीमत लगभग 45 लाख रुपये हैं।

इस योजनान्तर्गत गांवों में एक जगह भवन बनाकर सौर प्लांट स्थापना कर विद्युत को बैटरी में संधारण कर वापिस इनवर्टर द्वारा ए.सी. विद्युत में परिवर्तित कर, एल.टी. लाईनों के माध्यम से ग्रामों में प्रत्येक घर में निगम द्वारा फिटिंग कार्य भी कराया जाता है। इससे बल्ब टी.वी., पंखा इत्यादि 5 से 6 घंटे रात्रि में चला सकते हैं।

प्रत्येक घर से शिफ्टोरटी राशि रुपये 3000/- एक मुश्त तथा प्रतिमाह रुपये 100/- उपभोग शुल्क के रूप में प्राप्त किया जाता है। विद्युतीकृत गांवों की सूची निम्नानुसार है :-

1. घंटियाली 2. मोहरेवाला 3. सोढ़ा 4. तनोट

लाभ :- प्रत्येक ग्राम में औसतन 25 घर लाभान्वित हुए हैं इससे गांव के सभी परिवारों के रहने के स्तर का विकास हुआ, कुटीर उद्योग एवं स्वयं सहायता समूहों को ज्यादा कार्यकारी समय मिलने से आमदनी में वृद्धि हुई है।

1. **दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य** :- जिले के दूरस्थ अविद्युतीकृत गांवों को गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत (घरेलू सौर ऊर्जा लाईटिंग स्थापना द्वारा) विद्युतीकरण कार्य वर्ष 2005 - 06 व 2006 - 07 में निगम द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से किया गया है। वर्ष 2005 - 06 में 94 गांव तथा 2006 -07 में दो गांव को जिले में विद्युतीकृत किया गया है। इसमें रख-रखाव 5 वर्ष तक मुफ्त है तथा संयंत्र की लागत रुपये 16085 है इसमें अनुदान रुपये 14585 पश्चात् मात्र लाभार्थी को 1500 रुपये देय है।

उद्देश्य :- कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ अविद्युतीकृत गांव जो विद्युत ग्रिड से या तो जुड़ नहीं सकते या लागत ज्यादा आती है इस कारण सौर ऊर्जा घरेलू संयंत्र स्थापित कर विद्युतीकरण किया है।

भविष्य :- निगम द्वारा स्थापित सौर घरेलू संयंत्र मॉडल - 2 द्वारा 4 से 5 घंटे रोशनी आराम से प्राप्त हो जाती है इसमें कोई अन्य व्यय नहीं आता तथा कम रख - रखाव होने के कारण बहुत लोकप्रिय और व्यवहारिक है। उक्त योजना से 96 गांव रोशन हो गए इनके रहने का स्तर बढ़ा तथा रोजगार घरेलू/कुटीर उद्योग में भी वृद्धि निश्चित रूप से हुई है तथा उत्तरोत्तर बढ़ेगी।

2. **पवन ऊर्जा/विद्युत उत्पादन** :- भारत में पवन विद्युत कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1983 -84 में हुई शुरु में बाजार आधारित कार्य नीति को राजकीय वित्तीय प्रोत्साहन के द्वारा लागू किया इसलिए यह कार्यक्रम वाणिज्यिक रूप से सफल हुआ। भारत की पवन विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 8000 मेगावाट है। इसमें प्रदर्शन एवं वाणिज्यिक परियोजना भी शामिल हैं। इस प्रकार भारत विश्व में चौथा पवन विद्युत उत्पादक देश है।

इसी तरह राजस्थान में जैसलमेर जिला पवन विद्युत उत्पादक है वित्तीय वर्ष 2007 - 08 तक कुल 570.07 मेगावाट क्षमता के विभिन्न फर्मो/कंपनियों द्वारा स्थापित कार्य किया है। जिनमें सुजलोन एनर्जी, एनरकॉन इंडिया लिमिटेड, वेस्टास आर.आर.बी एवं बी.एच.ई.एल. प्रमुख कंपनिया है।

परियोजना विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण	
1. कुल निवेश 570 M/W दर रुपये 5 करोड़ प्रति M/W	2850.00
2. विद्युत उत्पादन 570 M/W दर 20 लाख यूनिट/प्रतिवर्ष	114000 Lac Unit
3. विद्युत का मूल्य 114000 Lac Unit दर 4 रु. प्र.यू. =Rs.	456000 Lac
4. रोजगार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष 570 मेगावाट हेतु	
a) सीनियर इंजीनियर 1 नं प्रति मेगावाट	570 मा. दिवस
b) साईड इंजीनियर 1 नं. प्रति मेगावाट	570 मा.दिवस
c) साईड सुपवाइजर 1 नं. प्रति मेगावाट	570 मा.दिवस
d) साईड हैल्पर 1न. प्रति मेगावाट	570 मा.दिवस
e) चौकीदार 1नं. प्रति मेगावाट	570 मा.दिवस
f) जीप/वाहन चालक 1नं. प्रति मेगावाट	570 मा.दिवस
कुल	3420 मा.दिवस

उक्त परियोजना पर औसतन प्रतिवर्ष 3420 मानव दिवस का प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल रहा है जबकि अप्रत्यक्ष रूप से लगभग दुगुना यानि 6840 मानव दिवस का सृजन भी हो रहा है व होटल उद्योग, ट्रांसपोर्ट उद्योग व अन्य सम्बन्धी कारणों से हुआ है। इससे मानव विकास में उत्थान हुआ है।

प्रति मेगावाट 10 हैक्टर भूमि की आवश्यकता होती है जो कि जैसलमेर में बहुतायत में उपलब्ध है। जिससे भविष्य में और ज्यादा परियोजनाओं को स्थापित किया जा सकता है।

भविष्य :- वित्तीय वर्ष 2009 – 10 में 300 मेगावाट की परियोजना स्थापना हेतु प्रस्तावित है, इसके लिए भूमि आरक्षित की हुई है साथ ही भविष्य में 3000 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापना का प्रावधान है।

सारांश :-

- ⇒ निगम द्वारा संचालित विद्युतीकृत क्रम राजकीय अनुदान के कारण क्रय करना आसान हो गया। इतनी ही नहीं निगम द्वारा ग्रामीणों को आधी से अधिक राशि ग्रामीण थार व कॉर्पोरेटिव बैंक से सॉफ्ट लॉन/ऋण राशि रुपये 9000 प्रति सिस्टम उपलब्ध करवाई जबकि सिस्टम की कीमत अनुदान पश्चात् मात्र 10525रुपये मात्र है। इससे अधिक से अधिक व गरीब से गरीब व्यक्ति लाभान्वित हुए है।
- ⇒ निगम द्वारा लागू योजना रात्रि में बच्चों को पढाई हेतु ज्यादा समय मिलने के कारण शिक्षा के उन्नति के योगदान में मील का पत्थर साबित हुई है। साथ ही संचार सुविधाओं में विस्तार डब्ल्यू.एल.एल. व मोबाईल फोन चार्जिंग इत्यादि द्वारा निश्चित रूप से लाभ हुआ है।
- ⇒ विद्युतीकरण कार्यक्रम से घरों में टी.वी द्वारा दूरदर्शन के मनोरंजन व समाचार देखने से ग्रामीणों में जागरुकता आई है साथ ही घरों में रोशनी के कारण लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु भी रोजगार हेतु अतिरिक्त समय मिलने के कारण आय में वृद्धि हुई तथा जनसामान्य के जीवन स्तर में भी सुधार आया है।
- ⇒ पूर्व में सूर्यास्त पश्चात् जीवन रुक सा जाता था। लोग खाना खाकर जल्दी सो जाते थे परंतु विद्युतीकरण पश्चात् देर रात तक खाना बनाना, खाना व आपस में बातचीत ग्रुप में करना सामान्य सी बात हो गई है जिससे जीवन चक्र अच्छा चलने लगा।
- ⇒ विद्युतीकरण से पूर्व ग्रामीण रोशनी हेतु कॅरोसिन का उपयोग करते थे जो कि ज्यादा जोखिम पूर्ण व स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक था। अतः यह योजना बरदान साबित हुई है। विद्युत उपलब्धता विकास हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा भविष्य की ऊर्जा अक्षय ऊर्जा ही है, ग्रामीणों को यह योजना बहुत उपयोगी लगी है।
- ⇒ मुख्य लाभ यह है कि ग्रामीणों की विद्युत से न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने के कारण न केवल शहरों/महानगरों की तरफ पलायन रुका है, बल्कि ग्रामीणों के आर्थिक स्तर तथा रहने के स्तर में सुधार आया है। इससे शहरों/महानगरों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।
- ⇒ आज विद्युत आपूर्ति कमी को दूर करने का गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत एक मात्र उपाय है सरकार इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम ग्रामीणों में शिक्षा के क्षेत्र में जागरुकता तथा कुटीर उद्योगों के साथ उनकी कार्यक्षमता वृद्धि करना है। ग्रामीण स्थानीय मास मीडिया, खेल, ड्रामा, रैली, बच्चों की देखभाल, मेला, कठपुतली शौ इत्यादि द्वारा जीवन को खुशहाल बनाये जाने का प्रयास है।